अष्टम माला, खंड 16, अंक 38

बुधवार, 23 अप्रैल, 1986

3 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 38, बुधवार, 23 अप्रैल, 1986/3 वैशाख, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 762 से 768	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—162
तारांकित प्रश्न संख्या : 769 से 781	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7330 से 7354, 7356 से 7430 और 7432 से 7444	30—154
सभा पटल पर रखे गए पत्र	162—166
प्राक्कलन समिति	166
29वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	167
दूसरा प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	167—171
(एक) यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और कानपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	
श्री जगदीश अवस्थी	167
(दो) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के खानपुर शाह सलेमपुर गांव में सिंगल सुपर फास्फेट यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे सुमन	167
(तीन) थ्रेशर दुर्घटनाओं में अशक्त हुए कृषि कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री राधाकान्त डिगाल	168

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) पिपरया गांव को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 169

(पांच) उड़ीसा में जयपुर में एक सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास 169

(छः) फसल बीमा के लिए तालुक/ब्लाक की बजाय राजस्व गांव को परिभाषित क्षेत्र मानने और कपास, तम्बाकू, गन्ने और लाल मिर्च को भी फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 170

(सात) होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को एल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी 170

(आठ) श्री राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री कमोदी लाल जाटव 170

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87—(जारी) 171—271

(एक) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय 171—191

श्री वी० एन० गाडगिल 171

(दो) कृषि मन्त्रालय 191—271

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 193

श्री राजमंगल पांडे 196

श्री राज कुमार राय 198

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 211

श्री जायनल अबेदिन 213

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 216

श्री राम बहादुर सिंह 218

श्री एस० जी० घोलप 221

श्री एम० महालिंगम	223
श्री योगेन्द्र मकवाना	225
श्री के० मोहनदास	228
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	230
श्री अमर सिंह राठवा	232
श्री शमिन्दर सिंह	234
श्री के० एच० रंगनाथ	235
श्री एम० आर० सैकिया	237
श्री नटवर सिंह	238
श्री नारायण चौबे	240
श्री जगदीश अवस्थी	242
श्री राम नगीना मिश्र	244
श्री अब्दुल रशीद काबुली	246
श्री एम० एल० झिकराम	252
श्रीमती डी० के० भण्डारी	253
श्री पीयूष तिरकी	254
श्री आर० जीवरत्नम	256
श्री सी० जंगा रेड्डी	257
श्री बी० एन० रेड्डी	259
सरदार बूटा सिंह	260
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87	271—275
संचार मन्त्रालय, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, आदि, आदि	
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	276—282
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	276
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	276
श्री जी० एम० बनातवाला	276

विषय	पृष्ठ
श्री मूल चन्द डागा	278
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	279
खण्ड 2 से 4 तथा 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	282
आधे घण्टे की चर्चा	282—294
परिवार नियोजन के सम्बन्ध में राज्यों को मार्गनिदेश	
डा० गौरी शंकर राजहंस	282
श्री एस० कृष्ण कुमार	286
श्री मूल चन्द डागा	290
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	291

लोक सभा

बुधवार, 23 अप्रैल, 1986/3 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"हरिद्वार में पर्यावरणीय अभियान"

*762. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हैरिटेज ने पिछले महीने में हरिद्वार में 30 लाख रुपए की लागत से कुंभ मेले के तीर्थ यात्रियों से गंगा नदी और उसके पर्यावरण को दूषित न करने के लिए आग्रह करने का अभियान आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार को वाराणसी में भी, जहां प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्री आते हैं, इसी प्रकार का प्रचार अभियान आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज (इ-टेक) जो एक गैर सरकारी संगठन है, ने हरिद्वार एवं ऋषिकेश में कुंभ मेले के दौरान एक जन-जागरूकता अभियान तैयार तथा आरम्भ किया है। ऐसा समझा जाता है कि अभियान की अनुमानित लागत 32.26 लाख रुपये है। गंगा परियोजना निदेशालय ने इस अभियान को सहयोग दिया है और लागत में 15 लाख रुपये का अंशदान दिया है।

(ख) अभियान को हाल ही में आरम्भ किया गया है और इस तरह अभी तक इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ग) वाराणसी अथवा अन्यत्र जन-जागरूकता अभियान चलाते समय हरिद्वार एवं ऋषिकेश में अभियान से एकत्र अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री के० प्रधानी : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि "इण्डियन नेशनल ट्रस्ट

फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज" ने हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान जन-जागरूकता अभियान आरम्भ किया था। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि 'इन्टेक' द्वारा लोगों को शिक्षित करने के लिए, गंगा के पानी में प्रदूषण की जानकारी देने के लिए तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : गंगा जल को प्रदूषण-मुक्त रखने के लिए यह जन जागरूकता कार्यक्रम बनाया गया था और जो उपाय किए गए हैं, वे हैं (1) उन्होंने प्रदूषण की समस्या पर दो दूरदर्शन फिल्में बनाई हैं और नदी प्रबन्ध के समेकित तरीके बनाए हैं, (2) पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए हैं, (3) नदी के जल को प्रदूषित न करने का संदेश देने वाले पोस्टर अनेक भाषाओं में लगवाये हैं, (4) रेडियो पर भी ऐसे ही संदेश दिए हैं; (5) भजन कैसेट, (6) पैनल तथा विज्ञापन पट्ट, (7) गंगा पर प्रदर्शनियां, (8) गंगा सेवा शिविर तथा उससे संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वालों को कलैंडर तथा पोस्टर देना।

श्री के० प्रधानी : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं : कपड़े धोने, मुर्दे बहाने, धान के खेतों में प्रयुक्त उर्वरक तथा कीटनाशक फेंकने से गंगा जल प्रदूषित होता है। क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण अथवा किसी अन्य विभाग ने इसे रोकने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई प्रावधान किया है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण इसी काम के लिए अर्थात् गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बनाया गया है और कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनमें तीन राज्य शामिल हैं अर्थात् उत्तर-प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को अपनी योजनायें स्वीकृति हेतु केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण को भेजने के लिए कहा गया है; कार्य चल रहा है।

डा० डी० एन० रेड्डी : महोदय, हमें बताया गया था कि कुंभ मेला दिवस 14 अप्रैल को लगभग 25 लाख तीर्थयात्रियों के आने की आशा थी। क्या हरिद्वार के कुंभ मेले में हाल में ही हुई दुर्घटना और कुछ वर्षों पूर्व दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य में ऐसे मेलों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी ? (**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलु : मेलों पर प्रतिबंध लगाना जन-विरोधी होगा।

डा० डी० एन० रेड्डी : 25 लाख तीर्थयात्रियों के लिए प्रबंध नहीं किया जा सकता। क्या इतनी बड़ी धनराशि केवल इसलिए खर्च करना सही है कि······(**व्यवधान**) मुझे यह भी बताया गया है कि साधुओं के पास खतरनाक हथियार थे। मेरे विचार में मंत्री जी को संतोषजनक उत्तर देना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, संभवतः माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम कि कुछ भावनायें भारतीयों की आत्मा में काफी गहरी हैं और ऐसे मेलों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो भावनायें विरासत में मिली हैं, उनका प्रश्न हो तो हमें यह देखना चाहिए कि हम श्रेष्ठतम प्रबंध करें और देखें कि ऐसी दुर्घटनायें न हों। प्रतिबंध लगाने पर यह सरकार कभी विचार नहीं करेगी।

पर्यावरणीय प्रबन्ध व्यवस्था में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

***763. डा० टी० कल्पना देवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 73वां सम्मेलन 3 से 8 जनवरी, 1986 तक दिल्ली में हुआ था, जिसका मुख्य विषय "पर्यावरणीय प्रबन्ध-व्यवस्था में विज्ञान और प्रौद्योगिकी" था और इसमें विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) विज्ञान कांग्रेस के 73वें सत्र में दी गई सिफारिशों को अप्रैल, 1986 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया । इसमें प्रमुख सिफारिशें हैं : (1) पर्यावरण पर सलाहकार निकाय की स्थापना; (2) राष्ट्रीय संरक्षण नीति का विकास ; (3) पर्यावरणीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना; (4) क्षेत्रीय नीतियो के साथ पर्यावरण का एकीकरण ।

इन सिफारिशों को सरकार द्वारा हाल में प्राप्त किया गया है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव की अध्यक्षता में एक अन्त:मंत्रालयी कार्यबल द्वारा ये परीक्षणाधीन है ।

डा० टी० कल्पना देवी : देश की अर्थव्यवस्था तथा देशवासियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण से पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार प्रदूषण को केन्द्र की सूची या समवर्ती सूची में लाएगी । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे भारतीत पर्यावरण प्राधिकरण बनायेंगे जिसमें प्रदूषण संबधी आंकड़े रखने, निगरानी, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को समन्वित ढंग से किया जा सके ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : ये विषय पहले ही समवर्ती सूची में है । इस संबंध मे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा काम किया जाता है । अब एक ऐसा विभाग है जो देश में परिस्थिति विज्ञान तथा प्रदूषण से संबंधित कार्य करता है और इस संबंध में पहले ही आवश्यक उपाय किए जा चुके हैं ।

डा० टी० कल्पना देवी : क्या सरकार सभी नदियों के लिए एक आयोग बनाएगी ताकि सभी उद्योग, विशेषकर खनन उद्योगों जिनसे प्रदूषण फैलता है पर एक अनिवार्य शुल्क लगाया जाए और इस शुल्क का केन्द्रीय सहायता के साथ उस क्षेत्र मे उपयोग किया जाये जहां से इसे एकत्रित किया गया हो ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में यह प्रश्न विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के लिए था क्योंकि वही भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिए निधि देते हैं। ये ब्यौरा पर्यावरण विभाग से प्राप्त हो सकता है किन्तु जहां तक मैं समझता हूं, वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जो आवश्यक है, किया जा रहा है। जहां तक नदियों आदि लिए के आयोग नियुक्त करने का प्रश्न है, उसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है। अन्य बातों के संबंध में आवश्यक जानकारी पर्यावरण विभाग से प्राप्त हो सकती है।

श्री जी०ओ० स्वैल : यूरोप और उत्तरी अमरीका में समस्या एसिड वर्षा की है जिससे जंगल नष्ट हो गए हैं और नदियों से मछलियां नहीं रहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भी हिमालय क्षेत्र मे वनों की निर्मम कटाई के साथ इस समस्या का भी सामना कर रहे हैं। हम इसके संबंध में क्या कर रहे है और अन्य कौन सी पर्यावरण समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रश्न को पर्यावरण विभाग भेजना ठीक रहेगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग निधि देता है। इस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत में वातावरण अभी इतना प्रदूषित नहीं हुआ कि एसिड वर्षा होने लगे। विभिन्न स्थानों पर निगरानी केन्द्र हैं जो रीडिंग लेते हैं और पता लगाते हैं कि वातावरण प्रदूषित हो गया है। अब बंजर-भूमि विकास बोर्ड भी स्थापित किया गया है ताकि बंजर-भूमि का विकास किया जा सके और देश के सभी भागों में हरियाली बढ़ाई जाए। प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त भी कई उपाय किए गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी से पूछा गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री उत्तर देते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि यह प्रश्न पर्यावरण विभाग के लिए है। पर्यावरण मंत्री को उत्तर देने से रोकने की कोई बात नही है; वे उनके पीछे ही बैठे हैं; वे उत्तर दे सकते थे **(व्यवधान)** सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य अत्यंत निराशाजनक है क्योंकि इसमें केवल यही कहा गया है कि कुछ और संस्थान अथवा निकाय अथवा बोर्ड तथा इसी प्रकार के प्रशासनिक प्रबंध किए जा रहे हैं। किंतु जहां तक मैं समझता हूं, प्रश्न वास्तव में यह है कि इंडियन साइंस कांग्रेस में पर्यावरणीय प्रबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर उस समय वहां एकत्रित सभी विख्यात वैज्ञानिकों द्वारा गहराई से विचार किया गया होगा। हम जानना चाहते हैं कि कुछ नये विभागों, संस्थानों और सलाहकार निकायों की स्थापना करने के अलावा, जिनके बारे में यहां कहा गया है, क्या इस बात पर कोई प्रकाश डाला गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग हमारे देश में प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कैसे किया जाए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : भारतीय विज्ञान कांग्रेस देश के युवा वैज्ञानिकों को और विदेशों से वैज्ञानिकों को यहां आने और कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का अवसर देती है। 1985 में उन्होंने पर्यावरण की समस्याओं पर विचार किया था और यही चर्चा का मुख्य विषय था। चर्चा के बाद, वैज्ञानिकों ने अपने शोध पेपर में कुछ सुझाव दिये थे, उत्तर में उन

सभी सिफारिशों का जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें उनसे सिफारिशें प्राप्त हुई हैं । मुख्य और महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि एक सलाहकार निकाय होना चाहिए, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, एक संस्थान होना चाहिए, पर्यावरण के संबंध में क्षेत्रवार उपाय किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण को उचित महत्त्व दिया जा सके । ये सिफारिशें की गई थीं; उन्होंने नदियों, वातावरण, वन विकास और अन्य बातों पर विस्तार से विचार किया । मेरे पास यह सब सिफारिशें हैं । इन सबके बारे में पूरी जानकारी दे पाना न तो मेरे लिए सम्भव है, न ही आवश्यक है, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसकी एक प्रति उन्हें दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं । यह सम्मेलन 1986 में हुआ था, पहले नहीं ।

"गंगा सफाई योजना का प्रथम चरण"

* 764. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.25 करोड़ रुपये की गंगा सफाई योजना के प्रथम चरण का परीक्षण, हरिद्वार में हाल के कुम्भ मेले के दौरान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम और अनुभव प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग गंगा नदी इन स्थानों से नीचे के स्थानों की ऐसी सफाई के कार्यों में उपयोग किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हरिद्वार के लिए मंजूर की गयी स्कीमों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं :—

—भीमगोडा, कनखल, ज्वालापुर तथा मायापुर में विद्यमान पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत, नवीकरण और डीजल उत्पादन सेटों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था ।

—सीवर लाइनों की सफाई ।

—55 नये गली पिट्स का निर्माण तथा 33 विद्यमान गली पिट्स की मरम्मत ।

—कांगड़ी मंदिर नाला, ललिता राव नाला तथा भीमगोडा (निचली) के लिए नये पम्पिंग स्टेशन मुहैया करना ।

—पांच अन्य नालों का गुरुत्वाकर्षण द्वारा विपथन ।

उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं । भीमगोडा और ललिता राव जेनरेटर तथा पम्पिंग स्टेशनों के लिए स्थायी कक्षों को पूरा करने का काम लम्बित होने से अपशिष्ट जल से बहाव को विपथित करने के लिए अस्थायी ढांचों में पम्पों को स्थापित किया गया है । हर-की-पौड़ी और

सुभाष घाट में नदी में अपशिष्ट जल के सीधे प्रवाह को रोका गया है। ट्रंक सीवर लाइनों की सफाई की जा चुकी है और कुछ शाखा सीवरों की सफाई का कार्य चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 8 नालों से अपशिष्ट जल को नदी से दूर कनखल मलजल फार्म की ओर विपथित करना सम्भव हुआ है। स्कीमों की कुल लागत 62.43 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपने कारखाने और नगर क्षेत्र से बहिस्राव को गंगा में विसर्जित होने से रोकने के लिए कदम उठाये हैं।

ऋषिकेश के लिए 98.75 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर निम्नलिखित स्कीमों को मंजूरी दी गयी थी :—

—30 गली पिट्स की सफाई एवं मरम्मत और 40 नये गली पिट्स मुहैया करना।

—माया कुण्ड में पम्पों की मरम्मत।

—ऋषिकेश में विद्यमान आक्सीकरण तालाबों पर पम्पों की व्यवस्था।

—अपशिष्ट जल को सरस्वति नाले से रोकना तथा त्रिवेणी घाट से विपयन।

—मुनि-की-रेती पर 2.6 कि० मी० सीवर बिछना।

—मुनि-की-रेती पर नया कुंड एवं पम्प।

—अपशिष्ट जल को रोकने के लिए नव स्वर्ग आश्रम में 1.2 कि० मी० की सीवर लाइन बिछाना।

—सोक पिट्स सहित सेप्टिक टैंक मुहैया करना एवं लक्ष्मण झूला मे विद्यमान सेप्टिक टैंक की मरम्मत।

—मुनि-की रेती में पम्पिंग स्टेशन को छोड़कर उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

कुम्भ मेले के संदर्भ में ये कार्य शीघ्र पूरे किये गये थे ताकि नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह तीर्थ यात्रियों द्वारा स्नान एवं धार्मिक कार्यों के लिए नदी जल के सीधे प्रयोग को प्रभावित न करे।

(ख) 1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने ऋषिकेश-हरिद्वार में नदी जल गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए पहले से ही उपाय किये हैं। अब तक प्राप्त परिणाम प्रोत्साहक हैं। जीव-रसायन आक्सीजन मांग (बीओडी) तथा विलयित आक्सीजन (डीओ) जो नदी गुणवत्ता के महत्वपूर्ण सूचक हैं, के सम्बन्ध में परिणाम निम्न प्रकार से है :—

प्राचल	1980-81 एवं 1982 के तीन वर्षों का औसत (दिसम्बर से फरवरी के दौरान	कार्य समाप्ति के पश्चात् मार्च, 1986
1	2	3
1. जीव-रसायन आक्सीजन मांग (कि० ग्रा० प्रति लिटर) (मानक 3 या इससे कम है)	3.17	1.8

1	2	3
2. विलयित आक्सीजन (मि॰ ग्रा॰ प्रति लिटर) (मानक 5 या इससे अधिक है)	6.8	7.6

2. अपशिष्ट जल को नदियों में जाने से रोकना तथा गंगा कार्यकारी योजना के अधीन शहरों में उपचार स्थलों की ओर विपयन केलि जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) ह्रास तथा विलयित आक्सीजन (डी॰ ओ॰) की वृद्धि की आशा की जाती हे।

[हिन्दी]

डा॰ बी॰ एल॰ शैलेश : दवाइयां बनाने वाली जो आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ की हरिद्वार की फैक्ट्री है उससे जो रसायनिक गन्दगी गंगा में जाती है उससे जो प्रदूषण होता है उसके निवारण के लिए क्या शासन ने कोई वैज्ञानिक परीक्षण कराया है और आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ को अंडर पोल्यूशन ऐक्ट कोई नोटिस या उसका चालान किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ से जो प्रदूषण गंगा का होता है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा दिया है और जो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियल एफ्लूएंट को गंगा में ले जाती थीं उसके लिए वह फैसिलिटीज वहा क्रियेट कर दी हैं जिससे वह एफ्लूएंट गंगा में न जाने पाये।

डा॰ बी॰ एल॰ शैलेश : दूसरा सवाल है कि हरिद्वार के ऊपरी क्षेत्र में गंगा नदी में अधजली लाशों को फेंक देने से जो गंगा में प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह जो गंगा ऐक्शन प्लान है उसका मेन स्ट्रेस जो ह्यूमन वेस्ट और सीवरेज गंगा में डाला जाता है, उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसको डाइवर्ट करके के उस को गंगा में डालना था उसको दूसरे परपजेज के लिए इस्तेमाल करना, इर्रीगेशन के लिए इस्तेमान करना, इस बात पर है जहां तक अधजली लाशें गंगा में डाले जाने का सवाल है, मेरा ख्याल है कि घाटों पर जो लाशें जलाई जाती हैं, वे पूरे तौर पर जलाई जाती हैं। कितनी अधजली हैं और कितनी अधजली नहीं हैं, इसका कोई ब्यौरा हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि समस्त गंगा घाटी में कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनसे गंगा का पानी प्रदूषित होता है और इनमें से कितनी इकाइयों में बहि:प्रवाही संसाधन संयंत्र लगाये हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह प्रश्न गंगा सफाई योजना के प्रथम चरण, ऋषिकेश और हरिद्वार से संबंधित है। कुछ उद्योग जो गंगा नदी में प्रदूषण पैदा करते हैं की पहचान की गई है। मेरे पास इस समय उनकी सूची नहीं है। मैं इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

डा॰ जी॰ विजय राम राव : कुम्भ मेले में 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह इसलिए कि उस समय कुछ विशिष्ट लोग वहां पर पवित्र स्नान कर रहे थे···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं ? असंगत ।

श्री आशुतोष लाहा : क्या सरकार ने प्रथम चरण में गंगा की सफाई के पश्चात् भी इसके पानी को स्वच्छ रखने के लिए कोई उपाय किए हैं ? अगर हां, तो वे कौन-कौन से उपाय हैं ?

श्री जियाउर्रमान अंसारी : इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी इन 'सिवरेज' योजनाओं की देखरेख करेंगे । इसके अलावा केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकारी नियमित रूप से इन पर निगरानी करते रहेंगे । ये स्थानीय निकाय इन योजनाओं की नियमित देख-रेख के लिए जिम्मेदार होंगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ

*765. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में आतंकवादियों के संभावित प्रवेश को रोकने के लिये कोई उपाय कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, विदेशी नागरिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी विदेशी राष्ट्रिक विशेष अनुमति के बिना द्वीपसमूह में प्रवेश नहीं कर सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विशिष्ट स्थानों में प्रवेश करने अथवा रहने के लिए विशेष अनुमति गृह मंत्रालय या विदेशियों को परमिट जारी करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दी जाती है।

(ग) इस प्रकार की कोई गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री मनोरंजन भक्त : सबसे पहले, पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके जाने पर रोक है ?

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन मंत्री जी ने न तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, न ही इसे नकारा है। मंत्री ने मात्र यह बताया है कि एक विदेशी कैसे इस द्वीप समूह में प्रवेश पा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न था, "कि क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने के बारे में कोई जानकारी है।" इसको उन्होंने चतुराई से छोड़ दिया है। अतः मैं आपका संरक्षण चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको मेरा संरक्षण प्राप्त है ?

श्री मनोरंजन भक्त : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : तब प्रश्न पूछिए।

श्री मनोरंजन भक्त : प्रश्न के सभी मुद्दों का उत्तर दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्न पूछना ही असंगत हो जाता है। अब मैं अपना प्रथम पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में—आप सामरिक दृष्टि से इसकी महत्वपूर्ण स्थिति और भौगोलिक स्थिति को जानते ही हैं—प्रत्येक वर्ष तट रक्षकों द्वारा या निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा 15-16 नावों को जब्त कर लिया जाता है। इन नावों द्वारा विदेशी इस द्वीप में अनधिकार प्रवेश के लिए आते हैं। इसके अलावा, मैं समझता हूं मंत्री को एक जानकारी होगी कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिए। आप काफी समय ले रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूं···

एक माननीय सदस्य : वह पिछड़ा क्षेत्र भी है।

श्री मनोरंजन भक्त : हां, यह पिछड़ा क्षेत्र भी है। दुर्भाग्यवश अध्यक्ष महोदय ने इस द्वीपसमूह का दौरा नहीं किया है। जब अध्यक्ष महोदय एक दफा इस द्वीप का दौरा कर लेंगे तो मैं समझता हूं कुछ और सहायता प्राप्त होगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने एक समझौता किया है। प्रधानमंत्री और मैं दोनों वहां का दौरा करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : धन्यवाद। प्रश्न यह है कि कई द्वीपों पर लोग रहते ही नहीं हैं। एक द्वीप, तिलांग चोंग, पर 75 विदेशी रह रहे थे और कुछ वहां जन्मे भी हुए थे। लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। अतः मेरा प्रश्न यह है—क्या इन द्वीपों में प्रवेश पाने वाले सभी लोगों की जांच का गृह मंत्रालय ने कोई विशेष प्रबन्ध किया है और क्या जल पोतों या हवाई जहाजों से आने वालों की जांच की जाती है कि क्या उनमें से कोई विदेशी तो नहीं। मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह सही नहीं है कि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने यह नहीं पूछा कि कितने व्यक्तियों ने अवैध रूप से प्रवेश किया। अगर उन्होंने यह पूछा होता तो मैंने अवश्य उत्तर दिया होता। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को विदेशों राष्ट्रिकों के बारे में कोई सूचना है, जिसके उत्तर में मैंने उस प्रक्रिया को बताया है जिससे विदेशी इस संघ राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं···(व्यवधान)···माननीय सदस्य ने प्रवेश के तरीकों के बारे में प्रकाश डाला है। उन्होंने ट्राउलरों के बारे में बताया है। यह सत्य है कि पड़ोसी देशों के कई ट्राउलर अवैध रूप से हमारी जल सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रशासन और रक्षा सेनाओं द्वारा निगरानी रखे जाने के कारण, उनमें से अधिकतर लोग पकड़े जाते हैं, नावों को जब्त कर, उन लोगों को सजा दी जाती है। आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं और इस बारे में सरकार द्वारा निगरानी रखे जाने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जहां तक काफी संख्या में खाली पड़े द्वीपों का संबंध है, यह सत्य है कि काफी द्वीप खाली हैं, लेकिन हम रक्षा प्राधिकारियों से संबंध बनाए हुए हैं। वहां पर सेना की बटालियनें तैनात हैं, तट रक्षक गार्ड भी हैं और हम रक्षा प्राधिकारियों से संबंध बनाये हुए हैं, ताकि इन द्वीपों की सुरक्षा बनाये रखी जाए।

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, इन द्वीपों की अलग प्रकार की समस्याएं हैं और जनसंख्या की भी क्षमता सीमित है। लेकिन समस्या-यह है कि जातीय लोग बंगलादेश, श्रीलंका से आकर वहां बस रहे हैं और उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही। इसीलिए इन द्वीपों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप काफी संख्या में लोग वनों को काट रहे हैं और द्वीपों के वातावरण को दूषित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पूछिए।

श्री मनोरंजन भक्त : इसके फलस्वरूप, मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से पूछ रहा हूं कि क्या वे किसी प्रकार की जांच या परमिट प्रणाली या पहचान-पत्र प्रणाली लागू करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जातीय विदेशी इन द्वीपों में आने की कोशिश नहीं कर रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, विदेशी को इन द्वीपों में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी होती है, क्योंकि यह प्रतिबन्धित क्षेत्र है।

उस द्वीप में काफी लोग तमिल भाषी हैं और वहां से आये तमिल भाषी श्रीलंका में राष्ट्रियों के दो मामले हमारे सरक्ष आये हैं। समुचित कार्यवाही की गई थी और उन्हें वापिस भेज दिया गया था। उसके बाद से इस प्रकार का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वास्तव में हमारे देश के नागरिक वहां जाते हैं, उनके जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु उस भूमि पर प्रवेश करने से पूर्व विदेशियों की पूरी-पूरी संवीक्षा भली भांति की जाती है। यहां तक उनके ठहरने की अवधि और वे कहां-कहां जा सकते हैं इस पर प्रतिबंध है। और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि इन द्वीपों की सामरिक स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और उनकी रक्षा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।

श्री सुरेश कुरुप : क्या यह सच है कि बहुत सारे पाकिस्तानी राष्ट्रिक दक्षिण राज्यों के किन्हीं स्थानों में ठहरे हुए हैं ? यदि हां तो ऐसे कितने लोग हैं और वे किन-किन राज्यों में ठहरे हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री सुरेश कुरुप : दक्षिणी राज्यों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न अण्डमान तथा निकोबार द्वीप से संबंध रखता है। आपके पास यदि उससे सबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप जो चाहें वह प्रश्न नहीं पूछ सकते। व्यर्थ ही आप अन्य विषय क्यों उठा रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग से किस प्रकार असंगत है......

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री एन० वी० एन० सोमु : विदेशियों के प्रवेश को रोकने के बजाये, सरकार वास्तव में

सार्वजनिक निर्माण विभाग के तमिल कर्मचारियों की झोंपड़ियां और मकान गिरा रही है। क्या सरकार ऐसा करना बन्द करेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : तमिल भाषियों के किसी भी घर को गिराने का कोई भी मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई भी मामला कदापि नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि अंडमान निकोबार आयलैंड एक सैंसिटिव जगह है। यह ऐसा टापू है, जहां कुछ जगहों पर लोगों का निवास नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर हमारी नौसेना और मिलिट्री रहती है। ऐसी हालत में हमारी बंगाल की खाड़ी में, जैसी कि सूचना मिली है, कुछ दिनों से अराजक तत्वों द्वारा या विदेशियों के द्वारा घुसपैठ शुरू की जा रही है। ऐसी जगह जहां पर लोग नहीं रह रहे हैं और संरक्षण की दृष्टि से हमारे लिए वह महत्वपूर्ण जगह है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, क्या आपने वहां पर जानकारी ली है कि वहां इस तरह के तत्व घुसपैठ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अभी इसके बारे में जवाब दिया है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : इसका जवाब कहां दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं है।

[अनुवाद]

येलेरु जलाशय परियोजना (आन्ध्र प्रदेश) के लिए आरक्षित वन क्षेत्र का हस्तांतरण

*766. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से अपनी येलेरु जलाशय परियोजना के लिए आरक्षित वन क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह हस्तांतरण स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के कारण प्रस्ताव पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका है।

श्री एन० वेंकट रत्नम : राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार को सारी सूचना दे दी गई है। इसके बावजूद, वह जो भी कह रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार से किस प्रकार की सूचना मांगी गई थी और कब मांगी गई थी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह मामला केन्द्रीय सरकार के समक्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सरकार ने अधूरी सूचना दी थी। राज्य सरकार को अनेक अनुस्मारक जारी किये गये थे किन्तु राज्य सरकार ने इस विभाग के किसी भी पत्र का न तो उत्तर ही दिया और न सूचना ही भेजी। इसलिए अन्ततोगत्वा मामला बन्द करना पड़ा था। इसे पुनः खोला गया। और इसके बाद भी प्रत्युत्तर में अधूरी सूचना ही मिली। स्वीकृति देने के लिए कुछ आधार-भूत आवश्यकता पूरी करनी होती है। कुछ परियोजनाओं में, जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में परियोजना में मुआवना, दोबारा वनरोपण के बारे में योजना, लागत लाभ विश्लेषण, बेदखल किये गये लोगों विशेषकर जब बेदखल किये गये लोगों में अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हों, के पुनर्वास की योजना आदि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।

हमें ये सब ब्यौरे आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वनरोपण के लिए मुआवजे की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। पुनर्वास योजना के बारे में भी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। ये मूल-भूत जानकारियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और जब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है तक तक हमारे लिए परियोजना को स्वीकृति प्रदान करना संभव नहीं हो सकेगा।

श्री एन० वेंकट रत्नम : महोदय, इस परियोजना का मुख्य प्रयोजन विशाखापटनम इस्पात सन्यत्र को 1275 क्युसेक पानी सप्लाई करना है और आप भी मानते हैं कि यह बहुत ही महत्व-पूर्ण इस्पात संयन्त्र है किन्तु मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि अब वह बंद पड़ा है। जब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल जायेगी तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है और परियोजना के कुल 147 करोड़ रुपये के व्यय में से राज्य सरकार 62 करोड़ खर्च कर चुकी है और आगे काम इसलिए नहीं चल पाया कि सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। अब आप कहते हैं कि पूरी फाइल बंद कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में विशाखापटनम इस्पात संयंत्र किस प्रकार चल पायेगा ? जब तक विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र को पानी नहीं मिलेगा तब तक यह और नहीं चल सकेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : किन्तु सूचना तो आपको देनी ही होगी। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह तो दी जा चुकी है।

श्री एन० वेंकट रत्नम : राज्य सरकार से हमें जो सूचना मिली है, वह यह है कि पूरी जानकारी बहुत पहले ही केन्द्र को दे दी गई थी। और अब आप यह कहते हैं कि सारा मामला बंद कर दिया गया है यह तो आश्चर्य की बात है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री सारी सूचना दे चुके हैं, तो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे विचार से कोई नई बात नहीं पूछी गई है। तथ्य यह है कि जैसा कि मंत्री महोदय कह चुके हैं, ऐसे पांच मुद्दे हैं जिनके बारे में पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और मैं दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा जिससे यह पता चल जायेगा कि कभी-कभी राज्य सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करती है। मूलतः दो प्रश्न हैं। एक उस क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के के बारे में है, जो संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्षेत्र लिया जा रहा है उसमें 1599 परिवार अथवा 10,121 व्यक्ति रहते हैं और इसमें 1134 व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों

और 1957 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर 10,100 व्यक्तियों में से लगभग 3000 व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। राज्य सरकार इन गरीब व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था किये बिना ही इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। हम इस तरह की परियोजना को कैसे स्वीकृति दे सकते हैं ?

महोदय, 1525 हेक्टेयर वनभूमि को जलमग्न किया जा रहा है किन्तु उस वन के विकल्प के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, मुझे सही-सही आंकड़ों का तो पता नहीं है किन्तु पिछले 7 या 8 वर्ष के दौरान लगभग आन्ध्र प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत वन समाप्त कर दिया है। इस प्रकार वनों को तेजी से साफ किया जा रहा है। इसका प्रभाव हम देश में स्पष्ट देख रहे हैं। वनों की कटाई के कारण सूखे का वातावरण बनता जा रहा है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पिछले वर्ष ही हमने सूखे पर बहुत अधिक राशि व्यय की है इतनी बड़ी राशि पहले कभी भी व्यय नहीं की गई थी। यदि अब भी हम अपने वनों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगे ? और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राज्य सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालें कि जब तक सारी आवश्यकतायें पूरी न हो जायें, तब तक परियोजनाओं को शुरू न किया जाये और धन व्यय न किया जाये अन्यथा हम बड़ी अजीब स्थिति में पड़ जायेंगे। एक राज्य 60-70 करोड़ रुपया व्यय करके यह कहता कि "अब हम इन व्यक्तियों को नहीं बसा सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम आपको वन कहां से दें" और नतीजा यह होता है कि परियोजना में देरी हो जाती है। यदि कोई राज्य किसी परियोजना के बारे में वास्तव में गंभीर है तो हम भी उससे यही आशा करते हैं कि कार्य आरम्भ करने से पहले वह अपेक्षित सूचना हमें दे दें। वास्तव में, यदि किसी राज्य को इस बात की चिन्ता नहीं है कि ये 10,000 व्यक्ति कहां बसाये जायें तो महोदय, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री एन० वेंकट रत्नम : महोदय, उत्तर मुद्दे से हटकर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिये। मैं आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देता हूं। आपने दो प्रश्न पूछे हैं। (व्यवधान)

श्री एन० वेंकट रत्नम : महोदय, दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर मुद्दे से हटकर दिया गया है। कुल 1225 हेक्टेयर भूमि का प्रश्न है। जब तक इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती, तब तक विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र को पानी नहीं दिया जा सकता है। महोदय, जबतक इसे स्वीकृति नहीं मिलती विशाखापतनम इस्पात संयन्त्र को पानी नहीं मिलेगा। जब तक पानी की सप्लाई नहीं होती, इस्पात संयन्त्र···

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक वस्तु एक दूसरी से जुड़ी हुई है। हमें इसे पूर्ण तौर पर लेना चाहिए। यही बात है···

श्री राजीव गांधी : मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न से सम्बन्धित कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं जिनके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं। माननीय सदस्य द्वारा क्या यह सुझाव दिया गया है कि हमें 10,121 लोगों को डूब जाने देना चाहिए क्योंकि हमें विशाखापतनम इस्पात संयन्त्र को पानी देना है···

श्री सी० जंगा रेड्डी : नहीं महोदय। हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : वन अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले ही यह परियोजना शुरू हो चुकी थी।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान उत्तम राठौड़।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये। श्रीमान राठौड़।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मन्त्री महोदय ऐसा कहते है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके लिए अतिरिक्त समय दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको अतिरिक्त समय दूंगा। आप इस बारे में इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। बैठ जाइये। नियमानुसार कार्यवाही चलने दीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : जब प्रधान मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न पूछा है तो माननीय सदस्य को जवाब देने की अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, जब एक सिंचाई परियोजना तैयार की जाती है तो जिन लोगों की डूबने की सम्भावना होती है, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होती है। उनको मुआवजा दिया जाता है। कुछ राज्यों में उनको बदले में भूमि भी दी जाती है। अतः मेरे विचार में सरकार का दावा इतना सही नहीं है।

जहां तक वृक्षारोपण का सम्बन्ध है, तो सरकार को वन क्षेत्र के बारे में इतना भावुक नहीं होना चाहिए। यहां तक कि सड़कों के निर्माण में बिजली की लाइनों के निर्माण में, टेलीफोन की लाइनों के निर्माण में वन विभाग बाधा डाल रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। व्यवधान मत डालिए।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम इस वनरोपण वाली बात को कहां तक ले जायेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, वनरोपण बहुत आवश्यक है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, माननीय सदस्य शायद पर्यावरण को होने वाली हानि के खतरों से अनभिज्ञ हैं। मैं इस समस्या की विकटता से सम्बन्धित कुछ बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्यों में वनों की कटाई इस स्तर तक पहुंच गई है। आन्ध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में 36.5% की कमी हुई है; असम में वन क्षेत्र में 35% की कमी हुई है। (**व्यवधान**) मैं दूसरे राज्यों का भी जिक्र कर रहा हूं। बिहार के वनक्षेत्र में 31% की कमी हुई है। मैं वक्ष्यमाणों को

नहीं ले रहा हूं । गुजरात में वन क्षेत्र में 74% कमी हुई है । हरियाणा में वन क्षेत्र में 76% कमी हुई है । हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र 67% कम हुआ है । जम्मू और काश्मीर में वन क्षेत्र में 31% की कमी आई है ।

कुछ राज्यों में वन बहुत कम हैं । अतः प्रतिशत के हिसाब से वनों की कटाई बहुत अधिक होगी । कुछ राज्यों में, जहां वन, अधिक हैं यद्यपि वनों की कटाई बहुत अधिक है, फिर भी वनों की कटाई का प्रतिशत कम नजर आता है । परन्तु इनकी संख्या 30%, 40% और 50% है । एक राज्य में यह 80% से 90% तक है । पंजाब में यह 81% है, राजस्थान में यह 80.7% है, अतः वनों की कटाई इन स्तरों पर हो रही है ।

अब हमें यह निश्चित करना है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए । पर्यावरण विभाग के अनुसार हम किसी भी परियोजना पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं । हमने कई नियम बना रखे हैं कि यदि आप इतने अधिक वनों की कटाई करने जा रहे हैं तो मेहरबानी करके आप बराबर की भूमि पर अन्य क्षेत्र में वन लगाइये या हमें लगाने दीजिये । हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इस परियोजना को पूरा नहीं कर सकते । परन्तु हम आरम्भ में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पिछली बातें याद करते हैं, यह कुछ वर्ष पूर्व पूछा गया था । सब बात यह है कि एक भी राज्य ने यहां से स्वीकृत किसी भी परियोजना के अनुसार वन लगाने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया है जबकि इस बात की व्यवस्था है कि किसी अन्य क्षेत्र में वन लगाये जायेंगे—इस बात का एक भी दृष्टांत नहीं है । अब हमें यह निर्णय करना है कि क्या हम वास्तव में अपने पर्यावरण के बारे में गम्भीर हैं या नहीं । यदि हम इस बात को गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते, यदि हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते और यदि हम वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, यदि लोगों का यही निर्णय है तो हम ऐसा कर सकते हैं । परन्तु हमें खतरों से अवगत होना चाहिए जिन्हें हम अपने देश में खुले तौर पर आमन्त्रित कर रहे हैं, उन खतरों के बारे में जिन्हें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पन्न कर रहे हैं । मैं उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, निवेदन करता हूं कि वे अपने राज्यों को यह निर्देश दें कि वे बराबर के क्षेत्र में वन लगाने का कार्यक्रम शुरू करें और मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि "मेहरबानी करके हमें परियोजनाओं को स्वीकृति देने के बारे में न कहें जब तक कि विस्थापित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं कर लिए जाते ।" यदि आपको उन गरीब लोगों के हितों का खयाल नहीं है तो हमें तो उनके हितों की परवाह है । (व्यवधान)

श्री एम० रफ़ुमा रेड्डी : केन्द्र सरकार की यह कहने की आदत है कि राज्य सरकार जानकारी नहीं भेज रही है । जब कभी असंगत बातें पूछी जाती हैं तो शायद राज्य सरकार जानकारी देने की स्थिति में न हो । मैं माननीय प्रधान मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे केवल इस परियोजना के लिए ही नहीं परन्तु सभी परियोजनाओं के बारे में भी जो जानकारी चाहिए, एकत्र करने के लिए राज्यों में एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजें । तब अपने आप ही पूरी जानकारी एकत्र की जा सकेगी और सभी समस्याओं का हल हो सकेगा ।

श्री राजीव गांधी : माननीय मन्त्री को यह बात असंगत लगती है कि 10,000 लोग बेघर होने जा रहे हैं । (व्यवधान) हमारे विचार में यह संगत बात है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यह परियोजना सत्तर के दशक में शुरू की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कब शुरू की गई है·········

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : इसके संबंध में असंगति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। मुझे उस प्रश्न का जवाब देने की अनुमति दी जाये। माननीय सदस्य ने कहा है—यदि मैं गलत नहीं हूं तो—यदि आप चाहते हैं तो मैं अभी उसकी प्रतिलिपि पढ़कर सुना सकता हूं—कि केन्द्र द्वारा असंगत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे 10,000 लोगों के विस्थापन से संबंधित हैं। क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि 10,000 लोगों के विस्थापन का प्रश्न असंगत है ? हम नहीं सोचते कि यह फजूल है और हम आपको अनुमति नहीं देंगे······**(व्यवधान)**

श्री सी० जंगा रेड्डी : जब हम परियोजना को स्वीकृति देने के लिए कर रहे हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है।

श्री राजीव गांधी : वास्तविकता यह है कि······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मेहरबानी करके अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजीव गांधी : वस्तुस्थिति यह है कि इस सभा के कुछ सदस्य तथा कुछ राज्य सरकारें 10,000 लोगों के विस्थापन को असंगत मानती हैं। पर हम ऐसा नहीं मानते।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम भी नहीं मानते······**(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : यदि राज्य सरकार इसे असंगत नहीं मानती तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमें किसी अधिकारी को राज्य में क्यों भेजना चाहिए और राज्य सरकार इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सकती तथा इन लोगों के पुनर्वास की योजना की जानकारी हमें क्यों नहीं दे सकती। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार को यह बात न्यायसंगत नहीं लगती है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्रीमान इन्द्रजीत गुप्त। **(व्यवधान)**

सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था और सफाई का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

*767. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दिकी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रसिद्ध इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन सहित सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था और सफाई का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान अपहरण विरोधी तथा सुरक्षा संबंधी प्रबंध, जिनमें यात्रियों की तलाशी, उनके हैंडबैगों के सामान की जांच, निगरानी, विमान तक पहुंचने के मार्गों की सुरक्षा, परिधि की गश्त आदि शामिल हैं, पुलिस द्वारा किए जाते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा नहीं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि कारगो टर्मिनल, प्राइवेट निगरानी कार्मिक लगाए गए हैं जो नागरिक विमानन सुरक्षा निदेशालय के पूरे नियंत्रण तथा देखरेख में हैं। सफाई कार्य के लिए जिन प्राइवेट कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है उन्हें प्रवेश देने से पहले उनकी तलाशी ली जाती है और जांच की जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली जोन के कुछ भागों में प्राइवेट एजेन्सियों को सफाई के काम के लिए थोड़ी संख्या में अस्थाई तौर पर काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। उचित जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जाता है। सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था किसी प्राइवेट एजेन्सी को नहीं सौंपी गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार में जो जवाब दिया गया है शायद वह जिन बातों पर प्रकाश डालता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक उन्हें छिपा रहा है। यह वह मसला है, जिससे हम बहुत ज्यादा सम्बन्धित हैं, विशेष तौर पर जासूसी गतिविधियों में हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और इस देश में जो कुछ उद्घाटित हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, जिसमें से कुछ तो महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में भी पायी गयी हैं, हम बहुत चिंतित हैं।

सबसे पहले मैं विशेष तौर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत है, यदि ऐसा है तो उन्हें यह कहना चाहिए—मैं तीन विशेष क्षेत्रों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वहां गैर सरकारी एजेन्सियों को तैनात किया गया है अथवा नहीं। एक इलैक्ट्रोनिक्स विभाग है और विशेष तौर पर उनके लोधी रोड स्थित नये काम्पलैक्स में जो वे शीघ्र ही बदलने जा रहे हैं या वे पहले ही बदल चुके हैं—मुझे ज्ञात नहीं है। इलैक्ट्रोनिक्स आयोग और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग भी। यह पहली बात है। दूसरे नम्बर पर अन्तर्राष्ट्रीय कारगो काम्पलैक्स आता है। इस बारे में कुछ जिक्र किया गया था परन्तु यह स्पष्ट नहीं है। क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा अन्तर्राष्ट्रीय कारगो काम्पलैक्स के लिए हवाई पत्तन प्राधिकरण ने गैर सरकारी सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था के लिए निविदायें जारी की थीं, मैं यह जानना चाहता हूं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि त्रिवेंद्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफाई संबंधी कार्य गैर सरकारी ठेकेदारों को पहले ही दिये जा चुके हैं। अत: मेरे विचार में सभा को विश्वास में लेना बेहतर होगा क्योंकि इन सफाई कार्यों का बहुत लोग यह अर्थ लगा सकते हैं कि सफाई कर्मचारी वहां 'झाडू लगाना' आदि कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सफाई करने से अभिप्राय सभी भागों, जिनमें कम्प्यूटर मशीनों सहित हवाई अड्डे के विभिन्न भागों हाल, अलमारियों और वह सारा सामान जिसका निरीक्षण किया जाना है और जिसकी सफाई की जानी है, से है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय कारगो काम्पलैक्स में तथा त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के परिसर में ऐसा वास्तव में किया गया है अथवा क्या वह विचाराधीन है कि गैर-सरकारी लोगों को यह कार्य सौंपा जाये और यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री अरुण नेहरू : जहां तक इलैक्ट्रोनिक्स विभाग का सम्बन्ध है, हाल ही में उन्होंने एक नया कम्प्यूटर खरीदा है। इस समय वे दो पृथक् परिसरों से कार्य संचालन कर रहे हैं। अब वे एक ही परिसर में जा रहे हैं। इसमें लगभग चार से छः महीने का समय लगेगा। इस कारण वे स्थाई सुरक्षा कर्मचारी नहीं रखना चाहते क्योंकि चार महीने बाद उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने आठ या दस लोगों को काम पर रखा है। अतः इसे गैर-सरकारी संस्था को देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह एक अस्थाई प्रबन्ध है।

हवाई अड्डे पर कार्गो काम्पलैक्स के संबंध में कार्गो टर्मिनल में कुछ समय के लिए गैर-सरकारी लोगों को निगरानी करने के लिए रखा गया है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा वर्ष 1976 और 1977 से चला आ रहा है·········

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये किसके कर्मचारी हैं ?

श्री अरुण नेहरू : ये गैर-सरकारी ठेकेदार हैं। निविदा दरें मांगी गयी थीं। इस प्रकार नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हमें सूचना दी गयी थी।

इसके बाद मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये सेवाएं सुरक्षा निदेशक के नीचे आती हैं, जो एक आई० जी० रैंक के अधिकारी हैं और गैर-सरकारी एजेन्सियों से लगाये लोग अधिकतर लोग भूतपूर्व सैनिक हैं। अपने काम में ये भलीभांति प्रशिक्षित होते हैं और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हमें बताया गया है कि ये लोग पूर्णतया सक्षम हैं और इस विशेष कार्य के लिए वे पहले से ही प्रशिक्षित हैं। किन्तु ये वहां सुरक्षा निदेशक के पूर्ण नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। इस बारे में मैं पहले ही अपने उत्तर में बता चुका हूं। इस प्रकार वे सुरक्षा निदेशक के नीचे कार्य करते हैं और ऐसा ही होता आया है। यह कोई नई बात नहीं है। जैसाकि मैंने पहले कहा है ऐसा वर्ष 1977 से चलता आ रहा है। और उन्होंने लोगों को भर्ती किया है। जहां तक त्रिवेन्द्रम का संबंध है, मुझे नागर विमानन मंत्रालय से पूछना पड़ेगा। हमारे पास तथ्य नहीं हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देश में हमें उस समय उपलब्ध रिपोर्टों से आप यह स्मरण कर सकते हैं कि एयर इण्डिया के वायुयान कनिष्क की दुखद घटना होने से पहले यह सूचना दी गयी थी कि टोरन्टो हवाई अड्डे पर किसी गैर-सरकारी पार्टी से संबंधित दो अधिकारियों को वायुयान में सामान लादने से पहले इसकी जांच करने का कार्य सौंपा गया था। और इसके बाद एक्सरे मशीन खराब हो गयी थी और बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप जानते ही हैं। किन्तु मुझे बताया गया है कि यह मामला अब भी जांच अधीन है। गैर-सरकारी पार्टी से संबंधित ये दो अधिकारी कौन थे जो कनिष्क में लादे जाने से पहले कनवेयर बेल्ट पर सामान का निरीक्षण कर रहे थे ? इस प्रकार मेरा अनुमान है कि टोरन्टो में भी उनके पास निरीक्षण तथा प्रशासन संबंधी पूर्ण अधिकार थे। इसके बावजूद भी ऐसी घटनायें होती हैं। हम खतरे उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सचिवालय सुरक्षा बल, जिस पर यहां पर स्थित अधिकतर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं इत्यादि के सुरक्षा प्रबन्धों का उत्तरदायित्व है············

प्रो० मधु दण्डवते : और संसद् की सुरक्षा का भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सुरक्षा बल हवाई अड्डे इत्यादि सहित इन सभी स्थानों

की निगरानी करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित है और संख्या में भी पर्याप्त है ? क्या गैर-सरकारी संस्थाओं को यह कार्य सौंपना बचत की दृष्टि से आवश्यक है और नहीं तो फिर किसलिए ? और क्या यह नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा होने के कारण है ? मैं सुरक्षा के मामले में इन कारणों को उचित नहीं मानता । और मुझे पता चला है कि केन्द्र में ऐसी कोई सर्वोच्च समिति नहीं है जो समस्त देश के इन सभी नाजुक क्षेत्रों में इन सभी नाजुक गतिविधियों को समन्वित करती हो ।

श्री अरुण नेहरू : जहां तक सचिवालय सुरक्षा संगठन का संबंध है, इसका मूल कार्य सभी केन्द्रीय मंत्रालयों में सुरक्षा और नियंत्रण के लिए साधन प्रदान करना है । वास्तव में, रक्षा तथा रेल मंत्रालयों की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है । इस प्रकार, मूलतः यह संगठन सिर्फ केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए है । यह अलग-अलग कार्यालयों के लिए नहीं है । और इस समय इस विशेष संगठन के पास हवाई अड्डे की विशेष सुरक्षा के लिए न तो श्रम बल है और न ही विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध है । जहां तक हवाई अड्डा प्राधिकरण का संबंध है, नागर विमानन मंत्रालय इस बारे में बहुत स्पष्ट है और इसने देखा है कि यह व्यवस्था पिछले 7 या 8 वर्षों से बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है । और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सभी लोगों की हवाई अड्डे में अन्दर आने से पहले साधारण सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है । इसलिए, इस समय, नागर विमानन मंत्रालय के पास पहले से चली आ रही व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : श्रीमान, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कम्प्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में स्थापित किया जा चुका है और जब कम्प्यूटर संगठन को एक ही भवन में रखा जाएगा तो वे सुरक्षा की देखभाल करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकेंगे । मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने पहले सिफारिश की थी कि कुछ नाजुक सरकारी विभागों खासकर इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग में फोटोस्टेट मशीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अन्तरिक्ष विभाग, आणविक ऊर्जा विभाग और सुरक्षा विभाग से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है । अगर ऐसा है तो इस विभाग ने इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग में फोटोस्टेट मशीन के संबंध में सुरक्षा के लिए क्या किया है ?

श्री अरुण नेहरू : हम इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सूचना प्राप्त करेंगे···

डा० वी० वेंकटेश : अभी-अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सरकार इस देश के कमजोर वर्गों और खासकर सफाई कार्य से संबंधित लोगों के बारे में बहुत चिंतित है । इस देश के मेहतरों में गैर-सरकारी, अंशकालिक और ठेकेदारी व्यवस्था बहुत प्रचलित है । मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस एकाधिकारी नीति को समाप्त करके इन मेहतरों को नौकरी की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं । बस यही मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अरुण नेहरू : श्रीमान जी, मैं नहीं जानता कि यह किस एकाधिकार के बारे में जिक्र कर रहे हैं । नागर विमानन मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि निविदाएं आमंत्रित की जायें । और उन्होंने देखा है कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है । इस विषय पर कोई विशिष्ट नीति नहीं है । कई बार वे ठेका दे देते हैं और कई बार भर्ती कर लेते हैं । तो इसमें एकाधिकार का प्रश्न ही कहां उठता है ?

[हिन्दी]

गंभीर अपराधों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जाना

*768. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर अपराधों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने के बारे में देश के विभिन्न भागों में जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु इसका पुनर्गठन कब तक किये जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संविधान के अनुसार सार्वजनिक शान्ति और पुलिस राज्य के विषय हैं, अतः अपराधों की जांच करना और अपराधियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्रवाई करना राज्य पुलिस बलों का ही दायित्व होता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो राज्य पुलिस बल का स्थान नहीं ले सकता बल्कि यह तो एक पूरक संगठन है जिसे निम्न मुख्य श्रेणियों के विशिष्ट अपराधों की जांच करने के लिए केन्द्र द्वारा स्थापित किया गया है :

(i) ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारी अंतर्ग्रस्त हों;

(ii) ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार अथवा किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी सांविधिक निकाय, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित तथा वित्तपोषित किया जाता हो, के हित अन्तर्ग्रस्त हों; और

(iii) ऐसे केन्द्रीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामले जिन्हें लागू किए जाने के साथ भारत सरकार विशेष रूप से संबंधित हो।

2. फिर भी राज्य पुलिस बलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले अपराधों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर विचार करने के बाद ही ऐसे मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए एक उपयुक्त ढांचे की व्यवस्था करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ताकि ब्यूरो अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सके। इस प्रयोजन के लिए सरकार समय-समय पर प्रस्तावों की जांच करती है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है फिर भी गम्भीर अपराधों की विवेचना राज्य सरकारों के अनुरोध पर सी० बी० आई० से कराई जाती है। इसी संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कितने गम्भीर मामले सी० बी० आई० को प्राप्त हुए जिसमें उनसे विवेचना का अनुरोध किया गया था और इस समय उन मामलों की स्थिति क्या है, कितने मामलों में विवेचना पूरी कर ली गई है, कितने विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : श्रीमान्, फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपे गये मामलों की संख्या बताने के योग्य नहीं हूं किंतु मैं यह कह सकता हूं कि राज्य सरकारों, संघीय सरकारों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1983, 1984 और 1985 में लिए गये मामलों की संख्या क्रमश: 60, 40 और 28 है। इनमें से अधिकतर मामले अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। इनमें से कुछ में मुकदमा चल रहा है और कुछ की जांच हो रही है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मैंने अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि गम्भीर अपराधों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के बारे में, देश के विभिन्न भागों में, जोरदार मांग की जा रही है। उन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे देखते हुए क्या सी० बी० आई० का विस्तार या पुनर्गठन किया जाएगा। उसका कारण यह भी है कि पिछले वर्षों में न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 2262 बताई गई है। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में ऐसे भी मुकदमे लम्बित हैं जो पिछले 4-4 साल से चल रहे हैं और उनमें निर्णय नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सी० बी० आई० द्वारा चार्ज-शीटिड मुकदमे 4-4 या 5-5 सालों से जब न्यायालयों में लम्बित हैं तो अपराधियों को कैसे दण्ड मिलेगा और अपराधों की रोकथाम करने में शासन कैसे सक्षम होगा।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : श्रीमान, यह सच है कि अधिक से अधिक राज्य सरकारें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ज्यादा से ज्यादा मामले लेने का अनुरोध कर रही हैं। किन्तु हम सभी मामलों को नहीं ले सकते क्योंकि आवश्यक तौर पर यह राज्य सरकारों तथा राज्य पुलिस का उत्तरदायित्व है। किन्तु हमारे पास आये प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को देखते हुए, हम कुछ मामलों को जांच के लिए स्वीकार करते हैं। जांच के लिए मामलों को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निर्देश बना रखे हैं।

जहां तक न्यायालयों में मुकदमों के लंबित होने का संबंध है, आप और सदन सभी जानते हैं कि यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। अपराधिक मामलों का लंबित होना सभी राज्यों में एक समस्या है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो सके मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत से दण्ड न्यायालयों में बहुत अधिक अपराधिक मामले

लंबित पड़े हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन मामलों की जांच की गई है उनके लिए जब तक विशेष अदालतें नहीं बनाई जाती हैं तब तक हमारे लिए स्पष्ट रूप से यह कहना संभव नहीं होगा कि जिन मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी है उन पर किसी तारीख विशेष तक अथवा किस समय विशेष के अन्दर मुकदमा चलाया जायेगा।

श्री पी० नामग्याल : जब कभी किसी राज्य पुलिस द्वारा जांच के दौरान कोई संदिग्ध अपराधी पुलिस हिरासत में मर जाता है तो ऐसे मामलों में सामान्यतः यह होता है कि राज्य पुलिस उसी विभाग के किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर जांच का भार सौंप देती है। ऐसे मामलों में लोग रिपोर्ट के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विचार करेगी कि ऐसे सभी मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाए जिससे कि ऐसे मामलों में ठीक ढंग से जांच हो सके।

श्री पी० चिदम्बरम : श्रीमान्, केन्द्रीय जांच ब्यूरो का काम इस प्रकार का नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना मुख्यतः भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने के लिए की गयी थी। परन्तु, पिछले कुछ वर्षों से हमने कुछ मामले राज्य सरकारों की सहमति से लिए हैं और हम कुछ अपराधों के बारे में कानून के तहत जांच कर रहे हैं। हम राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामले तब तक नहीं ले सकते जब तक कि राज्य सरकार जांच का भार हमें नहीं सौंपती है और हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यह संभव नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो साधारण अपराधिक कानून के तहत कुछ साधारण अपराध के मामले जांच हेतु ले।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इन्सैट-1 बी द्वारा भेजे गए आंकड़े

*769. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-1 बी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए आंकड़ों का किसी वैज्ञानिक-संस्था द्वारा अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों का देश में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस प्रकार उपयोग किया गया है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन्सैट-1 बी उपग्रह लम्बी दूरी के दूरसंचार, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण तथा संचारजाल एवं मौसम-विज्ञान के लिए एक बहुउद्देशीय प्रचालनात्मक उपग्रह है। इनमें से केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है, जिसके स्वयं उपग्रह द्वारा आंकड़ों का निर्माण किया जाता है। वह क्षेत्र मौसमविज्ञानीय उपयोगों से संबंधित है, जिसमें अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी० एच० आर० आर०) के माध्यम से मेघ प्रतिबिम्बिकी आंकड़ों का निर्माण किया जाता है। भारतीय मौसमविज्ञान विभाग द्वारा विशेष रूप में स्थापित सुविधा अर्थात् मौसमविज्ञानीय आंकड़ा उपयोग केन्द्र, नई दिल्ली में वी० एच० आर० आर० आंकड़ों को प्राप्त और संसाधित किया जाता है।

(ख) वी० एच० आर० आर० के संसाधित आंकड़ों ने मौसम की भविष्यवाणी की क्वालिटी में सुधार किया है और उनकी विश्वसनीयता के स्तर को बढ़ाया है। आंकड़ों के शीघ्र उपलब्ध होने से मौसम की भविष्यवाणी, तूफान की चेतावनी और बाढ़ की भविष्यवाणी समय से काफी पहले जारी करना संभव हो गया है। मौसम के बारे में समय पर और सही सूचना प्राप्त होने से कृषि कार्यों में सहायता मिली है तथा इससे बाढ़ों एवं चक्रवाती तूफानों के कारण जीवन और सम्पत्ति को होने वाली क्षति को कम करने में भी मदद मिली है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम का विस्तार

*770. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम का अन्य राज्यों में विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) यह कार्यक्रम पहले किन राज्यों में आरम्भ किया गया था; और

(घ) उन राज्यों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम, योजना आयोग द्वारा, ग्रामीण ऊर्जा योजना अभ्यास के भाग के रूप में, वर्ष 1981 में महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में शुरू किया गया था। बाद में, 1984-85 तक चार और राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया।

छठी योजना में इस कार्यक्रम का प्रयोजन प्रायोगिक आधार पर राज्य स्तरीय ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए नीति का विकास और परीक्षण करना था ताकि इस प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए न केवल प्रौद्योगिकी को समर्थन मिले बल्कि संस्थागत, सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को भी समर्थन प्राप्त हो। इस उद्देश्य के लिए, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिला/खंड स्तर पर विभिन्न विभागों और परियोजना एककों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय करने के निमित्त राज्य-एकक स्थापित किए गए।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की मुख्य विशेषता एक खंड स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनातैयार करना है जिसके जरिए खंड के निर्वाह और उत्पादनकारी आवश्यक-

ताओं की पूर्ति करने के लिए, सभी ऊर्जा स्रोतों, पारम्परिक, गैर-पारम्परिक, वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक के इष्टतम सम्मिश्र का निर्धारण किया जाता है।

छठी योजना में उपर्युक्त आठ राज्यों में 20 खंड स्तरीय योजनाएं शुरू की गई और चुने हुए राज्यों में स्टाफ और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करने में उनके प्रशिक्षण, विस्तार, प्रदर्शन आदि के लिए राज्य के बजट से इस कार्यक्रम पर 3.93 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ।

छठी योजना की अवधि में चुने हुए राज्यों में प्रायोगिक, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर, इस कार्यक्रम को सातवीं योजना की अवधि में सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू करने का प्रस्ताव है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले खंडों की संख्या में हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी ताकि सातवीं योजना के अंत तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 100 खंड स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना परियोजनाएं स्थापित की जा सकें। सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्रक में 5.91 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्रक में 41.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अत्यन्त गरीबी की हालत में रहने वाले लोगों के बारे में सर्वेक्षण

*771. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने विकासशील देशों में अत्यन्त गरीबी की हालत में रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसे लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) सर्वेक्षण कब किया गया था और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विकासशील देशों में नितांत गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण की योजना आयोग को जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी संस्थाओं की गतिविधियां

*772. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ विदेशी संस्थाओं को राजपत्र में अधिसूचित करके 1985 में यथासंशोधित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2(क) के अनुसार उनको भारत में कार्य करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी संस्थाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास और गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में "कामिनी" जैसा अभिक्रियक (रिएक्टर)

*773. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में "कामिनी" जैसा एक "यू-233-फ्यूल्ड-न्यूट्रान-सोर्स-रिएक्टर" (ईंधन युक्त क्लीवाणु साधन अभिक्रियक) स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कामिनी किस्म का रिएक्टर एक न्यूट्रान स्रोत रिएक्टर है जिसका उपयोग अन्य कार्यों के अलावा न्यूट्रान रेडियोग्राफी की सहायता से फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के ईंधन पिनों के निरीक्षण के लिए भी किया जा सकता है । तद्नुसार, कामिनी किस्म का एक रिएक्टर कलपाक्कम में इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में लगाया जा रहा है ।

नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत में शिक्षा सुविधायें

*774. **श्री के० मोहन दास** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया में कार्यरत भारतीय मूल के लोगों ने उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजा है, जिसमें शैक्षिक सुविधाओं के मामले में उन्हें भारत में हो रही कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रिकों और संभवत: नाइजीरिया में कार्यरत भारतीय मूल के लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो नाइजीरिया में मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों के बारे में हैं जिन्हें भारत में मान्यता नहीं दी जाती है । इसके परिणामस्वरूप इन मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे, वे न तो समकक्ष भारतीय संस्थानों में स्थानान्तरित हो पाये हैं और न ही उस व्यवसाय की भारत में प्रेक्टिस कर सके हैं जिसके लिए उन्होंने नाइजीरिया में योग्यता प्राप्त की है । इस मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद् को इस बात के लिए राजी करने के लिए प्रयत्न किया है कि वह इस नाइजीरियाई डिग्रियों में से कम से कम कुछ डिग्रियों को मान्यता प्रदान करे ताकि भारतीय मूल

के विद्यार्थियों की चिन्ता कम की जा सके। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने बताया है कि परिषद् मामले की जांच कर रही है और इस पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

दिल्ली की गलियों से पकड़े गये आवारा बच्चे

*775. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री एन० टोम्बी सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की गलियों से आवारागर्दी करते हुये किशोरावस्था के कितने लड़के और लड़कियां पकड़े गये;

(ख) वे किस आयु-वर्ग के हैं;

(ग) ऐसे मामलों में आमतौर पर किस प्रकार कार्यवाही की जाती है; और

(घ) क्या न्यायालयों द्वारा उनको सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेलों में छोटे स्तर के काम दिए जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास और गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवारागर्दी के आधार पर दिल्ली की गलियों से पकड़े गये लड़कों और लड़कियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	1983-84	1984-85	1985-86
लड़के	2517	1122	1265
लड़कियां	274	273	329

(ख) लड़के 16 वर्ष से कम आयु के और लड़कियां 18 वर्ष से कम आयु की।

(ग) बाल अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। इन बच्चों को या तो उनके माता-पिता/कानूनी अभिभावकों को वापस सौंप दिया जाता है या समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित बाल-सदनों में भेज दिया जाता है।

(घ) इन बच्चों को जेल में नहीं भेजा जाता है। इन्हें समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित बाल-सदनों में भेजा जाता है जहां उन्हें उपयोगी कला और शिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और उनके पुनर्वास के लिए अन्य कदम उठाये जाते हैं।

वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी अध्ययन

*776. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद (बिहार) में वायु प्रदूषण निर्धारित करने तथा उस पर नियंत्रण करने के संबंध में अध्ययन किया गया है, जिससे निर्धारित बचाव सीमा से अधिक मात्रा में धूल की वायु में विद्यमानता का पता स्पष्टत: लग सके; और

(ख) क्या सिक्किम के संबंध में भी ऐसा ही अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है ताकि वायु प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक रोके रखना सुनिश्चित किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सीमा पर तैनात सेनाओं के कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

*777. श्री मूल चन्द डागा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा पर तैनात सेनाओं के कर्मचारियों को राशन भत्ते (मुफ्त राशन) का लाभ मिलता है और शांति वाले स्थानों पर तैनात ऐसे कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जाता;

(ख) क्या अब शांति वाले स्थानों पर तैनात सेनाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को मुफ्त राशन का लाभ मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सीमा पर तैनात कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें शांति वाले स्थानों पर तैनात कर्मचारियों की अपेक्षा अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) फील्ड एवं शांति क्षेत्रों में तीनों सेनाओं के जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों को हमेशा मुफ्त राशन का लाभ दिया जाता है । फील्ड क्षेत्रों में सभी अफसर मुफ्त राशन का लाभ पाने के हकदार हैं । जनवरी, 1983 में कर्नल तथा उनके समकक्ष रैंक के अफसरों और जुलाई, 1984 में ब्रिगेडियर एवं उनके समकक्ष रैंक के अफसरों को शांति वाले क्षेत्रों में मुफ्त राशन का लाभ दे दिया गया ।

(ग) और (घ) फील्ड क्षेत्रों में तैनात रक्षा कार्मिकों को उच्च तुंगता/प्रतिकूल जलवायु भत्ते, निवास-पृथक्करण भत्ते, विशेष मुआवजा भत्ते के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन पहले से ही मंजूर है और प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद विचार किया जा सकता है ।

दिल्ली में और इसके आस-पास तस्करों की गतिविधियां

*778. प्रो० के० के० तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में पकड़े गये तस्करी के मामलों और भारी मात्रा में पकड़ी गई चरस, हेरोइन, सोना और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी में और इसके आस-पास के क्षेत्रों में तस्करी के धंधे में संलग्न तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास एवं गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1986 के

दौरान और 13 अप्रैल, 1986 तक दिल्ली पुलिस ने 1404.868 किलोग्राम चरस और हिरोईन पकड़ी है । 10 मार्च, 1986 तक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 61.44 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी और सीमा-शुल्क कलैक्टरेट, राजस्व और आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय ने इसी अवधि के दौरान 2.41 करोड़ रुपए के मूल्य का निषिद्ध सोना पकड़ा है ।

(ख) चूंकि मामले की जांच-पड़ताल विभिन्न स्तरों पर की जा रही है, अत: इस समय उनके ब्यौरे बताना उचित नहीं होगा ।

(ग) राजधानी में और इसके आस-पास तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) अन्तर्राज्जीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे दवाईयों के कुछ सक्रीय अवैध व्यापारियों/तस्करों का पता लगाया गया है । इन पर और औषध का अवैध धंधा करने वालों/तस्करों पर, जो अवैध व्यापार करने वालों से माल प्राप्त करते हैं, सतत निगरानी रखी जा रही है ।

(ii) औषध का अवैध धंधा करने वालों/व्यापारियों/तस्करों को पकड़ने और औषध को जब्त करने के लिए, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रवेश और निकासी मार्गों पर विशेष सतर्कता रखी जा रही है । पर्याप्त मात्रा में औषध बरामद किया गया है ।

(iii) मादक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985, 14 नवम्बर, 1985 को अधिनियमित और लागू किया गया था, जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है ।

"ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स" को बंगलादेश के रास्ते चीनी हथियारों की सप्लाई

*779. **श्री मुरलीधर माने** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स को बंगलादेश के रास्ते चीनी हथियारों के सप्लाई किये जाने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमावर्ती राज्यों में हथियारों की अवैध सप्लाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास एवं गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) टी० एन० वी० को बंगलादेश के जरिए हाल के वर्षों में चीनी हथियारों की सप्लाई प्रमाणित करने के बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है ।

(ग) सीमाओं पर सतर्कता रखी जा रही है । सुरक्षात्मक कार्रवाइयां जारी हैं । हाल ही में सुरक्षा कार्मिकों की टी० एन० वी० उग्रवादियों से दो मुठभेड़ें हुई जिसमें सुरक्षा कार्मिकों ने कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफलता प्राप्त की । इसके अतिरिक्त चालू वर्ष 1986 के दौरान सुरक्षा कार्मिकों ने 5 टी० एन० वी० उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जबकि चार अन्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया ।

रक्षा सेनाओं में महिलाओं की भर्ती

*780. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की रक्षा सेनाओं में महिलाओं की भरती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी महिलाएं अधिकारी ग्रेड में काम कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में महिलाओं की भर्ती की जाती है। इस समय सेना में 3064 महिलाएं हैं जैसाकि नीचे के विवरण में बताया गया है :—

सेना चिकित्सा कोर	295
सेना दंत चिकित्सा कोर	15
मिलिटरी नर्सिंग सर्विस	2754

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसंधान के परिणामों का प्रसार

*781. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि की और अन्य अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के बीच तथा उद्योग और प्रयोक्ताओं तथा जनता के बीच तालमेल की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार देश में सभी वैज्ञानिक संस्थानों की एक समेकित निर्देशिका अथवा मंत्रालयवार संस्थानों की सूची तैयार करेगी, जिससे कि उनके स्थानों और उप-एककों के पते तथा कार्य के समालोचनात्मक आंकड़े, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और वार्षिक बजट आदि का ब्यौरा दिया गया हो; और

(ग) क्या उक्त निर्देशिका का वार्षिक प्रकाशन भी निकाला जाएगा, जिसमें जनता और अन्य वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों आदि की जानकारी के लिए संस्थान-वार बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ-साथ उनके व्यावहारिक प्रयोग का ब्यौरा दिया गया हो ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यद्यपि आई० सी० ए० आर०, आई० सी० एम० आर० और सी० एस० आई० आर० जैसे अभिकरण उद्योगों तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं को अपनी सुविधाओं और उपलब्धियों से सुपरिचित कराने के लिए समय-समय पर प्रकाशन निकलते रहते हैं तथापि उनके आपसी लाभ को बढ़ाने के लिए उनके बीच अधिक अन्योन्यक्रिया को प्रोत्साहित करना वांछनीय होगा।

(ख) वैज्ञानिक अभिकरण, वार्षिक रिपोर्ट और अपनी प्रयोगशालाओं के पते, अनुसंधान

कार्य के क्षेत्र, उनको प्राप्त सुविधाएं और उनकी उपलब्धियों को दर्शाने वाली डायरेक्टरियां आवधिक रूप से निकालते रहते हैं। ऐसे प्रकाशन मंत्रालय वार/विभाग वार निकाले जाते हैं।

(ग) वैज्ञानिक अभिकरणों के द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों के अतिरिक्त सरकार ने वैज्ञानिक सूचनाओं के जनसाधारण में प्रसार के लिए अनेक उपाय किये हैं।

[अनुवाद]

मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना

7330. **श्री सैयद साहबुद्दीन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग की "अन्य पिछड़े वर्गों" संबंधी सिफारिशों पर विचार करने और उनको कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1985 के दिन किन-किन राज्यों ने शिक्षा और सरकारी रोजगार के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया है और कितना आरक्षण किया गया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समस्त मुस्लिम समुदाय को अथवा मुस्लिम समुदाय के कुछ विशिष्ट वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया है;

(घ) क्या सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समस्त मुस्लिम समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अर्थ के भीतर एक पिछड़े वर्ग घोषित करने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मण्डल आयोग द्वारा तैयार की गयी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची पर जनमत प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब अन्य पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के विषय में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रारम्भ कर दिया है :—

(1) आन्ध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) जम्मू और कश्मीर (केवल शैक्षिक संस्थानों में), (8) कर्नाटक, (9) केरल, (10) महाराष्ट्र, (11) पंजाब, (12) तमिलनाडु और (13) उत्तर प्रदेश। राज्य सरकारों द्वारा 1985-86 के दौरान दी गई सूचना के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कर्नाटक तथा केरल सरकार ने संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने मुस्लिम समुदाय के निर्दिष्ट वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया है। हरियाणा ने धर्म का विचार किए बिना छियासठ समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में घोषित करने की सूचना दी है।

(घ) तथा (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया जाये, केन्द्र सरकार को सचिव, अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवरत, नई दिल्ली अध्यक्ष, मुस्लिम परिषद् कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल मुस्लिम लीग कमेटी कलकत्ता से तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अर्थ के भीतर मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित करने के बारे में है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मण्डल आयोग के बारे में दी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में कोई विचार नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत	सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25%	25%
2.	असम	15% और अन्य पिछड़े वर्गों सहित	15% और अन्य पिछड़े वर्गों सहित
3.	बिहार	10%	12% (अत्यधिक पिछड़े वर्ग) 8% (पिछड़े वर्ग) 3% (अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग)
4.	गुजरात	10% (मैडिकल, इंजीनियरिंग आदि में डिग्री कोर्स तक) 5% (चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	5% (श्रेणी I और II) 10% श्रेणी-III और IV
5.	हरियाणा	10% 6% (पिछड़े क्षेत्र)	10%
6.	हिमाचल प्रदेश	2% से 5% तक के बीच	5%
7.	जम्मू और कश्मीर	4% गुज्जर और पिछड़े वर्ग 2% अन्य सामाजिक जातियां 28% पिछड़े क्षेत्रों के निवासी	—
8.	कर्नाटक	50%	48%
9.	केरल	5% (कालेजों में विज्ञान और कला विषयों के स्नातकोत्तर कोर्सों में) 25% (सरकारी प्रशिक्षण कालेजों में और तकनीकी शिक्षा में)	40%

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	10%	10%
11.	पंजाब	5%	5%
12.	तमिलनाडु	50%	50%
13.	उत्तर प्रदेश	15%	15% (श्रेणी-I, II और श्रेणी-III पद) 10% (श्रेणी-IV पद)

टिप्पणी—शैक्षिक संस्थानों के लिए ऊपर दिखाये गये आरक्षण सभी श्रेणियों के शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होते, ये आरक्षण इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए लागू होते हैं।

[हिन्दी]

आदिवासी परिवारों से गरीबी उन्मूलन

7331. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी परिवारों के लिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि उन परिवारों पर खर्च की गई राशि से इनको वास्तव में कितना लाभ हुआ है और क्या यह राशि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं और इन राज्यों में कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुमान है कि 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लगभग 253.70 करोड़ रुपए की धनराशि लगाई गई।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कृषि, बागवानी, पशु-पालन, सहकारिता, रेशम-उत्पादन, लघु ग्राम एवं कुटीर उद्योगों जैसे विभिन्न परिवारोन्मुख कार्यक्रमों के अधीन 13, 4,036 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। लाभ की मात्रा तथा धन की पर्याप्तता का जायजा लेने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं की वार्षिक रिपोर्ट

7332. **डा० जी० विजय रामा राव** :

श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वार्षिक बजट 100 करोड़ रुपए से अधिक है और उसकी 40 से अधिक अनुसंधान और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक का वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक कार्यों सम्बन्धी योजना और योजना-भिन्न बजट कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक द्वारा की गई एक प्रमुख या महत्वपूर्ण खोज क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (1984-85) में न तो इन प्रयोगशालाओं के नाम और न ही उनकी प्रगति रिपोर्ट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस कमी को दूर करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सूची उनके वर्ष 1985-86 की योजना व गैर-योजना बजट के साथ क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रयोगशाला में हुई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की सूची संलग्न विवरण III में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों के महत्वपूर्ण परिणाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1984-85) में प्रस्तुत हैं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

परिषद् के प्रतिष्ठान

भौतिक और भू-विज्ञान

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, (एन० पी० एल०)

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (सी० ई० इ० आर आइ०)

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़, (सी० एस० आइ० ओ०)

राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, (एन० जी० आर० आइ०)

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोना पोल, गोआ, (एन० आइ० ओ०)

रसायन विज्ञान

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे (एन० सी० एल०)

केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान, कारेकुड़ी, (सी० इ० सी० आर० आई०)

केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, (सी० एस० एम० सी० आर० आई०)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, (आर० आर० एल०, हैदराबाद)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, (आर० आर० एल०, जोरहाट)

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, (आई० आई० पी०)

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा, (सी० एफ० आर० आई०)

जीव विज्ञान

- केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, (सी० एफ टी० आर० आई०)

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, (सी० डी० आई० आर०)

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास, (सी० एल० आर० आई०)

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, (एन० बी० आर० आई०)

भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, (आइ० आइ० सी० बी०)

केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ, (सी० आइ० एम० ए० पी०)

औद्योगिक, विषविज्ञान अनुसंधान, केन्द्र, लखनऊ, (आर० टी० आर० सी०)

कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद, (सी० सी० एम० बी०)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू, (आर० आर० एल०, जम्मू)

सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़, (आइ० एम० टी०)

सी० एस० आइ० आर० संकुल, पालमपुर, हि० प्र० (सी० एस० आइ० आर० कम्पलैक्स पालमपुर)

इंजीनियरी विज्ञान

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, (सी० बी० आर० आइ०)

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली, (सी० आर० आर० आइ०)

केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता (सी० जी० सी० आर० आइ०)

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, (एन० एम० एल०)

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद, (सी० एम० आर० एस०)

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, (सी० एम० इ० आर० आइ०)

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, (एन० इ० इ० आर० आइ०)

राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलूर, (एन० ए० एल०)

संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास, (एस० इ० आर० सी०—मद्रास)

संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की, (एस० ई० आर० सी०—रुड़की)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, (आर० आर० एल०, भुवनेश्वर)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम, (आर० आर० एल०, त्रिवेन्द्रम)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल, (आर० आर० एल०, भोपाल)

सूचना विज्ञान

प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, नई दिल्ली, (पी० आइ० डी०)

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली, (आइ० एन० एस० डी० ओ० सी०)

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, (एन० आइ० एस० टी० ए० डी० एस०)

औद्योगिक अनुसंधान एसोसिएशन

चाय अनुसंधान तथा विकास एसोसिएशन, कलकत्ता, (टी० आर० ए०)

वैद्युत अनुसंधान तथा विकास एसोसिएशन, बम्बई, (इ० आर० डी० ए०)

विवरण-II

(रुपये लाखों में)

प्रयोगशालाओं के नाम (पूरे नाम परिशिष्ट में दिए हुए हैं)	अन्तिम अनुदान 1985-86 गैर-योजना	योजना	योग
1	2	3	4
एन० पी० एल०, नई दिल्ली	434.600	269.510	704.110
सी० इ० इ० आर० आइ०, पिलानी	222.060	266.590	488.650
सी० एस० आइ० ओ०, चण्डीगढ़	240.020	132.220	372.240
एन० जी० आर० आइ०, हैदराबाद	246.580	124.840	371.420
एन० आइ० ओ०, गोआ	241.000	242.670	483.670
एन० सी० एल०, पुणे	405.620	213.430	619.050
सी० इ० सी० आर० आइ०, कारैकुड़ी	192.652	161.710	354.362
सी० एस० एम० सी० आर० आइ०, भावनगर	138.880	129.050	267.930
आर० आर० एल० हैदराबाद	389.110	199.890	589.000
आर० आर० एल०, जोरहाट	177.388	125.210	302.598
आइ० आइ० पी०, देहरादून	234.790	132.110	366.900
सी० एफ० आर० आइ०, जलगोड़ा	345.558	131.030	476.588
एन० एम० एल०, जमशेदपुर	286.974	131.820	418.794
सी० जी० सी० आर० आइ, कलकत्ता	201.650	98.570	300.220
सी० एम० आर० एस०, धनबाद	165.072	132.630	297.702
एन० इ० इ० आर० आइ०, नागपुर	184.730	103.710	288.440
सी० एम० इ० आर० आइ०, दुर्गापुर	282.363	99.450	381.813
एन० ए० एल०, बंगलूर	434.950	282.620	717.570

1	2	3	4
एस० इ० आर० सी०, रुड़की	43.930	111.000	154.930
एस० इ० आर० सी०, मद्रास	78.300	173.270	251.570
आर० आर० एल०, भुवनेश्वर	110.790	147.348	258.130
आर० आर० एल०, त्रिवेन्द्रम	60.120	80.600	140.720
सी० बी० आर० आई०, रुड़की	171.110	72.100	263.210
सी० आर० आर० आइ०, नई दिल्ली	144.080	72.460	216.540
आर० आर० एल०, भोपाल	27.970	54.000	81.970
सी० एफ० टी० आर० आइ, मैसूर	293.750	118.240	411.970
सी० डी० आर० आई०, लखनऊ	321.080	165.810	486.890
सी० एल० आर० आई०, मद्रास	187.013	187.013	331.323
एन० बी० आर० आइ०, लखनऊ	168.870	82.150	251.020
आइ० आइ० सी० बी०, कलकत्ता	150.245	125.660	275.905
सी० एफ० बी०, नई दिल्ली	34.760	183.070	217.830
सी० सी० एम० बी०, हैदराबाद	113.200	361.860	475.060
आइ० टी० आर० सी०, लखनऊ	127.317	100.320	227.637
सी० आइ० एम० ए० पी०, लखनऊ	119.510	111.800	231.310
आर० आर० एल०, जम्मू	205.650	95.230	300.880
आइ० एम० टी०, चण्डीगढ़	58.270	316.100	374.370
सी० एस० आइ० आर०, कॉम्प्लेक्स, पालमपुर	28.260	34.200	62.460
आइ० एन० एस० डी० ओ० सी०, नई दिल्ली	140.950	69.030	209.980
पी० आइ० डी०, नई दिल्ली	144.760	51.420	196.180
एन० आइ० एस० टी० ए० डी० एस०, नई दिल्ली	50.956	22.200	73.156
**सी० एस० आइ० आर०, काम्पलेक्स, मद्रास	29.780	8.290	38.070
टी० आर० ए०, जोरहाट	82.000	—	82.000
ई० आर० डी० ए०, बरोडा	2.735	5.000	7.735
योग	7719.403	5702.520	13421.923

** इस कॉम्प्लेक्स में सी० एस० आइ० आर० की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के यूनिट स्थित हैं।

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान (प्रति प्रयोगशाला) एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

एन० पी० एल०, नई दिल्ली

कार्बन—कार्बन सम्मिश्र

कार्बन—कार्बन सम्मिश्रों के निम्नांकित विकसित अभिलाक्षणिक हेतु प्रक्रम।

घनत्व 1.5 जी० एम०/सी० सी०

तनन सामर्थ्य 140 एम० एन०/एम 2

तनन मापांक 30-35 जी० एन० एम 2

डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद के लिए 1.7 जी० एम०/सी० सी० वाले द्विआयामी कार्बन—कार्बन का विकास किया है।

एक्स० एन० (5.85 से 8 2 जी० एच० जेड०) पट्टी के लिए सूक्ष्म तरंग आवृत्ति की प्रतिबाधा के लिए प्राथमिक मानक के रूप में एक परिशुद्ध तरंग निर्देश वी० एस० डब्ल्यू० आर० 1.004 का एन० पी० एल० में डिजाइन व विकास किया गया।

सी० इ० इ० आर० आइ०, पिलानी

सी० इ० इ० आर० आइ० ने इलैक्ट्रानीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शक्कर उद्योग को आधुनिकता प्रदान करने में दिशा प्रदान की है। प्रक्रम नियंत्रण उपकरण यथा (1) स्वचालित चूनायन और पी० एच० कन्ट्रोल प्रणाली और (2) इलैक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा वित्तीय सहायता की प्रथम खेप के अन्तर्गत पैनोमीटर का विकास। इसके उपयोग के परिणामस्वरूप देश के चीनी उद्योग को लाभ मिलने लगा है, कई चीनी मिलों में चीनी की गुणवत्ता व उत्पादन में वृद्धि भी हुई है।

—माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्वचालित पी० एच० कन्ट्रोल प्रणाली (एम० ए० पी०—सी० ओ० एन०)

—माइक्रोप्रोसेसर आधारित पैनोमीटर मॉनीटरन प्रणाली (एम० पी० एम० ओ० एस०)

—ताप मॉनीटरन हेतु माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्व-टाइमेक (ए० यू० टी० ओ०—टी० ई० आइ० एम० ए० सी०) प्रणाली।

सी० एस० आइ० ओ०, चण्डीगढ़

सी० एस० आइ० ओ० ने किमार्टा वर्ग के नौसैनिक जहाजों के लिये दूरी तक की दिक्कोण रैटिक्यूल वाले एक उन्नत ए० एम-2 प्लाटर का डिजाइन व विकास किया है। यह परियोजना भारतीय नौसेना द्वारा प्रायोजित की गई थी।

एन० आइ० ओ०, गोआ

हिन्द महासागर में बहुधात्विक पिण्डों के लिए खनन स्थलों का पता लगाने के लिए एन० आइ० ओ० ने महासागर विकास विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण पर अपने प्रमुख कार्यक्रम के

अन्तर्गत सघन सर्वेक्षण पूरे किये। सर्वेक्षण के आधार पर 3,00,000 वर्ग किलोमीटर "पायोनियर क्षेत्र" निर्धारित किया गया परिणामस्वरूप जनवरी, 1984 में भारत ने इन स्थलों के लिए अपने दावे को यू० एन० के समक्ष फाइल किया।

एन० जी० आर० आइ०, हैदराबाद

बेसिन में हाइड्रोकार्बन सम्भाव्यता और उपयुक्त निष्कर्षण युक्तियों का पता लगाने की दृष्टि से और उच्च स्तरीय उत्पादन के उद्देश्य से ओ० एन० जी० सी० के अनुरोध पर एन० जी० आर० आइ० ने वायु चुम्बकीय आंकड़े के गुणावृत्तिक व्युत्क्रमण द्वारा महानदी बेसिन के लिए एक त्रिविमीय व्याख्यात्मक मॉडल का विकास किया।

एन० सी० एल०, पुणे

जल शक्ति :

देशज कच्ची सामग्री और उपस्कर से एक ऐसे जल अवशोषी पॉलिमर का विकास किया है जो अपने भार से 500 गुणा अधिक पानी सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जलशक्ति के उपयोग से फसल 15 से 100% तक प्राप्त की जा सकती है पर यह शस्य (पौध) और जलवायु की दशा पर निर्भर करता है।

सी० एस० एम० सी० आर० आइ०, भावनगर

रिवर्स परासरण :

सी० एस० एम० सी० आर० आइ० ने तमिलनाडु व राजस्थान के दो गांवों के लिये 30,000 लीटर/दिन क्षमता वाले दो रिवर्स परासरण प्लांट संविरचित व स्थापित किये।

सी० इ० सी० आर० आइ०, कारैकुडी

डी० एम० आर० एल०, हैदराबाद के संयुक्त साझा परियोजना के अन्तर्गत कैप्टिव मेग्नीशियम यूनिट से टिटेनियम स्पंज की सुविधा की प्राप्ति के लिए सी० इ० सी० आर० आइ० ने मेग्नीशियम संयंत्र की स्थापना में सहायता प्रदान की। इस संयंत्र को अगस्त, 1985 में हैदराबाद में चालू किया गया।

आर० आर० एल०, हैदराबाद

आर० आर० एल०, हैदराबाद ने बड़ी संख्या में कीटनाशी व फफूंदनाशी यथा मोनोक्रोटोफॉस, क्विनैलफॉस, डाइजिनॉन, डी० डी० वी० पी० और एम० ओ० सी० आदि के लिए प्रक्रम का विकास किया है। इन सबका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है तथा फलस्वरूप प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए की टर्न ओवर प्राप्त की जा रही है।

आर० आर० एल०, जोरहाट

मोमी कच्चे तेल के पाइप परिवहन के लिए एफ० आइ० आर जे० बी० जो कि बोरहोला कच्चे तेल के लिए उपयुक्त है, का फ्लो-इम्प्रूवर के रूप में नए चिपकने वाले पदार्थ का विकास किया है।

आइ० आइ० पी०, देहरादून

सल्फोलेन प्रक्रम के लिए आइ० आइ० पी०—ई० आइ० एल० एरोमैटिक निष्कर्षण प्रक्रम का विकास किया। इसे भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० (बी० पी० सी० एल०) और कोचीन रिफाइनरी लि० (सी० आर० एल०) ने स्वीकार किया है। इन दोनों ही इकाइयों से लगभग 170,000 टन प्रत्येक से पुनरुत्पादित नैफ्था भरण संसाधित किया जाता है और इनसे प्रतिवर्ष लगभग 115,000 टन शुद्ध एरोमैटिक (बैंजीन और टाल्यून) प्राप्त किया जा सकेगा।

सी० एफ० आर० आइ०, धनबाद

बीटा नैफ्थॉल के उत्पादन हेतु उन्नत प्रक्रम।

सी० एफ० टी० आर० आइ०, मैसूर

सी० एफ० टी० आर० आइ० ने पंजाब के अबोहर जिले में स्थित एग्रीवोल्ट, (वोल्टास लि० और पंजाब एग्रोउद्योग निकाय का मिला जुला रूप) के लिए 10,000 टन माल्ट ऑरेंज और 5,000 टन टमाटर/वर्ष संसाधन हेतु (रुपये 20 मिलियन की लागत वाले) एक अधुनातन संयंत्र की स्थापना के लिए विशेष सहायता प्रदान की है।

सी० एल० आर० आइ०, मद्रास

केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्थान द्वारा विकसित (सिन्टैन) संश्लेष चर्मशोधक-एल्कोटन और एलुटन ने उपभोक्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया है, फलस्वरूप सात पार्टियों ने इसकी तकनीकी जानकारी को खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। पूर्व चर्मशोधन मिन्टैन का पायलट प्लांट में मानकीकृत किया जा रहा है।

सी० डी० आर० आई०, लखनऊ

सी० डी० आर० आइ० ने अतिरिक्त आंत्र अमीबता की पहचान करने के लिए एक प्रतिरक्षा निदान सूचक किट का विकास किया है और उद्योग को विमोचित करने से पूर्व आजकल जीवविज्ञान केन्द्र में इसका परीक्षण किया जा रहा है।

एन० बी० आर० आई०, लखनऊ

एन० बी० आर० आई० द्वारा केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद् (सी० सी० आर० यू० एम०) की औषधि मानकीकरण, अनुसंधान यूनिट के सहयोग से निम्नांकित यूनानी औषधियों का मानकीकरण किया गया "हब-ए-तप-ए-बलगमी", "हब-ए-उसरा", "हब-व-जहर मोहर", "हब-ए तन्कर", "कुर्स हबीस", "हब-ए-शफीस", "हब-ए-हिन्द मॉहल्लिला", "हब-ए-हिन्दी सुआल", "हब-ए-शबयार", "हब-ए-तबशीर", "बंदिक उल बफू", "हब-ए-कत्था", "हब-ए-मोमयीसदा", और हब-ए-सुर्फा।

आई० आई० सी० बी०, कलकत्ता

हैजे के लिए वीब्रीयो कॉलरी के आनुवंशिकी अध्ययन के संदर्भ में तत्वात्मक उद्देश्य है प्रभावी ओरल वैक्सीन का विकास, वीब्रीयो कॉलरी और जीवाणुभोजी जीनोम के लिए जीनोमी लिबरेरी का संविरचन किया गया है।

सी० एफ० बी०, दिल्ली

अनेकों प्रतिबन्ध एन्जाइमों और सूक्ष्म रसायनों को तैयार किया गया है। मानकीकृत जैवरासायनों और प्रत्यूर्जकों (एलर्जनों) को वैज्ञानिकों हॉस्पिटलों, जनसाधारण आदि को उपलब्ध कराया गया है।

सी० आइ० एम० ए० पी०, लखनऊ

चीन मलेरियारोधी औषधि पौधा (आरटेमिसियाअनुआ) परीक्षणात्मक स्तर पर सफल रहा है।

आइ० टी० आर० सी०, लखनऊ

केरल सरकार के लिए ए० आर० आर० ए० सी० के "अर्क" (स्थानीय लिकर) के संवेष्टन हेतु पालिथीन थैली की विषाक्तता निश्चयन पर कार्य किया गया। उद्योग मन्त्रालय की ओर से विभिन्न संगठनों और लघु क्षेत्रीय उद्योगों द्वारा तैयार किए जा रहे कृत्रिम डिटरजेंटों (अपमार्जकों) के नमूनों का विष वैज्ञानिक परीक्षण किया गया और सुरक्षा मानकों का प्रतिपादन किया गया। आई० टी० आर० सी० द्वारा प्रदत्त यह तकनीकी जानकारी भारतीय मानक संस्थान व उद्योग मन्त्रालय द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा मानकी की कसौटी है।

सी० सी० एम० बी०, हैदराबाद

फोटोएकाउस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी (पी० ए० एस०) द्वारा मॉनिटर्ड मलेरिया परजीवी

लाल रक्त कोष के अंदर मलेरिया परजीवी (प्लासमोडियम) द्वारा हेमोजोइन उत्पत्ति और हिमोग्लोबिन निम्नीकरण के पथ के अध्ययन के लिए पी० ए० एस० का उसी तरह उपयोग किया गया जैसा स्वस्थाने परीक्षण में होता है। इस अध्ययन ने हाइड्रोक्सीक्वीनोलीम श्रेणी की मलेरिया रोधी दवाइयों (जैसे क्लोरोक्वीन) के औषधीय क्रिया की कार्यविधि का परिज्ञान संभव किया है। ये परिणाम इस मॉडल का समर्थन करते हैं कि हिमोग्लोबिन के निम्नीकरण से प्राप्त हिमिन क्लोरोक्वीन के साथ एक यौगिक बनाता है और यही कम्प्लेक्स परजीवी कोश लाइसिस के लिए जिम्मेदार है। इस अध्ययन ने कम से कम एक जैसी विधि पर भी प्रकाश डाला है जिससे कोई परजीवी, मलेरियारोधी कर्मक के इस महत्त्वपूर्ण ग्रुप का प्रतिरोधी बन सके।

आर० आर० एल०, जम्मू

(आर० आर० एल०, जम्मू द्वारा टर्न की आधार पर विकसित) पाईन निडिल—एक नवीकरणीय वन व्यर्थ से फाइबर बोर्ड निर्माण करने के लिए एच० पी० फ्रूट पैकेजिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (एच० पी० फ्रूट डेवलपमेंट कारपोरेशन की एक सहायक संस्था) की पाईन निडिल फाईबर बोर्ड इकाई की स्थापना की गई है।

आइ० एम० टी० इ० सी० एच०, चण्डीगढ़

कवकजीवाणु जन्य संक्रमण के उपचार के लिए रिफामाइसिन ही लोकप्रिय प्रतिजैविक है। संस्थान द्वारा स्थानीय उद्यान मिट्टी, जिसे कब्बुलारिया कनाटा के रूप में जाना जाता है—से जीवों को विलगित किया। ये जीव ऐसे एन्जाइम पैदा करते हैं जो रिफामाइसिन-बी को रिफामाइसिन एस में परिवर्तित कर सकते हैं।

सी० एस० आई० आर० कम्प्लेक्स, पालमपुर

कांगड़ा घाटी में टीक के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के उद्देश्य से गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया गया ।

सी० जी० सी० आर० आइ०, कलकत्ता

लकड़ी के उपयुक्त विस्थापक के लिए ग्लास प्रबलित जिप्सम का विकास किया गया है ।

सी० आर० आर० आइ०, नई दिल्ली

वर्ष 2001 के लिए बम्बई महानगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिवहन और सड़क जाल तन्त्र योजना का कार्य ।

एस० इ० आर० सी०, रुड़की

ऊंचाई पर भवनों, पुलों, संधायक संरचनाओं के बिल संस्थानों आदि के संरचनात्मक विश्लेषणों के लिए सोफ्ट वेयर पैकेजेस का विकास ।

सी० बी० आर० आइ०, रुड़की

पाइलों के संदर्भ में प्रचलित भारतीय मानक कोड्स और डिजाइन व्यवहार के संशोधन हेतु यन्त्रों सहित स्वस्थाने सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन ।

आर० आर० एल०, त्रिवेन्द्रम

नारियल छप्पर को और अधिक समय तक टिकाऊ बनाने की प्रविधि ।

सी० एम० इ० आर० आइ०, दुर्गापुर

सेल्फ प्रापेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर और आटोमेटिक हेण्ड वूल निटिंग मशीन का डिजाइन व विकास ।

एस० इ० आर० सी०, मद्रास

संरचना संबंधी डिजाइन और विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर सोफ्टवेयर संरचनात्मक अवयवों के लिए सी० ए० डी० प्रविधि और जहाज और जहाज रचना संबंधी कार्य के लिए सी० ए० ए० एम० ।

एन० इ० इ० आर० आइ०, नागपुर

निम्न लागत वाली अपशिष्ट जल उपचार प्रविधियां, यथा

(क) अपशिष्ट स्थिरीकरण हौज

(ख) वातित लैगून हेतु यान्त्रिक सतहीवातित्र

(ग) आक्सीकरण खाई

(घ) बायोडिस्क प्रणाली

(ङ) ऐनारोबिक कॉन्टेक्ट अपफ्लो फिल्टर सिस्टम

सी० एम० आर० एस०, धनबाद

भवनों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे से कोयला निष्कर्षण हेतु नई खनन विधियां विकसित की गई हैं जिनके फलस्वरूप लगभग 4 मिलियन टन उन्नत कोकिंग कोल की बचत हुई है।

एन० एम० एल०, जमशेदपुर

घर्षण में ऊपरी चालक के रूप में अनुप्रयोग हेतु ताम्र विस्थापन में एल्यूमीनियम एलॉय और बुश बेयरिंग के कांस्य विस्थापन के लिए उच्च शक्तिशाली एल्यूमीनियम की दो नवीन श्रेणियों का विकास किया गया है।

एन० ए० एल०, बंगलूर

वायुयान जीवन काल में सुधार लाने के लिए अजीत और मिग-21 विमानों के कष्टदायी निर्धारण।

आर० आर० एल०, भुवनेश्वर

आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क चूर्ण के लिए 50 टन प्रति दिन क्षमता वाले पैन सिंटरिंग संयंत्र की स्थापना।

आर० आर० एल०, भोपाल

पिस्टन, सिलिण्डर और बुश बेयरिंग के रूप में उपयोग हेतु एल्यूमीनियम ग्रेफाइट सम्मिश्र सामग्री के लिए प्रक्रम का विकास।

इन्सडॉक, नई दिल्ली

नेशनल साइन्स लाइब्रेरी की संस्थापना।

पी० आई० डी०, नई दिल्ली

12 वैज्ञानिक जर्नलों (पत्रिकाओं) का प्रकाशन।

निस्टॉड, नई दिल्ली

संस्थान ने अनेकों अनुसन्धान अध्ययनों को पूरा किया है उनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं :

(1) भारत में एल्यूमीनियम उद्योग : आशा दिलाने, स्वरूप प्रदान करने, विवशता दूर करने तथा उस क्षेत्र में मुकाबला करने।

(2) लघुस्तरीय क्षेत्रों और अव्यवस्थित क्षेत्रों के उद्योग को उच्चस्तरीय क्षेत्रों से समन्वय स्थापित कराने हेतु प्रौद्योगिकी विकास।

इ० आर० डी० ए०

उद्योग के लिए विशिष्ट परीक्षण एवं विश्लेषणात्मक सुविधाएं।

टी० आर० ए० जोरहाट

टी० आर० ए० द्वारा संहत एवं प्रभावी निरन्तर किण्वन मशीन आदि प्रारूप की संरचना पूरी की जा चुकी है। फैक्ट्री में इसका परीक्षण किया जा रहा है। टी-ब्रेक-कम-स्टॉक सेपरेटर, टॉकलाइ टी ब्रेकर का सफल वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए निधियां

7333. श्री विजय कुमार यादव : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार को आबंटित धनराशि में से राज्य द्वारा कितनी राशि वापिस की गई तथा उसके परिणामस्वरूप सापेक्ष उपलब्धियां क्या हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए व्यय, अलग से और विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया जाता। फिर भी इसे संगत विकास शीर्षों के लिए योजना व्यय से लिया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत 1985-86 के लिए बिहार राज्य योजना में 571.69 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने बताया है और योजना आयोग ने 613.80 करोड़ रुपये के संशोधित व्यय की अनुमति दी है। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है। अप्रैल, 1985-फरवरी 1986 की अवधि के लिए बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत लक्ष्य और प्राप्ति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन—बिहार
अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1986

सूत्र सं०	मद	इकाई	1985-86 लक्ष्य	संचयी उपलब्धि (अप्रैल, 1985-फर०, 1986)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
3. (क)	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या	517000	321353	62
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	श्रमदिवस ('000)	31600	25831	82
(ग)	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	28100	16531	59
4.	बांटी गई फालतू जमीन	एकड़	20000	12814	64
6.	पुनर्वासित बंधुआ मजदूर परिवार	संख्या	501	353	71
7.	आर्थिक रूप से सहायता दिए गए परिवार				

1	2	3	4	5	6
	(क) अनुसूचित जाति	संख्या	300000	198675	66
	(ख) अनुसूचित जनजाति	संख्या	125500	102564	82
8.	पेय जल	गांवों की संख्या	1022	635	62
9.	(क) आवंटित गृह-भूमि	संख्या	19000	27523	145
10.	(क) गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति	संख्या	33500	29986	99
	(ख) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए मकान	संख्या	10000	10334	103
11.	ग्रामीण विद्युतीकरण				
	(क) विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	2000	1682	84
	(ख) शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	12000	7872	66
12.	(क) वृक्षारोपण	संख्या	1500	1491	99
	(ख) बायोगैस-राज्य	संख्या	6400	3500	55
13.	किए गए परिवार नियोजन नसबन्दी	संख्या	571000	266062	47
14.	(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	200	202	101
	(ख) उप केंद्र	संख्या	800	490	50
15.	स्वीकृतसमन्वित बाल विकास सेवा खंड	संख्या	25	25	100

अनुवाद

समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा को सहायता

7334. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार से विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 और 1985-86 में कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को दी गई सहायता अनुदान का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को दिए गए सहायता अनुदान के आवंटन का ब्यौरा

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

राज्य सरकार को 1984-85 में 130.15 लाख रुपये तथा 1985-86 में 21.47 लाख रुपये दिए गए। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता (प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में होने वाला व्यय) के अतिरिक्त समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान क्रमशः 11.67 लाख रुपये तथा 7.87 लाख रुपये दिए गए। इस योजना के तहत राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त केवल समान केन्द्रीय सहायता (50 : 50 आधार पर) ही भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को छात्रवृतियां देने के लिए उड़ीसा सरकार को 1984-85 के दौरान 6.67 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। वर्ष 1984-85 में जारी किए गए अनुदानों में से राज्य सरकार के पास 7,43,117 रुपये बचे हुए थे। 1984-85 की बचत को 1985-86 में प्रयोग करने के बारे में राज्य सरकार को सूचित करा दिया जाता था। अतः 1985-86 के दौरान कोई नया अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

4. शारीरिक रूप से अपंगों के लिए सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सेल खोलना

इस योजना के तहत, उड़ीसा सरकार को 1984-85 के दौरान 22,000 रुपये दिए गए। 1985-86 के दौरान राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ठेका श्रम प्रणाली

7335. **श्री मतिलाल हंसदा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में कितने ठेका श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ख) इन मजदूरों को वहां खपाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में कोई ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

7336. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986 तक रोजगार के लिए पुनर्वास निदेशालय में कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज किए गए हैं;

(ख) शीघ्र रोजगार सुनिश्चित करने हेतु निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के विभागों और राज्य सरकारों से पर्याप्त सहयोग मिलता है;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुन: रोजगार सहित उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सातवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान कोई अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे ?

रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह): (क) पुनर्वास निदेशालय अपने यहां केवल भूतपूर्व सैनिक अफसरों का पंजीकरण करता है और नियोक्ताओं की मांग के अनुसार उनके नाम रोजगार के लिए भेजता है। अन्य श्रेणियों का पंजीकरण राज्य/जिला सैनिक बोर्डों एवं रोजगार केन्द्रों द्वारा किया जाता है। पुनर्वास निदेशालय द्वारा पंजीकृत अफसरों की संख्या 1 अप्रैल, 1986 को 1682 थी।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए तेजी से रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास निदेशालय अन्य बातों के साथ-साथ :

(क) भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्ति हो रहे कार्मिकों को रोजगार के लिए अच्छी तरह से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्क्रम चलाता है।

(ख) नौकरियों में सीधे ही अफसरों के नाम भेजता है।

(ग) केन्द्र तथा राज्य एजेन्सियों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के वास्तविक रोजगार पर निगरानी रखता है।

(घ) राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों के आरक्षण के प्रश्न पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यशील पुनर्वास महानिदेशालय निम्नलिखित कार्य भी कर रहा है :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उचित नीतियां बनाने के प्रस्ताव रखना।

(2) केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता।

(3) इससे सम्बन्धित राज्य सरकार की एजेन्सियों के कार्यों पर नजर रखना और उनके साथ समन्वय स्थापित करना।

अपने कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार के विभागों और साथ ही राज्य सरकारों से विभिन्न रूपों में समर्थन, सहयोग और सहायता प्राप्त करता है। इस महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि इस सहयोग को और बढ़ाया जाए।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुन: रोजगार सहित उनका पुनर्वास एवं पुनर्स्थापित को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निम्नलिखित उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है :—

(i) आरक्षण का प्रभावी उपयोग।

(ii) सिविलियन पदों में भर्ती की सुविधा के लिए सेवा ट्रेडों को समकक्ष सिविलियन शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताओं के अनुरूप निर्धारित करना।

(iii) रोजगार के नए अवसरों की खोज करना तथा पता लगाना।

(iv) "पैक्सेम योजना" में विस्तार करना।

आन्ध्र प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए लोग

7337. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ग) आन्ध्र प्रदेशों में निर्धनों के उत्थान के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष और अन्तिम वर्ष के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे विभिन्न गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों, जो 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं (और समग्र संवृद्धि कार्यनीति के कारण भी), के कार्यान्वयन से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और जनसंख्या में उनके प्रतिशत में काफी कमी हुई है। योजना आयोग में गरीबी के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षणों और राज्यवार जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा 2 नवीनतम सर्वेक्षण किए गए हैं जो 32वां दौर (1977-78) और 38वां दौर (1983) से सम्बन्धित हैं और जिन पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के 1977-78 और 1983-84 के लिए राज्यवार अनुमान और कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के अनुमान लगाए गए हैं। अनुमान है

कि आन्ध्र प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या वर्ष 1977-78 में 217.4 लाख से कम होकर वर्ष 1983-84 में 205.1 लाख रह गई है और इसी अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1977-78 में 43.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1983-84 में 36.4 प्रतिशत हो गया।

(ख) और (ग) पूरे देश के लिए गरीबी की कमी का लक्ष्य, गरीबी दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिव्ययों और प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। चूंकि उपभोग के राज्यवार वृद्धि के लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं इसलिए, गरीबी कम करने से सम्बन्धित राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

रेडियो धर्मी अपशिष्ट पर नियंत्रण के लिए तकनीक का आयात

7338. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में और इनके आस-पास रेडियो धर्मी अपशिष्ट पर नियन्त्रण करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु रिएक्टरों से रेडियो धर्मी अपशिष्ट के प्रभावशाली नियन्त्रण/प्रबन्ध के लिए प्रौद्योगिक तकनीक का आयात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए स्थलों का चुनाव करते समय और उन रिएक्टरों के डिजायन बनाते समय इस बात का खास तौर से ध्यान दिया जाता है कि किसी स्थल विशेष पर विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के नियन्त्रण की सुरक्षित और दक्षतापूर्ण प्रणाली को सुनिश्चित रखना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से संभव रहेगा या नहीं। उस स्थल विशेष पर मौजूदा पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यापक रूप से और बड़े पैमाने पर किए गए अन्वेषण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों की सुरक्षित रूप से उन्मुक्त की जाने वाली मात्रा की सीमाएं क्या होनी चाहिए। जो रेडियोसक्रिय अपशिष्ट पदार्थ द्रव अवस्था में उत्सर्जित होते हैं उन्हें इस प्रकार से संसाधित किया जाता है कि उनकी रेडियोसक्रियता सांद्रित हो जाए और उन्हें पर्यावरण से अलग कर दिया जाए ताकि पर्यावरण में पहुंचने वाली विकिरणसक्रियता की मात्रा अनुमेय सीमाओं के भीतर ही रहे। गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को वायुमंडल में अनुमेय सीमाओं के भीतर रखते हुए उन्मुक्त करने से पहले प्रभावित रूप से संसाधित किया जाता है। सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे कक्षों में, जिन्हें इस ढंग से तैयार किया जाता है कि उनका कार्य अत्यधिक विश्वसनीयतापूर्ण होता है, भंडारित करने से पहले समुचित रूपेण संसाधित कर दिया जाता है। इसके अलावा, परमाणु विद्युत रिएक्टरों में और उनके इर्द-गिर्द के इलाके में इस दृष्टि से निगरानी रखने और मानीटरिंग करने के कार्यक्रम पर लगातार अमल किया जाता है कि कोई भी ऐसी असंभाव्य घटना न होने पाए जिसमें संदूषण अनियंत्रित रूप से फैल सकता हो।

(ख) जी, नहीं ।

भारत विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के नियन्त्रण के मामले में अत्यधिक सक्षम है तथा इस कारण से इसके लिए कोई भी तकनीकी जानकारी आयात करने का विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में एकीकृत वानिकी का विकास

7339. **श्री टी० बशीर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में एकीकृत वानिकी परियोजना के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही सम्बन्धी मार्ग निदेश

7340. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य तौर पर प्राप्त अभ्यावेदनों और विशेष रूप से जनता को होने वाली कठिनाइयों की शिकायतों के बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यो को कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मार्ग-निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मन्त्रियों द्वारा संसद सदस्यों को निर्धारित अवधि में उत्तर भेजे जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर तेजी से कार्यवाही करने की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री ने अप्रैल, 1985 में केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे जनसाधारण से प्राप्त पत्रों को नम्रता के साथ तथा शीघ्र निपटाने के लिए मध्यम स्तर के अधिकारियों में तत्परता की भावना पैदा करने की दिशा में उपयुक्त कदम उठायें। इसके बाद दिसम्बर, 1985 में राज्य मन्त्री (तत्कालीन उपमंत्री) द्वारा एक और पत्र भेजा गया था जिसमें मंत्रियों को, प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने तथा जनसाधारण से प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश की गई थी :—

(क) जनता के किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्येक पत्र का जवाब 15 दिन के भीतर दे दिया जाना चाहिए।

(ख) जहां (i) अन्तिम उत्तर भेजने में देरी लगने की सम्भावना हो, अथवा (ii) सूचना किसी अन्य मंत्रालय अथवा कार्यालय से प्राप्त की जानी हो, वहां दो सप्ताह के भीतर एक अन्तरिम उत्तर भेज दिया जाए जिसमें उस तारीख का भी उल्लेख किया गया हो जिस तक अन्तिम उत्तर भेजा जा सकेगा।

(ग) जहां जनता के किसी व्यक्ति के किसी अनुरोध को किन्हीं कारणों से न माना जा सकता हो वहां ऐसे अनुरोध को स्वीकार न करने के कारणों को बताया जाना चाहिए।

(घ) जहां तक सम्भव हो, जनता के व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर उपभोक्ता के नजरिये से विचार किया जाना चाहिए न कि केवल इस नजरिये से कि प्रशासनिक रूप से क्या सुविधाजनक है।

2. डाक, दूर संचार, रेल, बैंकिंग, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे विभागों में जिनके साथ आम जनता का बहुत वास्ता पड़ता है, शिकायत निवारण तन्त्र को सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भी इन विभागों द्वारा गठित लोक शिकायत तन्त्र की प्रभावोत्पादकता पर निगाह रखे हुए है।

3. लोक शिकायतों को दूर करने के लिए संसद सदस्यों के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों की ओर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जाता है। इन अनुदेशों में निम्न व्यवस्था है :—

(i) संसद सदस्यों के पत्रों को एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(ii) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के मामले में जहां ऐसा महसूस किया जाता है कि अन्तिम उत्तर भेजने के लिए जानकारी प्राप्त होने में, विभिन्न कारणों से देरी लग सकती है वहां एक अन्तरिम कार्रवाई के रूप में सामान्यतः उनके पत्र की पावती भेज दी जाती है।

(iii) संसद सदस्यों से प्राप्त जो पत्र निपटाने के लिए बकाया पड़े होते हैं सम्बन्धित संयुक्त सचिव/सचिव द्वारा मासिक आधार पर उनकी पुनरीक्षा की जाती है।

4. जबकि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने का हर प्रयास किया जाता है तो भी अन्तिम उत्तर जारी करने से पहले प्राय: अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों से सूचना एकत्र की जानी होती है। कभी-कभी उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में अन्तमंत्रालयी पत्र व्यवहार/चर्चा भी की जानी होती है। अत: संसद सदस्य को उत्तर देने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा का पालन करना कठिन हो जाता है।

ससद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में किए गए प्रावधानों तथा ऐसे पत्रों को बहुत ही शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के पूरक के रूप में सभी मन्त्रालयों/विभागों को जारी किए गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखते हुए इस समय कोई और अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

नौसेना की गश्ती नौकाओं द्वारा मछुआरों के मत्स्य-जालों का नष्ट किया जाना

7341. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना की गश्ती नौकाओं ने 9 दिसम्बर, 1985 को महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग जिले के मलवा समुद्र तट पर 16 मछुआरों के मत्स्य जालों को नष्ट कर दिया है, जिससे उन मछुआरों को 2.50 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने इसकी जांच की और मछुआरों के नुकसान को रिकार्ड किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन मछुआरों को, जिन्हें भारी नुकसान हुआ है, पूरा मुआवजा दिया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) नौसेना के जलपोतों से अनुरोध किया गया था कि वे पाकिस्तानी कर्मीदल द्वारा चलाए जा रहे उस "अरब धो" का पता लगायें जो मालवा समुद्र तट पर डूब गया था और जिसमें तस्करी के माल होने का संदेह था। इस कार्य को करने के लिए नौसेना के जहाजों ने समुद्र के नीचे तारों का जाल लगा दिया। यद्यपि इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को इस क्षेत्र को खाली करने की स्पष्ट चेतावनी दे दी गई थी फिर भी, संभवत: मछली पकड़ने के कुछ जाल क्षतिग्रस्त हो गए हों।

(ख) हाल ही में राजस्व विभाग ने यह सूचना दी कि 15 मछुआरों ने "मालवा कस्टम हाउस" के पास इस बात की शिकायत दर्ज की है कि उन्हें 2.11 लाख रुपये का नुकसान हो गया। राजस्व विभाग ने यह भी बताया है कि कस्टम प्राधिकारियों ने मामले की आगे कोई जांच नहीं की।

(ग) और (घ) भारतीय नौसेना को ऐसी किसी क्षति की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह

मामला अब इस मन्त्रालय के ध्यान में आ गया है इसलिए इस बारे में आवश्यक छानबीन की जा रही है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आरक्षण

7342. श्री शान्ति धारीवाल : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभागीय पदोन्नतियों में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विकलांग व्यक्तियों को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां

(ख) से (घ) समूह "ग" और "घ" पदों में विकलांगों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में है विभागीय पदान्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है। विभागीय पदोन्नतियों के लिए विकलांग व्यक्तियों पर, सामान्य व्यक्तियों के साथ ही योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

तट रक्षक कार्मिकों में अनुशासन लागू करना

7343. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री आर० एस० माने :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट रक्षक पोत के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होने हाल ही में पूर्वी तट पर भारतीय मत्स्य पोतों को परेशान किया था और उन पर हमला किया था;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय मछली पोतों की तुना में तट रक्षकों की असंयमित गतिविधियों की जानकारी पहले ही सरकार के ध्यान में लाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तट रक्षक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ होने के क्या कारण थे;

(घ) क्या दोषी नाविक दल के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) तट रक्षक कार्मिकों में अनुशासन लागू करने और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) तट रक्षक पोत "रामादेवी" द्वारा 12-2-1986 को भारतीय मत्स्य जालपोत में गोलीबारी की घटना की जांच करने और इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए गठित जांच बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तट रक्षक पोत के कमांडिंग अफसर को अग्नास्त्रों के इस्तेमाल का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मत्स्य जालपोत ने रुक जाने और निरीक्षण करने के बारे में उनके अनुरोधों की अवहेलना की थी। यह गोलीबारी चेतावनी के रूप मे की गई थी ताकि पोत को रुक जाने के लिए कारगर अनुरोध किया जा सके। यह घटना तट रक्षक पोत के कमांडिंग अफसर की तरफ से स्थिति का सही अन्दाजा न लगाए जाने और तट रक्षक पोत के कहने पर भारतीय मत्स्य जालपोत की ओर से स्थिति की तत्परता और जानकारी की कमी के कारण घटी है। तट रक्षक पोत "रामादेवी" के कमांडिंग अफसर के विरुद्ध उनके गलत निर्णय के लिए उनकी भर्त्सना किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गोलीबारी की घटना में सम्मिलित तट रक्षक पोत के कमांडिंग अफसर की भर्त्सना किए जाने का विचार है।

(ङ) (i) मत्स्य पोतों की जांच और तट रक्षक पोतों द्वारा बल और हथियारों का क्रमिक प्रयोग करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जा रहे हैं।

(ii) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तट रक्षक प्राधिकारियों और भारतीय मछुआ संघ के बीच पारस्परिक हित में सम्बन्धित पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। एक ऐसी बैठक विशाखापत्तनम में 20-3-1986 को पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

विदेशी अधिकारियों के साथ वार्तालाप करने के लिए हिन्दी का प्रयोग

7344. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को विदेशी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय हिन्दी का प्रयोग करने के लिये कोई पत्र भेजा गया है;

(ख) क्या उन देशों में जहां हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त भाषान्तरकार होते हैं, भाषान्तर की सुविधाओं के लिये कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में अन्य भाषाओं के लिए ऐसा प्रावधान किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो केवल हिन्दी के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-आस्थानी दुभाषिए आमतौर पर अंग्रेजी से स्थानीय भाषा और स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। आवश्यकतानुसार भाषान्तर की सुविधाएं हिन्दी में भी की जा सकती हैं। क्योंकि केन्द्रीय सरकार हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का ही प्रयोग करती हैं, इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं में भाषान्तर की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है।

अशोक विहार, दिल्ली में अग्निकांड

7345. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1986 में अशोक विहार दिल्ली में विध्वंसकारी अग्निकांड में हताहत हुए लोगों की अब तक की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस अग्निकांड के क्या कारण थे और इसके लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस अग्निकांड में 26 व्यक्तियों के मारे जाने और 90 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है।

(ख) आग लगने के सही कारण का अभी तक पता नहीं लगा है। अशोक विहार थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/338, 304-क के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। इस बारे में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनके नाम हैं: (i) जे० एन० मलिक (ii) बोनू राय, (iii) रामतीरथ, (iv) अरुण और मटरू मल। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिये गए थे जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :

(i) अग्निकांड के कारणों का पता लगाना;

(ii) कितने लोगों की जानें गई और कितने लोगों को चोटें आई;

(iii) अग्निशमन और बचाव के साधनों की पर्याप्तता तथा अग्निकाण्ड से पीड़ितों को दी गई डाक्टरी सहायता का पता लगाना;

(iv) यह विचार करना कि क्या सार्वजनिक तथा निजी उत्सवों में लगाने वाले पण्डाल/शामियानों के निर्माण के लिए सिंथेटिक सामग्री जैसे ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग के लिए आज्ञा प्रदान की जाए अथवा नहीं;

(v) वर्तमान नियामक व्यवस्था की कमियों का पता लगाना और ऐसे पण्डाल/शामियानों के लगने में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों, जैसे शामियानों का उचित डिजाईन, बाहर जाने के काफी रास्ते आदि, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बारे में संशोधनों का सुझाव देना; और

(vi) कोई अन्य उपचारी उपायों का सुझाव देना ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न घट सके।

मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

मंत्रालय के विभिन्न विभागों/निदेशालयों में एक समान भर्ती नियम

7346. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों/निदेशालयों आदि में श्रेणी "क" "ख", "ग" और "घ" के पदों के लिए एक समान भर्ती नियम है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में एक ही श्रेणी कर्मचारियों उदाहरणार्थ स्टोरकीपरों के लिए संवर्ग ढांचा/पदोन्नति के अवसर भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सुरक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न स्थापनाओं में, स्टोरकीपरों सहित, अनेक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संवर्ग ढांचा/पदोन्नति के अवसर, प्रत्येक स्थापना की संगठनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी सुधारात्मक उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, जहां आवश्यक हो, उनमें परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न काडरों की समीक्षा की जाती है।

श्रीलंका में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए अमरीका के प्रयास

7347. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका श्रीलंका में नौसैनिक अड्डा बनाने और हिन्द महासागर का सैनिकीकरण करने के लिये श्रीलंका की स्थिति का लाभ उठा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि श्रीलंका सरकार अपने बन्दरगाहों पर संयुक्त राज्य अमरीका को

नौसैनिक अड्डे की सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गयी है। तथापि, श्रीलंका सरकार कोलम्बो बन्दरगाह पर संयुक्त राज्य अमरीका के नौसेना के जहाजों को कुछ समय के लिए ठहरने और वहां आराम करने तथा मनोरंजन के लिए प्रवेश की अनुमति देने पर सहमत हो गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गम्भीर अपराध के मामलों से निपटने के लिए पृथक कक्ष

7348. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार से गम्भीर अपराध के मामलों से निपटने के लिये, जो कि इस समय स्थानीय पुलिस द्वारा निपटाए जा रहे हैं, एक पृथक कक्ष बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का पृथक कक्ष कब तक बनाने का विचार है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गम्भीर अपराधों के मामलों को किस सीमा तक तत्परता से निपटाया जा सकेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य-अध्ययन वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षक एकक द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए यदि अतिरिक्त कर्मचारियों की कोई आवश्यकता हुई तो उसके बारे में कार्य-अध्ययन की रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रस्ताव पर कार्य अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

स्मैक की लत को रोकने के उपाय

7349. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों पहले शायद ही किसी ने स्मैक के बारे में सुना होगा लेकिन आज यह प्रमुख समस्या बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत 12 महीनों में महीनेवार और राज्यवार, स्मैक की लत के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु, चुने हुए विश्वविद्यालयों/केन्द्रों में एक नमूना सर्वेक्षण प्रायोजित किया गया है। सर्वेक्षण 1986 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इलैक्ट्रानिक्स में तकनीकी जनशक्ति का अभाव

7350. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर के क्षेत्रों में अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति का भाव होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्याप्त जनशक्ति को प्रशिक्षित और विकसित करने के लिए सरकार का क्या प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने तकनीकी जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमो का पता लगाया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) इलेक्ट्रानिकी जनशक्ति विकास कार्यक्रम;

(ii) इलेक्ट्रानिकी के शिक्षण के अनुप्रयोगों से सम्बन्धित कार्यक्रम; तथा

(iii) खासकर कम्प्यूटर तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धिन जनशक्ति का विकास।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ संयुक्त रूप से अनेक कार्यक्रम शुरू किए है। मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डी० सी० ए०)

(ii) कम्प्यूटर अनप्रयोगों में डेढ़ वर्षीय पॉलिटेकनिकोत्तर डिप्लोमा (डी० सी० ए०)

(iii) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में हिन्दी माध्यम से डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(iv) बी० टेक०

(v) एम० टेक०

(vi) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एम० सी० ए०)

(vii) व्यवसाय उन्मुख पाठ्यक्रम।

(viii) इलेक्ट्रानिकी में विज्ञान निष्णात् (तकनीकी)

(ix) सर्विस तकनीशियनों की जोरदार योजना।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों, पालिटेकनिकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आदि में पहले से ही चलाया जा रहा है और आगामी वर्षों में इसका विस्तार और अधिक केन्द्रों में किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने सतत शिक्षक कम्प्यूटर इंजीनियरी/अनुरक्षण में डिप्लोमा तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान तथा विकास की परियोजनाएं शुरू करने तथा जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और उनका विकास करने के लिए विशिष्ट अल्प-कालीन एवं दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(i) नौवहन इलेक्ट्रानिकी

(ii) अन्तर्जलीय इलेक्ट्रानिकी

(iii) सूक्ष्म तरंग

(iv) सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी

(v) एल० एस० आई० डिजाइन

(vi) सामग्री विकास तथा उनके गुणधर्म का लक्षण निर्धारण।

चूंकि आमतौर पर शिक्षा और खासतौर पर तकनीकी शिक्षा का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का और कुछ हद तक केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालय का है, अत: इलेक्ट्रानिकी विभाग ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के बारे में 14 नवम्बर, 1985 को आयोजित बैठक में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा संबद्ध केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ चर्चा की। इस बैठक में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे जनशक्ति की आवश्यकता के क्षेत्र में उपलब्ध अन्तराल को दूर करने के लिए जोरदार कार्यक्रम तैयार करें।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता पूरी होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

कृत्रिम अंगों की आवश्यकता

7351. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष कुल कितने कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितने कृत्रिम अंगों की आवश्यकता है;

(ग) क्या आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग सप्लाई किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) यह अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 3.8 लाख व्यक्ति अस्थि विकलांग हो जाते हैं, जिन्हें विभिन्न सहायक यन्त्रों और उपकरणों की जरूरत हो सकती है। कृत्रिम अंगों की मांग तब होती है, जब वे कृत्रिम अंग फिट

करने वाले केन्द्रों में जाते हैं, क्योंकि अंग लगाने में प्रशिक्षित स्टाफ तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। केन्द्रों की मांग आवश्यकतानुसार पूरी की जा रही है।

[अनुवाद]

बहुमंजिले भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

7352. **श्री सुभाष यादव :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है, कि नई दिल्ली में 195 बहुमंजिले भवनों में आग से सुरक्षा की व्यवस्था उतनी ही अपर्याप्त है जितनी गोपाल टावर्स में थी;

(ख) क्या सरकार ने राजधानी में बहुमंजिले भवनों में अग्नि-सुरक्षा के उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भवन उप-विधि 1983 में यह अनिवार्य है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अग्नि की रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था को प्रमाणित करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए। मालिकों/दखलदारों को जून, 1983 से पहले निर्मित ऊंचे भवनों म अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाने और सुरक्षा के साधनों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। अनुपालन को लागू करने के लिए संसद के चालू सत्र के दौरान अग्नि की रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के लिए एक विधायन पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे दिल्ली अग्नि शमन सेवा को अग्नि से बचाव के प्रति असुरक्षित ऊंचे भवनों के मालिकों/दखलदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी।

कार्बेट नेशनल पार्क

7353. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कार्बेट नेशनल पार्क, जो प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीवन की दृष्टि से उत्कृष्ट है, पर कालागढ़ स्थित राम-गंगा बहु-प्रयोजनीय जल-विद्युत परियोजना बांध का कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कालागढ़ में राम गंगा बहुउद्देशीय पन-बिजली परियोजना बांध के कारण पार्क के निचले क्षेत्र का बड़ा भाग डूब गया है। इस कारण पहले से रह रहीं कई वन्य-प्राणियों की प्रजातियां इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दी गई हैं। पाढ़ा (हाग डीयर) और चीतल, विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं जोकि घास वाले क्षेत्र में रहना पसन्द करते हैं जोकि डूब गया है और जिनका पार्क में पसन्द किए जाने वाला वासस्थल क्षेत्र इस प्रकार कम हो गया है। बांध और जलाशय ने माहशीर मछली और हाथी की प्रवासी प्रतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। दूसरी ओर बांध के बनने के कारण जो झील बनी है उससे मछली, ऊदबिलाव, मगरमच्छ और जल-पक्षियों सहित जलीय वन्यप्राणियों को सहायता मिली है।

(ग) झील दस वर्ष से भी अधिक पहले बन गई थी और इस विषय में अधिक कुछ किया जाना सम्भव नहीं है। तथापि, पार्क की सीमा को और विस्तृत कर दिया गया है और बेहतर सुरक्षा और वास-स्थल प्रबन्ध के कारण प्राणिजात की विभिन्न प्रजातियों के लिए अपने को बढ़ाना तथा राष्ट्रीय पार्क में ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करना सम्भव होगा जहां कि अब तक वन्यप्राणियों की संख्या कम थी।

मौसम/मानसून का पूर्वानुमान

7354. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौसम/मानसून के पूर्वानुमान और रबी की फसल के दौरान होने वाली वर्षा के लिए, इस समय प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी की, कि यह कृषि योजना के लिए कितनी विश्वसनीय और संगत है, और देश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए, कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई कमियां हैं तो वे क्या हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उपयुक्त पूर्वानुमान के लिए उन्नत प्रौद्योगिक पर आधारित तकनीक का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस समय अल्पकालिक पूर्वानुमानों (1-2 दिन) की यथार्थता 80 प्रतिशत है, जबकि विस्तृत क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमानों (मासिक और मौसमी) के सम्बन्ध में यथार्थता 70 प्रतिशत है। यथार्थता का स्तर सुधारने के लिए, काफी अनुसन्धान प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान को सुधारने तथा इसके परास को बढ़ाने तथा सम्पूर्ण देश में कृषि नियोजन और क्रिया-कलापों में इसके अनुप्रयोग के लिए कृषि मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवा पर एक प्रौद्योगिकी मिशन तैयार किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत, मध्यम अवधि पूर्वानुमानों (7 से 10 दिन तक) के लिए तकनीकें भी विकसित की जाएंगी। यह मिशन इस समय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

तमिल लोगों का स्विटजरलैण्ड से निकाला जाना

7356. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैण्ड की सरकार ने सैकड़ों तमिल लोगों को वहां से निकाल कर श्रीलंका भेजने का निर्णय लिया है, जहां राजनैतिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस मामले को स्विटजरलैण्ड सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि स्विटजरलैण्ड की सरकार ने अभी हाल में यह निर्णय लिया है कि श्रीलंका में तमिल समुदाय अब "सामान्यतया उत्पीड़ित" नहीं है और इसलिए उन तमिलों को जिन्होंने स्विटजरलैण्ड में शरण मांगी है, वापस स्वदेश भेजने में कोई खतरा नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने पहले तो इस मामले को स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्रालय के साथ उठाया और बाद में विदेश मन्त्री ने इस विषय को स्विटजरलैण्ड के विदेश मन्त्री के साथ 2 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में हुई चर्चा के दौरान उठाया ।

(ग) स्विटजरलैण्ड सरकार ने अब हमें यह आश्वासन दिया है कि तमिलों को श्रीलंका वापिस भेजने के सम्बन्ध में ऐसा कोई आम निर्णय नहीं लिया गया है । उनका यह प्रस्ताव है कि स्विटजरलैण्ड में इस समय रह रहे तमिलों से राजनैतिक शरण के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अलग-अलग से विचार करके निर्णय लिया जाएगा उन्होंने यह जानकारी भी दी कि अधिकांशतः ये मामले उन व्यक्तियों से सम्बद्ध है जिन्होंने स्विटजरलैण्ड के कानूनों का कई तरह से उल्लंघन किया है ।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के कारण मिट्टी में कटाव

7357. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिक्री के लिए कोयला तैयार करने हेतु लकड़ी का प्रयोग करने वाले व्यापारी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की पहाड़ियों में अन्धाधुन्ध पेड़ काटते हैं जिसके कारण पहाड़ियों में मिट्टी का कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से बाढ़ के प्रकोप के समय पहाड़ियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और ढह जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई से पहाड़ियों को ढहने से बचाने के लिए पर्यावरणीय नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य

सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सरकारी वनों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई नहीं हुई है। लेकिन चारकोल तैयार करने के लिए निजी भूमियों में वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई है जिससे भूमि को भूमि कटाव का खतरा हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों को भूस्खलन संभावित और पहाड़ों में कटाव वाले तथा नदी घाटियों के आवाह क्षेत्रों का, जिनकी वृक्षों की कटाई से सुरक्षा की आवश्यकता है, का पता लगाने तथा उनमें यथासंभव समय में उपर्युक्त वनरोपण के लिए सलाह दी गई है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

7358. **श्री चित्त महाता :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण तथा दूर-दराज क्षेत्र अब भी पिछड़े हैं हालांकि देश सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण तथा दूर-दराज क्षेत्रों से लोगों के नगरों तथा महानगरों को पलायन का एक मुख्य कारण पिछड़ापन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो ग्रामीण तथा दूर-दराज क्षेत्रों के पिछड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए थे और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए जाएंगे?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) देश में, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, सूखा प्रवृत क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पिछड़े क्षेत्र हैं।

(ख) और (ग) शहरों और महानगरीय केन्द्रों की ओर जनसंख्या के प्रवसन के लिए विवशता और आकर्षण दोनों उत्पादन जिम्मेदार हैं। क्षेत्रीय प्रसंग के अनुसार कारणों में भिन्नता है।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे—पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास उप-योजनाएं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर क्षेत्रों का पिछड़ापन कम करने के लिए बनाए गए है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीन कामगारों के लिए आवास, शहरी गन्दी बस्तियों का सुधार और पोषाहार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक शामिल हैं जिनका आशय भी क्षेत्रों का पिछड़ापन कम करना है।

उपर्युक्त बताए गए सभी कार्यक्रमों पर लगातार बल देने के अलावा अब सातवीं योजना में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में, पिछड़े क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना के विकेन्द्रीकरण की एक साधन के रूप में परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में रोजगार

7359. **श्री कुंवर राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को इलेक्ट्रानिक उद्योगों में रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने युवकों को रोजगार दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उन्हें वहां रोजगार देने के पहले प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) "क्लास", प्रौढ़ साक्षरता, श्रव्य-दृश्य सहायक उपकरणों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा जैसी सरकार की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों के सृजन होने की सम्भावना है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत होगी। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के सहयोग से दूरदर्शन, वी० सी० आर०, टेप रिकार्डर आदि जैसे आम इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के सर्विस तकनीशियनों के प्रशिक्षण का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया है।

[अनुवाद]

छापामार समस्या के समाधान के लिए श्री लालडेंगा से बातचीत

7360. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मिजोरम में भूमिगत छापामार समस्या के समाधान के लिए श्री लालडेंगा से बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) एम० एन० एफ० के प्रतिनिधि मण्डल के साथ अभी तक बातचीत चल रही है।

आंध्र प्रदेश में एक आयुध कारखाना

7361. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सम्भावित आयुध निर्माणी की स्थापना के सम्बन्ध में उपयुक्त स्थान बताने के लिए आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों को लिखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ स्थानों की पेशकश की है, जिनका अन्य स्थानों के साथ निर्धारित पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

(ख) परियोजना आदि की लागत के सम्बन्ध में विवरणों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन

7362. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का वर्ष 1985-86 के दौरान कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) वर्ष 1990 तक कितना उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की प्रति करोड़ रुपए के पूंजी निवेश पर रोजगार क्षमता कितनी है; और

(घ) वे मुख्य क्षेत्र कौन-से हैं जिनमें इलेक्ट्रानिक की वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कैलेण्डर वर्ष (जनवरी-दिसम्बर), 1985 के दौरान इलेक्ट्रानिकी का वास्तविक उत्पादन 2660 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष (मार्च, 1985 से अप्रैल, 1986) के लिए प्रत्याशित उत्पादन 2820 करोड़ रुपए हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन लक्ष्य 10,860 करोड़ रुपए नियत किया गया है।

(ग) इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में किए गए प्रति एक करोड़ रुपए के पूंजी-निवेश से 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

(घ) इलेक्ट्रानिकी का अनुप्रयोग मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में होता है जैसे खासकर उद्योग, वाणिज्य, रक्षा ऊर्जा शिक्षा, चिकित्सा, संचार, कृषि आदि।

राजधानी में मादक दवाएं पकड़ने के लिए मारे गए छापे

7363. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मादक दवाएं पकड़ने के लिए इस वर्ष कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) इन छापों में पकड़ी गई मादक दवाओं की किस्म और उनकी मात्रा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) दिल्ली में मादक दवाओं का धन्धा करने वाले गिरोह की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 793.

(ख) विवरण इस प्रकार है :

चर्स	1385.194 कि०ग्रा०
अफीम	60.373 कि०ग्रा०
गांजा	392.530 कि०ग्रा०
स्मैक/हिरोइन	19.674 कि०ग्रा०
अफीम के डोडे	29.700 कि०ग्रा०
मैथाकोलन	0.850 कि०ग्रा०

(ग) 784.

(घ) इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय मादक दवाओं के अवैध व्यापारियों का पता लगाया गया है । उन पर और अवैध व्यापारियों से माल प्राप्त करने वाले दवाओं के अवैध विक्रेताओं पर लगातार नजर रखी जा रही है ।

(2) दिल्ली पुलिस द्वारा थानों, स्पेशल स्टाफ और अपराध शाखा के व्यापक विरोधी विभागों के माध्यम से मादक दवाओं के अवैध विक्रेताओं/मादक दवाओं के अवैध व्यापारियों को पकडने तथा माल जब्त करने के अनिश्चित कदम उठाए गए हैं । यह अभियान जो 14-11-1985 को प्रारम्भ किया गया था, अभी तक जारी है ।

(3) अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट का सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, विशेषतया उन मामलों में, जिनमें अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार पाया जाता है अथवा उसका सन्देह किया जाता है । अवैध व्यापारियों/अवैध विक्रेताओं से सिंडीकेटों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है ।

(4) अवैध व्यापारियों के प्रवेश/बाहर निकलने वाले स्थानों पर विशेष निगाह रखी जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

7364. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर में सुधार लाने और उनमें विकास की गति तेज करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक नई योजनाएं तैयार की गई हैं जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या ये योजनाएं प्रधान मन्त्री के अनेक राज्यों के दौरे और समस्याओं के मौके पर अध्ययन के बाद दिए गए सुझावों के परिणामस्वरूप तैयार की गई हैं?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ग) जी नहीं। अगले वित्तीय वर्ष से शुरू की जाने वाली कोई नई स्कीम नहीं बनाई गई है।

[हिन्दी]

छठी योजना के दौरान भारतीय दूतावासों के लिए खरीदी गई भूमि, भवन आदि

7365. डा० ए० के० पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा प्रत्येक देश में खरीदी गई अथवा किराए पर ली गई भूमि, भवनों अथवा अन्य सम्पत्ति का मूल्य क्या है तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक के द्वारा अलग-अलग कितना किराया दिया गया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान उनमें सुधार करने अथवा उनकी मरम्मत आदि पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा प्रत्येक देश में खरीदी गई भूमि, भवनों और अन्य सम्पत्तियों का मूल्य संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

किरायों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

विवरण-I

1980-81 से 1984-85 के दौरान खरीदे गए प्लाट

(प्लाट की लागत लाख रुपए में)

मिशन का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
बोन्न	—	—	42.029	—	—
इस्लामाबाद	18.683	—	—	—	—
कुआलालम्पुर	—	—	—	92.326	—
लिलोंग्वे	1.680	—	—	—	—
न्यूयार्क	79.200	—	—	—	—
	99.563		42.029	92.326	

कुल : 233.918 लाख रुपये।

विवरण-II

मिशन का नाम	दर्जा/उपयोग	(कीमत लाख रुपए में) 1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1. एथन्स	चांसरी	—	21.373	—	—	—
	राजदूतावास का आवास	—	—	—	51.124	—
2. ब्रसल्स	चांसरी	152.041	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	61.252	—	—
3. ब्यूनोस आइरेस	चांसरी	—	39.060	—	—	—
4. बोगोटा	चांसरी	—	10.884	—	—	—
	राजदूतावास का आवास	—	—	—	—	—
5. बोन्न	चांसरी	—	54.079	—	—	—
6. कोराकस	चांसरी	—	32.293	—	—	—
	राजदूतावास का आवास	—	37.755	—	—	—
7. कोपनहेगन	अधिकारी का आवास	—	7.662	—	—	—
8. काहिरा	चांसरी	—	—	—	—	127.200
9.	अधिकारी का आवास	—	—	—	—	17.225
10. दमिश्क	राजदूतावास का आवास	—	67.332	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
11. डब्लिन	अधिकारी का आवास	—	—	11.400	—	—
12. हांग कांग	राजदूतावास का आवास	186.400	—	—	—	—
	चांसरी	234.700	—	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	—	30.800	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	26.200	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	26.200	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	18.500	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	17.700	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.500	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.300	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.800	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.300	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.800	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	10.800	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	9.700	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	9.700	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	9.700	—	—
13. हेल्सिकी	चांसरी	—	—	33.292	—	—

1	2	3	4	5	6	7
14. हरारे	राजदूतावास का आवास	7.369	—	—	—	—
	चांसरी	—	—	10.786	—	—
	स्टाफ का आवास	9.217	—	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	—	—	—	3.409
15. कैंडी	राजदूतावास का आवास	—	—	—	10.222	—
16. थिम्पू	अन्य अधिकारी	0.001	—	—	—	—
17. खारतूम	चांसरी	—	—	84.536	—	—
18. लन्दन	अधिकारी का आवास	22.220	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	64.463	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	62.081	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	39.506	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	46.655	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	95.568	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	—	125.668	—
19. मनीला	चांसरी	—	38.089	—	—	—
20. निकोसिया	राजदूतावास का आवास	—	28.120	—	—	—
21. ओस्लो	अधिकारी का आवास	8.631	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	07.620	—	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	08.320	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	08.320	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
22. ओटावा	अधिकारी का आवास	—	—	—	24.959	—
	अधिकारी का आवास	—	—	—	12.462	—
	अधिकारी का आवास	—	—	—	13.096	—
23. पेरिस	अधिकारी का आवास	—	15.746	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	15.492	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	13.873	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	14.238	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	14.428	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	16.762	—	—	—
	स्टाफ का आवास	—	15 603	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	—	46.032	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	15.693	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	13.680	—	—
	स्टाफ का आवास	—	—	—	13.092	—
	स्टाफ का आवास	—	—	—	13.750	—
24. पोर्ट ऑफ स्पेन	स्टाफ का आवास	43.818	—	—	—	—
25. स्वात	राजदूतावास का आवास	—	35.945	—		—
26. सिओल	राजदूतावास का आवास			—	84.439	

1	2	3	4	5	6	7
27. सॉन फ्रान्सिस्को	चांसरी	—	75.625	—	—	—
	राजदूतावास का आवास	—	—	90.750	—	—
	अधिकारी का आवास	—	—	24.180	—	—
	अधिकारी का आवास	—	—	27.560	—	—
28. ट्यूनिस	चांसरी	—	—	—	—	39.500
29. वियना	चांसरी	—	73.529	—	—	—
30. वाशिंगटन	अधिकारी का आवास	36.300	—	—	—	—
	अधिकारी का आवास	—	12.705	—	—	—
	कुल जोड़	1016.590	635.860	631.161	386.084	187.334

2857.029 लाख रुपए (केवल इमारतें)

[अनुवाद]

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ठेका श्रम प्रणाली

7366. **श्री सैफुद्दीन चौधरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक सरकारी उद्यम भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ठेका श्रम प्रणाली जारी रहने के बारे में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन/शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर्मचारियों की भर्ती करता है। वहां किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी श्रमिक को लगाने की प्रणाली नहीं है। कभी-कभी कम्पनी में कुछ ऐसे कार्यों के लिए रोजगार-सेवा ठेका देने की प्रणाली विद्यमान है जिनका महत्वपूर्ण कार्यों से सीधा संबंध नहीं होता है और जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं या अस्थायी प्रकृति के होते हैं। कम्पनी ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे कार्यों के लिए ठेके मांगने की निर्धारित पद्धति का सख्ती से पालन किया जाता है।

2. अगस्त, 1985 के दौरान अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) नई दिल्ली के महासचिव ने भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ठेकेदारों के माध्यम से सफाई वालों की भर्ती के बदले उनकी नियुक्ति को नियमित करने के बारे में गाजियाबाद स्थित भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक को संबोधित पत्र की एक प्रति भेजी थी। इन पत्रों की एक प्रति भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई। कम्पनी ने सूचित किया है कि उनके पास कम्पनी की सूचियों में 71 जेनेटर हैं और फैक्टरी के कुछ क्षेत्रों में सफाई के अतिरिक्त कार्य के लिए मैसर्स सुखमिया इन्टर प्राइजिज को इस कार्य के लिए रोजगार ठेका दिया गया था।

3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के महासचिव के पत्र की एक प्रति गृह मंत्रालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से भी प्राप्त की। कम्पनी ने इस मंत्रालय से विचार-विमर्श करके नवम्बर, 1985 में वास्तविक तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को उत्तर भेज दिया था।

वर्ष 1985-86 के दौरान जारी किये गये पासपोर्ट

7367. **श्री पी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1985 से वर्ष 1986 में आज तक देश में कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान अमरीकी महावाणिज्य दूत द्वारा अमरीका के लिए कितने वीजा जारी किए गए;

(ग) उनमें से कितते बीजा कर्नाटक में रहने वालों के लिए जारी किए गए; और

(घ) क्या यह सच है कि कर्नाटक के लोगों को बीजा प्राप्त करने के लिए मद्रास अथवा बम्बई के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) 1 जुलाई, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान 10,01,765 पासपोर्ट जारी किए गए।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) बंगलौर में अमरीका का कोई कौंसुली कार्यालय नहीं है और अमरीका के लिए वीजा नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास अथवा भारत में उसके कौंसुली कार्यालयों से लेना पड़ता है।

सांपों का अवैध मारा जाना

7368. **प्रो० के० बी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांपों की खाल के लिए सांपों को अन्धाधुन्ध मारा जा रहा है; और

(ख) सांपों के इस प्रकार अन्धाधुन्ध मारे जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, समय-समय पर सांपों को गुप्त रूप से मारे जाने तथा सांपों की खाल के व्यापार के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) सांपों की सभी प्रजातियों की वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शिकार करने तथा व्यापार या वाणिज्य करने पर कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है और जब सांपों के गैर-कानूनी मारे जाने की घटनाओं का पता चलता है तब इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कारंवाई की जाती है। व्यापार के लिए सांपों को पकड़ने हेतु राज्य भी लाइसेंस जारी नहीं कर रहे हैं। सांपों की सात प्रजातियों जिनकी खालें वाणिज्यिक रूप से प्रमुख हैं, को वन्यप्राणी तथा वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (सी० आई० टी० ई० एस०) के परिशिष्ट-3 के अन्तर्गत शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सख्त नियन्त्रण हैं और भारत से होने वाला गैर-कानूनी प्रेषण, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सकता है और उसे अन्य देश, जो वन्य प्राणी तथा वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के सदस्य हैं, में पकड़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों और बम्बई में तस्करी का माल पकड़ा जाना

7369. **श्री आर० एम० भोये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों और बम्बई में भारी मात्रा में तस्करी का माल पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए तस्करी के माल की क्षेत्र-वार मात्रा और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) एक जनवरी से 31 मार्च, 1986 की अवधि के दौरान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों और बम्बई में पकड़ी गई तस्करी वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) 9 व्यक्ति पंजाब में और 282 व्यक्ति बम्बई में गिरफ्तार किए गए ।

विवरण

क्षेत्र	पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण	पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत
पंजाब	(1) सोना	25,000
	(2) चरस	16,56,000
	(3) अफीम	1,40,000
	(4) दवाईयों का पाउडर	40,000
	(5) हिरोइन	11,00,00,000
बम्बई	(1) सोना	7,53,70,000
	(2) घड़ियां	78,66,000
	(3) सिंथेटिक कपड़े	2,99,10,000
	(4) खतरनाक दवाइयां	11,52,54,000
	(5) मुद्रा	90,92,000

[अनुवाद]

उड़ीसा में आदिवासियों के कल्याण के लिए माइक्रो परियोजनाएं

7370. **श्री हरिहर सोरन :**
श्री राधा कान्त दिगाल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी माइक्रो परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) उन आदिम आदिवासी कबीले के नाम क्या हैं जिनके लिए ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक कबीले में अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है;

(घ) ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा राज्य में 11 माइक्रो परियोजनाएं चल रही हैं।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। राज्य को सभी माइक्रो परियोजनाओं के लिए वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान क्रमश: 52.04 लाख रुपए, 52.04 लाख रुपए और 55.00 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की गई। मंत्रालय द्वारा राशियां माइक्रो परियोजनावार जारी नहीं की जातीं।

विवरण

क्र०सं०	माइक्रो परियोजना	कुल कितने ग्रामों के लिए	लाभान्वित परिवार	प्रदान की गई निधियां (रु० लाख में) एस० सी० ए० में से	ई० आर० आर० पी० में से	कुल	शुरू की गई योजनाएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	पांड़ी भूनिया डवलपमेंट एजेंसी (जिला धेमकानाल)	27	732	14.26	1.25	15.51	कृषि बागवानी भूमि संरक्षण पशुपालन जैसे क्षेत्रों में आय अर्जक और परिवारों को लाभ देने वाली आर्थिक विकास की योजनाएं, तथा शिक्षा लघु, सिंचाई पेय जल आपूर्ति, संचार और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास।	
2.	बोंडा डवलपमेंट एजेंसी (जिला कोरापुट)	32	685	31.00	1.25	32.25		
3.	डोंगरिया कोंध डवलपमेंट एजेंसी (जिला कोरापुट)	57	656	23.20	2.50	25.70		
4.	सोरा डवलपमेंट एजेंसी (जिला गंजाम)	26	525	27.70	1.25	28 95		
5.	सोरा डवलपमेंट एजेंसी घूम्बा (जिला गंजाम)	56	687	10.40	1.25	11.65		
6.	लंजिया सोरा डवलपमेंट एजेंसी (जिला गंजाम)	21	813	31.12	1.25	32.37		
7.	कुटिया कोंध डवलपमेंट एजेंसी (जिला पुलवणी)	65	665	12.75	1.25	14.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	जोंग डवलपमेंट एजेंसी (जिला केओफार)	20	632	28.15	1.25	29.40	
9.	पोढ़ी भूमिया डवलपमेंट एजेंसी (जिला सुन्दरगढ़)	21	620	16.52	1.25	17.77	
10.	लांजिया सोरा डवलपमेंट एजेंसी (जिला कोरापुट)	8	विवरण उपलब्ध नहीं है।	2.88	—	2.88	
11.	लोधा डवलपमेंट एजेंसी (जिला मयूरभंज)	1985-86 में चालू किया, विवरण उपलब्ध नहीं है।					

मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों का उत्थान

7371. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ा वर्ग देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की गई ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत के महापंजीकार द्वारा वर्ष 1981 में जनसख्या की जातिवार योजनाबद्ध गणना शुरू की गई थी तथा 1931 में बन्द कर दी गई, इसलिए 1931 के बाद जनसंख्या के जातिवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा श्री बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में स्थापित आयोग ने, इस धारणा के आधार पर कि पिछली आधी शताब्दी में विभिन्न जातियों, समुदायों तथा धार्मिक समूहों की जनसंख्या वृद्धि की परस्पर दर लगभग समान रही है, अनुमान लगाया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग देश की जनसंख्या का बावन प्रतिशत है ।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों की कोई केन्द्रीय सूची नहीं है, न ही अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई है । कुछ राज्य सरकारों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने अपनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्प्यूटरों का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग

7372. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 32 मेगाबाइट कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में साम्यपूंजी की भागीदारी की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने इस प्रकार के 32

मेगावाइट के कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने के लिए किसी भी विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं प्रदान किया है। किन्तु, सरकार ने विदेशी सहयोग से 32 बिट या उससे ऊपर की लम्बाई के शब्द के कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने के लिए दो प्रस्तावों पर विचार किया है।

(ख) मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) के बड़े आकार (मेनफ्रेम) के कम्प्यूटरों शब्द की लम्बाई 60 बिट के विनिर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स कन्ट्रोल डेटा इण्डो एशिया कम्पनी के साथ तथा सुपर मिनी कम्प्यूटरों (शब्द की लम्बाई 32 बिट) के विनिर्माण के लिए नार्वे की मैसर्स नोर्स्क डेटा ए० एस० के साथ विदेशी सहयोग करने का प्रस्ताव है। नइ दोनों मामलों में किसी भी विदेशी साम्यापूंजी की सहभागिता का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मैसर्स कंट्रोल डेटा के साथ शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत साइबर 80/810 तथा 830 के रेंज की प्रणालियों का विनिर्माण किया जाएगा तथा ई० सी० आई० एल० का विचार अगले पांच वर्षों में लगभग ऐसी 350 प्रणालियों के विनिर्माण करने का है।

मैसर्स नोर्स्क डेटा के साथ कार्यक्रम अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले एन० डी० 580/550/560 तथा :70 रेंज की प्रणालियों का विनिर्माण किया जाएगा तथा ई० सी० आई० एल० का विचार अगले पांच वर्षों के लिए ऐसी 250 प्रणालियों के विनिर्माण करने का है।

कुटिया कन्धास परिवारों के कल्याण के लिए योजनाएं

7373. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में फूलबानी तथा अन्य आदिवासी जिलों में रहने वाले कुटिया कन्धास परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या कितनी थी, और यह अनुमान कब लगाया गया था;

(ग) माइक्रो परियोजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं; और

(घ) उन क्षेत्रों के विकास के लिए जहां कुटिया कन्धास लोग रहते हैं, उठाए गए तथा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकार ने 1981 में कोरापुट जिले में 2101 तथा फूलबानी जिले में 3835 कुटिया कन्धास जनसंख्या का अनुमान लगाया है।

(ख) चूंकि कुटिया कन्धा मुख्य कन्धा समूह का एक उपवर्ग है, इसलिए कुटिया कन्धास की जनसंख्या की अलग से जनगणना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) विभिन्न क्षेत्रों के तहत आय उत्पन्न करने तथा परिवारों के हित के लिए

आर्थिक विकास योजनाएं शुरू की गईं और अक्तूबर, 1985 तक इनसे 665 परिवारों को लाभ हुआ। राज्य सरकार का सातवीं योजना के दौरान व्यक्तिगत परिवार लाभ योजना के तहत परियोजना क्षेत्र में रहने वाले आदिम जनजाति समूहों के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है। परियोजना क्षेत्र में सड़क संचार, विपणन सुविधाएं, सिंचाई साधन, पेय जल सुविधाएं, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

गर्भ निरोधक टीका

7374. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान में गर्भ निरोधक टीके का विकास करने के लिए विदेशों से प्राप्त हुई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : गर्भ निरोधक टीकों के विकास का कार्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) नई दिल्ली में 1976 में आरम्भ किया गया था और इस कार्य के लिए इस संस्थान ने विदेशों से अनुसंधान अनुदान प्राप्त किए। दिसम्बर, 1983 में इस परियोजना को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एन० आई०आई०) नई दिल्ली को स्थानान्तरित किए जाने के पश्चात् विदेशी अनुसंधान अनुदान का उपयोग एन० आई० आई० द्वारा किया जा रहा है।

2. नवम्बर, 1975 से मार्च, 1986 तक प्राप्त हुई अनुदान की कुल राशि नीचे दी गई है :

(1)	इण्टरनेशनल डिवेल्पमेंट रिसर्च सैंटर, कनाडा से प्राप्त अनुसंधान अनुदान	88.58 लाख रुपए
(2)	रॉकफेलर फाउण्डेशन, न्यूयार्क से प्राप्त अनुसंधान अनुदान	20.00 लाख रुपए
	कुल :	108.58 लाख रुपए

कुल 108.58 लाख रुपए की अनुदान राशि में से राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान (एन० आई० आई०) ने दिसम्बर, 1983 तक लगभग 59.27 लाख रुपए के अनुदान का उपयोग किया है। शेष का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) द्वारा पहले ही किया जा चुका था।

राष्ट्रीय भूमि प्रयोग और परती भूमि विकास परिषद्
द्वारा तैयार की गई कार्य योजना

7375. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भूमि प्रयोग और परती भूमि विकास परिषद् ने फरवरी, 1986 में हुई अपनी पहली बैठक में जो कार्य योजना (राज्यवार) तैयार की है उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितनी परती भूमि का उपजाऊ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इसका पूंजीगत परिव्यय क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को यदि कोई भूमिका सौंपी गई है तो वह क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद् ने 6 फरवरी, 1986 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कार्यकारी योजना की विस्तृत रूपरेखा सभा-पटल पर संलग्न विवरण-I के रूप में रखी जाती है। यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होती है।

(ख) परती भूमि के विकास हेतु राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-II के रूप में सभा-पटल पर रखे जाते हैं। बहरहाल इन लक्ष्यों में संशोधन किए जाने की सम्भावना है।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित स्त्रोतों से निधियां उपलब्ध हैं :

निधियों का स्रोत	करोड़ रुपयों में
1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना निधियां	200
2. ग्रामीण-विकास विभाग के गरीबी-उन्मूलन एवं क्षेत्र विकास कार्यक्रम	250
3. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड	50
कुल	500 (लगभग)

कार्यक्रम के घटक के अलावा जिसे गैर-सरकारी संस्थाएं कार्यान्वित करेंगी, वृक्षारोपण एवं परती भूमि विकास कार्यक्रम अधिकांश तथा राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित किए जाएंगे।

विवरण-I

(I) परती भूमि का अभिनिर्धारण

प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी परती भूमि के अभिनिर्धारण की जरूरत है चाहे वह वन क्षेत्र, राजस्व सामान्य भूमि या निम्नीकृत फार्म भूमि है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन परती भूमियों का 5 प्रतिशत 1986-87 की कार्य योजना के लिए तथा 20 प्रतिशत का 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वृक्षारोपण, चरागाह विकास तथा वन आधारित उद्योगों हेतु अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए।

(II) नोडल अभिकरण

इस समय अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। उनको एक समन्वित तथा एकीकृत तरीके से निपटाने की तात्कालिक जरूरत है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा ऐसे कार्यक्रमों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु एक समन्वित अवधारणा हेतु राज्य सरकारों को एक नोडल अभिकरण स्थापित करना चाहिए।

(III) बीज

प्रत्येक राज्य में एक राज्य बीज निगम है। किसानों को वाणिज्यिक आधार पर आपूर्ति के लिए, इन निगमों को चारे की घास तथा फलों के बीजों की पैदावार को शामिल करके, कार्य में विस्तार करना चाहिए।

(IV) प्रत्यक्ष बीजरोपण

प्रत्यक्ष रूप में बीजों की अधिकाधिक जरूरत को प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। यदि नमी को रखने वाली पलवार या हाइड्रोजेल से आच्छादित बीजों का प्रयोग होता है तो वे उच्च उत्तर-जीविका की दर सुनिश्चित कर सकते हैं।

(V) भूमि को पट्टे पर देना

राज्य सरकारों को ग्रामीण-निर्धनों एवं वन आधारित उद्योगों को वन एवं गैर-वन की परती भूमि को पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्तों को स्पष्ट करना चाहिए।

(VI) शहरी ईंधन लकड़ी एवं हरित पट्टी

शहर एवं कस्बे ईंधन लकड़ी के प्रमुख बाजार होते हैं। बड़े शहरी केन्द्रों के आस-पास ईंधन लकड़ी एवं चारा-पौधरोपण के साथ हरित पट्टी का विकास शुरू किए जाने की जरूरत है।

(VII) निम्नीकृत वन क्षेत्र

प्रत्येक राज्य वन विभाग को मृदा सुरक्षा व रक्षार्थ तथा बहुत कम लागत के साथ निम्नीकृत साफ हुई वन भूमि को फिर से वनों में परिवर्तित करने के लिए अभिनिर्धारण करना चाहिए। इन क्षेत्रों का चारे एवं फलों वाले बीजों का स्थानीय समुदायों के उपयोग के लिए विकीर्ण कर सकते हैं। वन विभाग की वार्षिक योजनाओं में साफ हुए क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु विशेष योजनाएं शामिल की जानी चाहिए ताकि हर साल अनुमानतः 1.0 मिलियन हैक्टेयर साफ हुए वन, हरित आच्छादन में फिर से लाया जा सके।

(VIII) इनको पहले की अपेक्षा वृक्षारोपण कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होना चाहिए। वन विकास निगमों को निम्नीकृत वन क्षेत्र में तथा परती भूमि के बाहर की ओर दोनों में ही ईंधन लकड़ी तथा चारे की पौधरोपण प्रारम्भ करना चाहिए। उनको इस सम्बन्ध में बैंक ग्राह्य स्कीमों का क्रियान्वयन करना चाहिए। 21 वन विकास निगमों द्वारा ईंधन लकड़ी एवं चारा प्रजातियों का 0.5 मिलियन हैक्टेयर में वृक्षारोपण का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

(IX) वन आधारित उद्योग

वन आधारित उद्योगों को अपने बन्दी-पौधरोपण हेतु परती भूमि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्ष 2000 तक सिर्फ कागज उद्योग को ही 21 लाख हैक्टेयर में बन्दी पौधरोपण करने की जरूरत होगी। यह या तो सयुक्त क्षेत्र के निगमों के माध्यम से उपयोग-कर्ताओं उद्योगों द्वारा छोटे किसानों के साथ समझौता करके किसान सहकारी समिति द्वारा किया जा सकता है जिनको इस उद्योग हेतु कच्चे माल की उगाही के काम में लगाया जा सकता है।

(X) सरकारी विभाग

सरकारी विभाग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को जिनके पास काफी उपयोग विहीन भूमि का क्षेत्र है, इन भूमियों में पौधरोपण करना चाहिए। उनको इस क्रियाकलाप के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा मूल विभाग को इस उद्देश्य हेतु अलग से बजट/आबंटन प्रदान करना चाहिए। वन विभाग जरूरी तकनीकी मार्ग-निर्देश प्रदान कर सकता है।

विवरण II

1986-87 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण

(वन, ग्रामीण विकास तथा मृदा संरक्षण बजट से धनराशि)

क्र० सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृक्षारोपण बालपौधे-मिलियन में	सामाजिक वानिकी हजार-हेक्टेयर	फार्म वानिकी बालपौधे मिलियन में
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	560	70.0	420
2.	असम	84	10.5	63
3.	बिहार	320	40.00	240
4.	गुजरात	560	70.00	420
5.	हरियाणा	200	25.0	150
6.	हिमाचल प्रदेश	120	15.0	90
7.	जम्मू और कश्मीर	80	10.0	60
8.	कर्नाटक	560	70.0	420
9.	केरल	120	15.0	90
10.	मध्य प्रदेश	800	100.0	600

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	480	60.0	360
12.	मणिपुर	28	3.5	21
13.	मेघालय	32	4.0	24
14.	नागालैंड	40	5.0	30
15.	उड़ीसा	480	60.0	360
16.	पंजाब	120	15.0	90
17.	राजस्थान	200	25.0	150
18.	सिक्किम	20	2.5	15
19.	तमिलनाडु	240	30.0	180
20.	त्रिपुरा	32	4.0	24
21.	उत्तर प्रदेश	720	90.0	540
22.	पश्चिम बंगाल	240	30.0	180
	संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	2.5	15
24.	अरुणाचल प्रदेश	20	2.5	15
25.	चण्डीगढ़	8	1.0	6
26.	दादरा एवं नागर हवेली	80	10.0	60
27.	दिल्ली	80	10.0	60
28.	गोवा, दमन और दीव	90	10.0	60
29.	मिजोरम	160	20.0	120
30.	पाण्डिचेरी	1.9	0.5	0.9
31.	लक्षद्वीप	0.1	—	0.1
		6468	811.0	4864

1622 मिलियन बालपौधों के बराबर

6486 मिलियन बालपौधे
3.25 मिलियन हेक्टेयर के बराबर

रक्षा अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए लाभ

7376. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध के दौरान मारे जाने वाले रक्षा अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को क्या लाभ दिए गए हैं?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : रक्षा सेनाओं के युद्ध में मारे गए अफसरों के परिवारों को उदारीकृत पेंशन के लाभ दिए जाते हैं। उनको उनके पुनर्वास के लिए कुछ रियायतें एवं सुविधाएं भी दी जाती हैं। उदारीकृत पेंशन एवं रियायतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) रक्षा सेना के युद्ध में मारे गए अफसरों को दिए जाने वाले उदारीकृत परिवार पेंशन लाभ :

1. विशेष परिवार पेंशन

मृतक के परिवार को मृतक की सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने की तारीख तक या 7 वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, मृतक की मृत्यु के दिन उसके वेतन का 3/4 विशेष परिवार पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस अवस्था में शिशु भत्ता या शिशु शिक्षा भत्ता नहीं दिया जाता है।

इसके बाद विशेष परिवार पेंशन की राशि उतनी हो जाती है जो मृतक की मृत्यु के समय उसके रैंक के अनुसार देय होती। इसके अलावा उसे शिशु भत्ता और शिशु शिक्षा भत्ता भी दिया जाता है लेकिन इसके लिए पेंशन शिशु भत्ता और शिशु शिक्षा भत्ते की कुल राशि अन्तिम वेतन के 3/4 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

2. शिशु भत्ता

यदि मां जीवित न हो तो प्रत्येक बच्चे को 23 वर्ष की आयु तक प्रति माह 150 रु० और यदि मां जीवित है तो प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 100 रु० का शिशु भत्ता मिलता है।

3. शिशु शिक्षा भत्ता

शिक्षा विभाग के 24-1-72 के पत्र संख्या एफ० 17-19/71 स्कूल 11 द्वारा मंजूर शैक्षणिक रियायतें प्राप्त करने वाले बच्चों को छोड़कर इस पर होने वाला वास्तविक व्यय मिलता है लेकिन इसकी अधिकतम राशि 50 रु० प्रति माह प्रति शिशु से अधिक न हो।

4. मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान

(1) यदि मृत्यु सेवा के प्रथम वर्ष में हुई हो।	2 महीने का आखिरी वेतन
(2) यदि मृत्यु 1 वर्ष के पश्चात् लेकिन 5 वर्ष पूरे करने से पहले हो।	6 महीने का आखिरी वेतन

(3) यदि मृत्यु 5 वर्षों के पश्चात् हो	सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आखिरी महीने के वेतन का 50% लेकिन इसकी न्यूनतम राशि 12 महीनों का लिया गया आखिरी वेतन और अधिकतम राशि 50,000 रु० है।

5. परिवार उपदान

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मृत्यु उपदान के अलावा निम्नलिखित दरों पर एक मुस्त परिवार उपदान दिया जाता है :

रैंक	राशि
सैकिण्ड लेफ्टिनेंट	2000 रु०
लेफ्टिनेंट	3000 रु०
कैप्टन	4500 रु०
मेजर	6500 रु०
लेफ्टिनेंट कर्नल	8000 रु०
कर्नल	9500 रु०
ब्रिगेडियर	11000 रु०
मेजर जनरल	13000 रु०
लेफ्टिनेंट जनरल	14500 रु०
जनरल	16000 रु०

6. आश्रित पेंशन

यदि मृतक अफसर अविवाहित या बिना बच्चों वाला विधुर हो तो ऐसी स्थिति में मां-बाप की आय सीमा पर विचार किए बिना मां-बाप दोनों को विधवा को मिलने वाली पेंशन का 2/3 भाग और मां-बाप में से एक को दोनों को मिलने वाली पेंशन का 2/3 भाग मिलता है।

(ख) अन्य वित्तीय लाभ

1. सेना समूह बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ

1,80,000 रु०% की एक मुश्त राशि

2. आर्मी आफीसर्स बेनीवोलेंट फण्ड

18,000% रु० की वित्तीय सहायता

(ग) अन्य सुविधाएं

1. सेवा में मारे गए कार्मिकों के आश्रितों को सिविल पदों में रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए आरक्षणों के भी हकदार होते हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों की अन्य श्रेणियों के साथ आरक्षण नीति के अन्तर्गत वे पैट्रोलियम उत्पादों एवं खाना पकाने की गैस के लिए एजेंसियां लेने के भी हकदार होते हैं।

3. आश्रितों के लिए शिक्षा की ये सुविधाएं दी जाती हैं :

(क) शिक्षा एवं अन्य शुल्कों में छूट;

(ख) किताबों एवं स्टेशनरी की पूरी कीमत;

(ग) छात्रावास एवं वर्दी की लागत की प्रतिपूर्ति जहां ये जरूरी होते हैं।

युद्ध में मृतकों की विधवाओं के बच्चों और ऐसी ही अन्य श्रेणियों के लिए रेजीमेंटल केन्द्रों में 31 स्पेशल वार मेमोरियल अस्पताल चलाए जा रहे हैं।

4. कई राज्यों ने फालतू भूमि के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता दी है।

5. बहुत ही विशेष व्यक्तिगत मामलों में वार विरीव्ड एण्ड डिसएबल्ड सर्विसमैन स्पेशल रिलीफ फण्ड से वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर से छोड़े गए राकेटों द्वारा अध्ययन

7377. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर से वर्ष 1985-86 के दौरान कितने राकेट छोड़े गए हैं; और

(ख) इन राकेटों द्वारा क्या-क्या मुख्य अध्ययन किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से 72 राकेट छोड़े गए।

(ख) राकेटों को मुख्यत: मौसम विज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षणों और मध्य तथा ऊपरी वायुमण्डल के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए छोड़ा गया था, जैसे :

—डी-क्षेत्र के आयन मण्डलीय अध्ययन;

—समताप मण्डलीय अध्ययन; और

—मानसून के आने के सम्बन्ध में अध्ययन;

रक्षा पर व्यय

7378. डा० जी० विजय रामा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में रक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन 4 प्रतिशत कम किया जा रहा है जो कि विश्व में सबसे कम है (19 मार्च, 1986 का "हिन्दुस्तान टाइम्स);

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा पर किए जाने वाले व्यय से देश में लागत और मूल्य वृद्धि नहीं होती है; और

(ग) क्या भारत के वर्ष 2001 तक कार्मिकों और हथियारों के मामले में पूर्णतया अथवा लगभग आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा व्यय के गैर-योजना व्यय होने के कारण ऐसा समझा जाता है कि इससे मुद्रास्फीति होती है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(ग) भारत कार्मिकों के मामले में आत्मनिर्भर है। सरकार की नीति रक्षा उपस्करों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास करने की है। 2001 तक हथियारों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता किस स्तर तक प्राप्त कर ली जाएगी। यह मुख्यतः—भावी हथियार प्रणाली में होने वाले विकास, उस समय भारत के विरोधियों द्वारा हथियारों का शामिल किया जाना, भारत के वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी और संस्थानों आदि में होने वाली प्रगति पर निर्भर करता है।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना

7379. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आदर्श स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में रोजगार पैदा करने और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदर्श स्थान उपलब्ध कराने के लिये उक्त द्वीप समूह में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने पर विचार रख करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कुछ विशिष्ट किस्म के इलेक्ट्रानिकी उद्योग के स्थापना-स्थल के मामले में प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण सहायक सिद्ध होता है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से सरकार की नीतियां (हमारे देश के समस्त भागों में) उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है, सरकार की सभी नीतियों के ढांचे के अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं के आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाएगा।

बहु उद्देशीय और सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश

7380. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बहु उद्देशीय और सिंचाई परियोजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित दिशा निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग ने राज्य सरकारों और संघ राज्यों क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रशासनों को सम्बोधित योजना आयोग के दिनांक 28-10-85 के पत्र संख्या 16 (12)/85-आई० एण्ड० सी० ए० डी० की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2702/86**] जिसमें योजना आयोग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार, नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्हें जल संसाधन मन्त्रालय के केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करती है जिनकी सम्बन्धित केन्द्रीय अभिकरणों जैसे केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा जांच की जाती है। इन विशेषज्ञ निकायों द्वारा जांच पूराकर लेने के बाद केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई, बाढ़ अनियंत्रण और योजना आयोग की बहु उद्देशीय परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समिति के विचार के लिए एक समेकित टिप्पणी तैयार की जाती है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई तकनीकी संवीक्षा टिप्पणी की योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और उहु उद्देशीय परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समितियों द्वारा जांच की जाती है जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, स्कीम को तकनीकी-आर्थिक विचार से उपयुक्त पाने पर, स्कीम को योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को सिफारिश करती है तब योजना आयोग इसकी निवेश के विचारों से जांच करता है और स्कीम को योजना में शामिल करने के लिए स्कीम के सम्बन्ध में स्वीकृति पत्र जारी करता है।

देहरा में "सी एस डी" कैंटीन

7381. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा में "सी एस डी कैंटीन"

खोलने की मांग की गई है क्योंकि देहरा में सब-डिविजन में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय लिए जाने और कैंटीन के खोले जाने की सम्भावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) देहरा में एक कैंटीन नवम्बर, 1985 में खोली गई है।

योजना आयोग द्वारा स्वीकृत उड़ीसा रेल परियोजनाएं

7382. **श्री चिन्ता तणि जेना :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान योजना आयोग द्वारा विभिन्न जोनों के लिए स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो योजना आयोग की स्वीकृति के लिए अभी तक लंबित पड़ी हैं और ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ऐसी रेलवे परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिन पर योजना आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है।

(ख) इस अवधि में उड़ीसा राज्य में संबलपुर से तलचर तक नई रेलवे लाइन के निर्माण की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(ग) रेलवे परियोजनाएं रेलवे विभाग द्वारा स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी जाती हैं। इस समय, उड़ीसा राज्य में ऐसी कोई परियोजना स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास बकाया नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना	लम्बाई (कि०मी०)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु०)	निर्माण कार्य-क्रम का वर्ष	रे जो॰
1	2	3	4	5	6
I.	नई रेलवे लाइनों का निर्माण				
	1. मथुरा-अलवर	120	34.75	1983-84	केन्द्रीय

1	2	3	4	5	6
	2. ब्रह्मपुत्र पर जोगीघोपा-गुहावटी के साथ रेल व सड़क पुल	143	87.73*	1983-84	उत्तर पूर्व फ्रन्टियरं
	3. एकलाखी-बालुरघाट	110	42.85	1983-84	—वही—
	4. आदिलबाद-पिम्पलकुट्टी	21	15.08	1983-84	दक्षिण-केन्द्रीय
	5. तलचर-संबलपुर	172	57.97	1984-85	दक्षिण-पूर्वी
II. गेज परिवर्तन					
	1. पारामनी-पूरना और मुखेद आदिल-बाद परिवर्तन और पूरमा-मुखेदु सामानांतर बड़ी गेज की लाईनें	248	80.49	1984-85	दक्षिण-केन्द्रीय
III. बिजली लगाना					
	1. नागपुर-दुर्ग	265	67.15	1984-85	दक्षिण-पूर्वी
	2. बिलासपुर-कटनी	317	71.81	1984-85	दक्षिण-पूर्वी
	3. कटडी-बीना	263	63.17	1984-85	केन्द्रीय
	4. जोलारपेटाई-बंगलौर	144	24.01	1984-85	दक्षिणी
	5. टुण्डला-आगरा-बयाना	106	15.89	1985-86	उत्तरी, केन्द्रीय और पश्चिमी
	6. चंपा-गेवरा मार्ग	45	12.03	1985-86	दक्षिण पूर्वी
IV. महानगरीय परिवहन परियोजनाएं					
	1. कलकत्ता सर्कुलर रेलवे	—	35.00	1985-86	
V. उत्पादक इकाइयां					
	1. रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला	—	180.00	1985-86	

* लागत में रेलवे का भाग

परमाणु इंधन में आत्म-निर्भरता

7383. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परमाणु उर्जा रिएक्टरों द्वारा मुख्य रूप से किस इंधन का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या भारत उक्त ईंधन के मामले में आत्म-निर्भर है; और

(ग) उक्त ईंधन भारत में मुख्य रूप से किन राज्यों/स्थानों में पाया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हमारे देश में जो परमाणु बिजलीघर चालू किए जा चुके हैं उनमें से तारापुर परमाणु बिजलीघर को छोड़कर अन्य सभी में स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन का निर्माण आयातित समृद्ध यूरेनियम को काम में लाकर भारत में ही किया जाता है।

(ख) भारत प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर है।

(ग) हमारे देश के यूरेनियम के भंडारों में से अधिकांश बड़े भंडार बिहार के सिंहभूम ताम्रक्षेत्र में तथा मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मेघालय के विभिन्न भागों में हैं।

ढिल्लों समिति की रिपोर्ट

7384. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**
श्री भट्टम श्री राम मूर्ति :
श्री त्रिलोचन सिंह तुर :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1984 के उपद्रवों में पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के बारे में ढिल्लों समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो क्या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को सामाजिक हिंसा की सभी परिस्थितियों के लिये समान मानदंड अपनाने को कहा जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

1. राहत की मात्रा में समानता।

2. जो दंगा-पीड़ित व्यक्ति अभी भी अपने निवास को लौट रहे हैं उन्हें राहत।

3. राहत के भुगतान में कमियों को दूर करना।

4. राहत के वास्तविक भुगतान में बैंकों द्वारा किए जाने योग्य प्रमुख उपाय।

5. बीमा सैक्टर द्वारा दावों का निपटान।

6. विधवाओं का प्रशिक्षण के दौरान वजीफे में बढ़ोत्तरी और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

7. बोकारो में विधवाओं का पुनर्वास।

8. प्राथमिकता के आधार पर कच्चा माल।

9. बिजली के प्रभारों को छोड़ देना।

10. जो वाहन नष्ट/क्षति ग्रस्त हुए उनके रोड टैक्स माफ करना।

11. दंगों के दौरान बलपूर्वक निकाले गए किराएदारों को संरक्षण।

12. पुनर्वास के प्रयासों में स्वयंसेवी संगठनों को सहयोजित करना।

13. दंगों के दौरान दर्ज मामलों का निपटान।

14. दंगों से प्रभावित संस्थाओं द्वारा एडवांस का समायोजन और उनका मूल्यांकन पहले से ही प्रस्तुत विवरणों के आधार पर, पूरा करना।

श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार के प्रयासों में ब्रिटेन की सहायता

7385. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन विश्वविद्यालय के शिक्षा संस्थान में हाल में श्री लका की जातीय समस्या के सम्बन्ध में फोटो चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार के प्रयासों में ब्रिटेन की सहायता अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन की विशेष वायु सेवा के भूतपूर्व सदस्य श्रीलंका कातिल दस्तों को प्रशिक्षण दे रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रेटर लंदन परिषद की जातीय अल्पसंख्यक समिति के सहयोग से ईलम छात्र महासंघ और ईलम लोक क्रान्ति मुक्ति मोर्चे ने "ईलम-तमिल नेशनल फाइट्स फार सर्वाइवल" नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की। यह प्रदर्शनी 13 से 26 मार्च, 1986 तक लंदन विश्वविद्यालय में

लगाई गई थी। आयोजकों के अनुसार इस प्रदर्शनी का उद्देश्य श्रीलंका में चालू संघ पर और मौजूदा स्थिति की उत्पत्ति के इतिहास पर प्रकाश डालना था। इस प्रदर्शनी के विषयों में "राज्य आतंकवाद", "श्रीलंका के तमिलों को नरसंहार का खतरा" और "सशस्त्र सेनाओं द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन" के विषय शामिल थे।

(घ) और (ङ) श्रीलंका की सरकार अपनी सुरक्षा सेनाओं के लिए यूनाइटेड किंगडम से हथियार खरीदती रही है। ब्रिटेन की विशेष वायु सेनाओं के भूतपूर्व सदस्य श्रीलंका के विशेष कार्य बलों को प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं। ऐसी बहुत-सी खबरें मिलीं हैं कि विशेष कार्य बलों द्वारा कई ऐसी कारंवाइयों भी की गई हैं जिनके परिणामस्वरूप श्रीलंका के पूर्वी प्रदेश में निर्दोष असैनिक मारे गए हैं।

(च) सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्राधिकारियों को श्रीलंका में ब्रिटेन की विशेष वायु सेना के भूतपूर्व भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों और श्रीलंका को निरन्तर हथियारों की सप्लाई पर अपनी गहरी चिन्ता से अवगत करा दिया है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार का यह कहना है कि ये कार्मिक एक प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

फलोराइड टोक्सीसिटी और फलोरोसिस का अध्ययन

7386. डा० ओ० विजयरामाराव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 4 परियोजनाओं में प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी फलोराइड टोक्सीसीटी और फ्लोरोसिस की समस्या का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययनों की मुख्य बातें क्या हैं और उसके व्यावहारिक पहलू और प्रभाव क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काफी मात्रा में फ्लोराइड है; और

(घ) उपापचय के रोगियों और शरीर के गठन सम्बन्धी रोगों विशेषकर बच्चों और नवजात शिशुओं के सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने चिकित्सा कालेज, मेरठ तथा निवारक औषध संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से ऐसी चार परियोजनाओं पर अध्ययन किए हैं

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1974 में किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों से यह पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश में 21 जिलों में से 13 में पीने के पानी के लिए फ्लोराइड की सान्द्रता विनिर्धारित सीमा से अधिक है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी फ्लोराइड की सान्द्रता विनिर्धारित सीमा से अधि कहै।

(घ) विभिन्न अन्य उपापचय हड्डी की बीमारियों के साथ-साथ निरपवाद रूप से बच्चों में शरीर गठन सम्बन्धी फ्लोरोसिस हो जाती है। नए जन्में बच्चों, शिशुओं तथा बच्चों की चयापचयी रूप से सक्रिय तथा बढ़ती हुई हड्डियों में फ्लोराइड तेजी से एकत्र होता है। शरीर के गठन से सम्बन्धित अन्य बीमारियों में रीढ़ वृक्क, वक्ष, अस्थिसुषिरता आदि को सम्मिलित करते हुए स्नायुओं का कठिनीकरण तथा ओसटियोसक्लिरोसिस है।

विवरण

(1) हड्डी के स्पंजी भाग में अधिक निक्षेपण के कारण शरीर के विभिन्न उत्तकों में फलोराइड के लिए विभिन्न सादृश्य हैं।

(2) अधिक फलोराइड के अन्तर्ग्रहण से शरीर के सख्त व नरम दोनों उत्तकों पर प्रभाव पड़ता है।

(3) दो रसायनिक तत्वों के अनुपातों पर आधारित फलोराइड का शीघ्र पता लगाने के लिए परीक्षण का विकास किया गया है।

(4) फसलों तथा उन स्थानों जहां पर यह उगाई जाती है, के आधार पर; आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के विभिन्न गांवों में फसलों तथा वनस्पतियों की विभिन्न श्रेणियों में 0.2 से 53 मिलीग्राम तक फलोराइड संकेन्द्रीकरण पाया गया।

(5) नलगोंडा जिले 6 गांवों में जल नमूनों में फलोराइड का संकेन्द्रीकरण 0.4 से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर से भिन्न था।

(6) यह पाया गया है कि, जल के क्षारीयया तथा कैल्सियम तत्वों का फलोराइड के अनु-प्रभाव तथा इसके अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

(7) फलोरोसिस निम्न पौषणिक जनसंख्या में सर्वाधिक है।

(8) जल गुणवत्ता से फलोरोसिस के मध्य सम्बद्धता से इसके अधिग्रहण तथा उचित डिफलोरिडेशन कार्यक्रमों को अपनाने और क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

जामनगर नगरपालिका द्वारा सशस्त्र सेनाओं को पानी की सप्लाई बंद करना

7387. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाम नगर नगरपालिका ने हाल ही में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों को पानी की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है; और

(ग) क्या पानी के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण पानी की सप्लाई कनेक्शन काट दिए गए थे और यदि हां, तो क्या इस चूक के लिए जिम्मेवारी तय की गई है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जामनगर के कलेक्टर द्वारा एम ई एस के अधिकारियों की सलाह से नवम्बर 1979 में बिना लाभ हानि के पानी की जो दरें 3.90 रुपये प्रति 1000 गैलन की दर से निर्धारित की थीं उन्हें अप्रैल 1983 में जामनगर नगर पालिका ने एक तरफा संशोधित करके 9 रुपये प्रति 1000 गैलन कर दिया। पानी की दरों में हुई इस तीव्र वृद्धि को देखते हुए एम ई एस के अधिकारियों ने निगम से लेखा परीक्षित व्यय विवरणिका के आधार पर इन दरों को "बिना लाभ हानि" के आधार पर संशोधित करने के बारे में अनुरोध किया था लेकिन काफी प्रयत्न करने के बावजूद उक्त निगम ने लेखा परीक्षित विवरणिका अभी तक सप्लाई नहीं की है। लेखा परीक्षित व्यय विवरणिका की अप्राप्यता को देखते हुए एम ई एस ने संशोधित दरों पर भुगतान नहीं किया। उक्त निगम ने पानी की सप्लाई इस कारण बन्द कर दी कि बिलों की अदायगी नहीं की गई।

चण्डीगढ़ में क्वार्टरों का आवंटन

7388. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में कर्मचारियों के लिए 70 लाख रुपये से अधिक की लागत से बनाए गए 144 क्वार्टरों का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है जिससे सरकार को 40,000 रुपये प्रति मास के मासिक राजस्व का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महानियन्त्रक, रक्षा लेखा द्वारा बनाई गई आवंटन नीति, जिसमें उन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में डी० ए० डी० पूल में सरकारी आवास से अलग रखा गया है जिनका चंडीगढ़ अथवा इसके आस-पास आवास है, का सख्ती से पालन किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो चुका है। जलपूर्ति एवं बिजली के कनेक्शनों की व्यवस्था संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों द्वारा की जानी है। जो छोटी-मोटी कमियां ध्यान में आई हैं उन्हें ठीक किया जाना है। इसलिए इन क्वार्टरों का हकदार सरकारी कर्मचारियों को आबंटन नहीं किया गया। राजस्व के घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह से बन्दियों का भाग जाना

7389. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी राष्ट्रिक, जो किन्हीं आरोपों पर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बन्दी बनाए गए थे, भाग गए हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) हाल ही में दो विदेशी राष्ट्रिक श्री एलेक्सेण्डर होहेग, डच राष्ट्रिक, तथा श्री हैन्रिक क्रामपिट्ज, जर्मन राष्ट्रिक, जिन्हें रिहा किया गया था और पोर्ट ब्लेयर में ही रहने का निदेश दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर से चले गए। उन्हें अंतिम बार 11 फरवरी, 1986 को देखा गया था। उन्हें तलाश करने के सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

2. उपर्युक्त विदेशी राष्ट्रिकों को कानून के निम्नांकित उपबन्धों के तहत गिरफ्तार किया गया था :—

(i) श्री एलेक्सेण्डर होहेग :—

(i) विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946

(ii) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
(मूल आदिवासी संरक्षण अधिनियम) 1956.

(ii) श्री हैन्रिक क्रामपिट्ज :—

(i) विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946

(ii) 307/114/34/आई पी सी

(iii) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में साम्प्रदायिक तनाव

7390. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के प्रयासों की सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) हाल ही में इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लीबिया के प्रति आर्थिक प्रतिबंध लगाना

7391. श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति रीगन के लीबियाई परिसम्पत्तियों को जब्त करने और लीबिया के प्रति आर्थिक प्रतिबंध लगाने के आदेश पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या तनाव को कम करने के लिए गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के नाते भारत द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या अमरीका ने वर्ष 1981 में भी लीबिया के प्रति इस प्रकार की पाबन्दी लगाई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को लीबिया के विरुद्ध अमरीका के विभिन्न उपायों, जिनमें अन्य बातों के अलावा ताकत इस्तेमाल करने की धमकी तथा उसका इस्तेमाल किया जाना शामिल है, पर गहरी चिन्ता है।

(ख) तनावों को कम करने के लिए सरकार ने बार-बार अपनी ओर से तथा गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्युरो के माध्यम से कोई भी अन्धाधुन्ध कदम उठाने के विरुद्ध सचेत कर दिया है और यह कहा है कि स्थिति का समाधान दबाव या बल प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि बातचीत द्वारा किया जाना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक ने लीबिया के विरुद्ध अमरीका के आक्रमण की निन्दा की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इस आक्रमण की निन्दा करे और इस प्रकार की कार्रवाइयां दुबारा न होने दे।

(ग) मार्च, 1982 में संयुक्त राज्य अमरीका ने लीबिया से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लीबिया को अमरीकी उच्च-तकनीक का निर्यात कम करने की दृष्टि से अमरीका ने अपने यहां लीबिया को निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए विशेष अनुज्ञा अनिवार्य कर दी। इसमें खाद्य सामग्री और दवाइयों की सप्लाई शामिल नहीं है। सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि इन आर्थिक प्रतिबन्धों का लीबिया की अर्थ-व्यवस्था पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है।

शालीमार बाग में आग की दुर्घटना

7392. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री सोमनाथ रथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1986 को दिल्ली में शालीमार बाग में एक झुग्गी कालोनी में आग लगने से 2000 झोपड़ियां जल कर राख हो गई थीं जिनके परिणामस्वरूप 12,000 लोग बेघर हो गए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस अग्निकाण्ड में लगभग 1000 झुग्गियां जल गई थीं, जिसका प्रभाव लगभग 1080 परिवारों पर पड़ा था।

(ख) शालीमार बाग के थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/304-क के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। जांच करने पर पता चला है कि इन इन झुग्गियों में से एक झुग्गी

जिसमें एक महिला खाना पका रही थी, में आग लग गई थी। चूंकि झुग्गियां ज्वलनशील सामग्री से बनी थीं अतः आग बहुत जल्दी से फैल गई थी।

विद्युत प्रेषण योजनाओं की स्वीकृति

7393. श्री चिन्तामणि जेना :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी विद्युत प्रेषण योजनाएं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कीं;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृति की गई विद्युत प्रेषण योजनाओं की संख्या तथा ब्योरा क्या है;

(ग) योजना आयोग के पास अभी भी स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी विद्युत प्रेषण योजनाओं की संख्या तथा ब्योरा क्या है; और

(घ) उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई विद्युत प्रेषण योजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	योजनाओं की संख्या
1983-84	10
1984-85	16
1985-86	24

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

(ख) उक्त अवधि में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	योजनाओं की संख्या
1983-84	4
1984-85	5
1985-86	19

उपर्युक्त में, 1983-84 से पहले प्राप्त की गई 3 योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक राज्य के लिए अनुमोदित विद्युत प्रेषण योजनाओं के ब्यौरे विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ग) योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए शेष विद्युत प्रेषण योजनाओं के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	योजनाओं की संख्या
1983-84	शून्य
1984-85	4 (इनमें से एक 1986-87 में पूरी की गई)
1985-86	1

योजनाओं के ब्यौरे विवरण-3 में दिए गए हैं।

(घ) जैसा कि विवरण-3 में बताया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई विद्युत प्रेषण योजना की संख्या

क्र० सं०	राज्य	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1
2.	असम	—	—	1
3.	बिहार	—	—	—
4.	गुजरात	—	—	1
5.	हरियाणा	1	—	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	1	1
9.	केरल	1	2	1
10.	मध्य प्रदेश	1	4	2
11.	महाराष्ट्र	1	—	3
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	1	—	—
14.	नागालैंड	—	2	—

1	2	3	4	5
15.	उड़ीसा	—	—	1
16.	पंजाब	—	3	4
17.	राजस्थान	1	1	3
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	1	1	1
20.	त्रिपुरा	—	1	—
21.	उत्तर प्रदेश	1	—	1
22.	पश्चिम बंगाल	1	—	1
	जोड़ :	10	16	24

विवरण-2

1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए अनुमोदित की गई विद्युत प्रेषण योजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु०)
1	2	3	4
1983-84			
उत्तरी क्षेत्र			
शून्य			
पश्चिमी क्षेत्र			
1.	मध्य प्रदेश	220 के० वी० और 132 के० वी० वर्क्स (1983-85) के लिए परिशोधित अनुपूरक रिपोर्ट	7280.00
2.	महाराष्ट्र	छठी योजना 1980-85 (भाग 4) के लिए महाराष्ट्र में ई० एच० वी० प्रेषण प्रणाली	6276.40

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
	3. कर्नाटक	अनुपूरक छठी योजना प्रेषण योजना	**2262.00
पूर्वी क्षेत्र			
	4. बिहार	अतिरिक्त छठी योजना प्रेषण योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान	**1834.91
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
शून्य			
1984-85			
उत्तरी क्षेत्र			
	1. पंजाब	रोपड़ तापीय परियोजना चरण 1 से संबद्ध प्रेषण प्रणाली	3034.00
	2. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में 132 के० वी० और उससे ऊपर के अनुपूरक छठी योजना प्रेषण और ट्रांसफोरमेशन वर्क्स	22173.00
पश्चिमी क्षेत्र			
शून्य			
दक्षिणी क्षेत्र			
	3. आन्ध्र प्रदेश	छठी योजना की 220 के० वी० और 132 के० वी० अनुपूरक प्रेषण योजना रिपोर्ट	**8306.00
	4. कर्नाटक	सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित प्रेषण कार्य लेकिन अग्रिम कार्यवाही छठी योजना में की गई	1740.00
	5. तमिलनाडु	छठी योजना अनुपूरक प्रणाली	5824.10

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
	शून्य		
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
	शून्य		
1985-86			
उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	छठी योजना के दौरान हरियाणा में 132 के० वी० और 66 के० वी० पर अनुपूरक छठी योजना प्रेषण और ट्रांसफोरमेशन वर्क्स	2111.00
2.	हरियाणा	हरियाणा में 220 के० वी० पर सातवीं योजना प्रेषण कार्य	8311.00
3.	हिमाचल प्रदेश	220 के० वी० खोदरी के लिए परियोजना रिपोर्ट मंजरी एस०/सी० लाईन	368.361
4.	हिमाचल प्रदेश	मजरी में 220 के० वी० उप स्टेशन	519.825
5.	पंजाब	आर० टी० पी० चरण-2 से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	4327.00
6.	राजस्थान	अनुपूरक छठी योजना प्रेषण और ट्रांसफोरमेशन वर्क्स	10672.00
7.	राजस्थान	जयपुर में 400 के० वी० उप-स्टेशन	1638.00
8.	राजस्थान	220 के० वी० कोटा जयपुर एस०/सी० लाईन (तीसरा सरकिट)	782.50
पश्चिमी क्षेत्र			
9.	मध्य प्रदेश	400 के० वी० भिलाई-बरसर डी०/सी० लाईन	4959.03
10.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश का सातवीं योजना प्रेषण प्रस्ताव (भाग 1)	6890.00
11.	मध्य प्रदेश	बंसागर एच० ई० परियोजना से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	1495.00

1 2	3	4
12. मध्य प्रदेश	इटारसी-भोपाल के बीच 400 के० वी० प्रेषण परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट	3742.00
दक्षिणी क्षेत्र		
13. केरल	छठी योजना अतिरिक्त प्रेषण प्रणाली	4687.66
14. केरल	लोअर पेरियार एच० ई० परियोजना से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	4825.36
15. केरल	सातवीं योजना के दौरान केरल में प्रति-क्रिया मुआवजे की आवश्यकता	2030.00
16. तमिलनाडु	तूतीकोरिन टी० पी० एस० चरण-3 से प्रेषण प्रणाली का निष्क्रमण	2536.86
पूर्वी क्षेत्र		
17. पश्चिम बंगाल	400 के० वी० कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल में अनुपूरक छठी योजना प्रेषण परियोजना	3701.00
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
18. मेघालय	132 के० वी० ग्रिड उप-स्टेशनों, और पावर स्टेशनों, स्विचयार्डों के परिशोधन संवर्धन और विस्तार और नई 132 के० वी० प्रेषण लाइनों के निर्माण की परि-योजना रिपोर्ट	246.00
19. त्रिपुरा	132 के० वी० और 66 के० वी० प्रेषण प्रणाली त्रिपुरा की सातवीं योजना स्कीम रिपोर्ट	1465.00

** 1983-84 से पहले प्राप्त।

विवरण-3

योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी विद्युत प्रेषण योजनाओं की संख्या और ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)	कारण
1	2	3	4	5
		1983-84		
		शून्य		
		1984-85		
उत्तरी क्षेत्र				
1.	पंजाब	मुकेरियन ए० ई० परियोजना से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	1133.00	मुकेरियन एच० ई० परियोजनाओं से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय मामलों के समाधान के लिए अनुशासित लम्बित पड़े औपचारिक निवेश के मामले
दक्षिणी क्षेत्र				
2.	तमिलनाडु	उत्तरी मद्रास टी० पी० एस० से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	1693.33	16-4-1986 को अनुमोदित
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
3.	नागालैण्ड	डोयांग एच० ई० पी० से सम्बद्ध 132 के० वी० प्रेषण लाईन के लिए परियोजना रिपोर्ट	437.00	राज्य की अनुमोदित विद्युत क्षेत्रक योजना में 1985-86 और 1986-87 के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यदि पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध होगा तो स्कीम पर अनुवर्ती वार्षिक योजनाओं में विचार किया जाएगा।
4.	नागालैण्ड	डोयांग पावर के उपयोग के लिए कोहिमा और	244.00	राज्य की अनुमोदित विद्युत क्षेत्रक स्कीम में 1985-86 के लिए

1	2	3	4	5
		मोकाकचुंग में 132 के० वी० उप-स्टेशनों की परियोजना रिपोर्ट		कोई प्रावधान नहीं था। स्कीम के लिए 1986-87 में 50 लाख रु० का प्रावधान है। निवेश अनुमति संसोधित की जा रही है।
		1985-86		
उत्तरी क्षेत्र				
1. पंजाब		गुरुनानक देव तापीय परियोजना चरण-3 से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली	1955.00	सृजन स्कीम को अनुमोदन प्रदान करने तक इस स्कीम का अनुमोदन अस्थगित कर दिया गया है।

राज्यों द्वारा योजना आबंटन की राशि का उपयोग

7394. श्री बी० तुलसी राम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में योजना आबंटन की पूरी राशि खर्च नहीं की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों में आबंटन से अधिक धनराशि खर्च कर दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के लिए उन्हें अधिक धनराशि मंजूर की जाए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार का विचार उनकी मांग को किस सीमा तक पूरा करने का है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

वार्षिक योजना—1985-86—राज्य

(करोड़ रु०)

राज्य	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कालम 2 से कालम 3 की भिन्नता
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	810.00	959.27	(+)149.27

1	2	3	4
2. असम	410.00	410.00	—
3. बिहार	851.00	954.76	(+)103.76
4. गुजरात	804.00	805.52	(+) 1.52
5. हरियाणा	480.00	443.78	(—) 36.22
6. हिमाचल प्रदेश	177.00	177.17	(+) 0.17
7. जम्मू और कश्मीर	260.00	278.14	(+) 18.14
8. कर्नाटक	651.00	651.00	—
9. केरल	355.00	380.20	(+) 25.20
10. मध्य प्रदेश	1170.00	1165.63	(—) 4.32
11. महाराष्ट्र	1700.00	1711.00	(+) 11.00
12. मणिपुर	70.00	70.00	—
13. मेघालय	75.00	75.00	—
14. नागालैण्ड	65.00	65.00	—
15. उड़ीसा	450.00	486.23	(+) 36.23
16: पंजाब	500.00	502.77	(+) 2.77
17. राजस्थान	430.00	430.00	—
18. सिक्किम	41.00	43.84	(+) 2.84
19. तमिलनाडु	960.00	1017.46	(+) 57.46
20. त्रिपुरा	86.00	95.48	(+) 9.48
21. उत्तर प्रदेश	1642.00	1662.95	(+) 20.95
22. पश्चिम बंगाल	675.00	675.50	(+) 0.50
जोड़—राज्य	12662.00	13060.75	(+)398.75

सिक्किम का क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा किए गए अनुसंधान के साथ सम्बद्ध किया जाना

7395. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट ने पूर्वोत्तर पहाड़ियों के लिए जावा-सिट्रोनेला तेल की उन्नत किस्मों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका सिक्किम सहित सभी क्षेत्रों में प्रयोग प्रारम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिट्रोनेला तेल के लिए कुटीर उद्योगों का भी विकास किया गया है और इन क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सिक्किम को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के विशेषकर जोरहाट प्रयोगशाला, जोरहाट में किए जाने वाले सभी अनुसन्धान कार्यों से सम्बद्ध किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर-पूर्वी भारत के अनेकों क्षेत्रों में इनको प्रारम्भ किया गया है। सिक्किम में इसे प्रारम्भ करने के लिए एक उद्यमी के साथ बातचीत की जा रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सिट्रोनेला के लिए कुल खेतिहर भूमि 6,000 एकड़ से भी अधिक है। तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 400 टन है और पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या दस हजार से ज्यादा है। इन समस्त गतिविधियों को देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचाया जा रहा है।

(च) क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०), जोरहाट सहित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा किए गए अनुसन्धान का लाभ सिक्किम में उपयोग करने के लिए उपलब्ध है। परिषद् द्वारा विकसित की गई किसी भी प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् उद्यमियों या सिक्किम की राज्य सरकार को समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगी।

भारतीयों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी नागरिकता

7396. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीयों ने वर्ष-वार और देश-वार विदेशी नागरिकता प्राप्त की;

(ख) उन भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके मूल निवासियों ने विदेशी नागरिकता प्राप्त की; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के कितने कर्मचारियों ने विदेशी नागरिकता प्राप्त की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) यह जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकांश सरकारें अपने देश की राष्ट्रीयता लिए जाने के बारे में अन्य सरकारों को सूचित नहीं करतीं। हम इस मामले को अन्य सरकारों के साथ उठा रहे हैं। कुछ देश अपने यहां दोहरी राष्ट्रीयता प्रणाली के कारण अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं तो कुछ अन्य देश अपने गोपनीयता कानूनों का उल्लेख करते हैं जिनके अनुसार विदेशी सरकारों को ऐसी जानकारी देने पर प्रतिबन्ध है।

(ख) उपरोक्त (क) की स्थिति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है।

(ग) कोई नहीं। भारतीय विदेश सेवा आचरण और अनुशासन नियमों के अन्तर्गत इस सेवा के सदस्यों को विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन देने अथवा विदेशी नागरिकता लेने का अनुमति नहीं दी जाती है।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग के कामगारों के स्वास्थ्य को खतरा

7397. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रानिकी उद्योग के कामगारों के स्वास्थ्य को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में अब तक ऐसे कितने मामले आए हैं और उनकी चिकित्सा कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि इस उद्योग में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न न हो;

(घ) क्या सभी निर्माण प्रतिष्ठानों को कारगर उपचारात्मक कदम उठाने के लिए निदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले की निगरानी करने वाले प्राधिकार का नाम क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) दिनांक 7 नवम्बर, 1983 को लखनऊ के दैनिक स्वतन्त्र भारत में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार जो लखनऊ के औद्योगिक विष विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रकाशित "औद्योगिक विष-विज्ञान बुलेटिन" के 8 अगस्त, 1983 के अंक में छपे "इलेक्ट्रानिक उद्योग में स्वास्थ्य के लिए खतरे" नामक लेख पर आधारित था इलेक्ट्रानिकी उद्योग मे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर सीसा, केडिमियम, एण्टिमनी, जस्ता (जिंक) आदि सामग्रियों प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उस लेख के अध्ययन से पता चलता है कि यह मूलतः व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए खतरों से सम्बन्धित विदेशी साहित्य की समीक्षा है, जो अत्याधिक घने औद्योगिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के इलेक्ट्रानिक उद्योगों में

ही उत्पन्न हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी मामलों में यही बातें हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर सीधे लागू होती हो। इस सम्बन्ध में और आगे सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

राज्य योजना बोर्ड

7398. श्री मूलचन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां योजना बोर्ड अथवा किसी भिन्न नाम से ऐसे ही निकाय हैं और उनके सदस्यों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं और उनके चयन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार राज्यों के योजना बोर्डों में संसद सदस्यों जैसे जन-प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक समझती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य के योजना बोर्ड अपनी योजनाएं बनाने से पूर्व जिला स्तर पर कार्यरत जिला परिषदों से योजना की रूप-रेखा मांगते हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राज्य योजना बोर्डों के गठन से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। ये बोर्ड राज्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इनमें विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रखा जाता है।

(ख) 1972 में राज्य सरकारों को अपनी योजना व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सलाह देते हुए उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि राज्य स्तर पर एक शीर्षस्थ (एपेक्स) योजना निकाय होना चाहिए जिसमें मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री, योजना मन्त्री और विभिन्न विभागों और विषयों के तकनीकी विद्वान होने चाहिए।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने राज्य योजना बोर्डों में लोगों के प्रतिनिधि शामिल किए हैं।

(घ) राज्य सरकारें, जहां कहीं ये तैयार हो गई हो, जिला स्तर से योजनाएं मंगवाती है, और राज्य योजना में इन्हें समाकलित करती है।

विवरण

राज्य योजना बोर्ड-गठन 20-9-1985 को

राज्य/ अध्यक्ष	उपाध्यक्ष/ वाइस चैयरमैन	सदस्य-सचिव	सदस्य पूर्ण कालिक	अंश कालिक	जोड़ (कालम 1 और 2 को छोड़कर)	संसद सदस्य/ विधान सभाओं के सदस्य/ अन्य के प्रतिनिधि	गठन (तारीख)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश/ मुख्य मन्त्री	सरकारी (पूर्ण कालिक)	सचिव (योजना और वित्त)	—	5	5	—	5-11-83 मान्यता चल रही है।
2. असम/ राज्य-पाल	राज्यपाल के मुख्य सलाहकार	योजना और विकास आयुक्त	—	6	6	—	—
3. बिहार/ मुख्य मन्त्री	पूर्ण कालिक अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष के साथ योजना मन्त्री वाइस-चैयर-मैन है।	सदस्य (सामाजिक सेवाएं) पूर्ण कालिक सदस्य सचिव है।	4	8	12	—	—
4. गुजरात/ मुख्य मन्त्री	वित्त और योजना मन्त्री वाइस चेयरमैन है।	उ० न०	नहीं बताया गया।	1	—	—	12-9-80 को पुनर्गठन किया गया 31-3-85 से काम करना बन्द कर दिया। पुनर्गठन विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5. हरियाणा/ मुख्य मंत्री	विधान सभा सदस्य (मन्त्रीमण्डल मन्त्री के स्तर का (पूर्ण कालिक)	उप सचिव (योजना)	नहीं बताया गया	—	16	अभी नामित किया जाना है	1984 में पुनर्गठित किया गया।
6. हिमाचल प्रदेश/ मुख्य मंत्री	विधान सभा सदस्य नामित किया गया	आयुक्त और सचिव (योजना)	—	18+सभी मंत्री+सभी संसद सदस्य	18+सभी मंत्री+सभी संसद सदस्य	सभी संसद सदस्य	6-11-84 को पुर्नगठित किया गया। मान्यता चल रही है।
7. जम्मू और कश्मीर/ मुख्य मंत्री	उप मुख्य मंत्री	योजना आयुक्त	—	5	5	—	15-1-85 को गठित। मान्यता चल रही है।
8. कर्नाटक/ मुख्य मंत्री	—	आयुक्त और सचिव (योजना)	—	10	10	—	29-1-83/ मान्यता चल रही है।
9 केरल/ मुख्य मंत्री	—	पूर्ण-कालिक सदस्य-सचिव	—	8	8		30-7-82 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
10. मध्यप्रदेश/ मुख्य मंत्री	सरकारी	सचिव (सामान्य प्रशासन)	7	4	11	—	1972/ मान्यता चल रही है।
11. महाराष्ट्र/ मुख्य मंत्री	उपाध्यक्ष के रूप में योजना मंत्री	सचिव (योजना)	—	6	6	—	12-4-82 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
12. मणिपुर/ मुख्य मंत्री	—	प्रधान सचिव (विकास)	—	12+सभी उपायुक्त	12+सभी उपायुक्त	—	12-7-85 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
13. मेघालय/ गैरसरकारी नामित	विधान सभा सदस्य नामित (उपाध्यक्ष के रूप में गैर-सरकारी)	संयुक्त सचिव (योजना)	—	14	14	3	12-7-85 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
14. नागालैंड/ मुख्य मंत्री	(क) योजना मंत्री (ख) वित्त मंत्री	नहीं दिया गया।	—	13	13	—	31-5-84 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
15. उड़ीसा/ मुख्य मंत्री	—	विशेष सचिव (योजना और समन्वय विभाग)	—	7	7	नहीं दिया गया	30-5-85 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
16. पंजाब/ राज्यपाल	राज्यपाल के सलाहकार	सचिव (योजना)	—	18	18	—	9-8-84 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
17. राजस्थान/ मुख्य मंत्री	योजना मंत्री	विशेष सचिव	—	11	11	6	—
18. सिक्किम	राज्य में कोई चरमोत्कर्ष (एपेक्स) योजना निकाय नहीं है।						
19. तमिलनाडु पूर्णकालिक (भूतपूर्व-मुख्य सचिव	गैर-सरकारी	सदस्य सचिव	4	12	16	—	30-7-82 को पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
20. त्रिपुरा/ मुख्य मंत्री	विधान सदस्य नामित	सचिव योजना विभाग	3	9	12	—	नवम्बर, 8→ में पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
21. उत्तर प्रदेश/ मुख्य मंत्री	उपाध्यक्ष और पूर्ण-कालिक उपाध्यक्ष के रूप में योजना मंत्री	सचिव (योजना)	—	24	24	3	दिसम्बर, 84 में पुनर्गठित। मान्यता चल रही है।
22. पश्चिम बंगाल/ मुख्य मंत्री	उपाध्यक्ष के रूप में मुख्य मंत्री के सलाहकार	नहीं दिया गया।	नहीं दिया गया।		5	—	19-6-82/ मान्यता चल रही है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर प्रयोग परियोजनाओं की स्थापना

7399. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में फ्रांस की सहायता से अनेक साफ्टवेयर और कम्प्यूटर प्रयोग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए भारत-फ्रांस सहयोग की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में गठित भारत-फ्रांस कार्यकारी दल ने, जिसका गठन भारत तथा फ्रांस के बीच इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए वर्ष 1983 में तय किए गए प्रोटोकौल (नयाचार) के ढांचे के अन्तर्गत हुआ था, अपनी तीसरी बैठक दिनांक 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में आयोजित की। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस से भारत को प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने तथा तृतीय विश्व के देशों को तकनीकी-जानकारी देने, एवं हार्डवेयर, तथा सॉफ्टवेयर विषयक सेवाएं उपलब्ध कराने के संयुक्त प्रयास करने की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि दीर्घ कालिक आधार पर पारस्परिक सहयोग करना चाहते हैं तथा अल्पकालिक एवं मध्यावधि उद्देश्यों को लेकर कार्यकारी दल ने जो ठोस परियोजनाएं तैयार की हैं उन्हें उसी परिप्रेक्ष्य में समझा और देखा जाना चाहिए।

(ग) साफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में 12 परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

(घ) कार्यकारी दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, विशिष्ट परियोजना तैयार की गई हैं तथा कार्यान्वियन अभिकरणों के सम्बन्धित प्रतिनिधियों और प्रत्येक परियोजना के मामले में भारत तथा फ्रांस के विशेषज्ञों के साथ मिलकर संचालन समिति गठित की गई है ताकि परियोजना की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी की जा सके।

भारतीय दूतावासों में मारे गए अधिकारियों के आश्रितों को अदा किया गया मुआवजा

7400. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान आज तक भारतीय दूतावासों में कितने अधिकारी मारे गए और कितने घायल हुए हैं; और

(ख) ऐसे अधिकारियों और उनके आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 28-5-1985 को चांसरी के सामने हुए एक बम विस्फोट में कम्पाला स्थित भारत के हाई कमीशन में एक सुरक्षा गार्ड को मामूली सी चोटें आई थीं।

1986 में अब तक कोई भी अधिकारी न तो मारा गया है और न ही घायल हुआ है।

(ख) चूंकि चोटें मामूली थीं अतः कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

वनस्पति का सर्वेक्षण

7401. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट निकोबार पारिस्थितिकीय संतुलन के सम्बन्ध में पोर्ट ब्लेयर की वनस्पति का हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस अध्ययन के परिणामस्वरूप विरलों स्थानीय, लुप्तप्राय और लाभकारी पौधे पुनः उठाए जायेंगे तथा देश के लिए "जीन बैंक" के रूप में उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा; और

(ग) वे अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं जिनसे इन्हें व्यावहारिक रूप दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां। मुख्य निष्कर्ष ये हैं:—

—ग्रेट निकोबार में पुष्पन पौधों की कम से कम 300 दुर्लभ प्रजातियां हैं।

—खेती किए जाने वाले पौधों की जंगली अवस्था की किस्में विद्यमान हैं जैसे कि जंगली

सुपारी, लीची, पान की बेल, केला तथा आम) जिसका कि मूल्यवान जीन संसाधनों के तौर पर उपयोग किया जा सकता है ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति उद्यान में कुछ मूल्यवान एवं दुर्लभ प्रजातियों को पहले ही लगा दिया गया है ।

(ग) निष्कर्षों से व्यंजित होता है कि इस द्वीप की वनस्पति का संरक्षण किया जाना चाहिए। मुख्य भूमि में उष्णकटिबन्धी वनस्पति बागानों में दुर्लभ प्रजातियों को लगाए जाने पर विचार करने की आवश्यकता है ।

कैदियों के कल्याण के लिए योजना

7402. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री एन० डेनिस :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस उद्देश्य के अनुरूप कैदियों के कल्याण के लिए नई योजना तैयार की है कि जेलें वास्तव में अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के लिए सुधारात्मक गृह होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई योजना क्या है; और

(ग) कैदियों के आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास में सहायता करने के लिए प्रस्तावित नई योजना किस सीमा तक सहायक होगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कैदियों के कल्याण के लिए एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित नई योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

पेंशनभोगियों को समस्याओं के सम्बन्ध में उनके साथ बातचीत

7403. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया सैन्ट्रल काउन्सेल आफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधान मन्त्री से पेंशन-भोगियों के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेंशन-भोगियों के साथ कोई बातचीत आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय देश में पेंशन-भोगियों द्वारा क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं;

(ङ) उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान देने और उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ग) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि पेंशन-भोगियों के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं होती फिर भी इस विभाग के राज्य मन्त्री तथा कर्मचारी गण पेंशनभोगियों के अभ्यावेदनों/शिकायतों को सुनने के उद्देश्य से उनके प्रतिनिधियों के अनुरोध पर और जितनी बार संभव हो पाता है उतनी बार बातचीत करते हैं।

(घ) तथा (ङ) पेंशनभोगियों द्वारा सहन की जा रही कथित कठिनाइयों का कारण घटी हुई आय, आवास की समस्याओं, जो क्षेत्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन नहीं आते उनसे इतर स्थानों पर चिकित्सीय सुविधाओं की कमी, रियायती यात्रा आदि जैसी सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप जीवन स्तर में अचानक गिरावट आ जाना है।

मौजूदा तथा भावी—दोनों प्रकार के तमाम पेंशनभोगियों के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं सहित पेंशन के ढांचे की जांच का काम चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया गया है। स्वतन्त्रता के बाद यह पहला मौका है जबकि एक उच्चस्तरीय आयोग द्वारा पेंशन के ढांचे की गहराई से जांच की जा रही है। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद आगे की कारवाई पर विचार किया जाएगा।

मेंढकों की सुरक्षा

7404. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य मेंढक की दो किस्में "राना हेकसाडेकटाइल" और "राना टिग्रिना" समाप्ति की ओर हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) ताजे जल में पाए जाने वाले खाने योग्य मेंढकों की दो प्रजातियों राना-हेक्साडेक्टाइल और राना टिग्रिना का उनकी टांगों की अत्यधिक मांग की वजह से मारा जाता है, जिसे विदेशों में स्वादिष्ट खाना माना जाता है। उनके अंधाधुन्ध मारे जाने पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से जीनस राना से सम्बन्धित ताजा पानी के मेंढकों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-5 में शामिल कर दिया गया है, जिससे प्रकृति में से मेंढकों को संग्रहीत करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक

पकड़ने के लाइसेंस को जारी करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ उनको संसाधित करने व उनका व्यापार करने के लिए भी व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त मेंढकों की ये दो प्रजातियां पादप एवं वनस्पति (सी० आई० टी० ई० एस०) की खतरे में पड़ी प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट-II में भी सूचीबद्ध हैं जो इन प्रजातियों एवं उनके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कठोरता से नियमन करता है।

कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में भारत-सोवियत संघ करार

7405. **श्री के० बी० शंकरगौड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और सोवियत संघ के बीच कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हाल ही में किए गए पंचवर्षीय करार तथा सहयोग कार्यक्रम को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : दिनांक 19 मार्च, 1986 को एक वार्षिक प्रोटोकाल तथा सहयोग के पंचवर्षीय कार्यकारी कार्यक्रम पर भारत तथा सोवियत संघ के बीच कम्प्यूटरों और इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए। विभिन्न प्रावधानों पर अमल करना एक सतत् और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 1987 में आयोजित की जाने वाली कार्यकारी दल की अगली बैठक में इस सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

वर्ष 1986 में टेलीविजन सेटों का उत्पादन

7406. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985 में कुल कितने टेलीविजन सेटों का निर्माण किया गया था;

(ख) उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1985 में एक लाख से अधिक टेलिविजन सेटों का उत्पादन किया; और

(ग) वर्ष 1986 में कितने टेलिविजन सेटों का उत्पादन किए जाने की आशा है ?

विकास और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985 के दौरान देश में 246 लाख दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण हुआ।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान जिन विनिर्माणकर्ताओं ने एक लाख से अधिक दूर दर्शन सेटों का उत्पादन किया, उनके नाम नीचे दिए अनुसार हैं :—

1. मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कंसोर्टियम प्रा० लि०, नई दिल्ली।

2. मेसर्स जुपीटर रेडियोज (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली।

3. मेसर्स रेलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, बंगलोर।

4. मेसर्स टेलिविजन एण्ड काम्पोनेंट्स प्रा० लि०, नरोदा (गुजरात)

5. मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ग) वर्ष 1986 के दौरान लगभग 25 लाख से 30 लाख दूरदर्शन सेटों का उत्पादन होने की संभावना है।

श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए निर्गुट सम्मेलन के प्रयास

7407. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्गुट सम्मेलन के सदस्य देशों के नेताओं ने श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव किया है अथवा कोई विशिष्ट प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रीलंका की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निर्गुट सम्मेलन के मंच को और अधिक कारगर ढंग से इस्तेमाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रस्ताव किए जा रहे हैं?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उपयोग करने के लिए एफ-16 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण

7408. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि इरानियों द्वारा अमरीकी दूतावास से जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की थी कि पाकिस्तान द्वारा प्राप्त एफ-16 लड़ाकू विमानों का भारत के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) ईरानियों ने तेहरान स्थित अमरीकी राजदूतावास से जो दस्तावेज जब्त किए और प्रकाशित किए उनसे यह संकेत मिलता है कि 16-17 अक्तूबर, 1979 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर पर हुई बातचीत में पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया था कि भारत उसके लिए मुख्य

खतरा बना हुआ है जिसके विरुद्ध पाकिस्तान को अपनी रक्षा योजना बनानी चाहिए और यह कहा कि एफ-16 जैसे अच्छे लड़ाकू विमान उनके पास न होना उनकी मुख्य कमजोरी है।

(ख) इसे सरकार के इन विचारों की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमरीका से जो हथियार प्राप्त किए हैं उन्हें वह भारत के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर कड़ी निगरानी रखे हुए है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

कोचीन नौसेना बेस में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करना

7409. प्रो० के० वी० थामस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन नौसेना बेस पर कितने नैमित्तिक कर्मचारियों ने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 17 अप्रैल, 1986 को 334।

(ख) 17 अप्रैल, 1986 को 80।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनें

7410. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या योजना मंत्री पर्याप्त धनराशि का आवंटन न किए जाने के कारण अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं के बारे में 5 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही 14 नई रेलवे लाइनों की चालू परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता का स्वरूप क्या है और क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले इन सभी परियोजनाओं को उदार धन-राशि आवंटित करके पूरा किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) रेलवे की सातवीं योजना में निवेशों के परियोजन के लिए "नई रेलवे लाइनों" के निर्माण के लिए चल रही परियोजनाओं को परियोजना से सम्बद्ध और सामरिक महत्व की लाइनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लाइनों, करीब-करीब पूरा होने वाली लाइनों और अन्य रेलवे लाइनों के रूप में प्राथमिकता दी गई है। "14 नई लाइन" परियोजनाओं में से जो छठी योजना में शुरू की गई थी, निम्नलिखित 5 परियोजना उन्मुख स्वरूप की होने और/अथवा सामरिक महत्व की लाइन होने की वजह से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

1. मोटूमरी—जग्यापेट्टा

2. भुज—नलिया

3. कोटा—नीमच

4. तलचर—सम्बलपुर

5. कोरापुट—रायगढ

नई परियोजनाएं शुरू करने से पूर्व, ऐसी अनिवार्य चल रही परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है जिनसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवहन क्षमता में वृद्धि होती है, ताकि अधिक समय न लगे और अधिक लागत न आये। तथापि, इस प्रकार की "नई रेलवे लाइन" परियोजनाओं के निमित्त धन-राशियों की उपलब्धता के लिए रेलवे व्यवस्था की अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना

7411. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की भांति भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी एक संसदीय समिति स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस सम्भावित तारीख तक इस प्रकार की समिति स्थापित करने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना के प्रश्न की जांच की गई थी। चूंकि सांविधिक कानून बनाने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए उनके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं समझी गई।

जहां तक असांविधिक प्रावधानों पर नजर रखने के लिए संसदीय समिति के गठन की आवश्यकता और यदि संसदीय समिति का गठन मान लिया जाता है तो, उसे सौंपे जाने वाले कार्यों का सम्बन्ध है, इस बारे में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण

7412. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सामाजिक

वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये जा रहे वृक्षों में 90 प्रतिशत अकेले कोनिफरस वृक्ष हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों में ओक जैसी नमी सोखने वाले चौड़े पत्तों की की किस्मों के वृक्ष अधिक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस क्षेत्र से प्राप्त सूचना यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत रोपे गए बालपौधों के एक बृहत् भाग में शंकधारी वृक्ष हैं। यद्यपि ऐसे बालपौधों के प्रतिशत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) कुछ कारण यह भी है कि पाइन जैसे शंकधारी प्रजातियां तुलनात्मक रूप से शीघ्रता से बढ़ती हैं और चौड़ी पत्तियों वाली प्रजातियों की तरह शंकधारी वृक्ष सामान्य रूप से चराई से क्षति के उतने संवेदी नहीं होते हैं। खुली चट्टानी ढालें जो विशाल क्षेत्र में फैली हैं, चौड़ी पत्तियों वाली प्रजातियों के पौधरोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ओक तथा अन्य चौड़ी पत्तियों वाली जैसी प्रजातियां जो विभिन्न अनेक दृष्टिकोणों से इष्टतम हैं, की वृद्धि पर बल देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कालेज भवन के निर्माण के लिए वन अधिनियम के अंतर्गत अनुमति

1413. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय को स्यालदे (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) में कालेज भवन के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर इस बीच अपनी अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) जी हां। 4 अक्तूबर, 1985 को इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) तथा (घ) इस मंत्रालय ने प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 16 अक्तूबर, 1985 को इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ अनिवार्य सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से मांगी गयी सूचना की अब तक प्रतीक्षा की जा रही है और इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उत्तर के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया गया यूरेनियम

7414. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेनियम तथा सहायक खनिज पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे खनिज पाए गए हैं तथा उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है और उनके निकालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर यूरेनियम की मौजूदगी के संकेत देने वाली विसंगतियां पाई गई हैं :

(i) **पठारी क्षेत्र :**

ललितपुर जिले में सोनराय का इलाका।

(ii) **पहाड़ी क्षेत्र :**

(क) सहारनपुर जिले में तिमली क्षेत्र का इलाका (साकुमबारी राव, नोगजिया राव, पानव, सत्यानी राव और उनसे लगा हुआ क्षेत्र)
नैनीताल और पिथोरागढ़ जिले में कथोल, दन्नोर, खोलगढ़ और उनसे लगा हुआ इलाका।

(ग) देहरादून जिले में मसूरी के समीप का पहाड़ी इलाका।

(घ) टिहरी और उत्तर काशी जिलों में इंगेडीनाला-बजरानीगढ़-बालेश्वर, बूढ़ा केदार का इलाका।

(ङ) चमोली जिले में पोखरी-तंुजी का इलाका।

(च) पिथोरागढ़ जिले में लामाई-चम्पावत का इलाका।

इन सभी इलाकों में यूरेनियम की विद्यमानता बताने वाली विसंगतियों के बारे में अन्वेषण अभी समन्वेषण के स्तर पर चल रहे हैं यथा उनसे अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इन इलाकों में कोई महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। वहां खनिज निकालने का काम शुरू नहीं किया गया है।

कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के एकक की स्थापना

7415. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० (बी० ई० एल) के प्रस्तावित एकक की स्थापना करने के लिए भूमि आदि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ किए जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ इस वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड कोटद्वार (उ० प्र०) स्थित नई यूनिट के लिए लगभग 65.9 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है। इसके लिए अपेक्षित 40 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

(ख) फैक्टरी का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है ।

(ग) इस कार्य के लिए इस वर्ष पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई ।

[अनुवाद]

आदिवासियों के कल्याण के लिए नई योजनायें

7416. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों की अपेक्षित प्रगति न होने के क्या प्रमुख कारण हैं,

(ख) आदिवासियों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के महत्व को समझने के बाद सरकार ने कोई नई योजनायें शुरू की हैं; और

(ग) यदि हां, तो नई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान जनजाति उप-योजना नीति शुरू करने के बाद से जनजाति विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है। आदिम जनजाति समुदाय, जनजाति महिलाएं और बच्चे, झूम कृषक और विस्थापित जनजाति जैसे कुछ समुदायों पर और ध्यान दिये जाने की भी आवश्यकता है। जनजातियों के वातावरण में गिरावट और निवारण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान जनजाति के विकास के लिए अन्य कदमों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं—

(1) जनजाति उप-योजना नीति के अन्तर्गत अधिक जनजाति जनसंख्या को लाने के लिए जनजाति समूहों का पता लगाना।

(2) झूम कृषकों, वन गावों जैसे संवेदनशील जनजाति समुदायों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम और जनजाति महिलाओं का विकास ।

(3) जनजाति कौशल और तकनीक को उन्नत बनाने की योजनाएं।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आवास कार्यक्रम ।

(5) आई टी० डी० पी० क्षेत्रों में रियायती दरों पर खाद्यान्न का वितरण।

(6) जनजाति सहकारिता विपणन विकास फैडरेशन की स्थापना।

जनजाति लोगों को शोषण से बचाने के लिए उपाय

7417. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जनजाति के लोगों को शोषण से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में बस्तर जगदलपुर, रायगढ़, और अन्य जनजाति क्षेत्रों में गत दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) देश में जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए विभिन्न विषयों जैसे भूमि से बेदखली, महाजनी और ऋण राहत इत्यादि पर कानून बनाए गए हैं। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने बन्धक मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 पारित किया है जो देश में सभी राज्यों में लागू है। जनजातियों को निजी शराब विक्रेताओं के शोषण से बचाने के लिए समाज कल्याण मंत्रालय ने जनजाति क्षेत्रों के लिए उत्पाद नीति पर मार्ग दर्शी निदेश जारी किए हैं। देश में कुछ राज्यों ने लघु वन उत्पाद वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किया है और राजकीय निगमों या जनजाति विकास निगमों के माध्यम से उनका विपणन करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में, बस्तर, जगदलपुर, रायगढ़ और अन्य जनजाति क्षेत्रों में जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। उन्हें आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एल० ए० एम० पी०, की स्थापना की गई है। ठेके पर आबकारी दुकानों की नीलामी बन्द कर दी गई है। वृक्षों में उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य ने मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया है। जनजातियों की भूमि को गैर-जनजातियों को हस्तांतरण करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। जनजातियों के लिए उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कार्यान्वित किया जाता है। शोषण की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए जनजातियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षा योजना सहित विभिन्न विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

जेल सुधार समिति की सिफारिशें

7418. श्री टी० बालगौड़ :
श्री एन० डेनिस :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जेलों विशेषकर केन्द्रीय जेलों के कार्यकरण में जेल सुरक्षा और कैदियों के रहन सहन के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित जेल सुधार समिति ने जेलों के कार्यकरण में सुधार और जेलों से कैदियों के भागने की घटनाओं को रोकने में सुधार के उपायों की सिफारिश की थी;

(ग) सरकार द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या जेलों में भ्रष्टाचार को कम करने तथा जेल कर्मचारियों के जेलों में बन्द अपराधियों के साथ निकट सम्बन्ध हो जाने को देखते हुए जेल कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण कर दिया जाता है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जेल सुधार समिति ने जेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए, जिसमें जेल सुरक्षा तथा संस्थागत अनुशासन शामिल है, व्यापक सिफारिशें की हैं। जेल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इन सिफारिशों को अमल में लाने की सलाह दी गई है।

अल्पसंख्यक महिला श्रमिकों सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें

7419. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक महिला श्रमिकों सम्बन्धी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनमें से राज्यों के कितने प्रतिनिधि थे; और

(ग) सरकार को प्रस्तुत की गई कार्यशाला की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अल्प संख्यक महिला श्रमिकों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में 20 और 21 मार्च, 1986 को किया गया था। इस कार्यशाला में 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अल्पसंख्यक आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं भेजी हैं।

अवैध घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर तार लगाना

7420. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ और तस्करी हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार अवैध घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा पर तार लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) सरकार, भारत-पाक सीमा पर तार लगाना आवश्यक नहीं समझती है । सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करके, अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां स्थापित करके, निगरानी बुर्जों का निर्माण और सीमा गश्त को तेज करके भारत पाक सीमा पर सतर्कता को बढ़ाने के लिए पहले ही उपाय किए जा रहे हैं ।

इस्लाम के जरिए भारत की मुक्ति

7421. श्री सुरेश कुरुप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टुडेन्ट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया द्वारा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को भड़काने वाले "इस्लाम के जरिये भारत की मुक्ति" जैसे इश्तहार समूचे केरल राज्य में लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा निवारक गिरफ्तारियां करने के अतिरिक्त त्रिचूर जिले में तीन मामले और विनाड़ जिले में एक मामला दर्ज किया गया ।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

7422. श्री जनकराज गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल का शासन लागू करने के बाद कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न थे; और

(ग) सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की

जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बलात्संग के मामलों में कार्यवाही करने के लिए कानून बनाना

7423. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलात्संग और महिलाओं पर शारीरिक प्रहार करने के मामलों में केवल महिला पुलिस अधिकारियों और महिला-न्यायाधीशों द्वारा कार्यवाही करने की व्यवस्था करने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाये जाने का विचार है; और

(ख) क्या प्रस्तावित कानून में यह व्यवस्था भी की जाएगी कि न्यायालयों में बलात्संग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई बन्द कमरों में ही हो ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 का संशोधन, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 43) द्वारा यह प्रावधान करने के लिए किया गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-क, 376-ख, 376-ग या धारा 376-घ के अधीन किसी अपराध या बलात्कार की जांच और उसका निवारण बन्द कमरे में किया जाएगा। किन्तु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो या दोनों में से किसी पक्षकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है।

अण्डमान तथा निकोबार के लिए स्थायी समिति का गठन

7424. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इनवाइरेनमेंटल सर्विसेज ग्रुप, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फन्ड, इंडिया तथा सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा "मैनेजिंग ट्रापिकल मॉइस्ट फारेस्ट्स-इनडेन्जर्ड अण्डमान्स" शीर्षक से प्रकाशित एक संयुक्त प्रकाशन की ओर दिलाया गया है, जिसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में नये विकासों के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति गठित करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि ये द्वीप समूह अनोखे तथा असाधारण पारिस्थितिक विरासत तथा उर्वर जीवन पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्डमान में पर्यावरणीय खतरे को दूर करने तथा वनों के विनाश को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) अन्दमान द्वीप समूह की जैव-संपदा और विविधता के महत्व को समझकर

योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति ने पारिस्थितिकी संरक्षण के अनुकूल द्वीपसमूह के समेकित विकास के प्रश्नों पर विचार किया है। प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिए जाने से पूर्व उनकी पर्यावरणीय दृष्टि से छानबीन की जाएगी। वन संपदा के संरक्षण को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

कल्याणी जलाशय में जल प्रदूषण

7425. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में अश्रवण और निगरानी तथा पानी में प्रदूषण कीटनाशों के निर्विषकरण हेतु तिरुपति में जैविक तरीकों सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या तिरुपति के निकट कल्याणी जलाशय के जल में कैलशियम और पोटाशियम आदि की मात्रा अधिक पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आयोन-एक्सचेंज पद्धतियों आदि के माध्यम से जल साफ करने की उपयुक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य निष्कर्ष ये हैं—

(i) चित्तूर और नेल्लौर जिलों में गांव के फार्मों से एकत्र किए गए धान की भूसी के नमूनों में कार्बनिक फास्फोरस और कार्बनिक-क्लोरीन अवशिष्ट की मात्रा कोडेक्स समिति द्वारा सुझाई गई तथा स्वीकार्य प्रतिदिन अंतर्ग्रहण मूल्य मात्रा से अधिक थी।

(ii) तीन सिंचाई तालाब और एक (परित्यक्त) पोखर का कीटनाशी दवा अवशिष्ट सर्वेक्षण अवशिष्ट पदार्थों के अत्यधिक निम्न स्तरों को दर्शाता है।

(iii) पार्थेनियम पत्तों के रस को जांच किए जाने वाले कीड़ों के मारने वाला पाया गया ।

(iv) मछली और चूहों के एन्जाइम स्थिति के साथ-साथ उनके उत्तकों की खुराक/समय सम्बन्धित प्रतिक्रिया के अध्ययन हेतु कुछ जैव-रसायन प्रयोग भी किए गए थे।

(ग) जल-रसायन संस्थान से मालूम होता है कि कल्याणी जलाशय के जल में अत्यधिक कैल्शियम, सोडियम, क्लोराईड, अम्लता एवं निम्न 2 संकेंद्रण हैं।

(घ) इस प्रकार के जलों में उपरोक्त संकेंद्रण स्तर आमतौर पर देखे जाते हैं। खर्चीली आयोन-एक्सचेंज पद्धतियों के माध्यम से किसी विशेष रूप से जल साफ करने की आवश्यकता नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा एलियाबाद में छापामार युद्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

7426. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री टी० बशीर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में एलियाबाद में एक छापामार युद्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा अब तक स्थापित किए गए ऐसे संस्थानों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या ये संस्थान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं। तथापि, छापामार युद्ध प्रशिक्षण देने के विशिष्ट प्रयोजन से पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र एलियाबाद में किसी संस्थान की स्थापना के बारे में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

साफ्टवेयर का अनधिकृत निर्यात

7427. डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 31 मार्च, 1986 के 'इण्डिया टुडे', में साफ्टवेयर उद्योग में अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में 'हार्ड आन साफ्टवेयर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(ग) साफ्टवेयर का अनधिकृत निर्यात रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में कम्प्यूटर साफ्टवेयर को कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अतः जहां तक भारतीय फर्मों से साफ्टवेयर के निर्यात का प्रश्न है, विदेशी फर्मों को उन्हें क्रयादेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में विकसित किए गए साफ्टवेयर उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं तथा अनधिकृत रूप से तथा उन्हें चोरी-छिपे लाया-ले जाया नहीं जा सकता।

(ग) उपर्युक्त (ख) में बताए गए अनुसार।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

7428. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारत सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में नियुक्ति में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन वर्गों के लोगों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों में उनके लिए आरक्षण करने का है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के वास्ते फिलहाल कोई केन्द्रीय सूची या आरक्षण नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों को मान्यता दिए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही ऐसा कोई आरक्षण करने के बारे में विचार किए जाने का प्रश्न उठेगा।

देश में और आंध्र प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

7429. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हैदराबाद स्थित स्वतन्त्रता सेनानियों की जांच समिति पेंशन मंजूर करने के लिए जाली मामलों की सिफारिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1972 की पहली योजना और 1980 की योजना में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने के लिए देश भर से (राज्य-वार) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) पेंशन की मंजूरी के लिए देश भर से (राज्य-वार) प्राप्त कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और कितने मामलों में मंजूरी दी गई; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त कितने आवेदन पत्रों पर मंजूरी दी गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। ऐसी शिकायतों की पूछताछ की जा रही है जिनमें जाली दावों के बारे में विशिष्ट आरोप हैं तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार इनमें कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की सं०		विचार किए गए आवेदनों की सं०	स्वीकृत मामलों की सं०
		1972 की योजना के अधीन	1980 की योजना के अधीन		
1	2	3	4	5	6
1.	असम	16445	8453	19537	4078
2.	उड़ीसा	7555	7053	13300	3772
3.	त्रिपुरा	1911	440	2331	694
4.	मेघालय	124	141	151	72
5.	मणिपुर	125	57	135	62
6.	नागालैण्ड	15	4	19	3
7.	अ० और नि०	34	59	93	38
8.	मिजोरम	3	1	4	3
9.	चण्डीगढ़	99	41	127	81
10.	दिल्ली	2199	701	2810	1838
11.	अरुणाचल प्रदेश	1	40	41	2
12.	गोवा	1908	1002	2894	684
13.	पाण्डिचेरी	1051	775	1794	280
14.	प० बंगाल	28062	47506	49020	15820
15.	उ० प्र०	24229	2740	25254	17008
16.	पंजाब	9680	2729	11691	6013
17.	हरियाणा	2029	504	2304	1399
18.	जम्मू और कश्मीर	1653	1412	2888	1627
19.	राजस्थान	1091	454	1499	678
20.	हिमाचल प्रदेश	773	401	1116	434
21.	बिहार	47894	46677	79884	21329

1	2	3	4	5	6
22.	मध्य प्रदेश	5877	2300	7851	3096
23.	केरल	9332	20737	24865	2396
24.	आन्ध्र प्रदेश	13679	7327+4759* =12086	19324+1775* =21099	6176+1137 =7313
25.	तमिलनाडु	7070	4551	11514	3829
26.	गुजरात	5636	1132	6660	3419
27.	महाराष्ट्र	18247	9270+5215* =14485	26109+1283* =27382	12957+1194 =14151
28.	कर्नाटक	12911	4817+991* =5808	16041+529* =16570	9096+436 =9532
29.	आई० एन० ए	29561	5104	31643	18701

*सीमा शिविर मामले

[हिन्दी]

गोपनीय चीन यात्रा के रहस्य की खोज

7430. सुभाष यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 1986 के "जनसत्ता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार, भारत से चीन को गए एक तीन सदस्यीय दल, जिसमें एक अमरीकी नागरिक शामिल था, की गुप्त यात्रा के रहस्य का पता लगा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उस अमरीकी नागरिक, जो उस दल में शामिल था, के बारे में पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 फरवरी, 1986 को "जनसत्ता" में छपे समाचार में उल्लिखित प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में कोई भी अमरीकी राष्ट्रिक भारत से चीन नहीं गया।

[अनुवाद]

कच्छ की रन का रेगिस्तान में बदलना

7432. डा० बी० एल० शैलेश :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की रन, जो कभी एशिया की सबसे बड़ी चरागाह मानी जाती थी, स्थानीय वृक्षों की किस्मों के अन्धाधुन्ध काटे जाने, जल के अन्य स्त्रोतों के अवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करने और कोरी संकरी खाड़ी से लगातार खारे पानी के आने के कारण, शीघ्र रेगिस्तान में बदलती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए केन्द्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इस बारे में कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कच्छ का रन बहुत पहले से ही लवणीय भूमि है जिस पर वृक्ष नहीं उगते हैं। केवल रन के द्वीपसमूह में वृक्ष हैं तथा यदा-कदा स्वच्छ जल मिलता है ।

(ख) कच्छ का छोटा रन केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त एक वन्यजीय अभयारण्य है तथा जिसके तहत रन तथा इस द्वीपसमूह को सुरक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार को खादिर द्वाप तथा महान रन, जिसमें यह द्वीप स्थित है, के एक हिस्से को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए सलाह दी है । यदि ऐसे अभयारण्य की स्थापना की जाती है तो, इसके बेहतर सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी ।

हैदराबाद के आर्य समाजियों के लिए स्वतंत्रता संग्रामी पेंशन

7433. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद निजाम के विरुद्ध आर्यसमाज द्वारा किए गए आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसके लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए कौन-सी अन्तिम तारीख निश्चित की गई है; और

(ग) अब तक ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आर्य समाज आन्दोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता की शर्तें वहीं हैं जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की हैं। इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 30 जून, 1986 निर्धारित की गयी है और इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट जारी किया जा रहा है।

(ग) सरकार के निर्णय के अनुसरण में अभी तक कोई नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि इस वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदनों को, जिन्हें पहले अस्वीकृत कर दिया गया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सैनानी से अनुरोध प्राप्त होने पर पुनः खोला जा रहा है।

आयुध कारखानों में कर्मचारियों की संख्या

7434. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा आयुध कारखानों में कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ प्रतिशत कर्मचारियों की छुट्टी करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो ऐसी छंटनी के लिए क्या दिशानिर्देश हैं;

(ग) इन कारखानों की उत्पादकता सम्बन्धी निष्पत्ति और कार्यकुशलता का कैसे आकलन किया जाता है; और

(घ) क्या आयुध कारखानों के उत्पाद सशस्त्र सेनाओं को बेचे जाते हैं, यदि हां, तो इसके मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं अथवा उनका कुल मूल्य सशस्त्र सेनाओं के खाते में किस प्रकार डाला जाता है?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1-12-1985 को आयुध निर्माणियों में कुल कर्मचारियों की संख्या 1,91,155 थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन उस कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्त की गई उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। हर वर्ष उत्पादन की उत्पादकता के इंडेक्स का निर्धारण उस वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है तथा कार्यक्षमता की जांच पिछले वर्ष के इंडेक्स से तुलना करके की जाती है।

(घ) आयुध निर्माणियों की बजट सेना बजट का एक भाग होता है। अतः आयुध निर्माणियों के उत्पादों को सशस्त्र सेनाओं को बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। नौसेना एवं वायुसेना को जारी किए गए सामान का मूल्य निकाल कर उसका एक ओर सशस्त्र सेना के लेखाओं और दूसरी ओर नौसेना एवं वायुसेना के लेखाओं में बुक एडजेस्टमेंट कर दिया जाता है।

ट्राइबल नेशनल वालन्टीयर्स का बंगलादेश के साथ सम्बन्ध

7435. श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री गुरुदास कामत :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में चायनीज आर्म्स थ्रू बंगलादेश टू० टी० वी० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाला गया है जिसमें यह कहा गया है कि भूमिगत ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स का बंगलादेश के अधिकारियों के साथ सम्बन्ध है और पिछले वर्ष से विदेशों में बने अति-आधुनिक हथियार उनके माध्यम से विद्रोही वर्गों को दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे भी समाचार प्राप्त हुए हैं कि टी० एन० वी० को हथियार 26 दिसम्बर के आस-पास उनके चटगांव पत्तन पर पहुंचने के बाद चटगांव स्थित 24 बंगलादेश सेना की टुकड़ी के भण्डार से दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान, (क) और (ख) पर उल्लिखित समाचार की ओर दिलाया गया है। समाचार के अनुसार, त्रिपुरा (ट्राइबल) नेशनल वालंटियर्स सीमा पर कार्य कर रहे हैं। बंगलादेश सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया। बंगलादेश सरकार ने इस प्रकार के किसी अड्डे के होने से इन्कार किया है।

बंगलादेश द्वारा टी० एन० वी० को अत्यधिक आधुनिक विदेश निर्मित शस्त्रों की आपूर्ति और 24 बंगलादेश सेना डिविजन द्वारा टी० एन० वी० को शस्त्रों के हस्तांतरण के इस समाचार की पुष्टि के बारे में किसी विशिष्ट बात का पता नहीं चला है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

7436. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने हेतु विभिन्न राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष-वार, राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी हां, श्रीमान् । कन्या छात्रावासों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कन्याओं के लिए छात्रावासों के भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। लड़कों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कन्याओं के लिए कन्या छात्रावासों की योजना सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल 281.22 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस आवंटन के योजनावार ब्यौरे को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई राशि का विवरण

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	7.00	100.00	13.75	100.00	14.00	86.77	58.00	50.00	10.00
2.	असाम	2.00	2.00	—	2.00	3.00	2.00	3.50	3.25	3.50	2.25
3.	बिहार	1.75	3.00	3.45	11.00	1.737	11.00	1.878	10.50	—	—
4.	गुजरात	2.50	6.00	1.06	6.65	3.47	8.15	—	—	3.00	2 00
5.	हरियाणा	1.00	—	—	—	0.4168	—	0.483	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.45	0.50	—	0.50	—	0.35	—	0.35	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	1.287	—	—	—
8.	कर्नाटक	1.38	0.75	3.95	0.75	28.822	0.50	—	1.68	24.006	9.42
9.	केरल	—	2.00	5.50	4.00	—	2.00	—	4.00	2.34	2.08
10.	मध्य प्रदेश	102.00	5.50	26.50	5.00	—	10.00	17.16	8.50	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	महाराष्ट्र	—	2.75	—	6.75	—	11.00	—	—	—	—
12.	मणिपुर	1.00	1.00	2.00	1.00	—	1.00	—	4.70	0.426	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	—
15.	उड़ीसा	4.00	3.50	9.74	10.00	10.00	10.00	9.26	15.00	10.98	9.00
16.	पंजाब	0.75	—	0.75	—	0.75	—	1.00	—	0.78	—
17.	राजस्थान	1.725	2.00	1.74	2.00	0.58	2.00	1.158	3.11	1.95	6.25
18.	सिक्किम	—	—	2.225	—	—	—	—	—	1.575	3.90
19.	तमिलनाडु	50.00	1.50	50.00	1.00	15.862	2.00	42.22	3.38	—	—
20.	त्रिपुरा	—	1.50	—	2.50	0.926	2.00	2.072	1.50	2.03	—
21.	उत्तर प्रदेश	6.00	0.50	100.00	1.60	—	2.00	—	2.00	40.56	—
22.	पं० बंगाल	5.00	2.00	10.00	2.85	5.32	10.00	—	2.00	—	5.75
	जोड़ :	219.565	43.50	316.915	73.35	170.8838	90.00	166.788	119.97	140.367	50.65
	संघ शासित क्षेत्र :										
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.00
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	दादरा और नगर हवेली	—	0.50	—	0.20	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	0.50	—	0.06	—	—	—	—	—	—
31.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	4.13	—	2.52	—
	जोड़ :	—	1.00	—	0.26	—	—	4.13	—	2.52	5.00
	कुल जोड़ :	219.555	44.50	316.915	73.61	170.8838	90.00	170.918	119.97	142.887	55.65

ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स के साथ बातचीत

7437. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स द्वारा हिंसा की अपनी गतिविधियां तेज कर दिए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके साथ बातचीत आरम्भ करने का है; और

(ग) क्या सरकार को ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स से पांच सूची मांग-पत्र सहित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स की हिंसक गतिविधियों के बारे में सरकार को जानकारी है ।

(ख) और (ग) सरकार को ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स से कोई प्रस्ताव अथवा मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स से बातचीत का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे हिंसक गतिविधियों से शामिल होने के अतिरिक्त अलगाव-वाद का प्रचार कर रहे हैं ।

त्रिपुरा में ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स के गुरिल्ला छापामारों द्वारा हत्यायें

7438. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स के गुरिल्ला छापामारों द्वारा की गई हत्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) तथा (ख) : सरकार को त्रिपुरा में टी० एन० वी० द्वारा की गई हत्याओं सहित, हिंसक घटनाओं की जानकारी है जिनका लक्ष्य मुख्यतः लोगों में आतंक फैलाना, शस्त्र छीनना, धन ऐंठना तथा जातीय तनाव उत्पन्न करना है ।

(ग) चालू वर्ष में इस सम्बन्ध में 5 टी० एन० वी० उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है ।

विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

7439. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी विशेष संघटक योजना के लिए वर्ष-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए किए गए इस प्रकार के आवंटन में केन्द्रीय सरकार का कितने प्रतिशत हिस्सा था; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग) विशेष संघटक योजना केवल अनुसूचित जातियों के विकास के लिए है। इसलिए, विशेष संघटक योजना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) विशेष संघटक योजना पूरी तरह से राज्य योजनाओं में से है इसलिए केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तथापि, विशेष केन्द्रीय सहायता जो 100% अनुदान है, और जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं और कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

विवरण

(करोड़ रु० में)

क्र०सं० राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
	एस० सी० पी०	व्यय	एस०सी०पी०	व्यय	एस०सी०पी०	व्यय	एस०सी०पी०	व्यय	एस०सी०पी०	व्यय
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आन्ध्र प्रदेश	44.10	36.71	51.84	40.11	63.67	54.00	139.51	101.32	127.51	102.47
2. असम	1.74	2.08	3.17	2.94	4.31	4.23	5.67	5.51	7.72	7.75
3. बिहार	38.18	33.16	50.35	45.99	58.77	30.58	43.58	35.08	76.77	45.94
4. गुजरात	23.82	13.52	25.06	18.40	17.58	20.66	19.08	22.72	26.90	26.90
5. हरियाणा	28.51	22.97	34.71	27.43	24.63	21.24	28.14	27.33	31.07	22.18
6. हिमाचल प्रदेश	6.79	5.39	11.70	10.67	10.16	13.34	15.40	13.87	15.75	15.75
7. जम्मू और कश्मीर	एस०सी०पी०	तैयार नहीं की गई	एस०सी०पी०	तैयार नहीं की गई	0.86	उ०नहीं	6.14	उ०नहीं	9.50	9.25
8. कर्नाटक	59.95	44.00	52.45	48.69	63.39	58.75	53.14	44.69	70.20	70.07
9. केरल	17.28	13.36	21.08	16.16	15.59	15.55	20.75	22.55	28.74	20.74
10. मध्य प्रदेश	40.29	34.77	43.77	33.28	48.71	46.55	46.98	43.02	59.10	60.04
11. महाराष्ट्र	22.76	20.86	42.65	27.82	31.01	32.30	30.81	28.56	43.91	43.91
12. मणिपुर	0.49	0.36	0.89	0.60	0,90	0.46	0.78	0.60	8.12	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	उड़ीसा	15.09	18.59	28.62	22.59	11.57	20.99	27.25	34.73	31.81	31.58
14.	पंजाब	28.57	21.62	21.48	17.98	20.50	17.84	23.47	22.84	23.33	23.33
15.	राजस्थान	40.10	27.55	32.07	37.33	30.73	27.43	40.31	44.08	53.62	48.54
16.	सिक्किम	—	0.04	0.27	0.07	[illegible].41	0.13	0.44	0.02	0.74	0.05
17.	तमिलनाडु	67.75	36.22	80.91	74.85	103.41	88.23	76.01	64.97	123.01	उ०नहीं
18.	त्रिपुरा	1.90	1.95	3.20	3.22	4.61	3.66	5.78	5.85	8.04	8.11
19.	उत्तर प्रदेश	61.12	55.04	103.31	86.49	121.00	61.78	117.60	122.51	135.90	162.99
20.	प० बंगाल	38.51	10.45	43.85	9.43	29.17	9.29	36.44	34.89	57.00	57.06
21.	दिल्ली	10.44	5.09	9.82	9.84	11.92	28.75	12.87	13.25	21.35	21.35
22.	चण्डीगढ़	एस०सी०पी० तैयार नहीं की गई		0.64	0.50	0.99	0.85	1.52	1.24	1.54	1.55
23.	पाण्डिचेरी	1.55	1.44	2.34	2.01	2.60	2.50	2.93	2.92	4.82	4.04
24.	गोवा, दमन और दीव	एस०सी०पी० तैयार नहीं की गई		एस०सी०पी० तैयार नहीं की गई		0.30	0.17	0.26	0.34	7.67	0.43
	जोड़ :	547.84	394.71	664.23	536.42	675.76	559.28	754.86	692.89	974.12	785.05

टिप्पणी : ऊपर दी गई सारणी में दिए गए आंकड़ों में मामूली सा अन्तर हो सकता है।

[हिन्दी]

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

7440. श्री विजय कुमार यादव : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष (1985-86) के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शामिल है, का मासिक और त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

(ख) मासिक प्रगति रिपोर्टों में दी गई मदों के लिए अप्रैल, 1985-फरवरी, 1986 के दौरान राज्यवार और मदवार निष्पादन दर्शाने वाले विवरण-पत्रों का एक सैट सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2703/86]

(ग) भारत सरकार, कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए, समय-समय पर राज्यों के साथ मामले को उठाती है।

[अनुवाद]

वक्फ बोर्डों का कार्यकरण

7441. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "वक्फ फंड टू बीराई गवर्नमेंट होप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(ग) देश में, विशेषकर राजधानी में वक्फ बोर्डों का प्रभावशाली कार्यकरण सुनिश्चित करने और उनके वित्तीय कार्यकरण के सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड की वित्त सम्बन्धी टिप्पणी यद्यपि सुप्रतिपादित (वेल

फाउन्डेड) नहीं है, तथापि वस्तुस्थिति यह है कि वक्फों और वक्फ बोर्डों के कार्य चालन से सुधार की गुंजाइश है। वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य वक्फ बोर्ड सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिन्हें बोर्डों के कार्य चालन की देखरेख करने का अधिकार है। वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां बोर्ड द्वारा अनुकरण की जाने की नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्देश जारी करने तक सीमित है। परन्तु आम लोगों से सम्बन्धित मामलों को हल करने के लिए वक्फ प्रशासन की सहायता करने में केन्द्रीय सरकार रुचि रखती है।

वक्फ बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत सांविधिक अंशदान है जो वह प्रत्येक वक्फ से उनकी निवल वार्षिक आय से प्राप्त करता है। यदि वक्फों के स्रोत अधिक उत्पादक बनाए जा सकें तो इससे बोर्ड की आय में तदनुरूपी वृद्धि होगी। इस सन्दर्भ में वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सलाहकार संस्था, केन्द्रीय वक्फ परिषद, वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को उनकी शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए ऋण देती है। यह ऋण इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त वार्षिक सहायता अनुदान के आधार पर दिया जाता है।

गोवा, दमन और दीव के प्रवृत्त पुर्तगाली कानून और डिक्रियां

7442. श्री शांताराम नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र में गोवा, दमन और दीव में कई पुर्तगाली कानून तथा डिक्रियां प्रवृत्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें अब तक भारतीय कानूनों से न बदले जाने के क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) गोवा, दमण और दीव संघ शासित क्षेत्र में लागू पुर्तगाली कानूनों का पुनरीक्षण करने और इसी के समान भारतीय कानूनों को लागू करने का मामला संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित समिति के विचाराधीन है। वर्तमान पुर्तगाली कानूनों को बनाए रखने या न रखने के बारे में समिति की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है।

विवरण

गोवा, दमण और दीव संघ शासित क्षेत्र में लागू पुर्तगाली कानूनों का विवरण

1. स्टेट्यूट डॉस फंक्शनलिस्मो अल्ट्रामरीनो

2. कोड ऑफ कम्यूनिडडेस

3. पोर्टारिया नं० 7012 डेटेड 17-9-57 रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडीज आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा एण्ड एक्सह्यूमेशन ऑफ द कॉर्पस

4. रेगुलमेंट डे माजानिआस डिप्लोमा लेजिस्लेटिव नं० 645 डेटेड 30-3-1933 (एज अमेंडेड बाय डिप्लोमा लेजिस्लेटिव नं० 1898 डेटेड 19-5-1959)

5. रेगुलामेंटो डे कंट्रू विकाओ प्रेडिअल लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1785 डेटेड 7-4-1958

6. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1789 डेटेड 15-4-1968 रेगुलामेंटो डे इंपोस्टो कंप्लीमेंटर सोबरे ऑस रेंडीमेंटोस

7. कोडिगो डॉ रजिस्टो सिविल

8. डिक्री नं० 473 डेटेड 20-12-1899 लाइसेंस पर इस्पेक्टकुलोटीट्राल

9. डिक्रीटे लेइ नं० 41077 आर्ट 7(1) ओनली रिगार्डिंग इश्यू ऑफ आइडेंटिटि कार्ड्स टु प्राइवेट पर्सन्स ऑर द परवज ऑफ पब्लिक एंप्लायमेंट

10. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं 1452 रिगार्डिंग पॉयजन्स कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज

11. डिक्रीटो नं० 3461 रिगार्डिंग मैरिज इन द यूनियन टैरिटरी

12. कंवेंसाओ डे 12-6-1912 रिगार्डिंग कंफ्लिक्ट्स इन द मैटर ऑफ मैरिज

13. डिक्रीटो डेटेड 3-11-1910 लेइ डॉ डाइवॉर्सिआ

14. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1847 डेटेड 6-11-1950 रिगार्डिंग सर्विसेज ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन

15. डिक्रीटो नं० 43899 डेटेड 3-9-1961 रिगार्डिंग रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेवरल सर्विसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज प्रोविंसेज एण्ड प्रोटारिया नं० 18714 डेटेड 6-9-1961 रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द लैंड रजिस्ट्रेशन, कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन 'प्रोप्रिडेड ऑटोमोबेल' रजिस्ट्रेशन सिविल रजिस्ट्रेशन एण्ड नोटरी ऑफिसेज

16. कोडिगो सिविल पोर्टगीज

17. डिक्रीटो नं० 2 डेटेड 25-12-1910 रिगार्डिंग लेइ डॉ प्रोटेकाओ ड स फिल्हास

18. कोडिगो डा यूसेज ए कंट्यूम्स डे हैबिटेंट्स नाओ क्रिस्टाओस डे डमाओ मॉडिफाइड बाय प्रोटेरिया कोडिगो डॉ रजिस्टो सिविल अप्रूव्ड बाय डिक्रीटो डेटेड 9-12-1912

19. कोडिगो डा यूसेज ए कॉस्ट्यूम्स इंडस जेंटिओस डे गोवा डेटेड 16-12-1880

20. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 743 डेटेड 18-7-1934 रिगार्डिंग द राइट टु कलैक्ट रॉयल्टी बाय रिवर नेविएशन डिपार्टमेंट फॉम केनोइमैन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय केनोयस ऑर कंट्री क्राफ्ट्स एट द रिवर क्रासिंग्स व्हेन द फेरी सर्विसेज आर रन डिपार्टमेंटली

21. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 790 डेटेड 4-6-1935 व्हिच एम्पॉवर रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट टु इंट्रोड्यूस न्यू फेरी सर्विसेज विद मैकनाइज्ड क्राफ्ट्स व्हेयर दीज आर लीज्ड आउट बाय द म्यूनिसिपैलिटीज फॉर कैरिज ऑफ पैसेंजर्स बाय केनोयस ऑर कन्ट्री क्राफ्ट्स

22. डिक्री नं० 37570 डेटेड 3-10-1949 रिगार्डिंग इलेक्शन आफ मेनेजिंग कमेटी ऑफ देवस्थान इन केसेस नॉट प्रोवाइडेड इन द देवस्थान रेगूलेशन

23. सैक्शन्स 653 टु 765 ऑफ रिफोर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अल्ट्रामरीना व्हिच हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय सैक्शन 10 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1965

24. सैक्शन 169 ऑफ लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 178 डेटेड 7-4-58 आर/डब्ल्यू सैक्शन 3 ऑफ द लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1835 रिगार्डिंग अपील्स रिलेटिंग टु असेसमेंट ऑफ लैंड टैक्स

25. सैक्शन 31 ऑफ द लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1635 रिगार्डिंग अपील्स रिलेटिंग टु असेसमेंट ऑफ द कंप्लीमेंटरी ऑन लैंड टैक्स

26. सैक्शन 1 एण्ड 2 ऑफ द लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1650 डेटेड 31-9-56 रीड विद सैक्शन 663 ऑफ रिफार्म एडमिनिस्ट्रेटिव अल्ट्रामरीना रिगार्डिंग अकाउंट्स प्रोसिडिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एण्ड अप्रूवल ऑफ रेसिप्ट्स एण्ड एक्सपेंडीचर

27. लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं० 1884 डेटेड 14-4-1960 रिगार्डिंग गवर्निंग ऑफ प्रोवेडोरिआ

28. पार्टगीज वाटर सप्लाई बाय ए लाज एज रेगूलेटेड बाय पोटोरिआ नं० 6802 डेटेड 10-12-1956 एण्ड पोर्टारिआ नं० 704 डेटेड 10-10-1957

29. प्रोटारिआ नं० 1988 पर्टेनिंग टु प्रोहिबिशन ऑफ कंसट्रक्शन ऑफ पर्मानेंट नेचर बिदइन सर्टेन डिस्टेंस फॉम हाइ टाइड लाइन

30. पोर्टारिआ नं० 340 डेटेड 1-6-1923 रिगार्डिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ 100 मीटर फॉम द बाउन्ड्री वाल ऑफ सेमेट्री इन सिटीज एण्ड विलेजेस ऑफ गोवा एज फ्री जोन

31. रेगूलामेंट डा कंपीटमिआ डॉस पोर्टेस (कैप्टेन आफ पोर्ट रेगूलेशंस) अप्रूव्ड बाय डिक्री डेटेड 9-11-1912,

32. पोर्टारिआ नं० 4749 डेटेड 30-9-1948 एज अमेंडेड बाय पोर्टारिआ नं० 5191 एण्ड 5510 डेटेड 18-1-52 एण्ड 13-6-1952 रेस्पेक्टिवली रिगार्डिंग टेबल ऑफ फीस फॉर कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ वेसेल पोर्ट क्लीअरन्स, एक्जामिनेशन ऑफ मास्टर्स एण्ड ड्राइवर्स एण्ड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग नेट्स एटसट्रा

33. डिप्लोमा नं० 644 एण्ड 144 रिगार्डिंग लीगल क्लेम ऑफ फॉरेस्ट्स

34. नोटरीअल कोड (कोडिगो नो टोरिअल) डिक्री नं० 8373 डेटेड 18-9-1961 डिप्लोमा लेजिस्लेटिव नं० 2095 डेटेड 26-6-1961

35. लैंड रजिस्ट्रेशन कोड (कोडिगो डे रजिस्टो प्रेडिअल) अप्रूव्ड बाय डिक्री टु ले नं० 42565 डेटेड 8-10-1959

36. डिप्लोमा नं० 1842 रिगार्डिंग रिकवरीज ऑफ ओल्ड माइनिंग केसेस

37. डिप्लोमा लेजिस्लेटिव नं० 1701 कॉमबाट फिलपिआ

38. डिप्लोमा लेजिस्लेटिव नं० 1468 रिगार्डिंग रेगूलेशन्स ऑफ मेडिकल एण्ड नर्सिंग प्रोफेशन

39. कोडिगो डेंटोलोजिको प्रोटेरिया 5882

40. पोटेरिया 6326 टेबलेट ऑनरेरीज मेडिकोज

41. कोडिगो डॉस युसेस कॉस्ट्यूस डास इन्हेबिटेंट्स नाओ क्रिस्टाओस डे दीव कोड ऑफ द यूसेजेस एण्ड कस्टम्स ऑफ द नॉन क्रिश्चियन इन्हेबिटेंट्स ऑफ दीव, अप्रूव्ड बाय पोर्टरिआनो 24 डेटेड 10-1-1894

42. डिक्री नं० 2007 डेटेड 7-7-1960 रिगार्डिंग शेयरिंग आफ पेंशन अमंग गवर्नमेंट एण्ड दीज ऑटोनॉमस बॉडीज

43. मोंटेपिओ डे डिक्री नं० 24026 डेटेड 21-6-1934

[1. Estatute Dos Funcionalismo Ultramarino.

2. Code of Communidades.

3. Portaria no. 7012 Dated 17-9-57 Regarding Transportation of Dead Bodies Outside the District of Goa and Fxhumation of the Corpse.

4. Regulament De Mazanias Diploma Legislative No. 645 Dated 30-3-1933 (as Amended by Diploma Legislative No. 1898 Dated 19-5-1959.)

5. Regulamento De Contrubicao Predial Legislative Diploma No. 1785 Dated 7-4-1958.

6. Legislative Diploma No. 1789 Dated 15-4-1958 Regulamento De Imposto Complementar Sobre Os Rendimentos.

7. Codigo Do Registo Civil.

8. Decree No. 473 Dated 20-12-1899 Licence Para Espectaculo Teatral.

9. Decreete Lei No. 41077 Art. 7(1) Only Regarding Issue of Identity Cards to Private Persons for the Purpose of Public Employment.

10. Legislative Diploma No. 1452 Regarding Poisons Controlled by the Directorate of Health Services.

11. Decreto No. 3461 Regarding Marriage in the Union Territory.

12. Convencao Dated 12-6-1912 Regarding Conflicts in the Matter of Marriage.

13. Decreto Dated 3-11-1910 Lei Do Divorcia.

14. Legislative Diploma No. 1847 Dated 6-11-1950 Regarding Services of Civil Registration.

15. Decreto No. 43899 Dated 3-9-1961 Regarding Reorganisation of the Several Services of Registration of Overseas Provinces and Protaria No. 18714 Dated 6-9-1961 Regarding Classification of the Offices of the Land Registration, Commerical Registration 'Propridade Automovel' Registration Civil Registration and Notrry Offices.

16. Codigo Civil Portuguese.

17. Decreto No. 2 Dated 25-12-1910 Regarding Lei Do Protecao Das Filhas.

18 Codigo Da Usese E Contumes De Habitantes Nao Cristaos De Damao Modified by Portaria Codigo Do Registo Civil Approved by Decreto Dated 9-12-1912.

19. Codigo Da Uses E Costumes Indus Gentios De Goa Dated 16-12-1880.

20. Legislative Diploma No. 743 Dated 18-7-1934 Regarding the Right to Collect Royalty by River Naviation Deptt. from Canoeman for Transportation of Passengers by Canoes or Country Crafts at the River Crossings When the Ferry Services are Run Departmentally.

21. Legislative Diploma No. 790 Dated 4-6-1935 Which Empower River Navigation Department to Introduce New Ferry Services with Mehanised Crafts where these are Eased out by the Municipalities for Carriage of Passengers by Canoes or Country Crafts.

22. Decree No. 37570 Dated 3-10-1949 Regarding Election of Managing Committee of Devasthan in Cases not Provided in the Devasthan Regulation.

23. Sections 653 to 765 of Reforma Administrative Ultramarina which have not been Replaced by Section 10 of Administrative Tribunal Act, 1965.

24. Section 169 of Legisiative Diploma No. 178 Dated 7-4-58 R/W Section 3 of the Legislative Diploma No. 1835 Regarding Appeals Relating to Assessment of Land Tax.

25. Section 31 of the Legislative Diploma No. 1635 Regarding Appeals Relating to Assessment of the Compiementary on Land tax.

26. Section 1 and 2 of the Legislative Diploma No. 1650 Dated 13-9-56 Read with Section 663 of Reforma Administrative Ultramarina Regarding Accounts Proceedings of Institution and Approval of Receipts and Expenditure.

27. Legislative Diploma No. 1884 Dated 14-4-1960 Regarding Governing of Provedoria.

28. Portugues Water Supply by Laws as Regulated by Portaria No. 6802 Dated 10-22-1956 and Portaria No. 704 Dated 10-10-1957.

29. Portaria No. 1988 Pertaining to Prohibition of Construction of Permanent Nature within Certain Distance from Hightide Line.

30. Portaria No. 340 Dated 1-6-1923 Regarding Observance of 100 Mts. from the Boundary Wall of Cemetry in Cities and Villages of Goa, as free zone.

31. Regulament Da Capitnia Dos Portes (Captain of Port Regulations) Approved by Decree Dated 9-11-1912.

32. Portaria No. 4749 Dated 30-9-1948 as Amended by Portaria Nos. 5191 and 5510 Dated 18-1-52 and 13-6-1952 Respectively Regarding Table of Fees for Construction Registeration, Licencing of Vessele Port Clearanees, Examination of Masteis and Drivers and Licensing of Fishing Nets etc.

33. Diploma No. 644 and 144 Regarding Legal Claim of Forests.

34. Notarial Code (Codigo No Torial) Decree No. 8373 Dated 18-9-1961 Diplòma Legislative No. 2095 Dated 26-6-1961.

35. Land Registration Code (Codigo De Registo Predial) Approved by Decree to LE No. 42565 Dated 8-10-1959.

36. Diploma No. 1842 Regarding Recoveries of Old Mining Cases.

37. Diploma Legislative No. 1701 Combate Filaria.

38. Diploma Legislative No. 1468 Regarding Regulations of Medical and Nursing Profession.

39. Codigo Dentologico Protaria 5882.

40. Portaria 6326 Tableade Honararies Medicos.

41. Codigo Dos Uses E Costumes Das Inhabitants Nao Cristaoes De Diu (Code of the Usages and Customes of the Nonchristian Inhabitants of Diu, Approved by Portaria No. 24 Dated 10-1-1894.

42. Decree No. 2007 Dated 7-7-1960 Regarding Sharing of Pension Among Covernment and these Autonomous Bodies.

43. Montepio De Decree No. 24026 Dated 21-6-1934.]

[हिन्दी]

बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए काम

7443. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेसहारा बच्चों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और यदि हां, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन बच्चों को साक्षर बनाने तथा उनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) निराश्रित बच्चों के लिए अलग से कोई साक्षरता कार्यक्रम नहीं है। उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए सातवीं योजना में 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए विधान

7444. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के ऐसे व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिनमें 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं, के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई विधान बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म का विधान पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है और कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार, बम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 (1953 का बम्बई अधिनियम 40) जो महाराष्ट्र राज्य में लागू है, को संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू किए जाने के बाद, अधिनियम में व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करने का प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों/नियोक्ताओं तथा सरकार से अंशदान प्राप्त करके निधि एकत्र करना है। निधि का उपयोग कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों में होने वाले खर्चों को वहन करने में किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं औचित्य का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को अनुमति दी है। आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं ? श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि मेरे क्षेत्र में······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसके मुतअल्लिक है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : जी हां, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करिए मुझे कालिंग-अटेंशन दीजिए या डिस्कशन के लिए दीजिए, जिसमें हो सकता हो। तो मैं आपका पता भी करवा लूंगा और आपको मौका भी दे दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने औचित्य का एक प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोप्रायटी तो लोगों के मन की बातें हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : हमें इस तरह से नहीं टाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : टालने का सवाल नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप तो हमारी बात तक नहीं सुनते।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

प्रो० मधु दंडवते : हम यहां सार्वजनिक महत्व के मामलों—औचित्य के प्रश्न और स्थगन प्रस्ताव—को उठाने के लिए हैं। आपको हमारी बात अवश्य सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए। महोदय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए·········

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। जिस मामले को आप ले रहे हैं उस पर आप बोलना शुरू करें इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इन सबके लिए हमारे पास स्पष्ट तथ्य और कुछ आंकड़े होने चाहिए जिन पर हम निर्भर कर सकें। हमें प्रैस से कुछ बात मिली नहीं कि तुरन्त हम उसे संसद में उठाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सरकार को हमें बताना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मेरी बात सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम प्रैस पर निर्भर रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमें तथ्य बताए।······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुरूप जी, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। यही नियम है। आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

मुझे एक सीधी सी बात कहनी है। अगर किसी सदस्य या मन्त्री के खिलाफ कुछ कहना है है तो एक निश्चित नियम है और जिन तथ्यों का आप उल्लेख करेंगे वे लिखित प्रमाण पर आधारित होने चाहिए। हम इस तरह से नहीं कर सकते। प्रोफेसर कल यह प्रैस में तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, मेरे खिलाफ जा सकता है। जो नहीं। मैं इस तरह से नहीं चलने दूंगा। अगर मूलतः ऐसी कोई बात है जो आप······

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप कैसे कह सकते हैं? आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा मत करिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : हमने आपको अदालत की कार्यवाही दी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अदालती कार्यवाही नहीं है। मैं बोल रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप बैठ जायेंगे ताकि मैं एक निवेदन कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी करूंगा। कुछ और नियम हैं जिनके अन्तर्गत आप ऐसा कर सकते हैं ताकि मैं सूचना प्राप्त करके मामले को आपके सामने रख सकूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन का सवाल नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, अदालत में कहा गया है कि किर्लोस्कर ने एक जर्मन कम्पनी ली थी जिसके······*·······* निदेशक हैं।

अध्यक्ष महोदय : होंगे।

प्रो० मधु दंडवते : दो विफलताएं हैं।** निदेशक नहीं बने रह सकते जबकि वास्तव में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं। प्रवर्त्तन निदेशालय ने मन्त्री जी पर मुकदमा नहीं चलाया। यह दूसरी विफलता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर निदेशालय उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाता तो मैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : प्रवर्त्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। अदालत में ले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो निदेशालय के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : दो विफलताएं हैं। एक मन्त्री द्वारा अनौचित्य है।......**.......... को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है। यह उन पर निर्भर है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : दूसरे, प्रवर्त्तन निदेशालय को उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया है।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चला सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष जी, डी० डी० ए० वर्कर्स एसोसिएशन के 10-12 आदमी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके बारे में पहले भी मैं ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। लेकिन..........(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : पीयरलेस के 50 कर्मचारी केन्द्र सरकार से यह मांग करने के लिए दिल्ली में हैं......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुमारी ममता बनर्जी को अनुमति दी है। आप सदस्यों को धोखा नहीं दे सकते। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे कुछ देंगे और अगर मुझे पता चला कि प्रथम दृष्टया

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मामला बनता है तो सूचना के लिए कहूंगा, तथ्य प्राप्त करूंगा और फिर आपसे बात करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुमारी ममता बनर्जी को अनुमति दी है। मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूं? महोदय, क्या आप मेरे निर्णय की अवहेलना कर सकते हैं? मैंने उन्हें अनुमति दी है। आपने सूचना दी है तो उससे आपको इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति नहीं मिल गई है। क्या यह आपको अनुमति देता है? यह मेरे ऊपर है।

कुमारी ममता बनर्जी : पीयरलेस इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन निवेश के 50 हजार फील्ड वर्कर्स राज्य सरकार को यह कहने दिल्ली आए हैं कि······

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

[हिन्दी]

आप कोई डिस्कशन का, कालिंग अटेंशन का दीजिए, मैं करवा देता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने आपको नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते हैं, आपकी बात मैं सुनूंगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सूचना दे चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसे करूंगा। मुझे तथ्य प्राप्त करने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद ही प्रो० दण्डवते ने कुछ निवेदन किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने कर दिया।

[अनुवाद]

वह बात खत्म हो चुकी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री जी से सम्बन्धित मामले के बारे में प्रो० दण्डवते द्वारा किए गए निवेदनों को कार्यवाही वृत्तांत में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी नाम को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

बाकी सब कुछ है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : पदनाम को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जा सकता है। नाम को सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

[हिन्दी]

वह तो उनके देखने की बात है।

[अनुवाद]

मैं बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

प्रोप्राइटी जिसकी भी है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य श्री उन्नीकृष्णन जी प्रधान मन्त्री को लिखे अपने पत्र की प्रतियां आपको दे ही चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य का औचित्य उसी पर निर्भर करता है। औचित्य का पालन करना सदस्य के ऊपर है।

मन्त्री जी के लिए तो है ही।

प्रो० मधु दण्डवते : जी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :...**...के मामले में क्या ऐसा नहीं हुआ। उनमें भी औचित्य के प्रश्न थे।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया सुनिए। अगर कोई सदस्य औचित्य का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह उससे कहे कि तुमने औचित्य का उल्लंघन किया है। यह बात मन्त्री जी पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अगर मन्त्री जी औचित्य का पालन नहीं करते तो इस बारे में बताना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दो अन्य मन्त्रियों के मामले में माननीय प्रधानमन्त्री ने जिस प्रक्रिया का पालन किया है क्या वह किसी और मन्त्री के मामले में लागू नहीं होनी चाहिए? **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिए तिवारी जी, क्या कहना चाहते हैं आप ?

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा गम्भीर मामले पर बोलते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मुश्किल यह है कि आप सदन में प्रो० मधु दण्डवते को ही महत्वपूर्ण समझते हैं और वह बेमतलब समय जाया करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा उनसे क्यों उलझते हैं ?

[हिन्दी]

प्रोफेसर साहब, आपने यह क्या कर रखा है ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनकी आलोचना को गम्भीरता से नहीं लेता। उसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित होने दीजिए। असंगत बातों को कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित होने दीजिए क्योंकि उनका रिकार्ड सुरक्षित रहेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को अन्तरिम राहत देने के सम्बन्ध में बछावत समिति की सिफारिश का मामला उठाना चाहता हूं। यह अपमानजनक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोला था ना। परसों डिस्कशन हुआ था इसी पर।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार को इसे नामंजूर कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : परसों इस पर पूरी चर्चा हुई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा हुई थी। आप इसे उस समय उठा सकते थे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया बताइए कि मन्त्री जी से सम्बन्धित इस मामले को हमें किस प्रकार आगे चलाना चाहिए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इसके रूल्स हैं, 353 हैं, सारा कुछ है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, प्रवर्तन निदेशालय के एक कार्मिक ने पुणे न्यायालय में रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर दिया जा चुका है। यह अप्रासंगिक है।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : महोदय, देश में टीका लगाने से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिए। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने उसे स्वीकृत नहीं किया है यह अत्यन्त गम्भीर एवं अविलम्बीय लिया जाने वाला मसला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पीयरलेस कम्पनी के 4000 क्षेत्रीय स्टाफ (फील्ड) कर्मचारियों के भाग्य······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह बोल दिया है, दुबारा क्या है।

[अनुवाद]

आप मुझे कुछ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया था कि मैं कर लूंगा।

[अनुवाद]

हम इसे करवा लेंगे।

(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, माननीय द्रोणाचार्य जी, प्रो० मधु दण्डवते···

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रो० मधु दण्डवते के लिए यह व्यवस्था का प्रश्न है?

डा० कृपासिन्धु भोई : अब उन्होंने···**···के बारे में प्रश्न उठाया है। परन्तु पहले उन्हें ···* *···को त्याग पत्र देने के लिए कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, अजमेर के पास पुष्कर में एक रंगजी का मन्दिर है,

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां राष्ट्रपति जी नहीं गए थे क्योंकि उस मन्दिर में हरिजनों को जाने नहीं दिया जाता। आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं—

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझसे आकर मिलिए जिससे आपको भी फायदा हो जाएगा।

[अनुवाद]

आप मेरे पास आइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है।

श्री बी० तुलसी राम : लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बी० तुलसी राम : मैं इस पेपर को सभा पटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग करते हैं।

(व्यवधान)

———

12.12. म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं वर्ष 1986-87 की कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2537/86]

शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं वर्ष 1986-87 की शहरी विकास मंत्रालय की

अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2538/86]

स्वदेशी कॉटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1986

संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 अप्रैल, 1986 को प्रख्यापित स्वदेशी कॉटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्या 5) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2539/86]

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) नियम, 1986

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 506 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2540/86]

डाक तथा दूरसंचार विभागों की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(i) वर्ष 1986-87 की डाक विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2541/86]

(ii) वर्ष 1986-87 के लिए दूरसंचार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय हेतु अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2542/86]

श्रम मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं वर्ष 1986-87 की श्रम मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2543/86]

रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवेलपमेंट बैंक लिमिटेड मद्रास का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रिपैट्रिएट्स कॉओपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवलेपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट बैंक लिमिटेड फाइनेंस मद्रास के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2544/86]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 607 (अ) एक तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 7 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 57/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उसमें उल्लिखित तीन मदों के विवरण में अन्तरण किया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2545/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 612 (अ), जो 8 अप्रैल, 1986 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 14 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 198/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पी०वी०सी० कम्पाउन्ड के निर्माण में प्रयुक्त पालिवाइनिल क्लोराइड रेसिन पर जब उसका प्रयोग विद्युत तारों तथा केबलों के निर्माण में किया गया हो, प्रदत्त शुल्कों का मुजरा माडवैट स्कीम के अन्तर्गत विद्युत तारों और केबलों का निर्माण करने वाले सभी एककों को किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 617 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 की भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो चाय के अपशिष्ट को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 618 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नसवार को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा०का०नि० 619 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो प्राकृतिक रबड़ लैट्क्स को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा०का०नि० 620 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना संख्या 109/75-के०उ०शु० में संशोधन किया गया है ताकि संकरे अर्ज वाले कपड़ों के वर्गीकरण को बताया जा सके।

(छः) सा०का०नि० 621 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 21 नवम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या 171/70-के०उ०शु०, 1 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 208/83-के०उ०शु०, 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 45/86-के०उ०शु०, 61/86-के०उ०शु० तथा 64/86-के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि नये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के लागू किए जाने से पहले की प्रचलित स्थिति को बहाल किया जा सके।

(सात) सा०का०नि० 571 (अ), से 576(अ), जो 2 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लघु एककों के लिए उत्पाद शुल्क छूट योजना में परिवर्तनों और उत्पाद शुल्क जिंसों के मामले में कारखानागत खपत के लिए छूट और अन्य परिवर्तनों के सिलसिले में जारी किए गए हैं।

(आठ) सा०का०नि० 581(अ) से 602(अ), जो 3 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बजट प्रस्तावों के उन कतिपय संशोधनों के संदर्भ में जारी किए गए हैं जिनकी घोषणा वित्त मन्त्री ने लोक सभा में 3 अप्रैल, 1986 को की थी।

(नौ) सा०का०नि० 604(अ), जो 4 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 27 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 105/8 -के०उ०शु० रद्द की गई है।

(दस) सा०का०नि० 606 (अ), जो 7 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 71/68-के०उ०शु०, 8 जुलाई, 1983 की अधिसूचना

संख्या 189/83-के०उ०शु० तथा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 183/84-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2546/86]

उद्योग मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगें

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं वर्ष 1986-87 की उद्योग मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2547/86]

परिवहन मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगें

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं वर्ष 1986-87 की परिवहन मंत्रालय (रेलों को छोड़कर) की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2548/86]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगें

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं वर्ष 1986-87 की पर्यावरण और वन मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2549/86]

12.13 म० प०

प्राक्कलन समिति

29वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग डिवीजन)—भारतीय स्टेट बैंक—सामाजिक बैंकिंग के बारे में प्राक्कलन समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उक्त समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.13½ म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

———

12.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और कानपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : एक अप्रैल, 1986 से 85 अप तथा 86 डाउन आसाम मेल ट्रेन के बन्द हो जाने से दिल्ली तथा कानपुर के मध्य नित्य चलने वाले हजारों यात्रियों को कोई अन्य वैकल्पिक ट्रेन न होने के कारण बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा उनमें भीषण असन्तोष व्याप्त है। आसाम मेल के स्थान पर जो 921 अप तथा 922 डाउन नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस सुपर ट्रेन चलाई गई है, वह सीधे कानपुर रुकती है और उसमें 400 किलो मीटर का प्रतिबन्ध है। इसके अतिरिक्त नीलांचल एक्सप्रेस, कालका मेल ट्रेन गाड़ियों में भी प्रतिबन्ध है जिससे सात अप तूफान मेल जो आगरा होकर आती है, उसमें अत्यधिक भीड़ होने लगी है। इसी तरह सुबह कानपुर से 12 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन के बाद शाम तक मुगलसराय के लिए तथा 7 अप तूफान के बाद दिल्ली की तरफ जाने के लिए बीच के स्टेशनों के यात्रियों के लिए कोई ट्रेन नहीं है।

12.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः रेल मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे अविलम्ब इस ओर ध्यान देकर नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था करें अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके रेलवे यात्रियों की कठिनाइयों तथा उनमें व्याप्त असंतोष को दूर करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के खानपुर शाह सलेमपुर गांव में सिंगल सुपर फास्फेट यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र का विकास बिना उद्योगों को प्रोत्साहन दिए संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं प्रदेशीय प्रयोजनाओं के

अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों का व्यापक विस्तार आवश्यक है, साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का तेजी से विस्तार हो सके और शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजी मिल सके।

इसी सन्दर्भ में मुझे सादर निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद के ही एक प्रमुख उद्यमी सिंगल सुपर फास्फेट यूनिट की स्थापना निजी क्षेत्र में करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली काफी समय से लम्बित है। मेरे पत्र के सम्बन्ध में तत्कालीन रसायन एवं उर्वरक मन्त्री महोदय ने मुझे सूचित किया था कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए निर्णय लिए गए हैं और विचार के समय इस मामले में भी निर्णय लिया जाएगा। वस्तुतः शासन यदि स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु लाइसेंस देने की उदार नीति अपना कर सहमति प्रदान करे तो इससे काफी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लग सकते हैं और उस क्षेत्र के विकास के साथ-साथ बेरोजगारी को दूर करने में सहायता मिल सकती है। अकबरपुर में थोड़ी दूर पर ही ग्राम खानपुर शाह सलेमपुर जो कि कुर्की बाजार के निकट है, काफी भूमि उपलब्ध है जहां पर ऐसे उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से जोरदार शब्दों में यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में अकबरपुर के पास ग्राम खानपुर शाह सलेमपुर में सिंगल सुपर फासफेट यूनिट की स्थापना निजी क्षेत्र में करने हेतु उदारतापूर्वक विचार करके स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे उद्योग की स्थापना हो सके एवं क्षेत्र का समुन्नत विकास हो सके।

[अनुवाद]

(तीन) थ्रेशर दुर्घटनाओं में अशक्त हुए कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री राधाकान्त डिगाल (फूलबनी): श्रीमन्, पंजाब में प्रति वर्ष गेहूं कटाई के समय 300 से अधिक कृषि कर्मकार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर दुर्घटनायें गेहूं थ्रेशरों पर कार्य करते हुए होती हैं। पिछले वर्ष पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1,000 कृषि कर्मकारों ने हाथ-पैर थ्रेशर दुर्घटनाओं में खो दिए। इनमें से ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों से गेहूं-उत्पादक राज्यों में कार्य करने आए थे। ऐसा अनुमान है कि अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के 10,000 से अधिक कृषि कर्मकार गेहूं-थ्रेशरों पर काम करते हुए दुर्घटनाओं में अपंग हुए। लेकिन इन दुर्घटनाओं के शिकार कृषि कर्मकारों को पर्याप्त सहायता, मुआवजा तथा पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; जबकि सम्बन्धित राज्यों में इस आशय के अधिनियम मौजूद हैं। जब तक इनके हितों की रक्षार्थ कुछ उपयुक्त उपाय नहीं किए जाते, तब तक ये प्रवासी कर्मकार इसी प्रकार उत्पीड़ित होते रहेंगे। अतः यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इन कृषि कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई रक्षात्मक उपाय करे। भारत सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह निदेश देना चाहिए कि अन्य राज्यों से काम करने के लिए आने वाले सारे प्रवासी कर्मकारों का बीमा कराया जाए। थ्रेशर दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार को घटिया किस्म के थ्रेशरों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इसके साथ ही, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि कोई ऐसे उपाय निकाले जिनसे किसान थ्रेशरों का असुरक्षित तरीके से उपयोग न करें। क्योंकि यह मामला देश के हजारों कर्मकार जोकि कृषि से जुड़े हुए हैं, से सम्बन्धित है, अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार इन कर्मकारों में हितों के लिए शीघ्र कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

(चार) पिपरवा गांव को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद): सम्पूर्ण विश्व में शान्ति एवं मानवता का सन्देश देने वाले महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली भारत की सीमा से सटे नेपाल के अन्तर्गत "लुम्बिनी" नामक स्थान अब तक मानी जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय पुरातत्वविदों की देखरेख में सम्पन्न हुई खुदाई से राज प्रासाद के खण्डहार भारतीय सीमा के अन्तर्गत पिपरहवा ग्राम में प्राप्त हुए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु पिपरहवा में ही अवस्थित थी। भारत सरकार की ओर से भी समय-समय पर उक्त स्थल की महत्ता को देखते हुए उसे विकसित करने की रूपरेखा के विषय में चर्चायें की गईं किन्तु अब तक उक्त अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता के क्षेत्र का विकास करने की दिशा में कोई योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई।

अतः मैं माननीय पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए टूरिस्ट बंगले, हवाई अड्डा, खुदाई से प्राप्त दुर्लभ और प्रामाणिक वस्तुओं के लिए संग्रहालय इत्यादि की अविलम्ब व्यवस्था करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में जेपुर में एक सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

*श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम का उड़ीसा राज्य के जेपुर में एक सीमेंट संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थान पर सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने की सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रस्तायित स्थान के निकट एक रेलवे साइडिंग भी है। किन्तु दुःख की बात तो यह है कि रेल अधिकारियों ने उस स्थान पर सीमेंट सयन्त्र लगाने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रस्ताव अभी तक रेल प्राधिकारियों के पास लम्बित पड़ा है।

प्रस्तावित सीमेंट संयन्त्र उड़ीसा के एक पिछड़े जिले, कोरापुट में स्थापित किया जा रहा है। यहां अधिकांशतः आदिवासी रहते हैं। यदि इस स्थान दान पर सीमेंट संयन्त्र स्थापित कर दिया जाता है तो यहां के स्थानीय शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चूंकि प्रस्तावित स्थान रेलवे स्टेशन के पास स्थित है अतः मंत्रालय की स्वीकृति के बिना सीमेंट यन्त्र उस स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

इसलिए माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर सूक्ष्मतापूर्वक पुनः विचार किया जाए तथा उड़ीसा में जेपुर में प्रस्तावित सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्र दी जाए!

---

*मूलतः उड़िसा में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(छः) फसल बीमा के लिए तालुक/ब्लाक की बजाय राजस्व गांव को परिभाषित क्षेत्र मानने और कपास, तम्बाकू, गन्ने और मिर्च को भी फसल बीमा में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अनेक राज्यों में खरीफ 1985 से बृहद फसल बीमा योजना लागू करने से वास्तव में उन किसानों की कोई सुरक्षा नहीं हो पाई है जिनकी फसल नष्ट हो गई थी। इस योजना के अन्तर्गत हर राज्य में "परिभाषित क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है, जहां यह योजना लागू होती है। जिला, तालुक/तहसील ब्लाक अथवा अन्य साथ लगते छोटे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से बताए जायेंगे। यह "परिभाषित क्षेत्र" किसानों को बीमा राशि न मिलने का कारण है। ऐसी स्थिति में जबकि परिभाषित क्षेत्र में हुई फसल को कोई विशेष हानि न हुई हो, यदि किसी गांव की कुछ भूमि में अथवा किसी गांव की समग्र भूमि में फसल की हानि हुई भी हो तो प्रभावित गांव के प्रभावित किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल सकती है। यदि सरकार का इरादा वास्तव में प्रभावित किसानों की सहायता करने का है तो तालुक/ब्लाक की बजाय राजस्व गांव को परिभाषित क्षेत्र माना जाए। वर्तमान योजना के अन्तर्गत चावल, गेहूं, बाजरे की फसलों, तिलहनों ओर दलहनों की फसलों को ही शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कपास, तम्बाकू, गन्ने और मिर्च आदि की फसलों को भी सम्मिलित किया जाए।

(सात) होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को अल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : गत कई वर्ष से अल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) की अनियमितता तथा बिल्कुल भी सप्लाई न किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण में बड़ी परेशानी हो रही है। होम्योपैथी दवाओं का विनिर्माण मुख्यत: अल्कोहल की उपलब्धता पर निर्भर है होम्योपैथिक उपचार तथा उद्योग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और यहां के विभिन्न उपक्रमों तथा प्रतिष्ठानों में बहुत सारे श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं। डाक्टरों, श्रमिकों, कर्मचारियों और सप्लाईकर्ताओं सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग में एक लाख से अधिक व्यक्ति लगे हैं। भारत सरकार होम्योपैथिक उद्योग के लिए अल्कोहल की नियमित और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करे। अन्यथा अनेक प्रतिष्ठान जबरन बन्द हो जायेंगे जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों, कर्मचारियों और डाक्टरों सहित न केवल अनेक व्यक्ति ही बेरोजगार हो जायेंगे अपितु होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा किए जाने वाले उपचार में भी बड़ा भारी व्यवधान उपस्थित हो जायेगा? 'हनेमान लेबोरेटरी एम्पालाइज एण्ड वर्क्स युनियन' तथा 'एकानोमिक होम्यो फार्मेसी एम्पलाइज युनियन' द्वारा पेट्रोलियम मन्त्री को तार भेजे जा चुके हैं और मैं भी माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि होम्योपैथिक दवाइयों को तैयार करने के लिए अत्यधिक आवश्यक एल्कोहल की सप्लाई के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

(आठ) श्री राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में स्मारक डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष जी, श्री, राम प्रसाद बिसमिल, स्वतन्त्रता

सेनानी मुरैना जिले के निवासी थे। इनके पिता शाजापुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस में सर्विस करते थे। बिसमिल ने अंग्रेजी शासन को हराने के लिए काफी संघर्ष किया था। काकोरी काण्ड में बन्दी होने के बाद फांसी की सजा हुई थी। ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी को सरकार ने अभी तक कोई भी महत्व नहीं दिया है। सरकार से निवेदन है कि राम प्रसाद बिसमिल की यादगार के लिए उनके नाम का टिकट जारी किया जाए।

12.25 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87
—(जारी)

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियन्त्रण के अन्तर्गत अनुदानों की मागों से सम्बन्धित मद संख्या 15 की पुन: चर्चा तथा मतदान के लिए लेते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, अब आप आरम्भ करें।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एल० गाडगिल) : महोदय जैसा कि मैं परसों कह रहा था, अपने मन्त्रालय के कार्यकरण की आलोचनात्मक प्रशंसा के लिए मैं सभा का आभारी हूं। जब मैं चर्चा सुन रहा था, तब मैं उस छात्र के समान महसूस कर रहा था जिसके वार्षिक रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह मास्टर बन गए हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : हैडमास्टर।

उपाध्यक्ष महोदय : छात्र के रूप में सीखकर वह मास्टर हो सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, रूपक से हटकर, अब मैं भारत के लोगों के समक्ष तुलन पत्र प्रस्तुत करना चाहूंगा जो इसके शेयर धारक हैं और इस सभा को लेखा परीक्षक मानते हुए इसके समक्ष भी तुलन पत्र प्रस्तुत करता हूं। यह कहा जाता है कि अच्छा लेखा परीक्षक खूंखार नही होता अपितु रक्षक होता है और जिस स्तर की चर्चा हुई है, उसके बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सभा ने एक रक्षक की भूमिका बखूबी निभाई है। मुझे जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं तथा मुझे आबंटित किए गए समय में किया गया है, मेरे लिए यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि मैं हर मुद्दे का उत्तर दूं क्योंकि लगभग 28 सदस्य बोल चुके हैं। यदि आप औसतन् पांच मुद्दे लगाएं तो लगभग 140 मुद्दे होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना असम्भव है। इसलिए सभा की सहमति से मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों को ही लूंगा!

श्री सोमनाथ चटर्जी : दूरदर्शन पर उत्तर दीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : सर्वप्रथम संक्षेप में यह बताना चाहता हूं। इस मन्त्रालय को आमतौर पर लोग दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। वास्तव में, कुछ समारोहों में मुझे दूरदर्शन मन्त्री के नाम से सम्बोधित किया जाता है। प्रकाशन विभाग, संगीत और नाटक विभाग, आकाशवाणी, क्षेत्र प्रचार तथा अन्य कई ऐसे विभाग हैं, जो मेरे विचार से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा ! किन्तु आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति आज केवल दूरदर्शन के बारे में ही सोचता है, और किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तुलन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं सभी प्रकार की आलोचना का स्वागत करता हूं क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है ! यह हो सकता है कि हर बात न सिखाई जाए। मैं अपने पक्ष के तथा विरोधी पक्ष के दोनों ओर के अपने साथियों से सीखूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे केवल संसद द्वारा की गई आलोचना ही नहीं अपितु समाचार पत्रों तथा जनता द्वारा की गई आलोचना सुनना पसन्द है। मैं समाचार पत्रों को महत्त्वपूर्ण समझता हूं किन्तु यहां सम्भवतः मेरे साथी और अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जन-प्रतिनिधि हैं। क्योंकि आपको जनता की नबज की पहचान है और मेरे मन्त्रालय के कार्यकलापों के बारे में आपने जनता की जो प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है; उससे मुझे बहुत कुछ मार्ग दर्शन मिलेगा। इसीलिए मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है। मैंने आप सबको एक प्रश्नमाला भेजी है, जिसके माध्यम से मैंने आपके विचार, आपके सुझाव, हम कहां गलत हैं, हम क्या-क्या सुधार किस प्रकार कर सकते हैं, आदि की जानकारी चाही है और मुझे विश्वास है कि आप उनका उत्तर देंगे।

मेरा विचार इसी प्रकार की प्रश्नमाला देश के सभी जन-प्रतिनिधियों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को भेजने का है जिससे कि हमें पूरे देश से जानकारी प्राप्त हो सके।

तुलन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, मैं चाहूंगा कि यह सभा उन सीमाओं पर ध्यान देने की कृपा करे जिसके अन्तर्गत हमें काम करना पड़ता है, विभिन्न बाधाओं को समझे, जिनको हमें सहन करना पड़ता है और विभिन्न समस्याओं को जाने जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इस समय, आर्थिक समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है। मैं प्रधान मन्त्री का आभारी हूं। वह इस मन्त्रालय में गहरी रुचि रखते हैं और एक यही मन्त्रालय है, जिसका बजट दूना कर दिया गया है। वार्षिक नियतन की राशि दुगनी किए जाने का श्रेय वास्तव में प्रधान मन्त्री तथा मेरे कुछ साथियों को है जिनके प्रयास से यह सब हुआ है। सर्वप्रथम मैं अच्छी बातें बताना चाहूंगा। मुझे कमियों के बारे में भी पता है और मैं उन्हें स्वयं बताऊंगा ! सबसे पहले मैं उपलब्धियों के बारे में कहूंगा और मैं आकाशवाणी से आरम्भ करूंगा क्योंकि मैं यह मानता हूं कि दूरदर्शन एक तड़क-भड़क की वस्तु है किन्तु रेडियो अधिक प्रभाव डालने वाला होता है। उसकी पहुंच दूरस्थ भागों तक है और इस समय 91 प्रतिशत आबादी तक इसकी पहुंच है। यह अधिक प्राप्य तथा सहज सुलभ है। आज यह स्थिति है कि एक श्रमिक कारखाने में काम करते समय ट्रान्सिस्टर पर संगीत का आनन्द लेता है, स्कूल या कालेज हुआ छात्र अपने ट्रान्सिस्टर पर क्रिकेट की रन संख्या सुनता हुआ जाता है और इससे सुन्दर और क्या दृश्य हो सकता है कि एक किसान अपने कंधे पर ट्रान्सिस्टर रखे हुए हल चलाते हुए उसका आनन्द लेता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे मौसम का पूर्वानुमान सुनते हैं !

श्री वी० एम० गाडगिल : अनेक कार्यों के लिए—मनोरंजन के लिए भी। चाहे मौसम के बारे में पूर्वानुमान की बात हो, अथवा मनोरन्जन, मैं तो यह दावा करता हूं आप भारत के किसी भी भाग में अथवा किसी भी कोने में जायें, इस मन्त्रालय की पहुंच समाज के हर वर्ग के लोगों तक है। धनी, भिखारी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, स्कूल-शिक्षक, डाक्टर, वकील अथवा कोई भी क्यों न हो हर एक को उसके बारे में पता है अथवा उसने तीन चीजें तो सुनी ही होगी······

श्री सोमनाथ चटर्जी : गाडगिल सर्वव्यापक है !

श्री वी० एम० गाडगिल : जी नहीं; मैं आकाशवाणी के बारे में कह रहा था। हर व्यक्ति ने तीन बातें सुनी है : "नाम इन्दिरा जी का; आवाज लता की और समाचार आकाशवाणी के।" आप जहां कहीं भी जायें आपको ये तीन चीजें सुनाई देंगी ! रेडियो की पहुंच भारत के दूरस्थ स्थान तक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूरदर्शन के आ जाने से रेडियो की उपेक्षा न की जाए और इस देश के शिक्षा तथा विकास कार्यकलापों में आकाशवाणी को समुचित महत्त्व दिया जाए।

मैं इसकी साज-सज्जा और उपकरणों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि कितने ट्रान्समीटर और कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं। किन्तु रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में बताऊंगा कि हम क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। गत वर्ष से हमने हर घंटे बाद समाचार बुलेटिन चालू किया है, जिसका मुझे गर्व है। अब रेडियो पर प्रातः 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हर घंटे बाद हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। मैं एक और उपलब्धि के बारे में बताऊंगा। पंजाब में जब चुनाव कराए गए थे; तब चुनाव आयोग ने उस समय की जो वहां की स्थिति बताई थी; उसके अन्तर्गत राजनैतिक दलों के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करना कठिन था तब यह पूछा गया था कि क्या आकाशवाणी का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया यह है, जैसा कि आपको पता है, कि किसी विशेष स्टेशन से प्रत्येक राजनैतिक दल को कुछ मिनट का समय आवंटित करना होता है। उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या यह कार्यक्रम जिला-वार या तहसील वार किया जा सकता है जिससे प्रत्येक उम्मीदवार, और प्रत्येक राजनैतिक दल जनता तक पहुंच सके। मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने शत-प्रतिशत वही किया जो चुनाव आयोग चाहता था जिससे कि पंजाब की कठिन परिस्थिति में अधिकतम लोगों के पास सभी राजनैतिक दलों का प्रचार हो सके और उनके विचार, उनकी नीति, उनके आदर्श और उनकी शेष बातें जनता तक पहुंच सकें। आकाशवाणी की यह उपलब्धि है।

अब समाचार बुलेटिन में आज देखेंगे कि हमने वक्ता की वाणी भी सुनानी आरम्भ कर दी है। इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होता कि अमुक-अमुक व्यक्ति ने अमुक-अमुक बातें कही हैं। लोग उन वक्ताओं की आवाज भी सुनना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को आरम्भ कर दिया गया है।

पुनः मैं अपनी स्वयं की बात कहते हुए क्षमा चाहता हूं, स्वतन्त्रता सेनानी का पुत्र होने के नाते, मुझे उस बात का गौरव है कि मैंने आकाशवाणी के माध्यम से स्वतन्त्रता संग्राम का मौखिक इतिहास प्रसारित करना आरम्भ किया है। मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को यह लिख दिया है कि प्रत्येक जिले के 10 से 15 लोगों के बारे में बताया जाए जिनकी स्मृतियां, और अनुभूतियां आकाशवाणी द्वारा अभिलिखित की जाएगी; उन्हें संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि 100 वर्ष बाद भी यदि कोई व्यक्ति इतिहास लिखना चाहे; तो वह जिस प्रकार दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है, उसी प्रकार वह मौखिक इतिहास पर भी भरोसा कर सकेगा। यह परियोजना चल रही है और अनेक लोगों की स्मृतियां आदि रिकार्ड की जायेंगी।

दूसरी चीज जो मैंने दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर लागू की है वह यह है कि आप क्रिकेट मैच, हाकी मैच, फुटबाल मैच; उनका सीधा प्रसारण और उनका आंखों देखा हाल आदि आप देख और सुन सकते हैं। पहली बार खो खो, कबड्डी और कुश्ती आदि भारतीय खेलों का सीधा का सीधा प्रसारण और आंखों देखा हाल सीधा प्रसारित किया गया था।

मेरे विचार में भारतीय ओलम्पिक संघ ने इस बात को नोट किया है। तब हमने '21वीं सदी की ओर चलो' नामक सीरीज शुरू की और जनसंख्या, शिक्षा एवं विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा तथा कार्यक्रम किए गए। हम सभी केन्द्रों से समूह गान के 98 कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि विदेशों में हजारों बच्चे मिलकर एक ही आवाज में गाते हैं। भारत में ऐसा सम्भव नहीं है। अतः हमने सोचा यह रेडियो के जरिए स्कूल के बच्चों तक पहुंचेगा, ये कार्यक्रम सभी केन्द्रों से किया जा रहा है। हम 65 देशों को गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के बारे में तैयार किए आर्केस्ट्रा कार्यक्रम भेजते हैं और वे 65 देशों में सुने जाते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, यह है कि केवल हमारे संगठन के पास ही दुर्लभ पुरालेख सामग्री है। जैसे कि फैज खान, एक महान गायक—इस प्रकार की एक लम्बी सूची है जिसे मैं पढ़कर सुना सकता हूं किन्तु हमारे पास समय नहीं है—श्रेष्ठतम गायक अब्दुल करीम खान का गायन भी उपलब्ध है और अब हमने निर्णय किया है कि हम मूल प्रति अपने पास रखेंगे और उसकी प्रतियां करा कर लोगों को देंगे ताकि अधिक संख्या में लोग इस दुर्लभ संगीत का आनन्द ले सकें। पण्डित जवाहरलाल नेहरू का आधी रात को दिया गया महान भाषण—**जब विश्व सो रहा है, भारत ने आजादी प्राप्त की है अपने गंतव्य से मुलाकात**—हमारे पास इसकी मूल प्रति है और हम लोगों की उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएंगे। महात्मा गांधी द्वारा उनकी हत्या से पूर्व दिया गया भाषण है। केवल हमारे पास ही इसकी मूल प्रति है। अतः पुरानी चीजें उपलब्ध हैं। हमारे पास 2850 ऐसी चीजें हैं जो हमने रखी हुई हैं और हमारा विचार इन्हें उन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता देने का है जो इन्हें व्यावसायिक अथवा अन्य ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं।

हमने ऑल इण्डिया रेडियो में कम्प्यूटर, टेप, पुरालेख, आवृत्ति व्यवस्था तथा अन्य कई चीजें लगाई हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि एशिया पेस्फिक ब्राडकास्टिंग यूनियन में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भेजे गए "फाइव डेज मैरिज ऑफ दोज बाइगॉन डेज" को प्रतियोगिता में विशेष सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है······

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं केवल यही सुझाव देता हूं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा आपातकाल घोषणा से पूर्व दिया गया भाषण, दलगत भावनाओं से हटकर अपने पास रखें।

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं माननीय सभा के किसी भी सुझाव पर ध्यान देने के लिए तैयार हूं। हमारी विदेश सेवा से प्रतिदिन 57 घण्टे 25 भाषाओं में प्रारम्भ होता है जो 54 देशों में पहुंचता है। मैं बाद में आपको लोगों की प्रतिक्रिया बताऊंगा कि विदेशों में लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।

दूरदर्शन के बारे में, मैं समझता हूं कि इसका काफी प्रभाव पड़ा है। कल मेरे एक मित्र ने बताया कि किस प्रकार इससे हमारे जीवन का राजनीति सहित प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ है। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं बी० बी० सी० के एक प्रकाशन से पढ़कर सुनाता जिसमें विभिन्न राज-

नीतिज्ञों का इण्टरव्यू छपा है; टी० वी० के बारे में एक दुखःद बात जो लेबर पार्टी के एक सदस्य ने नोट की और कुछ नाराज होकर कही वह यह थी कि कोई दिन थे जब हम निर्वाचन के दिनों में सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने जाते थे तो हाल खचाखच भरे होते थे। हाल ही में जब वे एक सभा में भाषण देने गए तो देखा कि हॉल में केवल स्थानीय पार्टी के चेयरमेन, स्थानीय एजेंट तथा तीन महिलाएं उपस्थित थीं। उन्होंने उनसे पूछा कि ये महिलाएं कौन हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वे गलत दिन आ गईं। उन्हें ब्रिज पार्टी में आना था और उसका दिन और था। उन्होंने समझा कि उसी दिन ब्रिज पार्टी थी। सार्वजनिक सभाओं में कोई नहीं आता।

मैं टी० वी० के गलत पहलुओं के प्रति भी जागरूक हूं। कहा जाता है कि टी० वी० वार्तालाप की कला को समाप्त कर देगा; इससे पढ़ने की आदत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा मेल-मिलाप समाप्त हो जाएगा।

अभी हाल ही में 'एम्यूजिंग अवरसेलब्स टू डेथ' के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। मुझे इसके खतरों के बारे में जानकारी है। न केवल उपभोक्तावाद के बल्कि उससे बड़े खतरे। इंग्लैंड में एक सेमीनार हुआ था जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों ने भाग लिया था और शर्ले विलियम, जो लेबर पार्टी की सरकार में मन्त्री है, का योगदान श्रेष्ठतम था। उन्होंने टी० वी० की तीन खराब बातों के बारे में बताया—टी० वी० ने राजनीति को मानवीकरण कर दिया है; बातें अपना महत्व खो देती हैं; विचार का महत्व कम हो जाता है; नीतियों की कोई परवाह नहीं करता; प्रस्तुतीकरण ही सब कुछ होता है। इस प्रकार टी० वी० ने राजनीति का मानवीकरण कर दिया है। दूसरे इससे विवाद की राजनीति बढ़ती है। क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ का भाषण नहीं सुनना चाहता। लोग मनोरंजन चाहते हैं—दो राजनीतिज्ञों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। उसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—लोग दो राजनीतिज्ञों को नकली दांतों की सहायता से बोलते हुए नहीं सुनना चाहते। वे मार-धाड़ देखना चाहते हैं। अतः वे कोई विवाद देखना चाहते हैं। विचारों अथवा नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं सुनना चाहते हैं। तीसरी चीज जिसका उन्होंने उल्लेख किया है वह यह है कि टी० वी० में इण्टरव्यू खास किस्म के हो गए हैं। वे उसे "दोषारोपण इण्टरव्यू" कहती हैं। आपको एक अभियुक्त की तरह कटघरे में खड़े होना पड़ता है। जब तक किसी राजनीतिज्ञ के साथ एक अभियुक्त जैसा व्यवहार न किया जाए, उससे प्रश्नों का उत्तर न लिया जाए तो यह कहा जाता है कि टी० वी० प्रभावकारी नहीं है। टी० वी० व्यावसायिक नहीं है। अतः मैं उन खतरों को महसूस कर सकता हूं जो इससे उत्पन्न हो सकते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि लोग टी० वी० चाहते हैं—न केवल संसद सदस्य बल्कि आम जनता भी। मैं जब संचार मन्त्री था, उस समय मैं उत्तर में एक गांव में गया। वहां किसानों की एक सभा थी। सभा समाप्त होने पर मैंने एक अच्छे मन्त्री की भांति पूछा कि मैं आपके गांव के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने सोचा था कि वे डाक-घर की मांग करेंगे और मैं झट से स्वीकृति दे दूंगा। लोग खुश हो जाएंगे और मैं दिल्ली वापिस आ जाऊंगा। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग 70 वर्ष का एक वृद्ध किसान उठ कर खड़ा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अनपढ़ था।

[हिन्दी]

मैंने पूछा कि चौधरी साहब आप क्या चाहते हैं, उसने जवाब दिया कि हमारे गांव में टी० वी० ले आइए। मैंने कहा कि यह तो मेरा महकमा नहीं है, भगत जी का महकमा है। यह महकमा

मेरे पास नहीं है। इस पर उसने कहा कि साहब वे तो कार्यक्रम तय करते हैं, लाइन्स तो आप देते हैं।

[अनुवाद]

विकास और दूरदर्शन के लिए यह इच्छा स्वागत योग्य है। किंतु हमें इसके कुप्रभावों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और मैं उपभोक्तावाद तथा मेरे अनेक मित्रों द्वारा बताई गई अन्य बातों को पूरी तरह समझता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): हम दूरदर्शन द्वारा निरन्तर राजनीति-प्रेरित कार्यक्रम दिए जाने के कुप्रभावों के शिकार हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। मैं आपको संक्षेप में इस वर्ष टी० वी० की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। हमने भारत में पहली बार दिल्ली में टेलीटैक्स्ट शुरू किया है। हमें आशा है कि हम इसे बाद में अन्य महानगरों में भी शुरू कर सकेंगे। हमने दिल्ली में द्वितीय चैनल शुरू किया है। जोशी समिति के प्रतिवेदन में इसका सार झलकता है। बाद में कलकत्ता तथा मद्रास में भी द्वितीय चैनल शुरू करने का हमारा विचार है। मैं इसमें विभिन्न भागों का उल्लेख नहीं करूंगा। यह सब रिपोर्ट में बताया गया है—कि कितने उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं तथा कितने अल्पशक्ति वाले।

विभिन्न सदस्यों ने मुझसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में भी जानना चाहा है। यदि वे मेरे पास आयें तो मैं उन्हें पूरा चार्ट दिखा सकता हूं कि कहां क्या किया जाना है। मेरे विचार में मुझे यह सब आप लोगों को सुनने की जहमत नहीं देनी चाहिए। अब मैं कार्यक्रमों की क्वालिटी की आलोचना की बात पर आता हूं। यह कहा जाता है कि शिक्षा के विकास के लिए अधिक कार्य नहीं कर रहे और सब कार्यक्रम व्यावसायिक तथा प्रायोजित होते हैं। मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। सरकारी नीतियों के अनुसार विज्ञापनों के लिए 10 प्रतिशत समय दिया जा सकता है किन्तु मैंने उसकी सीमा 5 प्रतिशत तक कर रखी है और इसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। दूसरे, प्रयोजित कार्यक्रम कुल कार्यक्रमों का केवल 11 प्रतिशत हैं। मैंने इसकी भी इतनी ही सीमा निर्धारित की हुई और इसमें भी वृद्धि नहीं की जाएगी। तीसरे, सदस्यों द्वारा आलोचना किए जाने से पूर्व, मैं अत्यन्त नम्रता से कहना चाहता हूं कि कुछ कार्यक्रम शहरी सभ्यता से प्रभावित हैं और उनमें से कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए प्रायोजित कार्यक्रमों की अवधारणा की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और मेरा विचार शीघ्र ही ऐसा कराने का है। मैं इस समय नहीं कह सकता कि हम इनमें क्या परिवर्तन लाएंगे किन्तु इनकी पुनरीक्षा आवश्यक है ताकि यदि इनमें कुछ बुरी बातें आ गई हैं या ऐसा माना जाता है कि बुरी बातें हैं, तो उन्हें हटाया जा सके।

यदि मैं यह कहूं कि कुछ माननीय सदस्यों की आलोचना 6 बजे के बाद टी० वी० कार्यक्रमों पर आधारित होती हैं तो मेरे विचार में वे बुरा नहीं मानेंगे। टी० वी० 6 बजे शुरू नहीं होता, इससे बहुत पहले शुरू होता है। स्कूल के लिए टी० वी० में शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं जो दिल्ली, बम्बई, मद्रास और श्रीनगर में सप्ताह में दो से पांच कार्यक्रम होते हैं और जिनका समय 80 मिनट से 8 घण्टे 40 मिनट प्रति सप्ताह होता है। इनसेट से भी प्रतिदिन 45 मिनट का कार्यक्रम निम्नलिखित भाषाओं में होता है—

तेलुगू—सुबह 9 बजे से 9.45 तक

हिन्दी—जो इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को रिले किया जाता है।

उड़िया : 10.30 बजे से 11.15 बजे तक

मराठी—11.15 बजे से 12.00 बजे दोपहर

गुजराती—12.00 बजे दोपहर से 12.45 बजे तक

ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसैट कार्यक्रम अंतरिक्ष विभाग द्वारा दिए जाते हैं जिसमें शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा एक कार्यक्रम यू० जी० सी० का होता है जो दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क में इनसेट 1-बी के माध्यम से सभी कालेज दिवसों में 12.45 बजे से 1.45 बजे तक प्रसारित किया जाता है और 4 बजे से 5 बजे तक पुन: दिखाया जाता है, अत: विभिन्न स्थानों से शिक्षा के लिए टी० वी० पर इतना समय दिया जाता है ।

अब मैं प्रायोजित कार्यक्रमों की बात पर आता हूं । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि किसी सप्ताह का कार्यक्रमों का निर्धारित चार्ट ले लें और स्वयं देखें कि क्या इसमें अत्यधिक मनोरंजन है। मेरे पास पिछले सप्ताह का चार्ट है। रविवार सुबह "एक दो तीन चार" दिखाया जाता है। यह बच्चों का सीरियल है। "पंखो से पंजो तक" पशुओं के प्रति दया-भाव पर आधारित है। इसमें कोई शहरीपन या उपभोक्तावाद नहीं है। रजनी के बारे में आप जानते हैं। लेना-देना एक सामाजिक सीरियल है जिसमें साम्प्रदायिक सद्‌भाव, अखंडता और विशेषकर भाषाई सद्‌भाव है छोटी-बड़ी बातें अन्धविश्वासों पर आधारित एक सामाजिक सीरियल है। अफसाना विभिन्न स्थानों की लोक-कथाओं पर आधारित है। "कहां गए वो लोग" स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित है। मैं एक माननीय सदस्य से सहमत हूं कि एक बार इसमें ऐतिहासिक तथ्य सही नहीं थे और यह बात निर्माता को बता दी गई है। "आजादी की कहानी" भी स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में है। "विक्रम और बेताल" विशुद्ध भारतीय है, कोई विदेशी छाप नहीं, उपभोक्तावाद या शहरीपन नहीं।

फिर दादा-दादी की कहानी। यह भी बच्चों की एक फिल्म है। "इण्डिया एलाइव" अंग्रेजी में एक सांस्कृतिक पत्रिका है।

फिर सोमवार को नुक्कड़ ।

अब यह आलोचना की जाती है कि हम न केवल शहरी जीवन को ही दिखा रहे हैं बल्कि हम मालाबार-हिल-बम्बई के उच्च-मध्यम वर्गीय जीवन को भी दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जहां तक खानदान धारावाहिक की बात है—यह बात हो सकती है। परन्तु नुक्कड़, धारावाहिक शोषित और शहरी गरीबों के जीवन को दर्शाता है। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

'अजूबे' धारावाहिक मोलियर के नाटकों पर आधारित है ।

बृहस्पतिवार को हम सत्यजीत 'रे' की रचनायें प्रस्तुत करते हैं।

यदि आप मेरे विचार पूछते हैं तो मैं यह कहूंगा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु कह हाल के वर्षों में दूरदर्शन से मुझे जो कार्यक्रम देखने को मिले हैं उनमें यह एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है ।

'कथा सागर' भी प्रमुख लेखकों की कहानियों पर आधारित है।

'रिश्ते-नाते' धारावाहिक कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के अन्ध विश्वास के विरुद्ध है। फिर आपका 'एक कहानी' धारावाहिक है—जोकि ग्रामीण पृष्ठभूमि की अच्छी कहानियों पर आधारित है।

फिर 'दर्पण' धारावाहिक है। इसमें से अधिकांश कहानियों की ग्रामीण पृष्ठ-भूमि है। मुन्शी प्रेमचन्द की कहानियां हैं। रवीन्द्र नाथ टेगौर की कहानियां हैं। शरद चन्द्र की कहानियां हैं। इसलिए इन अब कहानियों के होते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम बहुत अधिक शहरी या उच्च वर्ग के लोगों के लिए हैं ?

मैं खानदान या न्यूयार्क फिलहारमोनिक ऑर्केष्ट्रा या सोवियत बैलेट या इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रमों के बारे में तो स्वीकार करता हूं। परन्तु वे कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। हमें समाज के सभी वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को जितना सम्भव हो सके सन्तुष्ट करना होता है। परन्तु एक निर्णय हमने लिया है। वह यह कि चूंकि भारत में केवल 4 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी समझते हैं अतः सप्ताह में केवल एक ही अंग्रेजी धारावाहिक होगा। शेष धारावाहिक हिन्दी या अन्य भाषाओं में होंगे।

मैं उपभोक्तावाद की आलोचना से अवगत हूं। मेरे पास 6 या 7 विज्ञापकों की सूची है जिन्हें हमने अपने विज्ञापनों को बदलने के लिए कहा है। जब हमें उपभोक्ता संरक्षण समितियों अथवा महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए तब हमने इन उत्पादकों को अपने विज्ञापनों को बदलने के लिए कहा। हमने उन्हें, कल जिक्र किए गए साबुन के उत्पादकों सहित अपने विज्ञापनों को संशोधित करने के लिए कहा है।

इसके बाद पुनः मैंने दूरदर्शन को विशेषतः कल कही गयी बात को और जोशी समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विज्ञापन संहिता में संशोधन करने के लिए कहा है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आपने यूनियन कार्बाइड को विज्ञापन देने की अनुमति क्यों दी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है। इस स्थिति में मैं केवल यही कहूंगा क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सोचा है। यदि उसमें कोई कानूनी अड़चन न हो तो आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि दूरदर्शन किसी मुकदमेबाजी में फंसे।

फिर समाचारों के बारे में······

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे विज्ञापनों के बारे में कहना है। क्या आपने ऊषा पंखे का विज्ञापन देखा है जिसमें एक महिला कहती है—"यह मेरे परिवार ने मुझे मेरी शादी में दिया है।"

श्री वी० एन० गाडगिल : इसमें दहेज का जिक्र नहीं है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह उपहार है महोदया।

श्री वी० एन० गाडगिल : हमें किसी विज्ञापन के बारे में शिकायतें मिलती हैं तो कानूनी तौर पर उसे बन्द करना सम्भव नहीं होता है। उस कानूनी प्रश्न के बारे में मैंने विचार नहीं किया है। परन्तु हम निश्चित रूप से उनमें संशोधन करने के लिए कह सकते हैं और वास्तव में 9 मामलों में विशेषतः साबुन के बारे में जिसका आपने कल जिक्र किया था हमने उनमें संशोधन करने के लिए कहा है। यदि इसी प्रकार के कुछ अन्य मामले हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। अब धारावाहिक कार्यक्रमों के बारे में यह आलोचना की जाती है कि धारावाहिक उच्च स्तर के नहीं हैं आदि। इस प्रकार की आलोचना हर जगह होती है। सभी को सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं है।

मैं एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगा जोकि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के कार्यक्रमों के बारे में लिखे गए पत्रों का एक संकलन है। मैं एक या दो पंक्तियां पढ़कर सुनाऊंगा। उनके धारावाहिक कार्यक्रम बहुत अच्छे समझे जाते है। परन्तु उनके बारे में भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

एक पत्र के अनुसार—

"मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि नए धारावाहिक कार्यक्रम "बटरफ्लाइज" को मैंने बहुत निराशाजनक पाया है। इसकी विषय वस्तु न केवल घटिया है अपितु यह बहुत अधिक गम्भीर भी बन गयी है और इसलिए पिछले कार्यक्रम से जो खुशी होती थी वह नहीं रही है।"

यह इतनी तीव्र नहीं है।

दूसरा है······(व्यवधान)। यह ज्यादा रुचिकर है––

"मात्र एक व्यक्ति के रूप में जिसे दूरदर्शन पर बहुत कुछ निरर्थक चीजें देखने के लिए बैठना पड़ता है अथवा जिसे बगीचे में काम करने के लिए जाना होता है, मुझे भी उस अरुचिकर 'एन्जिल्स' धारावाहिक से विदा लेनी पड़ी, जिसमें सप्ताह में दो बार परिचारिकाओं का तर्क-वितर्क, रोना-धोना एक-दूसरे पर गाली-गलौच इस हद तक दिखाया गया कि दर्शकों को अस्पताल जाने से भी डर लगने लगा।"

यह एक धारावाहिक पर टिप्पणी है।

दूसरा इस प्रकार है—

"उस भयानक धारावाहिक श्रृंखला 'ड्राईगंस' के बारे में मेरा और मेरी पत्नी का विचार है कि वर्षों से ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत यह बहुत अधिक उबाने वाली श्रृंखला है। यह कार्यक्रम निर्जीव और नीरस है।"

यह उनके धारावाहिक कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी है। और पत्र लिखने वाला और लिखता है :

"यह हमारा सौभाग्य होगा कि इस धारावाहिक का संचालक अपने आपको मार देगा।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या यह पुस्तक स्वयं ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा प्राकाशित की गई है ?

श्री. वी० एन० गाडगिल : यह पुस्तक एक लेखक द्वारा प्रकाशित की गई है, मैं नही जानता कि किसने और कहां से इसे प्रकाशित किया है।

श्री अमल दत्त : आपको भी इस प्रकार की एक पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को सराहेंगे कि अपने धारावाहिक कार्यक्रमों के गुणावगुण को देखते हुए हमारी आलोचना उन आलोचनाओं के मुकाबले, जो अब आप पढ़ रहे हैं, इतनी तीव्र नही हैं। **(व्यवधान)**

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे पत्र मिलने दीजिए। एक महत्वपूर्ण आलोचना समाचारों के बारे में की गयी है। यहां मैं सामान्यतः यह आलोचना सुनता हूं—विपक्ष की अवहेलना की जा रही है, किसी का अनावश्यक भन्डाफोड किया जाता है। मैं आलोचना से परिचित हूं। पिछले वाद विवाद में······

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आपका कभी भी अनावश्यक भन्डाफोड नहीं किया गया है। आप अपना जिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे। मैं आपकी चाल जानता हूं परन्तु आप सफल नहीं होंगे।

मैं यह कह रहा हूं कि जैसे मैंने पिछले वाद विवाद में उद्धृत किया था और श्री रेड्डी ने एकदम खड़े होकर कहा था "आप धोखा दे रहे हैं।" मेरे पास आंकड़े हैं परन्तु मैं उन्हें नहीं दूंगा। परन्तु मैं फिर भी आंकड़ों की सहायता से कहूंगा कि यदि आप पंक्तियों की संख्या को लें तो उल्लिखित पाठकों की संख्या को लें मुख समाचारों की संख्या को लें तो आप पायेंगे कि समाचारों में विपक्ष को कांग्रेस (आई) से लगभग दुगना समय मिलता है। **(व्यवधान)**। आप हिसाब लगा सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह कम्प्यूटरों का परिणाम है या······

श्री वी० एन० गाडगिल : श्री रेड्डी जानते हैं। मैंने पिछली बार आंकड़े दिए थे। मैंने वे सभी दिए थे। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह मन्त्रियों और प्रधान मन्त्री को दिए गए समय को निकाल कर है। फिर यह उतना कैसे हो सकता है ? **(व्यवधान)** महोदय, यह केवल परिभाषा की समस्या है।

श्री वी० एन० गाडगिल : समस्या वास्तव में हिसाब लगाने की है। मैंने उस समय भी कहा था कि प्रधानमन्त्री इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे प्रधान मन्त्री हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हेमलेट यहां डेनमार्क के राजकुमार के बगैर है।

श्री वी० एन० गाडगिल : जब वह बोलते हैं तो वह प्रधान मन्त्री के रूप में बोलते हैं दल के सदस्य के रूप में नहीं और इसीलिए इसकी गिनती नहीं की जाती है। जब कांग्रेस के लोग वक्तव्य देते हैं तो उन्हें कितना समय दिया जाता है उस सभी भी उल्लेख है।

1.00 म० प०

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कौन-कौन से अन्य कांग्रेसी लोग बाकी बचे हैं? अगर प्रधान मन्त्री का नाम हटा दिया जाए तो और कांग्रेसी जन कौन-कौन से हैं? वह तो दल के अध्यक्ष भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कांग्रेस दल के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने वक्तव्य दिया है तो इसे शामिल किया जा सकता है। और अगर प्रधान मन्त्री की हैसियत से बोल रहे हैं तो उसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तो कांग्रेस में बचेगा क्या ?

श्री वी० एन० गाडगिल : कांग्रेस के 100 वर्षों के इतिहास को आपने समझा नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य (पंसकुरा) : इतिहास अपने आपको दोहराएगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : एक और गम्भीर मुद्दा उठाया गया था और वह था राम जन्म भूमि के सम्बन्ध में। मैं बिना किसी टिप्पणी के तथ्यात्मक वक्तव्य देना चाहता हूं और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तनाव इसी के परिणामस्वरूप हुआ है तो मैं इस बारे में मैं कहूंगा कि मेरी अपनी भी कुछ शंकाएं हैं। आप तथ्यों को देखिए। ताला हटाने का अदालत का फैसला एक फरवरी को को हुआ था। अतः वहां पर दूरदर्शन के लोगों की उपस्थिति में ताला खोलने के नियम का चित्र प्रस्तुत किया जाना एकदम गलत है। ऐसा 4 दिन पश्चात यानि कि 5 फरवरी को हुआ। यह सिर्फ 35 सेकण्ड तक दिखाया गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या दिखाया गया था।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं इसे आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। 35 सैकण्ड में 20 शब्द कहे गए हैं। वो शब्द क्या हैं? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। आप स्वयं ही निर्णय कीजिए। खबर इस प्रकार है :

> "राम जन्म भूमि, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में पूजा के लिए काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन जा रहे हैं। यह मन्दिर काफी अरसे से बन्द था तथा जिला अदालत के आदेश पर गत शनिवार को इसे खोला गया है।"

इसके अलावा और कुछ नहीं था।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : यह तो इस मामले पर पहले से ही निर्णय लेने वाली बात हो गई। आप इसे विवादग्रस्त स्थान नहीं कहते बल्कि इसे एक विशेष नाम से पुकारते हैं। आपका विभाग पक्षपाती, एकतरफा रवैया अपना रहा है।

श्री बी० एन० गाडगिल : मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो वास्तविकता को ही प्रकट कर रहा हूं। तीस सेकण्ड —30 शब्द। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आप दूरदर्शन की समस्या को समझने की कोशिश करिए। जब यह दिखाया गया तो वे लोग कहते हैं कि इसे क्यों दिखाया गया। जब उन्हें साम्प्रदायिक बातों के बारे में सावधानी बरतने को कहा गया और जब न्यू देहली टाइम्स में दो साम्प्रदायिक दंगों के दृश्य होने पर निदेशक को वे दृश्य हटा देने के बारे में कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया। तब हमने कहा कि जब तक परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती हम इस फिल्म को नहीं दिखायेंगे। तथा इसके बाद हम इसे दिखायेंगे। इसकी आलोचना हुई कि आपने इसे स्थगित क्यों कर दिया। कोई कहता है कि आपने इसे दिखाया क्यों तथा किसी का कहना आपने इसे क्यों नहीं दिखाया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इन दो बातों की तुलना नहीं कर सकते।

श्री बी० एन० गाडगिल : अतः इस प्रकार के मामलों में सम्पादकीय निर्णय देना कोई आसान कार्य नही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कई दफे मुस्लिम महिला विधेयक के समर्थकों को संचार माध्यम से काफी प्रचार मिला है। परन्तु इसका विरोध भी अत्यधिक हुआ है। उसे समाचारों में नहीं लाया जा रहा। यह साम्प्रदायिक रवैया है। आजकल यह साम्प्रदायिक होता जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री बी० एन० गाडगिल : मैंने इसे देखा है। मुझे सही बात बताने दीजिए। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मेरा कहना है कि किसी भी चीज के चित्र नहीं दिखाए गए। परन्तु आपका कहना सही है कि एक-एक मसले की तथ्यात्मक खबर दी गई परन्तु दूसरे मसले की तथ्यात्मक खबर नहीं दी गई। इस तरह की गलती के लिए मुझे खेद है। मैंने उन्हें कह दिया है कि भविष्य में वे इस तरह की बात का ध्यान रखें। अतः मैं इसे छुपा नहीं रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसकी सराहना करते हैं।

श्री बी० एन० गाडगिल : कल मैंने कहा था कि किसी के भी चित्र नहीं दिखाए गए थे। जिस को कवर नहीं किया गया अर्थात छूट गया था उसके बारे में मुझे खेद है। श्री बाल्मिकी ने यह बात बताई थी। आकाशवाणी के 8 बजे के समाचार में इसे दिया गया था। तथ्य यह है कि विशेष जानकारी स्थानीय अधिकारी द्वारा दी गई थी। उस समाचार पर विश्वास करके हमने 8 बजे सुबह के समाचार बुलेटीन में उसे दिया था। परन्तु जब तुरन्त ही यह मालूम हुआ कि यह समाचार सच नहीं है तो सभी आगे के समाचार बुलेटिनों में से उसे हटा दिया गया। अतः गलती सुधार ली गई गई थी। मैं कह रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से गलती हुई है। गलती तथा भूल तो प्रत्येक व्यक्ति से होती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चार्ल्स शोभराज के भाग निकलने के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री बी० एन० गाडगिल : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इसका उत्तर दिया जा चुका है। पी० टी० आई० के विवरण (फ्रीड) से खबर दी गई थी। आप जानते हैं कि दूरदर्शन सिर्फ पी० टी० आई०, यू० एन० आई० तथा आकाशवाणी संवाददाताओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कोई अपने

संभावना नहीं है। पी० टी० आई० की खबर 5.35 पर आई तथा विवरण में 6.35 पर इसकी पुष्टि की गई। आकाशवाणी के पास उपलब्ध प्रथम समाचार बुलेटिन द्वारा 7 बजे इसे प्रसारित किया गया। इसके बाद आकाशवाणी द्वारा इसकी जानकारी दी जाती रही। उसके बाद तस्वीरें आईं। तकनीकी गड़बड़ी के कारण हिन्दी के समाचार 8.40 पर इसे नहीं दिखाया जा सका। परन्तु कार्यक्रम के तुरन्त बाद अंग्रेजी समाचारों से पहले एक विशेष सूचना दी गई जिसमें उसका चित्र, पुलिस टेलीफोन नम्बर तथा उसके भागे जाने के बारे में बताया गया। वे इसे 9.30 बजे के समाचार में दोबारा प्रसारित कर सकते थे। यह उनसे गलती हुई। परन्तु वहां बैठे व्यक्ति ने सोचा कि विशेष सूचना दी जा चुकी है, जिसके बाद जो कोई भी कार्यक्रम था, उसके तुरन्त बाद विशेष सूचना द्वारा उसकी तस्वीर, पुलिस टेलीफोन नम्बर तथा अन्य बातें बताई जा चुकी थीं इसलिए 9.30 बजे के समाचार में इसको दोहराना आवश्यक नहीं था। आप इसे समझ की भूल कह सकते हैं। मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं कि अगर इसे 9.30 बजे के समाचार में फिर से दिखाया जाता तो वह ज्यादा अच्छा होता। जैसा कि मैंने कहा हमसे गलती हुई है, मैं यह नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। जैसा किसी ने कहा है कि सिर्फ दो ही व्यक्ति गलती नहीं कर सकते एक तो भगवान और दूसरा सम्पादक (व्यवधान) मैं भी गलतियां करता हूं। हर व्यक्ति गलती करता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें गलतियां करने का अवसर ही नहीं मिलता।

श्री वी० एन० गाडगिल : खबरों के बारे में आप एक बात समझने की कोशिश करिये, दूरदर्शन समाचारों के लिए हमारे पास 20 मिनट का वक्त होता है। उसमें आकाशवाणी की खबरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अतः इसमें चित्र दिखाए जाने चाहिएं तथा मैं कहूंगा कि पिछले वर्ष जनवरी के आस-पास दूरदर्शन पर समाचारों में दो से तीन दृश्य दिखाए जाते थे। आजकल औसतन इनकी संख्या 10 से 12 है। हमने बाहरी एजेन्सियों, संवाद प्रेषकों आदि को अनुबन्धित किया है। हम इसे वास्तव में सजीव संचार साधन बनाना चाहते हैं। परन्तु समय सिर्फ 20 मिनट का ही है, बहुत-सी बातें दिखानी होती हैं, बहुत-सी घटनाएं होती हैं परन्तु समय की कठिनाई के कारण दूरदर्शन को किस प्रकार कार्य करना होता है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : शंका-निवारण उद्धरणों की संख्या कितनी है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : अत्यधिक है। ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया एक अध्ययन है। अगर मैं जल्दी से इसका पता लगा......

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस समय तक आप किसी और चीज के बारे में कह सकते हैं। एक दिन बहुत ही आशावादी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय एकता परिषद की कार्यवाही को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सभी दलों ने समर्थन किया था क्योंकि देश की अखण्डता का सवाल था। मुझे यह जानकर निराशा हुई कि प्रधान मन्त्री जी......

श्री वी० एन० गाडगिल : कौन ? मुझे समझ नहीं आया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : राष्ट्रीय एकता परिषद बैठक में प्रधान मन्त्री जी बोले थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए था। परन्तु बैठक पंजाब से सम्बन्धित थी। विभिन्न विरोधी पक्षों तथा मुख्य मन्त्रियों ने उसमें भाग लिया तथा संयुक्त रूप में जो उन्होंने

पहल कीं उनका दोनों ने ही समर्थन किया तथा मुझे आशा थी कि उसमें से थोड़ा तो दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। वह भी राष्ट्रीय हित में ही होगा परन्तु उसे दिखाया नहीं गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी निराशा हुई।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा······कितना दृश्य दिखाया गया था मैं इसे पता करने की कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : इस किताब में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कह दीजिए कि व्यवधान के लिए खेद है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किताब का शीर्षक दिलचस्प मालूम पड़ता है।

श्री वी० एन० गाडगिल : विरोधी पक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया जाता या किसी को अत्यधिक कवर किया जाता है इस तरह की आलोचना के बारे में मैं सदन में कहूंगा कि किसी भी देश का कोई भी राजनैतिक कार्यकारी यदि कुछ कहता है या करता है तो वह समाचार है। अमरीका में वर्तमान में 20 प्रतिशत राजनैतिक समाचार राष्ट्रपति के बारे में होते हैं। फ्रांस दूरदर्शन पर दि गाले को प्रतिदिन कवर किया जाता है। मैं सोवियत देशों या पूर्वी देशों के बारे में नहीं कहूंगा जहां पर छह घण्टों तक मैंने······का प्रसारण देखा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अमरीका तथा इंग्लैंड में अन्य दलों के राजनैतिज्ञों को भी लगभग समान अवसर दिए जाते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे किसी और तरह से भी इसमें आ सकते हैं। परन्तु यहां पर आपका एकाधिकार है।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप समझते हैं कि अमरीका में विरोधी पक्षों को समय दिया जाता है। मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगा······

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अमरीका में न हो।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं आपको सन्तुष्टि करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक चैनल नहीं है।

श्री वी० एन० गाडगिल : इस अध्ययन को प्रचार माध्यम, सत्ता और राजनीति कहा जाता है। इस अध्ययन से पता चला है कि गत वर्ष अमरीकी राष्ट्रपति ने 45 बार दूरदर्शन पर दिखाने के लिए कहा। सभी चैनलों ने उनको कवर किया तथा निष्कर्ष यह है: "जनता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति के विरोधियों को उनके समान दूरदर्शन पर अवसर न दिया जाना राष्ट्रपति के हित में है।" "तब भी अगर नेटवर्क उन्हें समय देने के लिए सहमत हो जाता है तो वह समय राष्ट्रपति को दिए गए समय की तुलना में कम होता है।" अमरीका में ऐसा होता है।

इंग्लैंड के बारे में मैंने बजट सत्र के दौरान पिछले वर्ष बताया था इसलिए मैं उसे नहीं दोहराऊंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वहां कुछ समय दिया गया था लेकिन यहां कोई समय नहीं दिया गया।

श्री वी० एन० गाडगिल : यहां मैंने आपको बताया था कि कितना समय दिया गया है।

सैयद शाहबुद्दीन : हमारी भी वही हालत है जो अमरीका की।

श्री वी० एन० गाडगिल : इस तरह के तर्क बार-बार दिए जा रहे हैं। इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : कृपया इसे मान लीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : प्रारम्भ में मैंने जैसा कहा था, संसद सदस्यों के विचारों को ज्यादा महत्त्व देने के लिए मैं ज्यादा चिंतित हूं। अन्य बातों को मैं कम महत्त्वपूर्ण समझता हूं। आजकल हर देश में दूरदर्शन संचार-माध्यम का सबसे प्रिय साधन हो गया है। अतः मैं आलोचनाओं के बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं हूं। प्रैस द्वारा आलोचना का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं एक घटना बताना चाहूंगा जब श्री साल्वे सूचना और प्रसारण मन्त्री थे।

आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु होने पर श्री साल्वे ने संवेदना संदेश दिया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के दैनिक अखबार ने पहले पृष्ठ पर यह समाचार छापा कि श्री साल्वे की माताजी ने दूरदर्शन के महानिदेशक को टेलीफोन किया और यह कहा, "आपने प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए संवेदना-संदेश प्रसारित किए, आपने मेरे पुत्र द्वारा दिया गया संवेदना-संदेश क्यों नहीं प्रसारित किया जबकि वह मन्त्री हैं?" दूरदर्शन ने इसका खण्डन किया कि इस तरह का कोई टेलीफोन नहीं आया। परन्तु उसी कहानी को फिर से दोहराया गया कि श्री साल्वे की माताजी ने धमकी दी थी। तत्पश्चात् श्री साल्वे ने एक बहुत ही सुन्दर पत्र लिखा, सारी बात तो मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने सम्पादक को फलां-फलां बात कही······"आपके समाचार पत्र के नैतिक स्तर का मैं सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं सच को आप कितना सम्मान देते हैं। परन्तु, मुझे खेद है कि, आपके लिए मेरी मां 8 वर्ष पहले ही मर चुकी है।" हर रोज या तो दूरदर्शन के बारे में कुछ कहा जाता है या किसी अखबार में मेरे बारे में। (व्यवधान)

ऐसा तो होता ही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नाराज नहीं हूं। मुझे किसी भी समाचार-पत्र से नाराजी नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सिर्फ प्रधान मन्त्री को ही उनमें गलती नजर आई है। हमें कभी भी कोई गलती नजर नहीं आई······

श्री वी० एन० गाडगिल : उन्होंने भी कोई गलती नहीं पायी। मैं फिर से सुधार करूंगा। मैं इस बात का आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया गया। खेद की बात है कि आपने पत्र का पूरा मजमून नहीं पढ़ा है। उस पत्र का प्रथम भाग है······

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्पष्ट है, आप बहुत ही उदार रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो कुछ भी पत्र में लिखा है मैं वही बता रहा हूं। पत्र में बताया गया है कि प्रथम भाग में मेरे साथ हुई उनकी दो बैठकों का उल्लेख तथा उनकी समीक्षा के बारे में बताया गया है। और इसी सन्दर्भ में कई बातें हुई, इसे इसी सन्दर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यह 'कवरेज' के बारे में भी है। मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों ने इसे गलत समझा है। नागपुर की एक लड़की ने उन्हें एक पत्र लिखा, मैं उस उत्तर को यहां पढ़ना चाहता हूं, जोकि 'नागपुर टाइम्स' में छपा था। "प्रिय कर्नल साहनी, दिनांक······को आपका पत्र मिला। यह सत्य है कि मैंने दूरदर्शन अधिकारियों से कहा है कि मेरे सभी कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर न दिखाया जाए। इनमें से कुछ तो रोजमर्रा की बातें होती हैं। राजनीतिज्ञों को देखने से अधिक सुना जाना चाहिए। जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, तो मैं नेटवर्क पर आने का वायदा करती हूं।" अतः यह बात नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वे सत्य हैं। मैं मानता हूं कि एक ओर तो आप कह सकते हैं कि सही और पर्याप्त समय नहीं दिया गया और आपने देखा होगा कि रोजमर्रा की बातें दिखानी हमने छोड़ दी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, कि किसी भी देश के राजनीतिक कार्यकारी अधिकारी द्वारा जो कुछ कहा जाता है अथवा किया जाता है वह एक समाचार बन जाता है और समाचार देना दूरदर्शन का कर्त्तव्य है।

व्यावसायिकता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि दूरदर्शन में व्यावसायिकता आवश्यक है। मैं बिना किसी पर दोष लगाए इससे भी आगे की बात कहता हूं कि, वर्षों से, ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कतिपय परम्पराएं, व्यक्तित्व स्थापित हुए हैं। दूरदर्शन को अभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए जोशी समिति की रिपोर्ट की चर्चा की जाती है। मैंने दूरदर्शन के लिए नए ढांचे का प्रस्ताव किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यावसायी और बुद्धिजीवी लोग लाए जा सकेंगे जो काफी वर्ष पूर्व जन माध्यम सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के भीतर कार्यात्मक स्वायत्ता से कार्य कर सकेंगे।

जहां तक अन्य विभागों का सम्बन्ध है, ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मैं प्रकाशन प्रभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा······

श्रीमती गीता मुखर्जी : जोशी समिति की रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है ?

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : श्रीमन्, मैं एक मामले के बारे में बताना चाहता हूं। दूरदर्शन के अधिकारियों ने श्री ख्वाजा अहमद अब्बास की पटकथा को रद्द कर दिया था। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं ? क्या मन्त्री उस आलेख को श्री मुलखराज आनन्द, श्री सत्यजीत राय, श्री हरिवंश राय बच्चन जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पास राय जानने के लिए भेजेंगे ? उस आलेख को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : व्यक्तिगत मामलों के बारे में उत्तर देने की प्रथा नहीं है······

श्री अजीज कुरेशी : वह कोई एकल व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने पिछले 50 वर्षों से देश की महान् सेवा की है। वह महान् प्रगतिवादी व्यक्ति हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मुझे उनकी फिल्में देखने से आनन्द मिलता है। लेकिन अभी मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री अजीज कुरेशी : पैसा मांगा गया था······

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक गम्भीर आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए। अपने स्थान पर बैठिए।

श्री अजीज कुरेशी : इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सौंप दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं आम भ्रष्टाचार के बारे में उत्तर दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता, लेकिन भ्रष्टाचार हो सकता है। लेकिन मुश्किल यह है, मैंने भी ऐसा एक मामला देखा है—कि लोग आगे नहीं आते और न तो लिखकर देते हैं न ही कोई साक्ष्य आदि देते हैं। जब एक निर्माता ने आरोप लगाया तो मैंने कहा : "लिखकर दीजिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगा; मैं इसे सी० बी० आई० या अन्य एजेंसी को दे दूंगा और आप सुरक्षित रहेंगे।" उन्होंने कहा, "मैं खुद नहीं जानता, लेकिन 'क' ने मुझसे ऐसा कहा था।" विपक्ष में कई जाने-माने वकील हैं। अगर मैं सन्देह पर ही कार्यवाही करता हूं तो न्यायालय द्वारा मेरे आदेशों को रद्द किया जा सकता है। जब तक कोई साक्ष्य सामने न हो; तब तक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है······(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। कृपया इन्तजार कीजिए; पहले उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी नहीं किया जाएगा। मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री वी० एन० गाडगिल : अगर माननीय सदस्य साक्ष्य देना मान लेते हैं तो मैं जांच करवाने को तैयार हूं······(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें साक्ष्य दीजिए, वह इस पर विचार करेंगे। उन्होंने आपको बताया है। कृपया व्यवधान मत डालें।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप साक्ष्य दीजिए और मैं जांच करवाऊंगा। मैं मात्र सन्देह पर ही कार्यवाही नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वी० एन० गाडगिल : एक छोटा-सा वकील होने के नाते, मैं जानता हूं कि जब तक कोई साक्ष्य न हो मैं मात्र सन्देह होने पर ही कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन जोशी समिति के बारे में क्या फैसला है ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वी० एन० गाडगिल : गीताजी, आप जानती हैं कि मेरे मन में आपके लिए काफी इज्जत है। मैं इसका भी उत्तर दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं चाहती हूं कि आप जोशी समिति की रिपोर्ट को भी इज्जत से स्वीकार करें।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं आपको बताता हूं कि जोशी समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ ? समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। खुद मैंने निदेश दिया था कि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए। इसके पश्चात् 'नामीडिया' ने निखिल चक्रवर्ती के साथ सारे देश में विभिन्न संगोष्ठियां आयोजित कीं। इसका उद्देश्य यह था कि कुछ पूर्व निर्णय या सर्वसम्मति हो जाएगी। अब उन्होंने वादा किया है कि वे इसे भेजेंगे। माध्यम सलाहकार समिति ने भी अपनी राय भेजी है। जैसे ही नामीडिया से पुनर्निवेशन प्राप्त हो जाएगा। मैं स्वयं भी जोशी समिति पर कार्यवाही करने को उत्सुक हूं क्योंकि मैंने देखा है कि यह एक अच्छी रिपोर्ट है। इस बारे में कोई मुश्किल नहीं है।······
···(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। यह चर्चा नहीं है। मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

1.25 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री सुरेश कुरूप : श्रीमन्, मैं कुन्दन शाह के धारावाहिक सीरियल पुलिस स्टेशन के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक किसी एक मामले का सम्बन्ध है, मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि मुझसे मिलें और मैं इस पर विचार करूंगा, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। अन्त में, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमन्, 'राजीव्स इण्डिया' के बारे में कुछ कहिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने पहले ही सभा में उत्तर दे दिया है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जैसाकि मैं कह रहा था, समाचारों के बारे में मुख्य मुश्किल समयाभाव है। श्री रेड्डी जानना चाहेंगे कि 20 मिनट के अन्दर सभी विषय कैसे लिए जा सकते हैं। दूरदर्शन को समय सीमा के अन्दर कैसे कार्य करना होता है, इस बारे में एक विशेषज्ञ ने लिखा है :

> 'अगर दूरदर्शन युग में मोसिस (मूसा) अपने 10 धर्मादेशों के साथ सिनाई पर्वत से नीचे आते तो निश्चय ही कैमरा टीम द्वारा स्वागत होता।
>
> वे पूछते—आपके पास क्या है ?
>
> मूसा उत्तर देता—मेरे पास 10 धर्मादेश हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे कहेंगे—कृपया हमें इनके बारे में बताइए, लेकिन 1½ मिनट के अन्दर ही बता दें।

मूसा ने ऐसा ही किया और रात को समाचारों में इन्हें संक्षेप में बताया गया। समाचार-वाचक ने कहा, "आज मूसा अपने 10 धर्मादेश के साथ सिनाई पर्वत से नीचे उतरे? उनमें से तीन मुख्य इस प्रकार हैं······'

यह दूरदर्शन समाचार हैं। अतः, आप दूरदर्शन समाचार देने की मुश्किलों को समझ सकते हैं। केवल 20 मिनटों के अन्दर आपको हर विषय पर समाचार देने होते हैं।

अन्त में, मैं दो बातें करना चाहूंगा। प्रकाशन प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार और अन्यों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा। मुझे अपना उत्तर 1.30 पर समाप्त करना है, मैं उन्हें बाद में इस बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया हमें बताइए कि क्या वास्तव में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का गैर-सरकारीकरण किया जा रहा है।

श्री वी० एन० गाडगिल : समाचार-पत्रों में कुछ गलत खबरें छपी हैं कि हम वि० दृ० प्र० नि० को बन्द करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो इसे बन्द किया जा रहा है, न ही इसका गैर-सरकारीकरण किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता और न ही मैं कुछ छुपाना चाहता हूं। हम मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि उन्हें सुचारू बनाया जा सके। एक दिशानिर्देश यह दिया गया है कि 30 वर्ष पूर्व कार्य (प्रभाग) आरम्भ किया गया था, अगर आज के सन्दर्भ में वह संगत नहीं है तो उसमें सुधार किया जा सकता है या उसे कुछ और कार्य सौंपा जा सकता है। केवल यही दिशानिर्देश दिया गया है। निजीकरण नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्त में मैं इन्सेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसका जिक्र किया गया था। मैंने इस सम्बन्ध में पता लगाया है, मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बताया गया है कि इन्सेट-1-बी की आयु 7 वर्ष है और चेलेंजर के नष्ट हो जाने के बावजूद भी कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया जाएगा। अभी मैं केवल इतनी ही जानकारी दे सकता हूं।

लेकिन इस सन्दर्भ में, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आपको पिछले वर्ष की चर्चा याद होगी। मैंने कहा था कि मेरे समक्ष जो सिद्धान्त हैं, वह न केवल शिक्षा, विकास, जानकारी अथवा मनोरंजन से सम्बन्धित हैं। मेरे समक्ष बुनियादी सिद्धान्त संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द सार्वभौमिक, लोकतन्त्रात्मक समाजवादी गणतन्त्र है। इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? आज मूल समस्या एकता की है। और आकाशवाणी, दूरदर्शन और मेरे मन्त्रालय का कार्य इस पर जोर देना है। इस सन्दर्भ में, मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष के दौरान हमने राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता-संग्राम से सम्बन्धित 62 हजार कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। केवल स्वतन्त्रता-संग्राम पर ही हमने 400 कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। हजारों प्रदर्शनियां लगाई गयीं और केवल पंजाब में ही 900 प्रदर्शनियां लगाई गयीं जिन्हें औसतन 5,000 से 8,000 लोगोंने देखा। ये आज की मूल आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता, मेरा देश, मेरे लोग, एक राष्ट्र आदि पर आधारित थीं। मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि शायद हम उन वैज्ञानिकों से कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने पण्डित नेहरू के विज्ञान की तरफ झुकाव और इन्दिराजी के विज्ञान के विकास में दिए गए सहयोग से इन्सेट-1बी

तैयार किया। इसीलिए प्रसिद्ध पत्रिका 'मेचर' द्वारा उन्हें 'भारतीय विज्ञान की रानी' संज्ञा दी गई थी। हमारे इन्जीनियरों और तकनीशियनों ने बहुत सफलता प्राप्त की है। आज भारत के कोने में बैठा हुआ एक युवक, लन्दन के लार्डस् मैदान में कपिल देव द्वारा शतक बनाए जाते हुए दूरदर्शन पर देख कर खुशी से नाच पड़ता है। वे इस बात का अन्दाजा नहीं लगा सकता कि इस सबके पीछे कौन सी मशीनरी कार्य कर रही है। यह किसकी देन है? हम इन्सेट-1 की वजह से इसे देख सकते हैं, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह कितनी ऊंचाई पर है। यह 22,000 मील ऊपर है। इसका निर्माण किसने किया? आपको उनके महत्त्व को समझना चाहिए। (एक) एक पंजाबी डा० धवन, (दो) एक महाराष्ट्रियन प्रमोद काले, (तीन) असलम, 32 वर्ष का युवा मुस्लिम, जिसकी मातृ भाषा कन्नड़ है। जब पंजाबी, महाराष्ट्रियन, कर्नाटकी, असमी, बंगाली, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी एकजुट हो जाते हैं तो भारत 22,000 मील ऊपर उठ जाता है, इसका यही रहस्य है, यह मेरा प्रयास रहेगा कि अपने मन्त्रालय, विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग राष्ट्रीय एकता के लिए महान् प्रयास के रूप में किया जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पत्रकारों के वेतन बोर्ड सम्बन्धी उठाए गए मेरे मुद्दे का उत्तर नहीं दिया गया। यह एक ज्वलन्त मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसे शून्य काल में भी उठाया गया था, और आप कहते हैं··· (व्यवधान)।

श्री बसुदेव आचार्य : अन्तरिम सहायता की सिफारिश की गई है···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मन्त्री इस बात से सहमत हैं कि आप इसे केवल श्रम मन्त्रालय को भेज दें और वे इस पर विचार करेंगे। कृपया हमें इस बारे में बताइए···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : देहाती क्षेत्रों के पत्रकारों को आवास और पेंशन देने के बारे में मैंने कहा था।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : वेतन बोर्ड के बारे में जिक्र करना मैं भूल गया था। मैंने उनका सुझाव स्वीकार कर लिया है और मैं सभी मुख्य मन्त्रियों को केरल राज्य की तरह पत्रकारों को आवास और पेंशन की सुविधाएं दिए जाने के बारे में लिख रहा हूं, मैं राज्य सरकारों को लिखने जा रहा हूं।

जहां तक वेतन बोर्डों का सम्बन्ध है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे अभी इस बारे में वक्तव्य के लिए जोर न डाला जाए। आप विश्वास रखें मैं इस बारे में श्रम मन्त्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हूं। इससे अधिक अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 66 से 68 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय					
66.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	32,32,000	—	1,61,60,000	—
67.	सूचना और प्रचार	8,26,14,000	49,03,000	41,30,68,000	2,45,17,000
68.	प्रसारण	39,11,88,000	34,42,26,000	1,95,59,39,000	2,22,70,50,000

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने हमें राष्ट्रीय एकता के लिए विषय वस्तु के रूप में दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भारत की राजनीति से साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह को मिटा दें। ऐसा कीजिए। जब आप इस बुराई को समाप्त कर देंगे तो हम बहुत कुछ मदद कर सकेंगे।

1.34 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

(—जारी)

कृषि मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 9 पर चर्चा तथा मतदान करेगी। आज चर्चा 6 म० प० तक, जब गिलोटीन लागू होगा, जारी रह सकती है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पन्द्रह मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 9 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	81,49,000	—	4,07,45,000	—
2.	कृषि	42,07,07,000	2,53,44,09,000	2,10,65,34,000	12,67,20,46,000
3.	मीन उद्योग	4,38,32,000	1,48,69,000	21,91,62,000	7,43,46,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	23,52,26,000	7,70,11,000	1,17,90,30,000	38,50,53,000
5.	सहकारिता	3,46,67,000	39,53,33,000	17,33,33,000	1,97,66,67,000

1	2	3		4	
6.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	15,76,000	—	78,81,000	—
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	26,31,12,000	—	1,31,55,62,000	—
8.	ग्रामीण विकास विभाग	4,43,13,58,000	5,33,000	14,16,22,96,000	26,67,000
9.	उर्वरक विभाग	2,89,16,30,000	73,07,50,000	14,45,81,42,000	3,65,47,50,000

कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व मैं इस भव्य सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हम कृषि सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करने की स्थिति तक किसी प्रकार पहुंच पाए हैं। अब 1.35 म० प० हुए हैं और 6 म० प० तक की समय सीमा है, जिसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसे "गिलोटीन" किया जाना है। उनकी 5 बजे तक जब मन्त्री उत्तर देंगे, 3½ घंटे बाकी हैं। अतः तीन घंटों में मैं चाहूंगा कि चर्चा में यथा सम्भव अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकें, और व मुद्दे उठाएं, केवल मुद्दे उठाएं, लम्बे भाषण न दे दें। मैं जानता हूं आप लगातार घण्टों बोल सकते हैं। किन्तु, मेरी यह इच्छा है कि आप किसी प्रकार से सात मिनट से अधिक समय न लें। और यही समय सीमा होगी, और प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिए यही "गिलोटीन" समय होगा। मैं घड़ी देख के बता दूंगा और किसी भी सदस्य को सात मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा......

श्री सी० माधव रेड्डी : यह दुर्भाग्य की बात है। हमें कृषि के लिए अधिकतम समय रखना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : अन्य विभागों द्वारा अधिक समय लिया गया है। दोष हमारा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि मुद्दे कहना सम्भव होगा। आप कह सकते हैं कि, "ये विशेष मुद्दे हैं। जिनका मन्त्री जी उत्तर दें।"

मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत हैं। अब श्री रामचन्द्र रेड्डी। वह कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं आरम्भ करता हूं। जो समय मुझे दिया गया है मैं उसमें अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आपको दस मिनट मिलेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : पन्द्रह मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, फिर तो आपका समय कम हो जाएगा। मेरे पास विभिन्न संसदों के उदाहरण हैं, जहां केवल तीन मिनट दिए जाते हैं। बस; और कुछ नहीं। यदि सारा सदन एकमत

होकर स्वीकार करता है, तब तो इसे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो वह केवल तीन मिनट देते हैं। आप संक्षेप में कहकर उपलब्ध समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मांग है। समय की कठिनाई के कारण मुझे दस मिनट में पूरा करने के लिए कहा गया है। जहां तक सम्भव हो मैं यह बात मुद्देवार कहना चाहूंगा।

यह मांग भारत की 76% जनसंख्या से सम्बद्ध है। इसमें से अधिक जनसंख्या ऐसी है जिसका अवपोषण होता है। ये ग्रामीण लोग हैं जो पूरे भारत में फैले 6 से 7 लाख ग्रामों में रहते हैं, और यह अर्ध-भूखी और अर्ध-नग्न जनसंख्या है। इनके पास पर छत तक नहीं है।

इस मांग का सम्बन्ध गरीब लोगों से है, और इन लोगों का शहरी धनवान, ग्रामीण तानाशाहों, अफसरशाही, उद्योगपतियों और छोटे राजनीतिकों द्वारा शोषण होता आ रहा है।

यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग चार दशक गुजर गए, इस देश से गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। गरीबी का निवारण करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वे विष्फल हुए हैं। सरकार इस देश से गरीबी हटाने में बुरी तरह असफल हुई है।

सरकार द्वारा यह बात मानी गई हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे जनता की प्रतिशतता घटा कर 39% तक ले आई गई है। यदि हम इन तथ्यों को किसी वाद-विवाद के बिना जैसे का तैसा स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोगों की प्रतिशतता जो इन 30 या 40 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए हैं केवल दस से पन्द्रह तक है। यदि ऐसा है तो इन 39% लोगों को दरिद्रता की रेखा से ऊपर उठाने में कितने वर्ष लग जाएंगे? मुझे लगता है कि हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अतः कलयाडा के पारम्परिक रवैये से उल्टा असर हुआ है और गरीब जनता की शक्तिहीनता चिरस्थाई और दृढ़ हुई है।

इन परिस्थितियों में हमें किसी तरीके का विचार करना होगा, क्योंकि नागरिक धनवान और ग्रामीण गरीब लोगों के बीच अन्तर बढ़ रहा है। उदाहरणतः एक ग्रामीण व्यक्ति प्रतिदिन केवल 10 रु० कमा सकता है, और इन दस रुपए में से वह अपने खाने-पीने और रहने पर 5 या 6 रुपए खर्च कर सकता है। इसकी तुलना उद्योगपति अथवा नागरिक धनवान से कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन 2 हजार रुपए पांच-तारा होटल में रहने के लिए खर्च कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि इन दोनों के बीच 50 तथा 400 गुना अन्तर है। अतः इस अन्तर को मिटाना है। किन्तु सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे यह अन्तर बढ़ता जाता है; वास्तव में इससे अन्तर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है।

जहां तक उपभोक्ता आंकड़ों का सम्बन्ध है मैं माननीय सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा जो उपभोग के प्रकार से स्पष्ट है। शहरी धनवान व्यक्ति प्रतिदिन 427.7 ग्राम खाद्यान और दालें खाता है जबकि ग्रामीण गरीब व्यक्ति प्रति दिन 168.7 ग्राम लेता है। नागरिक धनी व्यक्ति प्रति दिन 34.3 ग्राम खाद्य तेल तथा चिकनाई लेता है और ग्रामीण गरीब लोग 2 ग्राम लेता है। शहरी धनवान लोग प्रति दिन 51 ग्राम चीनी और गुड़ खाते हैं जबकि ग्रामीण गरीब लोग केवल 1.7 ग्राम लेते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक पहलू में ग्रामीण व्यक्ति को कम मिलता है; और अब यह दिखाने के लिए कि ग्रामीण व्यक्ति समृद्ध हुआ है, सरकार ने जादूगरी के इन

आंकड़ों का सहारा लिया है। अब मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया जाता है केवल उन्हें प्रगति के लाभ का लालच दिया जाता है। सरकार भी उस पर अत्याचार करती है। उसको धोखा दिया जाता है और आंकड़ों की जादूगरी से सरकार केवल विकास का एक भ्रम स्थापित करती है।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां सरकार इस बात का दावा करती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निधि में उन्होंने 1985-86 में केवल 230 करोड़ रुपए रखे थे। अब उन्होंने इस राशि को 442 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने इसमें 93 प्रतिशत की वृद्धि की है, और सरकार इसका लाभ उठा रही है; शायद यह ठीक ही है। अब आप कृपया यह आंकड़े देखिए। आप जनता के सामने आंकड़े क्यों नहीं रखते हैं? वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 536 करोड़ रुपए दिए गए; 1984-85 में यह 600 करोड़ रुपए थी। जब 1985-86 की बात आती है तो इसे 230 करोड़ रुपए तक घटाया गया अर्थात 65 प्रतिशत घटाया गया है। आप इन तथ्यों को क्यों छुपाते हैं? आप सफाई से लोगों के सामने आकर यह क्यों नहीं कहते कि यह हमारा भाग्य है?

संसद अधिवेशन से थोड़ा पहले—सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के कर लगाए; उन्होंने कहा कि यह कर प्रशासित मूल्यों के लिए लगाए गए हैं क्योंकि यह ग्रामीण गरीब जनता की अर्थ व्यवस्था और भाग्य सुधारना चाहती है। दो हजार करोड़ रुपए का क्या हुआ? आपने उनके लिए इसमें से कितनी राशि आबंटित की है? आप वह राशि आबंटित करने की स्थिति में भी नहीं हैं जो 1983-84 में आबंटित हुई थी; और जो राशि 1983-84 और 1985-86 के बजट में, जिसके विषय में विचार किया आबंटित की गई उसमें 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपने लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपए के कर लगाए और आबंटन में 1984-85 में 600 करोड़ से 440 करोड़ तक कटौती हुई है। अतः सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह ग्रामीण गरीब जनता की हालत देखें। आप उन्हें भ्रामक आंकड़े देते हैं और उन्हें सताना चाहते हैं। आप वास्तविक तथ्य दीजिए और कहिए कि हम बस इतना कर सकते हैं। कृपया हमें धोखा मत दीजिए; उन गरीब लोगों को धोखा मत दीजिए। वह तो अत्यन्त परिश्रमी लोग हैं। उन्हें इन तथ्यों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आप आंकड़ों की इस जादूगरी को क्यों करते हैं। आप स्पष्ट तथ्य सामने क्यों नहीं रखते हैं और यह क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

जब भी मैं देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि दो प्रकार के लोग या नागरिक हैं। एक प्रकार के नागरिकों की संख्या 24 प्रतिशत है और वे शहरों में रहते हैं; दूसरे प्रकार के नागरिक 76 प्रतिशत हैं और वे ग्रामों में निवास करते हैं। अब, मैं समझता हूं कि सरकार केवल इन 24 प्रतिशत नागरिकों के लिए है और 76 प्रतिशत नागरिकों के लिए नहीं। पूरे प्रशासन को 24 प्रतिशत नागरिकों की भलाई के लिए सक्रिय बनाता जाता है। ये 24 प्रतिशत नागरिक कौन हैं? एक ओर ऐसे लोग भी हैं जिनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और दूसरी ओर ऐसे भी हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पहला वर्ग ऐसा है जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, जो स्पष्ट है, संघटित हैं, और धनी वर्ग के हैं, उद्योगपति, औद्योगिक श्रमिक, व्यापारी, अधिकारी तथा राजनीतिक हैं। जनता के दूसरे वर्ग में ऐसे लोग हैं जो अल्प-सुविधा प्राप्त हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, असंघटित और सुविधा-हीन है, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए भी क्यों कुछ

नहीं करना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1982-83 और 1984 के लिए 80 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी खरीद 497.3 लाख टन थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा केवल 444 लाख टन वितरित किया गया ? खरीद में ही 50 लाख टन खाद्यान्न अधिक था और फिर भी आपने तीन साल में ही 80 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है। यही कारण है कि इस अवधि के दौरान आपने कृषि उत्पादन के मूल्यों को नियन्त्रित कर किसानों को क्षति पहुंचाई थी। आप जब कभी इन वस्तुओं का आयात करते हैं तो आप कहते हैं कि यह आयात सुनिश्चित के लिए निर्धन व्यक्तियों को कम दरों पर भोजन उपलब्ध हो, देश के हित में किया गया है। और आप स्वदेशी आन्दोलन को भूल जाते हैं। परन्तु जब फार्म मशीनों, सिंचाई व्यवस्था जैसे सौरपम्प का जिक्र होता है तो आप इस आधार पर कि इन वस्तुओं के प्रचुर आयात से स्वदेशी उद्योग बन्द हो जायेंगे, उन पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं।

वनस्पति तेलों के भारी आयात के परिणामस्वरूप वनस्पति तेलों का मूल्य सूचकांक 359.5 से गिर कर 281.5 हो गया है। इस प्रकार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। मैंने वार्षिक रिपोर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ी है। एक जगह कुछ सच्चाई नजर आई है। वार्षिक रिपोर्ट के आठवें पृष्ठ पर यह कहा गया है कि अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण सूक्ष्म जल संभर प्रौद्योगिकी द्वारा शुष्क कृषि भूमि का विकास अधिक नहीं हो सका। यह वित्तीय सहायता कितनी है ? यह बहुत कम है। यह कुल बजट का 4% है। 80% तिलहनों की खेती शुष्क भूमि पर की जाती है। फिर भी आप शुष्क भूमि पर खेती करने में कोई रुचि नहीं दिखाते।

जहां तक छोटे और सीमान्त किसानों का सम्बन्ध है, वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या नौ पर यह कहा गया है कि भूमिहर वर्ग का दो-तिहाई भाग छोटे और सीमांत किसान हैं और वे उपजाऊ क्षेत्र के केवल एक चौथाई भाग पर खेती करते हैं।

इसका कारण यह है कि कृषि का बहुत बड़ा भाग कुछ किसानों के पास है। आप उच्चतम भूमि सीमा निर्धारण का सुझाव दे रहे हैं। आप शहरी सम्पत्ति के विषय में भी वही मानदण्ड क्यों नहीं अपनाते ? आप शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित क्यों नहीं करते ?

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : राष्ट्र कृषि वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञ है जो हरित क्रान्ति लाए हैं जिसने हमें केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया है अपितु हम इनका इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि हमें एक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता है। यदि हमारे आयोजकों ने पहली योजना से ही कृषि को प्राथमिकता दी होती तो स्थिति और भी अच्छी होती। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गई। हमारी कृषि प्रोद्योगिकी और जानकारी के कारण चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के आरम्भ में हमारी योजना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। परन्तु मैं हमारे मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि खाद्य तेलों और चीनी के क्षेत्र में हमारी पहुंच इतनी विवेकपूर्ण नहीं रही है क्योंकि ये ही दो वस्तुएं हैं जिनके आयात के लिए हमें 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है।

1.50 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें आगे ऋण देने का अनिच्छुक है। यहां तक कि जो ऋण हम पहले ही ले चुके हैं उनकी ब्याज दर इतनी अधिक है कि मैं मैं नहीं समझता कि विकासशील देश उसे चुका पाने में सक्षम हैं।

कई वर्षों से यह बात विवादास्पद है कि उद्योग को प्राथमिकता दी जाए या कृषि को। कुछ दल ऐसे हैं जो भारी उद्योगों को मान्यता देने में बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे परन्तु बाद में उन्होंने महसूस किया कि भारी उद्योग द्वारा ही, जो आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है, हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि हम पंजाब और हरियाणा में इसके परिणामों से देख चुके हैं। यदि हमारे उद्योग हमारी राष्ट्रीय मांग को पूरा नहीं करते और हमें उर्वरक एवं ट्रैक्टर जैसी वस्तुओं के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, जिनके लिए भारी उद्योगों की आवश्यकता है, तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो सकती जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह अच्छी बात है कि हम एक के बाद दूसरी फसल ले रहे हैं और उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है परन्तु समस्या यह है कि हमारी 38 वर्ष की आर्थिक स्वतन्त्रता के बाद भी हमारा सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र मुश्किल से 38 प्रतिशत है, हमारे वनों का क्षेत्रफल लगभग 35-36% है और हमारी 26% भूमि असिंचित है। हम वैज्ञानिक तरीकों से भूमिगत जल को ऊपर उठा सकते थे ताकि हमारी शुष्क कृषि भूमि पर खेती की जा सकती या उसे अच्छी कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता।

हमारे पशुधन का, जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, इतना सुधार नहीं हुआ जितना कि उसमें होना चाहिए था। यहां तक कि मत्स्य पालन और मत्स्य क्षेत्र में भी इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि उनका विकास अन्य देशों में हुआ है। अतः मैं हमारे मन्त्री महोदय को और विभाग को याद दिलाना चाहता हूं कि मत्स्य पालन और मत्स्य क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इनके अलावा, गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में कई योजनाएं हैं। हमारे देश में गन्ने की पैदावार इतनी बढ़िया होती है कि कभी-कभी हम भरी पूरी फसल लेते हैं। हम इतने अधिक गन्ने का उत्पादन करते हैं कि हमारे कारखाने जुलाई-अगस्त के बाद भी चलते रहते हैं परन्तु अगले वर्ष हम पाते हैं कि चीनी मिलों के लिए दो या तीन महीने का गन्ना भी नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि या तो हमारी योजना में कोई कमी है या कहीं कोई बाधा है जिसे दूर किया जाना चाहिए।

अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय विपणन पर आता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम अब देखते हैं, इतनी अच्छी नहीं है। हमें कृषि और कृषि मांगों पर निर्भर रहना पड़ता है यानि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी पाने के लिए हमें अपनी वस्तुओं की उत्पादन कीमत कम करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। सारी परेशानी यह है कि इस विभाग में भी यद्यपि हम इसकी प्रशंसा करते आए हैं, वे वस्तुएं जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं उनके ऊपर उत्पादन की अन्य लागत की अपेक्षा अधिक खर्च किया जा रहा है। इसलिए काश्तकार या किसान को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। और अब जबकि यह नहीं मिल पा रहा है हमारे ग्रामीणों की दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और योजनाओं का लाभ उसे उस सीमा तक नहीं मिला है जिस हद तक उसे मिलना चाहिए। यह सच है

कि हम बहुत अधिक खुशहाल हो गए हैं। हमारी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई है परन्तु ग्रामीण कृषक समुदाय जो कठिन परिश्रम करता आया है और जो हर प्रकार के दु:ख सहता आया है, तक लाभ नहीं पहुंच पाया है। सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बहुत-सी वस्तुओं में सुधार किया जाना है परन्तु इसके साथ ही जो विभाग कार्य कर रहा है वह ऐसी हरित क्रान्ति लाया है कि हमें उस पर गर्व है और इसके लिए हम मन्त्रालय को बधाई देते हैं।

2.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि और ग्राम विकास विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है। आजादी के बाद कृषि विकास और खाद्यान्न उत्पादन पर हमारा ध्यान कम गया और हमने उन्नीसवीं शताब्दी की तरफ देखकर, ब्रिटेन की भांति देश को औद्योगीकरण की तरफ ले जाने का इरादा किया था, लेकिन अनुभव ने यह बताया था कि यह देश कृषि प्रधान है और कृषि पर ही आधारित है। इसलिए जब हम कृषि में आत्मनिर्भर नहीं हुए, तो हमारे नेताओं ने बहुत समझ-बूझ और समझदारी के साथ कृषि विकास पर ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप आज हम कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हैं, लेकिन मान्यवर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन किसानों ने, गरीब लोगों ने, गांव में रहने वालों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया और हरितक्रांति इस देश में की, उनके साथ आज भी न्याय नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, किसान अनाज पैदा करता है। उसको सारी चीजें महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। उसको खेती में काम आने वाले फर्टिलाइजर, सीड एवं अन्य चीजें बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं जबकि उसका अन्न सस्ते दामों में बिकता है। हमारे बूटा सिंह जी जैसे योग्य कृषि मन्त्री महोदय के होते हुए भी हमारे किसानों को उनकी मेहनत और उनकी लागत का पूरा पैसा नहीं मिलता है, इस तरफ आप जरा ध्यान दीजिए। अभी मान्यवर, पिछले महीने एक पूरक प्रश्न के जरिए माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछा गया था कि आखिर क्या वजह है कि जब अनाज किसान से बनिए की तरफ जाता है, तो उसका मूल्य बहुत कम होता है और जब वही अन्न व्यापारी से किसान की तरफ आता है, तो उसका दाम प्रपोरशनेटली काफी बढ़ जाता है जिसके कारण यह बात हमें दुख के साथ कहनी पड़ती है कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी आपस में मिलकर विचार करें और कोई ऐसी एक नीति बनाएं जिससे अनाज जब किसान से व्यापारी की तरफ जाए, तो उसका दाम कम न मिले। इस बात के लिए मेरा सुझाव यह है कि गांव में, गांव के आसपास और जिला स्तर पर गल्ले के रखरखाव को उचित व्यवस्था हो।

मान्यवर, हमने कृषि मंडियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इन कृषि मंडियों के जरिए जितना फायदा किसान को मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिला है। खासकर मैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि इन कृषि मंडियों से किसान को बहुत कम फायदा मिला है। कृषि मंडियां मात्र टैक्स ले लेती हैं, लेकिन उनसे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, मैंने सुन रखा है कि पांच सौ करोड़ की एक योजना एग्रीकल्चर मार्केटिंग की विश्व बैंक की है। यहां पर हमारे बहुत सारे आफिसर कृषि और ग्राम विकास से सम्बन्धित उपस्थित हैं और स्वयं मन्त्री महोदय भी उपस्थित हैं, मकवाना जी भी मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों के सामने आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में नम्बर एक है, जहां उद्योग धंधों की कमी है और खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के बारे में कहना चाहता हूं जहां जनसंख्या का दबाव इतना अधिक है कि दुनिया में उसका कोई मैच नहीं है। वहां अशिक्षा है, वहां के लोग खेती पर और मज़दूरी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो योजना विश्व बैंक की है, उस स्कीम को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए जरूर चुनें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत आवश्यकता है। मान्यवर अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश अपना हक नहीं ले पा रहा है। वहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची हैं। इसलिए यह विश्व बैंक की योजना आप उत्तर प्रदेश में और खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवश्य ही लागू करें।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को उर्वरकों और बीजों पर सबसिडी देने की योजना केन्द्र सरकार की है, लेकिन मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश, जिसने हरित-क्रान्ति लाकर के अन्य प्रान्तों की तरह, इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, उसी उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग और शासन ने जो रुपया उर्वरकों और बीजों की सबसिडी के लिए केन्द्र सरकार से मांगा है, लाख तकाजा करने के बाद भी उसको अभी तक नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं कृषि मन्त्री जी से भी मिल चुका हूं, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके दिया जा रहा है, जो ऊंट के मुह में जीरा की कहावत चरितार्थ करता है। इस प्रकार से एक बूंद-बूंद कर के उत्तर प्रदेश को जिलाने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वे ध्यान दें। मकवाना जी तो अभी उधर का दौरा करके आए हैं। इस सम्बन्ध में उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू भी समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला है।

सभापति महोदय : मकवाना जी, दिल्ली के बाहर जो जिले हैं, वहीं जाते हैं।

श्री राजकुमार राय : मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना धन मांगा है, उस धन को देने की वे कृपा करें। मान्यवर यह पैसा किसान को पहुंचेगा, गरीब लोगों के पास जाना है। पिछड़े हुए लोगों के पास जाना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि तुरन्त पैसे को भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, कृषि विज्ञान केन्द्र और मुर्गीपालन केन्द्रों के लिए राष्ट्रनायक पं० जवाहर लाल नेहरू ने कल्पना की थी ओर बड़ी-बड़ी जगह, बेंगलौर और चंडीगढ़ मे, जहां-जहां योजनाएं बनीं वे सफलतापूर्वक चल रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां इतनी आबादी है, वहां आप खाद्यान्न को तो पैदा कराते हैं तथा हमको पूरी सुविधा और सहायता नही देते हैं किन्तु फिर भी हम अन्न उपजाते हैं, लेकिन फैजाबाद के पूर्व में एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है और न ही कोई मुर्गी-पालन के लिए कोई शोधकेन्द्र है। इन दोनों के लिए वहां पर कोई शोधकेन्द्र नहीं है। इसलिए मान्यवार, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर इन को खोलने की तरफ प्रयास कीजिए। इसके लिए

मान्यवर, मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की स्टेंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर और रूरल डिवेलपमेंट की थी, उसमें भी मैंने कहा था, तो मुझे भूमि की कठिनाई बताई गई थी। मान्यवर इसके लिए मैंने 50-55 एकड़ भूमि की वरदाह तहसील मोहम्मदा में व्यवस्था की। वहां की पंचायत से इस बारे में प्रस्ताव पास करा कर दिया। इससे न केवल उस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा बल्कि आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, प० बिहार, देवरिया और बस्ती आदि क्षेत्रों को भी लाभ होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुर्गी-पालन के लिए शोध केन्द्र और कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाए। इस सारी चीजों के बारे में जो वहां पैदा होती हैं, इन केन्द्रों के खुलने से वहां के लोग जान सकेंगे और उनको लाभ भी होगा। मान्यवर इस बारे में मन्त्री महोदय ने एक बार घोषणा भी की थी कि हम हर जिले में एक कृषि-विज्ञान केन्द्र देंगे। लेकिन मान्यवर वह घोषणा पूरी नहीं हुई और अब जब पार्लियामेंट में मांग आती है और यहां पर इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह तो रुपये की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यह तो वही बात हुई कि किसी को कहना कि थाली लाओ हम तुम्हें खाना देंगे और जब वह थाली लेकर आया, तो यह कहना कि अब खाना बन जाएगा, तब दूंगा। यह बात ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय वित्त मन्त्री जी से पैसा लेकर किसी तरह से इस बात का उपाय करिए जिससे कृषि विज्ञान-केन्द्र और मुर्गी पालन केन्द्र, एक-एक, दोनों ही खोले जा सकें।

मान्यवर, अभी मथुरा में······**(व्यवधान)**······

सभापति महोदय : अब, आप समाप्त करिए। एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री राजकुमार राय : सभापति जी, बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : नहीं एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री राजकुमार राय : अच्छा सभापति जी, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अभी मथुरा में जो पॉल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर है, उसको उठाकर हरियाणा में ले जाये जाने का विचार चल रहा है। मैं अभी मथुरा गया था, मान्यवर, वहां के लोगों में इस बात से बहुत आक्रोश है। जब मैंने इस बारे में कृषि मन्त्री महोदय से पूछा तो वे कहते हैं कि हम देख रहे हैं। मान्यवर वहां पर पाल्ट्री ब्रीडिंग फार्म का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वहां से उठाकर ले जाया जाना ठीक नहीं है। वहां के लोगों ने भी बड़ा जद्दोजहद किया है, उनकी मांग अपनी जगह पर सही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसे वहां से न हटाया जाये, उसे बरकरार रखा जाये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें जरूर खोली जा रही हैं,

सभापति महोदय : बस अब आप खत्म कीजिए, श्री पी० सी० सेठी।

श्री राजकुमार राय : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के संवर्धन और नई टैक्नीक अख्त्यार करने के लिए केवल कस्या में ही केन्द्र है, कोई दूसरा केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोला जाए।

मैं एन० आर० ई० पी० के बारे में कहना चाहता था कि इसका लाभ गरीब किसान और मजदूरों को ठीक से नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : बस राय साहब बैठ जाइए, फिर बाद में कभी बोल लीजिए।

श्री राजकुमार राय : अच्छा मान्यवर, आपका आदेश है, इसलिए बैठ रहा हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के गया जिले में भूमि परीक्षण तथा उर्वरक गुणवत्ता नियन्त्रक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता।] (6)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बिहार के गया जिले में चावल की मिनीकट एवं सामुदायिक नर्सरी खोलने की आवश्यकता।] (7)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[फसल को महामारी से बचाने की आवश्यकता।] (8)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मिलावटी बीज दिए जाने के कारण उत्पादन में गिरावट को रोकने की आवश्यकता।] (9)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[राज्य फार्म निगम में कुप्रबन्ध के कारण भारी हानि को रोकने की आवश्यकता।] (10)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[उर्वरकों में मिलावट के कारण देश में फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने की आवश्यकता।] (11)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी अनुमण्डल में छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता।] (12)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के गया जिले में लाखों एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता।] (13)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बीज में मिलावट को रोकने की आवश्यकता।] (14)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पौधों के संरक्षण तथा कृषि कीटनाशिकों के नमूने एकत्र करने के लिए प्रवर्तन कक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।] (15)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बंजर भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता।] (16)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि के क्षेत्र में देश के संशाधनों का विकास करने की आवश्यकता।] (17)

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार में पटना जिले के मसौढ़ी तथा नया जिला के खिजर सराय प्रखंड की मीन उद्योग विकास परियोजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता।] (60)

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार में गया जिला में अरवल प्रखंड को मछली पालन विकास योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता।] (61)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार के गया जिला को 'आपरेशन फ्लड' योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता।] (64)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार के पटना जिला के अन्तर्गत मसौढी में डेरी विकास निगम की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता।] (65)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार के पटना जिला के मसौढी अनुमंडल में पशु प्रजनन और पशु चारा उत्पादन के लिए केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।] (66)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार के पटना जिला के मसौढी तथा गया जिला के जहानाबाद में चारा उत्पादन स्थापित करने की आवश्यकता।] (67)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पशुपालन के क्षेत्र में देश के साधनों को विकसित करने की आवश्यकता।] (68)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[खाद्यान्नों, मूंगफली तथा गन्ने की प्रति हैक्टेयर औसत उपज बढ़ाने की आवश्यकता।] (57)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दालों के उत्पादन में सुधार करने की आवश्यकता।] (58)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[मूंगफली की सूखा-रोधी किस्म तैयार करने की आवश्यकता।] (59)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि को एक उद्योग घोषित करने की आवश्यकता।] (74)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि और कृषि-उत्पाद के विकास के लिए तरीके निकालने की आवश्यकता।] (79)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि-उत्पाद के विपणन में सुधार लाने की आवश्यकता।] (80)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[शुष्क भूमि में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता।] (81)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए एक पृथक योजना तैयार करने की आवश्यकता।] (82)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।] (83)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[मूंगफली का समर्थन मूल्य 220 रुपए प्रति क्विंटल देने की आवश्यकता।] (84)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति टन निर्धारित करने की आवश्यकता ।] (85)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि की वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए मार्गोपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता ।] (86)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[लम्बे समय से सूखे की परिस्थितियों का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश के लोगों को सहायता देने की आवश्यकता ।] (87)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को सड़े हुए बीज दिए जाने के कारण उन्हें हुई हानि की भरपाई करने की आवश्यकता ।] (88)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार बाजरा और मूंगफली की उपज में सुधार करने की आवश्यकता ।] (89)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[बिजली की कमी और बिजली के गुल हो जाने के कारण किसानों को हुई हानि की भरपाई दिए जाने की आवश्यकता ।] (90)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि-उत्पाद के वसूली मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता ।] (91)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सभी फार्म-उत्पादों के लिए अधिक समर्थन मूल्य देने की आवश्यकता ।] (92)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय निगम की स्थापना करने की आवश्यकता ।] (93)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषकों को दिए गए सभी ऋणों पर ब्याज की दर को 4 प्रतिशत तक घटाने की आवश्यकता ।] (94)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सहकारी ऋण ढांचे का विस्तार कर के कृषि का विकास करने की आवश्यकता ।] (95)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम की स्वीकृति देने की आवश्यकता ।] (96)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[ब्याज की कम दर पर फार्म ऋण की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता ।] (97)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए की कमी की जाएं ।"

[ग्रामीणों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए सभी ग्रामीण ऋणों को माफ करने की घोषणा करने की आवश्यकता ।] (98)

"कि सहकारिता शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[खेतिहार समुदायों को सांस्थानिक ऋण हेतु उदारतापूर्वक धनराशि देने की आवश्यकता ।] (99)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[कृषि उत्पादों, उप-उत्पादों और अपशिष्टों का परिष्करण करने की आवश्यकता ।] (100)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[आन्ध्र प्रदेश में कृषि में उच्च अध्ययन के लिए नया केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (101)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सभी कृषि उत्पादों के लिए विनियमित मण्डियां स्थापित करने की आवश्यकता ।] (102)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[कृषि में हरित क्रान्ति में आए गतिरोध को दूर करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।] (103)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[देश में बड़े पैमाने पर मिट्टी परीक्षण करने की आवश्यकता ।] (104)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता।] (105)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में और अधिक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता।] (106)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[शुष्क भूमि में खेती में सुधार करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करने की आवश्यकता।] (107)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[ऐसा बीज विकसित करने की आवश्यकता जो 3 से 5 सप्ताहों तक के सूखा सहन कर सके।] (108)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सामान्य कृषकों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी तैयार करने की आवश्यकता।] (109)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि आदानों की मांग और पूर्ति के अन्तराल को दूर करने के लिए मार्गोपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता।] (110)

"कि कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि वैज्ञानिकों के असन्तोषजनक कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता।] (111)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की त्रैमासिक समीक्षा करने की आवश्यकता।] (112)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसे व्यक्ति नियुक्त करने की आवश्यकता जो सहानुभूतिशील समर्पित हों तथा जिन्हें गांवों की हालत का अनुभव हो।] (113)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता।] (114)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की आवश्यकता।] (115)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केन्द्र में अनन्य रूप से सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए एक मन्त्रालय स्थापित करने की आवश्यकता।] (116)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में रायल सीमा में अकाल के स्थायी उन्मूलन की योजना बनाने की आवश्यकता।] (117)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गांवों में सुरक्षित पेय जल की पूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश को अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।] (118)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।] (119)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश को अकाल के लिए धनराशि आबंटित करने में निष्पक्षता बरतने की आवश्यकता।] (120)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश अकाल के गम्भीर परिणामों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय टीम भेजने की आवश्यकता।] (121)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में डी० आर० डी० पी०, डी० पी० ए० पी०, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।] (122)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[ग्रामीण लोगों में गरीबी कम करने के विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता।] (123)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक सप्लाई करने की आवश्यकता।] (124)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।] (125)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मार्गोपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता।] (126)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का उर्वरकों के मूल्यों पर प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता।] (127)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[देश में उर्वरकों के उपयोग में कमी की प्रवृति को पलटने की आवश्यकता।] (128)

"कि उर्वरक विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को मिट्टी परीक्षण के बाद प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरकों की किस्म के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता।] (129)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए कृषि आदानों के समर्थन मूल्यों को संशोधित करने की आवश्यकता।] (130)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता।] (131)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को अपनी उपज को लाभप्रद मूल्यों पर बेचने में सहायता करने के लिए कृषि मण्डियों को विनियमित करने की आवश्यकता।) (132)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि उपज को एक राज्य से दूसरे में लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने की आवश्यकता।] (133)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पहाड़ी इलाकों तथा सूखा-बहुल क्षेत्रों में कृषि वानिकी का विकास करने की आवश्यकता।] (134)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि उपज के क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।] (135)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी कृषि उत्पादों की प्रति हैक्टेयर उपज में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (136)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा के सभी जिलों को गहन कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता।] (137)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि उपज की वृद्धि दर में आई गिरावट पर विचार करने की आवश्यकता।] (138)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (139)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पादन में विशेषकर पूर्वी राज्यों में हुई कमी पर विचार करने की आवश्यकता।] (140)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पादन का आयात बन्द किए जाने की आवश्यकता।] (141)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों को पेंशन देने के लिए केन्द्र की ओर से सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (142)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आन्ध्र प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु केन्द्र द्वारा सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (143)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[शुष्क भूमि में खेती करने के तरीकों में सुधार के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में आधुनिक उपकरण दिए जाने की आवश्यकता।] (144)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[किसानों को पर्याप्त मात्रा में मूंगफली के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता।] (145)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि आधानों तथा कृषि उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता।] (146)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[शुष्क भूमि में खेती के विकास हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता।] (147)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 30 रुपये प्रतिदिन नियत करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता।] (148)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सारे देश में कृषि उपज के मूल्यों में समानता लाने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता।] (149)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[मिलेट, मक्का, बाजरा, रागी और चोलम जैसे मोटे अनाजों, जो गरीबों का मुख्य भोजन है, के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (150)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सारे देश में कृषि मजदूरों को पेंशन देने की योजना बनाने की आवश्यकता ।] (151)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[देश में कृषि विस्तार कार्यक्रम की धीमी प्रगति की जांच करने की आवश्यकता ।] (152)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इन्दौर) : महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की आपूर्ति और निर्यात के माध्यम से कृषि समग्र आर्थिक विकास में जो योगदान करती है उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान है । यह हमारी अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का स्त्रोत है और यह गैर-कृषि वस्तुओं तथा सेवाओं का विस्तृत बाजार प्रदान करती है । इस देश में कृषि के इतने महत्व के कारण अनुवर्ती योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है । इसके परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में बहुमुखी सुधार हुआ है और वास्तव में कुछ वस्तुओं जैसे जूट, मेस्ता तथा कपास का उत्पादन मांग से अधिक हो गया है । ऐसा सिंचाई वाले क्षेत्र में त्वरित गति से वृद्धि होने, अधिक फसल देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से सम्भव हुआ है । बुनियादी सुविधाओं के अलावा, इन उपलब्धियों की प्राप्ति में नई प्रौद्योगिकी के विस्तार, लाभप्रद मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद का योगदान है । इस विकास के परिणामस्वरूप न केवल खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई है बल्कि आधुनिकीकरण के जरिए कृषि के अधिक विकास की संभावनाएं भी प्रबल हो गई हैं और यहां तक निर्यात, जो हम अब भी कर रहे हैं, उसके विकास की भी संभावनायें बढ़ गई हैं ।

तथापि, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में जो हर वर्ष भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है उसमें कमी आने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन अभी भी अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता है और यहां तक कि तथाकथित नियन्त्रित सिंचाई जो कुओं से की जाती है, उसके साथ-साथ छोटी सिंचाई का भी अधिकतर भाग मानसून पर निर्भर करता है । कृषि उत्पादन में निरन्तर उतार-चढ़ाव से मालूम होता है कि कृषि में अच्छी फसल प्राप्त कर लेने पर तथा स्टाक जमा हो जाने पर भी आत्मसंतोष कर लेने तथा विकास सम्बन्धी प्रयत्नों में सुस्ती बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है । इससे यह आवश्यकता भी महसूस होती है कि कम सिंचित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि पर सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर तथा जहां सिंचाई सम्भव नहीं है अथवा अधिक खर्चीली है वहां सूखी खेती का विकास कर हर स्थान पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । भारत जैसे बड़े देश में, जहां कृषि को प्रभावित करने वाली जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में अलग-अलग स्थानों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, खाद्यान्न उत्पादन को हर स्थान पर बढ़ाकर कुल उत्पादन के वार्षिक उतार-चढ़ाव में कमी लाना सम्भव है तथा इससे हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थान से खाद्यान्न दूसरे स्थान पर पहुंचाने पर जो लागत आती है वह घट सकेगी ।

कृषि के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिकांश वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, जहां सतही सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें तथा बाजार आदि जैसी बुनियादी सुविधायें मौजूद हैं और जहां किसानों की क्षमता इतनी अधिक है कि वे अधिक धन लगाने का जोखिम उठा सकते हैं ।

अनुमान है कि देश में जितनी भूमि पर अनाज उगाया जाता है उसकी तुलना में ऐसी विकसित भूमि का क्षेत्रफल केवल 15% है जबकि हरित क्रान्ति के बाद अनाज उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसमें से 56% वृद्धि ऐसी विकसित भूमि पर ही हुई है।

परन्तु विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों के किसानों के बीच कृषि के संतुलित विकास से रोजगार और मजदूरी तथा कम समृद्धि क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सकती है।

भारतीय कृषि क्षेत्र में असंतुलन का एक अन्य पहलू एक ओर तो खाद्यान्नों तथा अखाद्यान्नों के बीच और दूसरी ओर स्वयं खाद्यान्नों के बीच फसलवार उत्पादन में असमानता के सम्बन्ध में अन्तर है। फसल असंतुलन कुछ अंश तक क्षेत्रीय असंतुलनों से आता है। उदाहरण के लिए पूर्वी क्षेत्र में, जहां उत्पादन कम है, और जहां उत्पादन की बहुत सम्भावना है चावल के उत्पादन में प्रगति से इस अन्तर-फसल असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से बाजरा, दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाकर शुष्क भूमि पर खेती की प्रगति से इस अंतर-फसल असंतुलन को भी ठीक किया जा सकता है। चूंकि इन क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों की प्रधानता है, उन्हें इस प्रकार के विकास से अधिक लाभ दिया जा सकता है। अन्तर-फसल असंतुलनों को सही करके कृषि संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अनाज के मूल्य एक उचित सीमा तक निर्धारित करना भी आवश्यक होना ताकि अन्तर-फसल समानता और उत्पादन की खरीद सुनिश्चित की जा सके।

इसलिए इससे यह समझा जाता है कि सिंचाई, नालियों, सड़कों, मंडियों और कम विकसित क्षेत्रों में ऋण संस्थाओं, नई प्रौद्योगिकी का विस्तार, विशेष रूप से शुष्क भूमि में खेती की प्रगति, वनरोपण और समुचित मूल्य तथा फसलों के लिए वसूली नीतियां जैसे बुनियादी विकास द्वारा कृषि विकास और आधुनिकीकरण के आधार को इसलिए व्यापक बनाना आवश्यक है ताकि कृषि उत्पादन का विकास तेजी से किया जाए, वार्षिक उत्पादन में उतार-चढ़ाव की स्थिति में कमी की जाए और अन्तर-क्षेत्रीय अन्तर-फसल और अन्तर-वर्ग असमानताओं को ठीक किया जाए। इस तरह की विकास पद्धति कृषि सम्बन्धी उद्योगों के फैलाव के माध्यम से ग्रामीण विकास को आवश्यक गति प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से कृषि आत्मनिर्भरता, गरीबी दूर करने, उत्पादकता में वृद्धि और पर्यावरण परिरक्षण के राष्ट्रीय उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस प्रकार की वस्तुओं जैसे तेलों, दालों और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि पर जोर देना चाहता हूं जिसके लिए सप्लाई से अधिक मांग है। मांग को पूरा करने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु विशेष योजनायें बनाई जानी चाहिए।

अभी उर्वरक मन्त्री से यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि उर्वरक का उत्पादन बढ़ गया है। उर्वरक की भी मांग बढ़ी है। और हमें खुशी है क्योंकि बढ़िया किस्म के उर्वरक संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मन्त्री महोदय नामरूप संयंत्र की स्थिति सुधारने के बारे में संचयात्मक हैं परन्तु मुझे आशा है कि दूसरे संयंत्र समय पर शुरू हो जायेंगे परन्तु इसके लिए पाइप लाइनों को समय पर पूरा करना बहुत आवश्यक है और मुझे आशा है कि मंत्रालय इस पर जोर देगा कि जिन पाइप लाइनों का काम शुरू किया गया है उसे समय पर पूरा किया जाए, ताकि ये उर्वरक संयंत्र, जिनके लिए विशाल राशि खर्च की गई है, समय पर उत्पादन करें।

*श्री आयनल अबेदिन (जंगीपुर) : सभापति महोदय, आर्थिक योजना के 35 वर्ष बाद सरकार दावा करती है कि उसने कृषि के क्षेत्र में अधिकतम सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, हमारे पास खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार है तथा हम आज अन्य देशों को भी खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं।

परन्तु दूसरी ओर हम वास्तविक स्थिति क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अधिकाधिक किसान लगातार भूमिहीन होते जा रहे हैं। उनके दुःख, भुखमरी, आवश्यकताएं तथा अन्य विपत्तियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और भूमि तथा अन्य ग्रामीण संपत्ति कुछ ही हाथों में जमा हो गई है। महोदय, भारत मे एक परिवार के, जिसमें पांच व्यक्ति हों, प्रतिवर्ष 8½ क्विटल अनाज की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समुचित सिंचाई सुविधायें होतीं और यदि हम ठीक समय पर अन्य सामग्री का उपयोग करते तथा सही मात्रा का उपयोग करते और यदि हम एक वर्ष मे दो फसलों का उत्पादन करते तो प्रति परिवार के लिए 8½ क्विटल की आवश्यकता का उत्पादन केवल 30 से 33 डेसीमल तक अपनी भूमि में कर सकते थे। हमारे सीमांत किसानों की भूमि का औसत आकार 0.37 हेक्टेयर है, अर्थात् खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उससे यह 2½ गुनी से अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश के प्रत्येक सीमांत किसान फालतू खाद्यान्न का उत्पादक बन सकता है यदि उसे अपेक्षित सुविधायें प्राप्त हों, परन्तु इसके बावजूद हमारे लाखों छोटे और सीमांत किसान, बटाईदार, और खेतिहर मजदूर की तरह काम करते हैं और भुखमरी तथा अर्द्धभुखमरी की स्थिति में रहते हैं। क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महोदय, कुछ सीमा तक हमारे कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों ने उसे स्वीकार किया है। उसमें यह बताया गया है कि, "पिछले कुछ समय में कृषि उत्पादन में वृद्धि सहायक सामग्री में वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है जिससे सहायक सामग्री की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है। महोदय, कुछ विशेषज्ञों की राय में पिछले दशक में उत्पादिता 23 प्रतिशत कम हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि अतिरिक्त अनाज की उपज करने के लिए किसान अपनी भूमि में जितनी सहायक सामग्री का प्रयोग करता है वह उसके लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही है अर्थात अनाज उत्पादन द्वारा उसे जो कुछ मिल रहा है वह सहायक सामग्री की लागत की क्षतिपूर्ति भी नहीं करता है। प्रति टन या प्रत्येक क्विटल अनाज के उत्पादन के लिए उसे अतिरिक्त व्यय करना होता है। साथ-साथ किसानों की फसल की कीमत बढ़ती नहीं है बल्कि वह घटती है। इसके कारण किसान अपनी भूमि से लाभ नहीं कमाता बल्कि उसे हानि पूरी करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं।

महोदय, भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य कृषि के क्षेत्र में बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी बहुत कम है। सरकार दावा करती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। इस तरह क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता को दूर किया जाएगा और इस संबंध में पूर्वी क्षेत्र में धान के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

*मूलत: बंगाल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। यदि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वी राज्यों में सिंचाई के लिए आवंटन पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होगा कि इन राज्यों में उत्पादकता में कितनी वृद्धि होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच वर्षों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया गया आवंटन इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के लिए 400 करोड़ रुपए, असम के लिए 334 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 696 रुपए, अर्थात इन तीन पूर्वी राज्यों के लिए सिंचाई के प्रयोजन के बदले कुल आवंटन 1430 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ केवल महाराष्ट्र के लिए 1890 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, गुजरात के लिए 1676 करोड़ रुपए है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की बजाय यह इसको और आगे बढ़ाएगा। तथाकथित हरित क्रान्ति के लाभ हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में नहीं पहुंच पाए हैं। इस क्षेत्र के लोग हरित क्रान्ति के अच्छे परिणामों से वंचित हैं। इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में सबसे कम है। इसके बावजूद 'तीस्ता सिंचाई परियोजना' जिसका राष्ट्रीय महत्व है, में केन्द्र का योगदान इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से केवल 5 करोड़ रुपए का है।

महोदय, पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एम० आर० सेन समिति ने कई सिफारिशें की थीं। मैं माननीय मन्त्री से इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आग्रह करता हूं। उसमें विशेष रूप से एक यह सिफारिश थी कि पूर्वी क्षेत्र की सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय बजट में एक निश्चित धनराशि आवन्टित की जानी चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो पूर्वी क्षेत्र अपनी कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ा सकेगा। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय असन्तुलन को सद्भावना की घोषणा से केवल दूर नहीं किया जा सकता। महोदय, देश के किसानों के सामने कृषि उपज की मूल्य नीति चुनौती के रूप में आई है।

पिछले वर्ष सरकार ने पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया था। परन्तु किसानों का यह अनुभव है कि पटसन की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई वह उसकी उत्पादन लागत से भी बहुत कम थी। अधिकांश निर्धन किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिले थे क्योंकि भारतीय पटसन निगम सही समय पर बाजार नहीं पहुंचा सका। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना पटसन एजेन्टों और स्टाकिस्टों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम मूल्य पर मजबूरी में बेचना पड़ा था। सरकार कहती है कि यह उचित मूल्य है। इसी तरह की स्थिति अन्य कृषि उत्पादों पर भी लागू होती है।

पिछली 8 जनवरी को पटना में पूर्वी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी। वहां माननीय कृषि मन्त्री भी उपस्थित थे। उस सम्मेलन में बिहार के मुख्य मन्त्री ने भी टिप्पणी की कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई गेहूं और धान की कीमत अयथार्थवादी थी। यह समाचार कई समाचारपत्रों में छपा था। यदि सरकार किसानों की रक्षा करना चाहती है, यदि सरकार किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना चाहती है तो उसे अपनी मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन करना होगा। इसके अलावा कृषि मूल्य और लागत आयोग को एक संगठन के रूप में बदलना होगा जो किसानों को विश्वास में लेगा। किसानों को इस पर विश्वास होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए इस आयोग में वास्तविक कृषकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं ग्रामीण विकास के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस समय ग्रामीण लोगों

में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनायें तथा परियोजनायें शुरू की जा रही हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार, हमारी 37 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार को आशा है कि आने वाले दशक में अर्थात् 1994-95 तक इनकी संख्या जनसंख्या का 10 प्रतिशत कम करना संभव होगा। संयुक्त राज्य अमरीका में इस समय कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

अब, महोदय, सरकारी घोषणा के अनुसार आगे आने वाले 10 वर्षों में हमारी स्थिति इस मामले में संयुक्त राज्य अमरीका से अच्छी होगी! इसमें शक नहीं कि सुनने में ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय हमारी लगभग 48 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे थी। आज हम दावा करते हैं कि यह 37 प्रतिशत है! इसका अर्थ है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से णीचे रहने वाले लोगों की संख्या 11 प्रतिशत कम हो गयी है। अब, इस 11 प्रतिशत का अर्थ है लगभग 8 करोड़ लोग। आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16,56,727 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इनकी संख्या 8 करोड़ और 28 लाख होती है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छठी योजना में आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित सभी व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है। परन्तु ग्रामीण विकास विभाग के 1986-87 के कार्यनिष्पादन बजट से पता चलता है कि आर० बी० आई० के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लाभान्वित परिवारों में से केवल 17 प्रतिशत ही गरीबी के रेखा से ऊपर आए हैं। एन० ए० बी० आर० डी० के सर्वेक्षणानुसार यह 47 प्रतिशत है और पी० ई० ओ० सर्वेक्षणानुसार यह 49.4 प्रतिशत हैं। कुछ समय पहले श्री नीलकांत रथ ने आंकड़े देकर बताया है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठने वालों की संख्या 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अब अनुमानों में 3 प्रतिशत से लेकर 49.4 प्रतिशत जितना भारी अन्तर हैं, किस आंकड़े को सही माना जाए? मैं माननीय मन्त्री से ही जानना चाहूंगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की वास्तविक संख्या क्या थी तथा उनमें से कितने लोग वास्तव में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके? क्या उनके पास वास्तव में इसका कोई सही हिसाब है। आखिरकार यह गरीबी रेखा क्या है। अब तक आई० आर० डी० पी० लाभभोगियों का मापदंड था, जिसके अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3500 रुपए थी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 4800 रुपए होगी। गरीबी की रेखा को 6400 रुपए पर निर्धारित किया गया है। अब जिन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का दावा किया जाता है उसके लिए कौनसी गरीबी रेखा काम में ली गयी है? यह 3500रुपए या 4800 रुपए या 6000 रुपए वाली आय सीमा है? महोदय, वर्तमान सामन्तवादी शोषण व्यवस्था के साथ हमारी ग्रामीण जनता की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना सम्भव नहीं होगा। अगर आप गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इस नारे को 'किसान को भूमि' लागू करना होगा। हालांकि 1950 से सरकार ने सिद्धांत रूप से किसान को जमीन देने की बात को स्वीकार कर लिया परन्तु राजनैतिक इच्छा की कमी के कारण सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठा पायी है। इसी कारण भूमि सुधारों के क्षेत्र में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। महोदय, आज की तारीख तक हमारे देश में केवल 37.56 लाख एकड़ भूमि को फालतू जमीन घोषित किया गया है। जिसमें से विभिन्न राज्य सरकारों ने केवल 58.37 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। और फिर इसमें से केवल 45.09 लाख एकड़ का वितरण किया गया है। अगर भूमिहीन किसानों को कब्जा मिल जाता तो काफी कृषक अपना स्थायी सम्पत्ति आधार बना लेते। परिणामस्वरूप, भूमि पर आधारित उत्पादन

अथवा अन्य सहायक कार्यों से उनकी क्रय शक्ति बढ़ सकती हैं और वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। महोदय, दूसरे भूमि सुधार विधेयक को, जिसे पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 1981 में प्राप्त किया था, काफी समय बाद माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और वह अब कानून बन गया है। इस कानून का उद्‌देश्य उन बड़े जमींदारों, बड़े जोतदारों इत्यादि के कब्जे से फालतू जमीन को लेकर, जिन्होंने गैर-कानूनी रूप से बेनामी लेन-देन इत्यादि द्वारा भूमि को हस्तांतरित कर दिया, लाखों गरीब भूमिहीन कृषि श्रमिकों, हिस्सेदार श्रमिकों, इत्यादि में वितरित करना है। अगर अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करके ऐसा ही कानून अपने यहां पारित कर दें तो लाखों एकड़ भूमि को बड़े जमींदारों आदि से प्राप्त करके उसे भूमिहीनों में वितरित किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से दूसरे राज्यों को भी ऐसा कानून बनाने के लिए प्रेरित करने का निवेदन करता हूं ताकि भूमिहीनों को जमीन का कब्जा दिया जा सके।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ! केन्द्रीय सरकार को इसके राजस्व का आधा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है और 70 प्रतिशत जनसंख्या इस पर निर्भर है। अतः इस विषय पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। हम कहते रहते हैं कि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। परन्तु जो आंकड़े किए गए हैं उनसे पता चलता है कि हमारा उत्पादन दावे के साथ मेल नहीं खाता। चालू वर्ष का उत्पादन भी लगभग 1480 लाख टन होगा जो लगभग लक्ष्य से 60 लाख टन कम होगा। महोदय, मैंने कहा है कि चालू वर्ष का उत्पादन 1480 लाख टन होगा जो निर्धारित लक्ष्य से 60 लाख टन है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस शताब्दी तक इसकी 100 करोड़ तक पहुंचने की आशा है और एक अनुमान के अनुसार खाद्यान्न की आवश्यकता 2400 लाख टन होगी। अतः यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि क्या आत्मनिर्भर होने के लिए 2400 लाख टन के लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए सम्भव होगा।

महोदय, सातवीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त की जाएगी। छठी योजना के दौरान यह स्थिति नहीं थी और जो आंकड़े समय-समय पर जारी किए गए हैं वे भी दर्शाते हैं कि जो भी आंकड़े बाद में जारी किए गए हैं वे सरकार के दावों को झुठलाते हैं।

अब, महोदय, मुझे यह प्रसन्नता है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि पूर्वी क्षेत्र को पूर्णतया उपेक्षित किया गया है और हरित क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ है। हमें केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत हमें छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और हमें वार्षिक वर्षा के पानी को तालाबों, टैंको में एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सिंचाई की जा सके। पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर चावल पैदा किया जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि हमें उन क्षेत्रों में दालें और तिलहनों की पैदावार के लिए भी प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इनकी कमी है।

अब मैं खाद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। खाद की खपत बढ़कर 90 लाख टन तक होने की सम्भावना है और फिर भी हमें विदेशों से खाद का आयात करना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि खाद के इस प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता का भी क्षय हो रहा है। अतः हमें आर्गेनिक खाद और गोबर खाद का भी विकास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और आर्गेनिक और गोबर खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेर व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां हम इस रसायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते और

जहां वर्षा नहीं होती वहां इसका प्रयोग बहुत ही कठिन है। अतः हमें आर्गेनिक खाद तथा गोबर खाद पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसकी प्रोद्योगिकी सरकार के पास उपलब्ध है और अगर उसमें कमी है तो उसका विकास करना चाहिए।

अब मैं भूमि संरक्षण के प्रश्न पर आता हूं। आंकड़ो से पता चलता है कि खेती योग्य क्षेत्र का आधा भाग भूमि-कटाव से प्रभावित है। जब मैंने सभा में इसके बारे में प्रश्न पूछा था तो मुझे जवाब दिया गया था कि सरकार भूमि संरक्षण के लिए सामान्य उपाय करती रही है। मैंने सुझाव दिया था कि भू-संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि खेती योग्य भूमि के आधे क्षेत्र में भूमि कटाव हो रहा है। मैं इस बात पर दोबारा जोर देना चाहता हूं।

महोदय, शुष्क भूमि पर खेती का काम शुरू किया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि इस सदन में एक प्रश्न उस समय पूछा गया था जब सदन के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि दिल्ली से जोधपुर आकर एक व्यक्ति ने शुष्क भूमि पर खेती शुरू की और अब वह सौ एकड़ भूमि पर ही खेती करके साल में लगभग एक लाख रुपए कमा लेता है। तो इससे पता चलता है कि शुष्क भूमि पर खेती का भविष्य अच्छा है। मैं जानता हूं कि सरकार इस तथ्य से अवगत है और शुष्क भूमि पर खेती के लिए इन उपायों को सक्रियता से अपनाएगी।

2.30 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

अब मैं ग्रामीण विकास को लूंगा, क्योंकि इस मन्त्रालय का पुनर्गठन किया गया है। अब यह कृषि मन्त्रालय नहीं रह गया है। अब यह कृषि और सहकारिता मन्त्रालय है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग काम कर रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। प्रधानमन्त्री भी इस विषय की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उन स्थानों का दौरा कर रहे हैं जहां आदिवासी, हरिजन और गरीब रहते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या लाभ उन तक पहुंच रहा है। उन्हें बहुत सी विकृतियों का पता चला है। हाल ही में मैंने बैशाली में पी० ए० डी० आई० के तत्वावधान में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया था जिसमें एक बैंक प्रतिनिधि और ग्राम सेवक भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने अनुभव बताए जिससे प्रतीत होता है कि उस स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। मैं इस बात को जानता हूं कि वित्त मन्त्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि अब लाभभोगियों को पैसा सीधे नकदी के रूप में दिया जाएगा अगर वे बैल, गाय, भैंस, आदि कुछ खरीदेंगे। पशु किस तरह के हों इसके चयन करने की उनकी जिम्मेदारी होगी और इसके लिए उन्हें रसीद पेश करनी होगी। दूसरे, सामान्य काम के लिए, निजी लाभभोगी को 3000 रुपए दिए जाएंगे और उसे इसके लिए उपयोग किए जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। मेरे ख्याल से आज ही प्राक्कलन समिति ने सामाजिक बैंकिंग के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र ने पर्याप्त कार्य नहीं किया है और नए भरती होने वाले लोग गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना होगा।

जहां तक 'ट्राइसेम' का सम्बन्ध है सेन्ट्रल बैंक स्वयं प्रशिक्षण दे रहा है। लेकिन केवल 30% प्रशिक्षित व्यक्ति ही उद्योग लगाने के लिए आगे आए हैं! अन्य नहीं। अहमदाबाद स्थित आई० आई० एम० भी इस कार्यक्रम को चला रहा है। लेकिन यह कार्यक्रम कुछ उपलब्धि प्राप्त करने में असफल

रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह स्थिति का अध्ययन करके पता लगाए कि ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपना उद्योग शुरू करने और अपनी कुशलता का उपयोग करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं ? इस एक बात पर मैं जोर देना चाहता हूं।

जहां तक लाभभोगियों के चयन का सम्बन्ध है, परिचालित रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि अब लाभभोगियों का चयन ग्राम सभाओं में किया जाएगा। मालूम नहीं ग्राम सभाएं वास्तव में सक्रिय है या नहीं। जहां तक मुझे मालूम है कहीं भी ग्राम सभाएं काम नहीं कर रहीं है। मेरा निवेदन है कि ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं होती हैं और उनमें लाभभोगियों का चयन नहीं किया जाता है। 1978 में जब काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था तभी गांववाले एक स्थान पर एकत्रित हुए थे और लाभभोगियों का चयन किया गया था। उन सभी लोगों की उपस्थिति में सही व्यक्तियों का चयन किया गया था। अगर चुनी गई ग्राम सभा की बैठक होती है और लाभ-भोगियों का चयन बैठक में किया जाता तो गलत किस्म के लोगों और जो लोग निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते उनका चयन नहीं होगा। बहुत से क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। मैं अपने राज्य बिहार के बारे में जानता हूं जहां बहुत सालों से ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। अब आप गांवों में सहकारिता आन्दोलन को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मेरा अनुभव बहुत दुःखदायी है और मेरे ख्याल से मन्त्री जी को यह मालूम है। क्या किया जाना चाहिए ? इसे उन लोगों के चुंगल से बचाना चाहिए जो सहकारिता के क्षेत्र में एकाधिकार जमा रहे हैं। जो लोग इस आन्दोलन में रुचि रखते हैं उन्हें सहकारी समितियां गठित करने, उसके कामों में भाग लेने का और इन समितियों के खिलाफ कोई आरोप लगाए बिना उन्हें सही ढंग से चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मेरे पास एक विचार है जिसे मैं मन्त्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उर्जा मन्त्रालय पर हाल ही में हुई चर्चा के दौरान बताया गया था कि एक ऊर्जाग्राम की स्थापना की जा रही है और यह ग्राम ग्रामीण ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। माननीय मन्त्री से मेरा सुझाव है कि वह हर ब्लाक में कुछ गांवों की ओर ध्यान दें ताकि वे उद्योग, कौशल, सड़क, सिंचाई, पेयजल की पूर्ति बिजली, आदि के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। अगर आप ऐसे गांवों की स्थापना कर सकें जो काफी हद तक आत्मनिर्भर होंगे, तो उससे प्रोत्साहन मिलेगा और देश में व्याप्त संदेह और निराशा का वह वातावरण समाप्त हो जाएगा जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। इससे उन लोगों में आशा और प्रेरणा उत्पन्न होगी। इस तरह सरकार आत्मनिर्भरता ला सकेगी और गांव में हर व्यक्ति को इससे लाभ होगा। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने पी० ए० डी० आई० की वैशाली स्थित शाखा के प्रतिनिधियों से भी बात की थी। मुझे आशा है कि वे भी इस मामले को आगे बढ़ायेंगे। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक कुशलता की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि सरकार पैसे के अलावा अपेक्षित प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक कुशलता भी उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में यह चर्चा है कि हमारे यहां अन्न की पैदावार में वृद्धि हुई है। मैं भी यह मानता हूं। लेकिन इस वृद्धि से देश के आम लोगों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको लाभ नहीं पहुंचा है। उनकी क्षमता नहीं है कि वे अन्न खरीद कर अपना पेट भर सकें। इसलिए अन्न की पैदावार में वृद्धि करने के साथ-साथ

हमें गांवों में जमीन के वर्तमान रिश्ते में परिवर्तन लाना होगा। तब जाकर गांवों में पूंजी का निर्माण होगा, उद्योग धंधे लग सकेंगे, गांवों के लोग खुशहाल हो सकेंगे और जो लोग वहां गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं उनको भरपेट खाना मिल सकेगा।

अपने देश में 143 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है जिसको टोप सोयल कहते हैं। लेकिन इसमें 85 लाख हेक्टेयर भूमि रोज किसी न किसी वजह से बर्बाद हो रही है। जिसके कारण हमारे देश में 30 लाख से 50 लाख टन अन्न का नुकसान होता है। इस अन्न की कीमत 45 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए होती है।

हमारे देश में 67 लाख हेक्टेयर भूमि को जंगल विभाग ने जंगल लगाने के नाम पर अपने पास किसी न किसी कानून के तहत रख छोड़ा है। लेकिन इस भूमि में से केवल 30 लाख हेक्टेअर भूमि में ही जंगल लगे हुए हैं जबकि जमीन जंगल के नाम पर परती पड़ी हुई है। फिर 40 लाख हेक्टेयर जमीन जो उत्पादन योग्य है, बिल्कुल वीरान छोड़ी हुई है। फिर 16 लाख हेक्टेअर जमीन बागवानी के नाम पर और 13 लाख हेक्टेअर जमीन चारागाह के नाम पर छोड़ी हुई है। इस तरह से हम 266 लाख हेक्टेअर जमीन पर खेती कर सकते हैं, बाग-बगीचा लगा सकते हैं, चारागाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें से 175 लाख हेक्टेअर जमीन का रोज-रोज छीजन हो रहा है। पानी के दबाव से, हवा के दबाव से, बाढ़ की वजह से जल जमाव या अंधाधुन्ध रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन बरबाद हो रही है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि जो जमीन की बरबादी हो रही है, उस पर अगर रोक लगा दें तो मैं समझता हूं कि आज जो पैदावार हो रही है, उस पैदावार से दुगनी-तिगुनी बढ़ोतरी हो सकती है। सभापति जी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त सिंचाई की होती है और अभी तक आपने 30.50 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का सृजन किया है, लेकिन आज तक उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अभी तक हम 25.30 लाख हेक्टर भूमि को सिंचित कर पाए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग कीजिए।

मैं एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि आज जो दाम के नाम पर किसानों की लूट हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान पैदा करता है और अनाज जब खेत से घर लाता है तब मजबूर होकर उसको सस्ता बेचना पड़ता है, उसके पास कोई और साधन नहीं होता, जिससे वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। मजबूरी में वह अपना अनाज सस्ता बेचता है और जब खरीदने जाता है तो उसको महंगा मिलता है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां का किसान इतना अभागा है कि सस्ता बेचकर महंगा खरीदता है। दूसरी ओर जिन वस्तुओं का उत्पादन कल-कारखानों में होता है, उसकी कीमत उत्पादन करने वाले लोग मनमानी लेते हैं। आप खाद तैयार करते हैं, जिसमें 52 से 56 पैसे प्रति किलो यूरिया पर खर्चा आता है। आप इस खाद को देश के कोने-कोने में पहुंचाते हैं। कुछ दिन पहले जो आप इसको एक रुपया बारह-तेरह पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे, इस पर भी आपने 200 रुपए प्रति टन बढ़ा दिया है। इसी तरह से नमक एक छोटी सी चीज है लेकिन जिसकी देश के हर आदमी को आवश्यकता होती है। एक किलो नमक तैयार करने में और उसको देश के कोने-कोने में पहुंचाने में 21 पैसे प्रति किलो खर्च होते हैं, लेकिन आज बाजार में नमक 80 पैसे प्रति किलो मिलता है। इसी तरह से सीमेंट की बात है, सीमेंट तैयार करने में 26 से 28 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बाजार में सीमेंट 67-68 रुपए प्रति बोरी मिलता है। आज कारखानों में बनने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और

किसान के खेत में पैदा होने वाली चीज कौड़ियों के मोल बिक रही है। जब तक आप दाम नहीं बांधेंगे तब तक किसान की रुचि इस तरफ पैदा नहीं होगी, उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी और वह ईमानदारी से दूसरी जगहों की बजाए खेती में मेहनत नहीं करेगा। खेती की पैदावार में वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि दाम बांधे जाएं। इसके साथ-साथ मैं यह भी आगाह करना चाहूंगा कि चाहे आप सिंचाई की व्यवस्था कर दें, जल-जमाव की समस्या का अंत कर दें, बाढ़ पर रोक लगा दें, जमीन के छीजन की समस्या हल कर दें, दाम बांध दें, तमाम उपाय कर दें, लेकिन जब तक जमीन का रिश्ता नहीं बदलेंगे, तब तक देश में कभी शांति नहीं हो सकती, देश से भूख नहीं मिट सकती और जब तक देश से भूख नहीं मिटेगी, देश में शांति नहीं होगी, देश में आंदोलन होगा और अव्यवस्था होगी। आज क्या है, आपने भूमि सुधार का जो कानून बनाया है वह सब कागजों पर रखा है। 1962 में भूमि सुधार का कानून बना था, लेकिन वह कानून ज्यों का त्यों कागजों पर रखा है। मेरे यहां बिहार में आज भी 15 वर्षों से भूमि हदबंदी कानून के तहत 10 हजार मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े हैं। कई लोगों की जमीनें निकलती हैं, लेकिन उन लोगों ने बेनामी तरीके से और गलत लोगों के नाम पर, फर्जी नाम पर जमीनें रखी हुई हैं। आपने भूमि हदबंदी कानून के तहत मठों-मंदिरों को छूट दी है। मेरे यहां बिहार में 5000 मठ और मंदिर हैं, जिनके पास 100 एकड़ से लेकर 10 हजार एकड़ तक जमीन है। मेरे यहां 10 हजार ऐसे किसान हैं जिनके पास 500 एकड़ से लेकर 15 हजार एकड़ तक जमीन है और ये किसान कहां हैं। आप माफ करेंगे, अधिकांश वे किसान आपकी ओर बैठे हुए हैं। इसलिए आज ईमानदारी का तकाजा है, आप ईमानदारी से इस कानून को लागू करें और जिसको आप जमीन देते हैं, उसके साथ यह शर्त लगाएं कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग करेगा, सहकारी खेती उसको करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ जो पड़ती जमीन है, उसको तुड़वाने का काम शुरू करें, इसके लिए भूमि-सेना का गठन करें और उसका खर्चा आप दें। पड़ती भूमि पर जिन लोगों को बसाएं, उनके साथ भी यह शर्त रखें कि उनको सहकारी खेती करनी पड़ेगी। इस तरह से सहकारिता का प्रचार-प्रसार कीजिए। अन्त में तो "सबै भूमि गोपाल की" वाली बात होनी चाहिए, सहकारी खेती जो प्रथम चरण है, वही अन्तिम चरण में यही रखना पड़ेगा कि जमीन पर गांव की मिलकियत होगी। गांधी जी के राम राज्य की स्थापना के लिए, विनोबा जी के सर्व भूमि गोपाल के लिए, जयप्रकाश जी के ग्राम स्वराज के लिए और डा० राम मनोहर लोहिया के चौखम्भा राज्य की स्थापना के लिए अन्ततोगत्वा जमीन की मिल्कियत गांवों को देनी पड़ेगी, तब जाकर इस देश में सही मायने में शान्ति आ सकती है और समता तथा सम्पन्नता का नया समाज बन सकता है। अन्त में पंचायत के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पंचायत की बड़ी चर्चा होती है। लेकिन आज तक क्या आपने पंचायतों को अधिकार दिया है, नहीं दिया है। जो भी अधिकार दिए गए हैं, जब चाहें छीन सकते हैं। संविधान के तहत बंटवारा कर दीजिए कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषदों और पंचायतों को ये अधिकार दिए हैं। पंचायतों को सक्षम और स्वावलम्बी बनाने के लिए आपको संविधान के तहत अधिकारों का बंटवारा करना पड़ेगा और देश में जो विकास के काम होते है, उन कामों से पंचायतों और जनता का तभी सहयोग होगा, नीचे से आपकी योजनायें चलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा और गांधी जी ने जो सपना देखा था, वह पूर्ण होगा कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति गांवों को मिले, इन शब्दों के साथ मैं आपकी मांगों का विरोध करता हूं, इसलिए कि जुबान से तो आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर की बड़ी महत्वपूर्ण मांग है और इसके लिए आपने आठ घंटे का समय घटाकर साढ़े तीन घंटे कर दिया

है, इससे साबित होता है कि एग्रीकल्चर का कोई महत्व नहीं है। आप जुबान से महत्व देते हैं, कर्म से नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम क्या कर सकते हैं क्योंकि इनमें अन्य मांगों के लिए पहले से अधिक समय ले लिया है।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : हम तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले से ही अन्य मांगों के लिए बहुत समय ले लिया है। हम इस वाद विवाद को अब समाप्त करते हैं। श्री घोलप।

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं विरोधी दलों से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव देने की बजाय उन्हें इस विभाग के प्रस्तावों को प्रभावित करना चाहिए क्योंकि कम से कम हम इस विभाग के कार्य को बचा सकें। हम जानते हैं कि हम मिलों का आयात कर रहे थे परन्तु इस 30 या 35 वर्ष के भीतर हमने अपना उत्पादन विशेष रूप से चावल में बढ़ाया है। हम प्रत्येक वर्ष 11 लाख टन अधिक चावल का उत्पादन कर रहे हैं। गेहूं के सम्बन्ध में हम प्रत्येक वर्ष 12 लाख टन अधिक उत्पादन कर रहे हैं। हम कुछ अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए मैं वैज्ञानिकों, कृषकों और विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, यह भारत की स्थिति है कि हम खाद्य उत्पादन के मामले में मजबूत हो रहे हैं।

लेकिन कृषकों की स्थिति क्या है। भारत में औसत व्यक्ति की 1980 में औसत आय 1968 रुपए थी। औसत व्यक्ति की नवीनतम आय 2348 रुपए है।

अन्य देशों में एक औसत व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में यह स्थिति है :

आस्ट्रेलिया	—	77,775
कनाडा	—	70,972
फ्रांस	—	80,637
जर्मनी	—	87,474
इंडोनेशिया	—	3,344
पाकिस्तान	—	2,799

इसका मतलब यह है कि अन्य देशों के साथ तुलना में बहुत बड़ा अन्तर है। अन्य देशों में औसत आय बहुत अधिक है जबकि भारत में बहुत कम है। अतः हमको सोचना चाहिए कि औसत आय कितनी होगी—विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी की औसत आय को साथ-साथ मिलाकर जो 1916 है। कृषि विभाग में वे प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण करते हैं। और ग्रामीण जनसाधारण की अलग से आय क्यों नहीं दी जाती? यह ठीक नहीं है। यदि इसे दिया जाता है तो यह प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए कम होगी। इसलिए मैं विभाग से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण और शहरी आयों के बारे में अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

कृषि पर निर्भरता का सम्बन्ध है, भारत में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। विश्व का औसत केवल 43% है और कुछ देशों में यह 8%, 9%, 10% या 12% है। अतः कृषि पर ऋण को किस प्रकार से कम करना है यह भी भारत के लिए समस्या है। कृषि सम्बन्धी उद्योग जैसे चीनी के कारखाने, कताई कारखाने और बागवानी की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

सामान्यतः मजदूरों को बोनस दिया जाता है, परन्तु आजकल केन्द्रीय कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाता है। परन्तु कृषकों के बारे में क्या स्थिति है? उन्हें क्या मिलता है? उनकी औसत आय केवल 900 रुपए है। हमें यह विचार करना होगा कि उन्हें किस प्रकार से अधिक मिल सकता है। उनके उत्पादन के लिए अधिक मूल्य दिए जाने चाहिए। उन्हें कुछ अधिक प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कहा जाता है कि कृषक बनने की बजाय चपरासी बनना अच्छा है? क्योंकि निश्चित रूप से चपरासी को अधिक पैसा मिलता है जबकि कृषक को बहुत कम मिलता है।

आपने फसल बीमा हाल ही में शुरू किया है। परन्तु यह कृषकों को ऋण देने तक सीमित है। चाहे यह ऋण का बीमा है, या फसल बीमा है यह उसे दिए गए ऋण के $1\frac{1}{2}$ गुना तक सीमित है। मैं नहीं समझता कि यह सीमा क्यों होनी चाहिए।

कृषकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की जहां तक सम्बन्ध है, चूंकि हम उन्हें उचित मूल्य नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें कम से कम उन्हें ब्याज की दर में कुछ छूट देनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले हमने निर्णय किया था—अर्थात चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि कृषक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज केवल 6% होगा। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कृषकों को 6% की दर से ऋण देने की अनुमति के लिए पूछा है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 6% से ऊपर का ब्याज दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसी तरह केन्द्रीय सरकार ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है, मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें 6% के ब्याज की दर पर ऋण मिल सके।

गांवों में यह कहा जाता है कि पौधों की सुरक्षा करना कठिन हो गया है और कुछ अधिक कीड़े मकौड़े हो गए हैं क्योंकि सरकार मेढ़कों की टांगों का निर्यात कर रही है। मेढ़क पौधों की रक्षा करता है। परन्तु सरकार प्रति वर्ष 3,000 टन तक मेढ़कों की टागों का निर्यात करती है। बीमारियों के विरुद्ध पौधों की सुरक्षा में इस समस्या के कारण मेढ़कों की टांगों के निर्यात पर रोक लगाई जानी चाहिए;

जहां तक प्राकृतिक विपदाओं का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र ने 561 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है, परन्तु उसे केवल 52 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अग्रिम अनुदान या राज्यों को दिए गए ऋण के लिए अपने मानदण्डों में परिवर्तन नहीं किया है।

जहां तक मत्स्य विभाग का सम्बन्ध है, हम प्रतिवर्ष लगभग 382 करोड़ रुपए की मछलियों का निर्यात करते हैं। वहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ी जाती हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के के लिए पोतों पर डीजल तेल में उत्पाद शुल्क की छूट है। छोटे किसान जो यन्त्र चलित नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं वे यह राज सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा अन्तर क्यों है? महाराष्ट्र में हमने इन लोगों की डीजल पर बिक्री कर से छूट दी हुई है यदि वे सहकारिता पम्पों के माध्यम से डीजल तेल खरीदते हैं। उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में भी वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

ग्रामीण विकास विभाग के सम्बन्ध में मैं कृषि विभाग के माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से इस अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। पिछड़े क्षेत्रों में जहां आदिवासी लोगों की संख्या 90% है और 90% वन भूमि भी है वहां विद्यालयों, सड़कों, तालाबों आदि के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इस तरह के कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है। बिजली भी नहीं दी गई है। यदि यह ऐसा है तो इन पिछड़े क्षेत्रों को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। यदि एक छोटे टुकड़े की भूमि की आवश्यकता है अर्थात 50 एकड़ तो सरकार के विकास और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इसे तुरन्त देना चाहिए।

मैं अपना भाषण सभापति जी को धन्यवाद करके समाप्त करता हूं तथा मैं कृषि से संबंधित मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एम० महालिंगम (नागापट्टिनम): उपाध्यक्ष महोदय, अपने ए० आई० ए० डी० एम० के० दल की ओर से मैं कृषि और सहकारिता मन्त्रालय की 1986-87 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

शुरू में, मैं देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उल्लेख करना चाहता हूं। यह हमारे देश में बराबर होता है कि हमारे देश का एक भाग बाढ़ द्वारा तथा दूसरा भाग सूखा द्वारा पीड़ित रहता है। देश के किसानों को प्रत्येक वर्ष में यह दोहरा प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। इस गरीबी की परिस्थिति में उनके द्वारा लिए गए ऋण की भुगतान करने की आप उनसे किस प्रकार से आशा करते हैं? वे ब्याज का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं जिन पर इस प्रकार के ऋण पर जमा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अल्प अवधि ऋण पर ब्याज की दर 11 से 14 प्रतिशत है। यह दर इतनी अधिक है कि वे अदा नहीं कर सकते हैं। इस अवसर पर मेरा यह सुझाव है कि छोटे और सीमांत किसानों से ऋणों पर 5 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। केवल तभी उन्हें इस प्रकार के ऋणों से कुछ लाभ होगा।

विद्वान नेता STO एम० जी० आर० के नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार ने गैर-संस्थानीय स्त्रोतों अर्थात् साहकारों के ऋण से छोटे तथा सीमान्त किसानों को मुक्त कराने के लिए एक कानून पास कर दिया है। देश के सभी राज्यों को इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। हमारे मुख्य मन्त्री ने, जो किसानों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध हैं, बहुत कम दर पर बिजली सप्लाई करने की भी व्यवस्था कर दी है। मेरा सुझाव है कि किसानों को जो देश का मुख्य आधार है बहुत कम ब्याज पर ऋण आदि दिए जाने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की कोई शाखा नहीं खोलनी चाहिए। किसानों को सरलता से ऋण देने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होना चाहिए। तमिलनाडु में केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। हमारे माननीय कृषि मन्त्री को अपने पद का उपयोग करते हुए देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रत्येक ताल्लुक मुख्यालयों में इसकी शाखा सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम में कई हजार मछुएं हैं। फिश सीड फार्म योजना को

*मूलतः तमिल भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विश्व बैंक सहायता कर रहा है जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित हो रही है। तमिलनाडु में समुद्री हिस्सा बहुत ज्यादा है लेकिन वहां एक फिश सीड फार्म नहीं है। इसी तरह, मछली किसान विकास योजना वहां कार्यान्वित नहीं की गई है। विश्व बैंक सहायता ने छोटे और मझोले जलाशयों के लिए जलाशय मत्स्य विकास का आश्वासन दिया है। परन्तु इस परियोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1897 में भारतीय मछली पालन अधिनियम पारित किया गया था। इस पुराने कानून को बदलने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार है। मैं चाहता हूं कि मछुओं की भलाई के लिए इस विधेयक को तुरन्त बनाया जाए। छोटे मछुआरों के लिए एक दूसरी योजना भी है जिसे बीच लैंडिंग क्राफ्ट कहते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है इस योजना से इसे भी कोई लाभ नहीं मिला है। मन्त्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस योजना के लिए राज्य सरकारों को धनराशि रिलीज करने के लिए एन० सी० डी० सी० को मानदण्ड तैयार करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि यह कहा गया है कि यह योजना पिछले दो वर्षों के दौरान से कार्यान्वित की जा रही है, अभी तक कोई मार्ग दर्शन नहीं बनाए गए हैं। ये सभी योजनाएं मछुआरों के कल्याण के लिए हैं जिन्हें अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्रियाशील मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना है जिसमें 5 लाख मछुआरों को शामिल किया गया है। केवल तमिलनाडु में 20 लाख मछुआरे हैं। मैं चाहता हूं कि शब्द 'कार्यशील' हटा दिया जाना चाहिए और सामूहिक बीमा योजना को सभी मछुआरों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। एक नेशनल फीशरमैन हाउसिंग कारपोरेशन गठित की जानी चाहिए ताकि मछुआरों को समुद्री श्लोक के नजदीक मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके जो रहने के लिए सुरक्षित स्थान है।

आज भी हमारे 5.5 लाख गांवों से नजदीक की मण्डियों और बाजारों में अनाज बैलगाड़ियों से ले जाया जाता है जो परिवहन का मुख्य साधन है। कृषि उपकरण तथा मशीनरी सम्बन्धी परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पशु खेतिहर का सबसे अच्छा दोस्त है। बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। परम्परागत साधारण कृषि उपकरणों को काफी मात्रा में बनाया जाना चाहिए। परम्परागत हल चलाने को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पशुओं को वैज्ञानिक आधार पर भी पाला जाना चाहिए। किसानों को उनके अधिक पुरानी परिसम्पत्ति से सहायता की जानी चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु में तंजावुर जिला कृषि उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। यहां के किसान मैटूर जलाशय से पानी की सप्लाई पर निर्भर रहते हैं। उन्हें मैटूर जलाशय से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। जब भी उन्हें यहां से कुछ पानी मिलता है, उन्हें आवश्यकता के समय नहीं दिया जाता है। वास्तव में उन्हें पानी की कमी से दुःखी है चाहे यह छोटा किसान हो या बड़ा किसान। मेरा सुझाव है कि तंजावुर जिले के सभी किसानों को ट्यूबवैल लगाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। उन्हें सस्ते दर की ब्याज पर ऋण और अनुदान दिया जाना चाहिए। उन्हें यहां आधुनिक सिंचाई नहर प्रणाली के लिए भी वित्तीय रूप से सहायता दी जानी चाहिए। इसी तरह उन्हें सस्ते दरों पर कीटनाशी दवाइयों और उर्वरक सप्लाई किया जाना चाहिए ताकि उनको खरीदने के लिए उन्हें धन की कमी न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपने मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रहे वाद-विवाद में भाग लेते समय मुझे बहुत ही क्षोभ है और मैं अत्यधिक दुःख के साथ बोल रहा हूं।

यह वर्ष हमारे लिए बहुत ही बुरा और बहुत ही कठिनाई भरा सिद्ध हुआ है। प्रकृति बहुत ही कठोर थी। प्रकृति ही नहीं अपितु आप भी बहुत निर्दयी हैं कि आपने चर्चा के लिये तीन या चार घंटे दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अन्तरंत, ध्यानाकर्षण आदि अनेक बातों की चर्चा की गई थी। लोक सभा ने अपना अधिकांश समय कृषि के लिए आवंटित किया था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : लगभग 12 राज्य और दो संघ राज्य क्षेत्र सूखाग्रत हैं और 22 राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में ओले पड़े हैं, आगजनी, हिमपात और तूफान आदि की घटनायें घटी हैं। मैंने आपको अत्यधिक निर्दयी इसलिए कहा था क्योंकि आपने इस पर चर्चा करने के लिए केवल तीन से चार घंटे का समय दिया है, जो मन्त्रालय देश की 70 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक मन्त्रालय नहीं है। इसके साथ तीन मन्त्रालय हैं—उर्वरक, कृषि और ग्रामीण विकास। इन तीन मन्त्रालयों को मिलाकर 4 घंटे मिले हैं। इसलिए, हमें बहुत ही संक्षेप में कहना होगा और कृषि मन्त्रालय के कुछ ही पहलुओं तक सीमित रहना होगा। हक विस्तार में नहीं जा सकते हैं। और न ही हम गहराई में जाकर चर्चा कर सकते हैं, हम अधिक समय चाहते हैं ताकि मैं और मेरे साथीगण हम माननीय सदस्यों को अपने कार्यक्रमों, खाद्यान्न में वृद्धि आदि के बारे में बता सकें जिससे अपने देश के किसानों और निर्धन व्यक्तियों को लाभ हो सके।

अब तक चार या पांच वक्ता इस चर्चा में भाग ले चुके हैं। हम उनके भाषण सुन रहे थे। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर मैं दूंगा।

श्री सेठी ने तिलहन, चीनी और दालों को उत्पादन बढ़ाने के बारे में कहा है। हमारे प्रधान मन्त्री की भी तीव्र इच्छा है कि तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसीलिए, उन्होंने कहा है कि काम को एक लक्ष्य के रूप लिया जाए और हमारे वैज्ञानिकों को लक्ष्य पूरा करने की भावना से इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना चाहिए। इसलिए तिहलन का उत्पादन बढ़ाने का प्रौद्योगिकी का लक्ष्य प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। इसने कार्य आरम्भ कर दिया है। हमारे वैज्ञानिक बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में हम जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेंगे और ऐसी किस्म विकसित कर पायेंगे जिससे कम समय में ज्यादा उपज प्राप्त की जा सके और जिसमें बीमारी आदि लगने की सम्भावना न हो। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। आगे आने वाले समय में तिलहनों और दालों का उत्पादन और बढ़ जाएगा। उन्होंने गन्ने के उत्पादन के बारे में भी कहा था। गन्ने की ओर भी हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान गया है और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं जिससे कि अच्छे किस्म के रोग मुक्त गन्नों का उत्पादन बढ़ सके और उत्पादन बढ़ सके। हमारे वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में फैलने वाली 'पाइरिल्ला' जैसी बीमारियों के सम्बन्ध में कुछ कार्य किया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण जी ने पूर्वी राज्यों में चावल, दालों, तिलहन के उत्पादन के बारे में भी जिक्र किया है। 8 जनवरी, 1986 को मेरे वरिष्ठ साथी श्री बूटा सिंह ने पूर्वी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ पटना में एक बैठक में भाग लिया था और वहां पर इस बात पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। उन्होंने पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन और दालों तथा तिलहनों के विकास के बारे में भी चर्चा की थी। इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी और विभिन्न प्रकार के ऐसे धान की पौध के विकास के लिए एक परियोजना तैयार की गई है, जो यहां की मिट्टी और क्षेत्र के उपयुक्त हो और भरपूर फसल दे सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में फिलीपीन अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की सहायता से एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी और इस गोष्ठी में धान का पौद के उत्पादन में आने वाली भारतीय कृषकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था।

छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए भी कुछ मुद्दे उठाए गए थे। छोटे तथा सीमांत कृषकों की सहायता के लिए हमारे यहां अनेक योजनाएं हैं। हम चाहते हैं कि कृषि का विकास हो और इसलिए हमने फसल बीमा योजना आरम्भ की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्यारह राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने राज्यों में अन्न के मामले में, विशेषकर चावल, गेहूं, धान और बाजरा की फसल के मामले में कृषकों का बीमा कर दिया है। अनाजों के मामले में 2 प्रतिशत की तथा तिलहनों और दालों के मामले में एक प्रतिशत की प्रीमीयम की किस्त है। छोटे तथा सीमांत किसानों के मामले में 50:50 के आधार पर 50 प्रतिशत की किस्त केन्द्र द्वारा तथा 50 प्रतिशत की किस्त राज्य द्वारा अदा की जाती है। 1985 में खरीफ की फसल के समय इस योजना में 23.25 लाख किसानों को सम्मिलित किया गया था और जिसके अन्तर्गत 41.80 लाख हेक्टेयर भू-क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। कुल 540.81 करोड़ रुपए का बीमा किया गया था और 9.33 करोड़ रुपए किश्तों के रूप में एकत्र किए गए थे। 1985 के दौरान 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की थी। इस योजना के अन्तर्गत उन किसानों का बीमा किया जाता है, जिन्होंने ऋण लिया है। इसलिए इसके बारे में कुछ आलोचना भी की गई है। कुछ सदस्य चाहते हैं कि इसके अन्तर्गत उन किसानों भी शामिल किया जाए, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है। किन्तु यह योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और प्रायोगिक आधार पर चलाई गई है और हम चाहते हैं कि उसे शुष्क खेती तथा उन क्षेत्रों में भी चलाया जाए, जहां किसानों ने ऋण नही ले रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे किसान अपनी फसल के बारे में निश्चित रहे और यदि फसल अच्छी नहीं हो पाती है; तो बीमा के माध्यम से हम उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। इसीलिए यह योजना आरम्भ की गई है और निकट भविष्य में हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

मछली पालन के मामले में भी, मछली पालन करने वाले द्वीपों के विकास के लिए तथा अधिक संख्या में मछली पकड़ने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मछली पकड़ने की एस्टेट बनाई जा रही है और हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मछली पकड़ने की एस्टेट बनायी हैं। हम मछली पकड़ने के ऐसे एस्टेट बना रहे हैं जिससे किसानों को विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस मत्स्य पालन से कुछ अधिक धन कमा सकेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सहायता मिलेगी।

जहां तक डेरी विकास का सम्बन्ध है, दुग्ध क्रांति का हमारा प्रथम चरण तथा दूसरा चरण पूरा हो गया है। इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला है। आज दूध का इतना अधिक उत्पादन हो रहा है कि उसे सम्भालने की प्रक्रिया के बारे में डेरियों की परेशानी हो रही है। पहले जब हमने इस देश में दुग्ध डेरियां आरम्भ की थीं, तब उसकी बहुत आलोचना हुई थी। अनेक शिकायतें हुई थीं और लोग हमसे पूछा करते थे कि हम क्या कर रहे हैं? दुग्ध प्रक्रिया पूरी करने के लिए दूध कहां है और क्या उसे घी, 5 एम० पी० बटर आयल या मक्खन आदि में परिवर्तित किया जाएगा। किन्तु आज दूध का विधायन करने की हमारी क्षमता कम पड़ रही है इसलिए हमारे पास जितना दूध आता है, वह सारा दूध हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूध उत्पादकों को उसका घी बनाकर बाजार में बेचना पड़ता है। इसीलिए घी का मूल्य गिर गया है और अब घी और मक्खन अधिक मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं। अतः उस कार्यक्रम से किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को तथा भूमिहीन श्रमिकों को सहायता मिली है। यह योजना मार्च, 1975 में स्वीकृत की गई थी और कुछ वर्षों तक यह प्रारम्भिक अवस्था में रही। किन्तु इस समय देश में 40368 दुग्ध सहकारी समितियां हैं और 154 दूध के शैड हैं। 42.46 लाख किसान इन समितियों के सदस्य हैं। 25321 डेरी सहकारी समितियां पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत आती हैं। 8241 डेरी सहकारी समितियां अप्राकृतिक प्रजनन के अन्तर्गत आती हैं। ई० ई० सी० के माध्यम से हमें दूध चूर्ण, बटर आयल तथा मक्खन प्राप्त हुआ है और पुर्नसंयोजन के माध्यम से हमने धनोपार्जन किया है और दूध के विधायन की और सुविधाएं विकसित की हैं। ई० ई० सी० के माध्यम से हमने बड़े-बड़े शहरों के लिए ताजे दूध का प्रबन्ध किया और पोषक डेरियां तथा बड़ी-बड़ी डेरियां स्थापित की। इस कार्यक्रम से डेरी विकास तथा पशु पालन के विकास की दिशा में वास्तव में काफी अच्छा कार्य किया गया है।

अब हम दुग्ध क्रांति के तीसरे चरण की योजना बना रहे हैं और आशा करते हैं कि दुग्ध क्रान्ति के तीसरे चरण की योजना से हमारी उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर निर्भरता कम हो जाएगी।

जहां तक उद्यानों का सम्बन्ध है, फलों, सब्जियों, काजू, मसाले आदि के विकास के लिए हमारे यहां होर्टिकल्चर बोर्ड है। इस सम्बन्ध में अनेक कार्य किए गए हैं और होर्टिकल्चर आयुक्त फलों, सब्जियों आदि से सम्बन्धित बीमारियों के सभी पहलुओं पर तथा नई-नई किस्मों के विकास पर और अधिक उत्पादन पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, समय बहुत थोड़ा है और चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं क्योंकि यह मन्त्रालय एक बड़े साम्राज्य की तरह हैं। कुछ मन्त्रालय ऐसे हैं, जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है, यदि पांच मन्त्रालय मिला दिए जाएं, तब जाकर यह मन्त्रालय बन सकेगा। इस मन्त्रालय का क्षेत्र और आकार इतना बड़ा है और इसी लिए इतनी सारी बातों की चर्चा करनी पड़ती है। यहां जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, उनपर मेरे साथी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे क्षेत्र अछूते रह गए हैं, विशेषकर उर्वरक तथा अन्य विषयों के बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं पाई है, किन्तु महोदय, मुझे इस बात का विश्वास है कि हम किसानों को सहायता देने की दिशा में भरसक प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कि आने वाले दिनों में हम ज्यादा अनाज तो पैदा कर ही पाएंगे। इसका उत्पादन आज भी ज्यादा है, साथ ही साथ दालों तथा तिलहन को भी जिनकी आज कमी है, हम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा पाएंगे और हमारे देश के निर्धन व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं होगी।

महोदय, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे वैज्ञानिक और हमारे विकास कार्यकर्त्ता (एक्सटेंशन वर्कर्स) जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तथा जो अपने अनुसन्धान कार्य को प्रयोगशाला से निकालकर क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं, वे सब किसानों की सहायता करते रहेंगे और खाद्यान्न के मामले में कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है, लगभग सभी के सभी राज्यों में सूखा, और बाढ़, तूफान आदि का प्रकोप रहा है और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 22 राज्य तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों में इस बार बाढ़ तथा हर प्रकार की आपदाओं का प्रकोप रहा है, वहां बाढ़, तूफान, ओला वृष्टि, हिमखण्डपात और आग लगने की घटनाएं घटी हैं, जिनका उल्लेख आठवें वित्त आयोग के नए प्रतिवेदन में किया गया है। एक राज्य में आग लगी तो दूसरे राज्य में भूकम्प आया। किसी न किसी राज्य में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। इतना होते हुए भी हमें आशा है कि हमारा उत्पादन लगभग 1500 लाख टन के बराबर होगा और खाद्यान्न के मामले में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ, महोदय, चर्चा में बोलने के लिए, आपने जो मुझे समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा मैं एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे सभी साथी, मैं स्वयं तथा हमारे सभी अधिकारीगण, हम सब मिलकर इस देश के किसानों के लिए सर्वोत्तम कार्य करने का यथा सम्भव प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के० मोहनदास (मुकन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की लगभग 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। स्वाभाविक है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का सबसे अधिक योगदान है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है लेकिन अभी भी यह वर्षा पर ही निर्भर करती है। यही कारण है कि 1983-84 में जो 1524.7 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन कम होकर 1984-85 में केवल 1462.2 लाख टन रह गया है। हम अपने खेतों की सिंचाई पूरी तरह नहीं कर पाए हैं। यदि हम अपने कम से कम 60 प्रतिशत खेतों को ही सिंचाई की सुविधा प्रदान कर पाते तो आज हमारी पैदावार दोगुनी हो गई होती। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में सिंचाई सुविधा होने के कारण हम हरित क्रान्ति ला पाए थे। हरित क्रान्ति के कारण ही निश्चित रूप से देश की खाद्य स्थिति में परिवर्तन हुआ है और खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। किसी समय में भारत खाद्यान्न आयात करता था और आज वह खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में है।

3.19 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

अपने वैज्ञानिकों के आश्चर्यजनक अनुसन्धान कार्यों तथा किसानों द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने के कारण ही यह सम्भव हो सका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री महोदय विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसन्धान कार्य को बहुत अधिक महत्त्व दे रहे हैं। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज तैयार करने, कृषि नियन्त्रण तथा अन्य पौध संरक्षण उपायों, भूमि संरक्षण तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में अनुसन्धान करके हम अपना उत्पादन कई गुना कर सकते हैं।

तथापि हरित क्रान्ति केवल उत्तर के कुछ राज्यों तक ही सीमित रही है। इसको दक्षिण में

से आगे की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। हमें हरित क्रान्ति को एक व्यापक आधार देना चाहिए। इसके लिए एक सन्दर्शी योजना की जरूरत है।

बहुत समय से यह शिकायत रही है कि किसानों को अपने उत्पादों का लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों की यह शिकायत है कि विभिन्न अनाजों का खरीद मूल्य निर्धारित करते समय, उत्पादन की वास्तविक लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। गत कई दशकों के अन्तराल में लागत वस्तुओं के मूल्य में कई गुनी वृद्धि हुई है किन्तु खरीद मूल्य में बहुत थोड़ी वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर, केरल जैसे राज्य में, जहां श्रम बहुत महंगा है, धान की उत्पादन लागत अभी भी अधिक है। मुझे खुशी है कि सरकार कृषि उत्पादों के लिए दीर्घकालीन मूल्य नीति बना रही है। यह काम तेजी से किया जाना चाहिए और इस नीति को अन्तिम रूप देने से पहले, सरकार द्वारा किसानों को विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा नई मूल्य नीति में उनकी मांगों को उपयुक्त मान्यता मिलनी चाहिए तथा उन्हें लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिए।

कुछ ऐसी वाणिज्यिक फसलें हैं जो किसी राज्य या विशेष प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका एक उदाहरण है—नारियल। महोदय, नारियल केरल की अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार है और नारियल के मूल्यों में गिरावट आने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यथार्थ में ऐसा ही हुआ है। पिछले वर्ष वास्तव में नारियल के मूल्यों में गिरावट आई थी। 1984 में जो नारियल 3-4 रुपए का बिक रहा था, वही 1 रुपए में बेचा जा रहा है। राज्य की समूची अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ हुई है। एक तरफ सूखे के कारण बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ नष्ट हो जाने से किसानों को बहुत नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ मूल्यों में भारी गिरावट आने से उन्हें गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में केरल के नारियल उत्पादकों ने हमेशा ही कठिनाई का सामना किया है क्योंकि जिस तरह यहां गेहूं और चावल के लिए लॉबी हैं, वैसे गन्ना उत्पादकों के लिए नहीं है। यहां तक कि फल उत्पादकों की भी यहां एक लॉबी है। जब सेब की फसल को रोग लगा था तो इसे राष्ट्रीय रोग घोषित किया गया था और सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे। लेकिन नारियल के पेड़ों में रोग लगने के कारण जब काफी बड़े क्षेत्र में उसकी फसल नष्ट हो गई तब सरकार उतनी चिंतित नहीं हुई। कुछ शोध कार्य चल रहा है और कुछ राशि खर्च की गई है। लेकिन हम अभी तक इस समस्या का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं खोज पाए हैं।

नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाने के बारे में भी ऐसा ही है। नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि मन्त्रालय को कई प्रतिवेदन दिए गए। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया। यदि न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता तो निश्चय ही गन्ना उत्पादकों को कुछ राहत मिल जाती। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे और नारियल उत्पादकों, की जिनमें से अधिकांश लघु और सीमान्त कृषक हैं, की रक्षा करें।

महोदय, केरल में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया है। मैं इस बारे में आंकड़े बताना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में केरल का कार्य-निष्पादन प्रभावशाली रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रम तथा गरीबी-उन्मूलन के अन्य कार्यक्रमों के लिए केरल को दिए जाने वाले आबंटन में वृद्धि करे। इस सम्बन्ध में, मेरा एक अनुरोध है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनाज के रूप में

आधी मजदूरी दी जाती है। केन्द्र इसके लिए गेहूं आबंटित करती है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग गेहूं खाने के आदी नहीं होते और इसलिए वे गेहूं नहीं लेते। इस तरह सारा गेहूं ऐसे ही पड़ा रहता है। यदि गेहूं की जगह चावल सप्लाई किए जाएं तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा इस कार्यक्रम का काफी प्रभाव पड़ेगा।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही। किसी भी हालत में आप 7 मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं संघ सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और विशेष रूप से देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं जो इस देश में हरित क्रांति लाने में सफल हुए हैं। महोदय, यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में, हमारा खाद्य उत्पादन 55 मिलियन टन के करीब था जबकि 1983-84 में यह 151.34 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसका अर्थ है कि पिछले 22-23 वर्षों में हमारे उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि विश्व में विभिन्न मंचों पर इसकी प्रशंसा की गई।

लेकिन मैं समझता हूं कि यद्यपि हमें इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करना चाहिए फिर भी यह सन्तोष की बात नहीं है क्योंकि आगे का काम बड़ा चुनौती भरा है। खाद्य पदार्थों के मामले में हमें बहुत सा काम करना है क्योंकि इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ तक हो जाएगी और हमें 240 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारा उत्पादन 150 मिलियन टन है और यदि हमारे अनाजों के वार्षिक उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि नहीं होती तो हम इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें कठिनाई क्या है ? कृषि के क्षेत्र में हमारी दुगुनी समस्या है। हमारे दो उद्देश्य हैं। एक अपने देश को अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बनाना ताकि हमें दूसरे देशों से अनाज न मांगना पड़े, और इसके बजाय हम अन्य जरूरतमन्द देशों को अनाज सप्लाई कर सकते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। दूसरे, कई कृषक, उत्पादक और अन्य सभी जो कृषि पर निर्भर हैं, जैसे भूमिहीन श्रमिक, खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना होगा। आत्मसन्तोष करने का प्रश्न ही नहीं है।

बेहतर प्रौद्योगिकी हमारी प्रगति का अवलम्ब है।

हम अपनी जनता की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। निर्धनता-विरोधी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। हमें यथासम्भव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हमें विभिन्न क्षेत्रों में दो या तीन से अधिक फसलें उगानी चाहिए। उससे जनता की गरीबी दूर होगी। यह इस देश से गरीबी दूर करने में स्वतः सहायक सिद्ध होगा। इसलिए सिंचाई सुविधा, अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक तकनीकें आदि सभी चीजें किसानों को उनके घर तक और समय पर पहुंचानी होंगी।

अनुसन्धान कार्य चल रहा है किन्तु अनुसन्धान का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तथा सभी क्षेत्रों के किसानों को बराबर नहीं मिल रहे हैं। यह खेद की बात है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न जगहों पर कृषि-कालेज तथा अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं। विस्तार और अनुसन्धान खंडों के बीच सहयोग होना चाहिए ताकि अनुसन्धान के लाभ वास्तव में कृषकों को मिल सके और हमारे खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो ताकि हम अपनी मांग को पूरा कर सकें। यह बड़ा चुनौती भरा काम है कि हमें इस शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ जनसंख्या की जरुरतों को पूरा करने के लिए 2400 लाख टन अनाज का उत्पादन करना होगा।

हमें अपने कृषि क्षेत्रों में अलग-अलग फसलों को बोना शुरू करना होगा केवल 25% जोती गई भूमि में सिंचाई की सुविधा है। 70% भूमि सूखी पड़ी है और इस पर 50% जनसंख्या के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए नियमित और उपयुक्त योजना बनाई जानी चाहिए। फसल की उपयुक्त पद्धति बनाई जानी चाहिए और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं अपने कृषकों से मिलते हैं, हम उनकी दशा देखते हैं और देखते हैं कि मूल्यों के करण उनमें कितना असंतोष है। उनकी हमेशा यह शिकायत रहती है कि कृषि उत्पादों के लिए मूल्य ठीक से निर्धारित नहीं किए जाते और उनके उत्पादों के मूल्य सुनिश्चित करने वाले निकाय में उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। मूल्य-नीति में समानता होनी चाहिए ताकि कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं में कुछ समानता रखी जा सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब कभी अच्छा उत्पादन होता है, तो उद्योगों में काम करने वाले को बोनस मिलता है किन्तु कृषि में बिलकुल इसके विपरीत है। जब कभी अच्छा उत्पादन होता है या बहुत अधिक फसल पैदा होती है, हमें मजबूरन बिक्री शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मेरे राज्य उड़ीसा में बिजली की कमी है और बिजली की कमी होने से कोई मिलें नहीं चलतीं और उस कारण स्वाभाविक है कि उसकी वसूली कम हो जाती है। अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पहलू की जांच करें और भारतीय खाद्य निगम को सीधे कृषिकों से अनाज लेना चाहिए न कि अपने एजेंटों, मिल-मालिकों और व्यापारियों के माध्यम से, जो कि कई बार उत्पादकों का शोषण करते हैं।

अब मैं फसलों के बीमे पर आता हूं। यह स्वागत योग्य है कि फसलों का बीमा शुरु किया गया है। यही उचित समय है जबकि इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इसमें कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। कृषकों में बड़ा भ्रम सा है। यह सिंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसे सूखे क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे कृषको को कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। अभी भी अंग्रेजी शासन काल के समान कृषकों के लिए यह मौसम जुए के समान है। कृषकों में इस बात को लेकर भी भ्रम है कि उत्पादकों को कितनी हानि होने पर बीमे का लाभ मिलेगा यह बन्दोबस्त के रिकार्ड के अनुसार किया जाता है जो कि बहुत पुराने हैं। उस समय आधुनिक तकनीकें नहीं थीं। उन दिनों प्रति एकड़ भूमि पर बहुत कम पैदावार होती थी। जब पुराने रिकार्डों के आधार पर हानि का हिसाब लगाया जाता हैं तो स्वाभाविक है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। अत: इस बारे में व्यावहारिक यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाना होगा और फसल बीमा की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

अब मैं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कहूंगा, जैसा कि हमारे राज्य मंत्री ने कहा, हमारे देश में काफी क्षेत्रों को प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उड़ीसा जैसे कुछ क्षेत्रों को निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। वहां हर वर्ष—चक्रवात या सूखा या

बाढ़ आती है। इन मामलों में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता ऋण या अग्रिम राशि ऋण के रूप में न होकर अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए। यह 100% अनुदान होना चाहिए। उड़ीसा में जितनी मांग की गई थी, वह नहीं दिया गया है। उसका एक भाग ही दिया गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध हैं कि वह इस बारे में कुछ करें।

जहां तक गरीबी हटाओ योजना का सम्बन्ध है मेरा अनुरोध है कि लाभार्थियों का सही चुनाव किया जाना चाहिए। इस बारे में कड़ाई से निगरानी रखी जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़े कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि गरीबी-हटाओ योजना भ्रष्ट अधिकारियों और कुछ राजनीतिज्ञों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। अतः इस बारे में कड़े उपाय किए जाने चाहिए।

सातवीं योजना के कृषि कार्यक्रम में एक स्वागत योग्य बात यह है कि पूर्वी भारत में चावल के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसकी कमी को पूरा किया जाएगा। यह काम शुरु में ही किया जाना चाहिए क्योंकि इस बारे में कथनी और इसके वास्तविक कार्यान्वयन में बहुत अन्तर है। इस अन्तर को दूर किया जाना चाहिए और मंत्रालय को इसे सुनिश्चित करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में वर्तमान समस्या लागत को बढ़ाए बिना उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि की है इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे नियोजकों और वैज्ञानिकों को इस बात को ध्यान में रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की, जिसका देश के 70% लोगों के साथ सम्बन्ध है, मांगों का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमरसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : मान्यवर, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों को सपोर्ट करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे कृषि मंत्री एक गरीब फेमिली में से आये हैं, गरीब किसान परिवार से आये हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी योजनाएं बनायी हैं जिनसे गरीब किसानों का विकास हो। फिर भी मैं आदिवासी किसानों के इलाकों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

आदिवासी इलाकों और पिछड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं नहीं होतीं। वहां के लिए लिफ्ट इर्रीगेशन योजना बनाई जाए और उन इलाकों में ट्यूबवैल दिये जाएं। तभी इन लोगों का कृषि में विकास हो सकता है।

मान्यवर, पहाड़ी एरिये में, खास कर के आदिवासी एरिये में जो किसान गैर-कानूनी जमीन जोतते हैं, वही जमीन उन किसानों को प्लान्टेशन करने के लिए दी जाए और प्लान्टेशन का सारा खर्च सरकार ओर से दिया जाए। इससे प्लान्टेशन का कार्य भी बढ़ेगा और जो किसान गैर-कानूनी जमीन जोतते हैं उनकी जीविका भी चल सकेगी। प्लान्टेशन से जो आय हो उसका 50 परसेंट प्लान्टेशन का कार्य करने वाले किसान को दिया जाए और बाकी का सरकार ले ले। इससे फोरेस्ट अधिकारी जो गैर-कानूनी तौर पर वसूली करते हैं वह भी बंद हो जायेगी।

मान्यवर, गुजरात में कहीं रेगिस्तान है, कहीं कच्छ का कुट है कहीं समुद्री तट है। वहां पर भी प्लान्टेशन करना जरूरी है।

मान्यवर, किसानों को उनकी उपज का पूरा भाव नहीं मिलता है। अभी मकवाना जी ने कहा कि हम गोदामों में अनाज भरते हैं। उस अनाज को कुछ कीड़े खा जाते हैं। हम उस अनाज को कीड़ों से बचाते हैं। हमने ऐसी योजना भी बनायी है। मगर बाजारों में जो कीड़ों के रूप में दलाल होते हैं और वे जो तिलहन कपास कृषि उत्पादन के भाव को खा जाते हैं उसके बारे में भी कोई राष्ट्रीय भाव नीति बनानी चाहिए। तिलहन और कपास के बारे में भी राष्ट्रीय भाव नीति बनायी जानी चाहिए। इस साल पानी के भाव पर कपास बिका। वहां कपास की खेती करने वाले किसान की हालत बहुत खराब है। तिलहन और कपास की हमारे यहां प्रधान रूप से खेती होती है। राजीव जी ने जब यह कहा कि हम कपास के बारे में राष्ट्रीय भाव नीति बनायेंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई।

मान्यवर, हमारे यहां कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। हमारे यहां आदिवासी इलाकों में आजकल सूखे के कारण अकाल पड़ा हुआ है। आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के मसीहा प्रधान मंत्री राजीव जी के वहां जाने के बाद से अकालग्रस्त लोगों के लिए कुछ रोजी-रोटी का इंतजाम हुआ है और उन लोगों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी इसके बारे में और ध्यान देना जरूरी है। इन सूखाग्रस्त एरिया में जो किसान रहते हैं उनको जो कृषि ऋण दिये जाते हैं, उनसे उन ऋणों की वसूली के बारे में कृषि मंत्रालय को उदार नीति अपनानी चाहिए। बैंकों या कोआप्रेटिव सोसायटियों से जो ऋण किसानों को दिये जाते हैं, जिन इलाकों में सूखा पड़ा है, उन इलाकों के किसानों के लिए विशेष रूप से सोचा जाना चाहिए।

मान्यवर, अभी हमारे साथी ने कहा कि आदिवासी गांवों में रोड्स का विकास बहुत कम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जंगलों के बीच से कोई रोड नहीं बन सकती है। जो जमीन पंचायत की होती है उस पर रोड बन सकती है। फोरेस्ट की जमीन पर रोड नहीं हो सकती है। इसके लिए अपवाद स्वरूप कोई कानून बनाना चाहिए या वर्तमान कानून में संशोधन करना चाहिए। नहीं तो आदिवासी एक गांव से दूसरे गांव जाने में या एक गांव से दूसरे गांव तक अपना माल ढोने में तकलीफों का सामना करते रहेंगे। क्योंकि न वहां कोई रोड बन सकती है और न कोई वहां रेलवे लाईन होती है। छोटा उदयपुर नेरोगेज रेलवे लाईन पर डीजल इंजन शुरू किया जाये। इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

मान्यवर हमारे आदिवासी क्षेत्र में नर्मदा प्रोजेक्ट बन रहा है, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे हिन्दुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन इस परियोजना में आदिवासियों की जो जमीन डूबती है, उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों को जमीन दी जाए और जमीन के विकास के लिए शत-प्रतिशत सबसिडी दी जाए। जो लोग बेघर और भूमिहीन हो चुके हैं, उनके लिए यह लाभकारी योजना होगी।

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र में लोग कृषि के मामले में पिछड़े हुए हैं और खेती अच्छी नहीं होती है। इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में डिप्लोमा कोर्स या कृषि कैंप कोर्स शुरू करना चाहिए, ताकि इन लोगों को उन्नत कृषि पद्धति का पता चल सके और कृषि का विकास हो सके।

हमारे यहां एक और समस्या है कि राठवा और राठवाखोली दोनों आदिवासी जातियां हैं, लेकिन सिर्फ राठवा जाति के लोगों को आदिवासी योजनाओं का लाभ मिल पाता है, राठवाखोली जाति

के लोग इससे वंचित रह जाते हैं । मेरा सुझाव है कि दोनों को समानरूप से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए । इसलिये राठवाखोली जाति को आदिवासी जाति राठवा जाति में शामिल किया जाये ।

एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं कि अधिकतर टी वी सेंटर शहरी क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं और देश का विकास कृषि एव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर निर्भर करता है । कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में टी वी सेंटर खोलने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ये क्षेत्र कृषि के विकास में और देश के विकास में सरकार का सहयोग दे सकें और इनको कृषि विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम दिखाए जा सकें ।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : माननीय सभापति महोदय, आज ऊपर वाले की तरह आपकी तरफ से भी कट लगा दिया गया । इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऊपर वाला तों कभी-कभी बाढ़ आदि में सब कुछ बहा देता है, लेकिन आपने कम से कम 4 घन्टे तो दिए ।

सभापति महोदय, यह मंत्रालय मुल्क की 75 फीसदी आबादी के साथ सीधा ताल्लुक रखता है, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है । इस बहस में हिस्सा लेते हुए माननीय मंत्री महोदय और मेंबर साहेबान को अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । क्राप एंश्योरेंस की बात कहीं गई, यह अभी कुछ ही राज्यों में लागू की गई है और यह अभी बहुत अच्छे स्वरूप में नहीं है । इसमें दो परसेंट जो एंश्योरेंस कम्पनी द्वारा प्रीमियम मांगा जाता है, उसमें एक परसेंट तो बेशक किसान से लिया जाए, आधा परसेंट केन्द्र सरकार को और आधा परसेंट राज्य सरकार को इसमें योगदान देना चाहिए, ताकि गरीब किसान को एंश्योरेंस स्कीम का पूर-पूरा लाभ मिल सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय से किसी पार्टी को या सियासत को संबद्ध नहीं करना चाहिए । यह सारे मुल्क का काम है और मुल्क के 75 फीसदी लोग इससे ताल्लुक रखते हैं । बहुत सी स्कीम्स सरकार की तरफ से बेशक चलायी जा चुकी हैं और यह कहा जा रहा है कि हमारा देश आत्म-निर्भर हो चुका है । मगर, मैं समझता हूं कि अभी लोगों में परचेजिंग पावर बहुत कम है क्योंकि बहुत से लोग इस भाव पर अनाज खरीद ही नहीं सकते । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । रशिया में हमसे ज्यादा फूड ग्रन पैदा होता है और आबादी भी हमसे कम है । फिर भी वे बाहर से अनाज मंगवाते हैं । इसका मतलब यह है कि परचेजिंग पावर होने से लोगों को पूरा अनाज नहीं मिल पाता । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो इनपुट्स हैं, अगर इनके दाम इसी तरह से ऊपर को बढ़ते चले गए जैसे कि अभी बढ़ते जा रहे हैं तो अनाज का भाव ऊपर ले जाते-जाते गरीब की परचेजिंग पावर एकदम ही दूर चली जायेगी । अगर वह पच्चीस फीसदी खरीद सकता है तो इस तरह वह 75 फीसदी परचेज ही नहीं कर सकेगा । इसलिए, मेरी विनती है कि इनपुट्स के भावों को कम किया जाए । बहुत लम्बे समय से मैं देखता आ रहा हूं कि हर वर्ष प्राइस कमीशन बैठता है और हर बार वे प्राइस फीक्स करते हैं । फसल ऊपर आ जाती है लेकिन प्राइस कमीशन फैसला नहीं दे पाता । सरकार को एक ऐसी बैठक बुलानी चाहिए जिसमें जमीदारों के नुमाइन्दें हों और जिसमें इनपुट्स तथा फसल का हिसाब लगाकर थोड़ा सा मुनाफा बेशक इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स से आधा ही मुनाफा हो, पांच या आठ परसेंट हो, वह मुनाफा फीक्स कर देना चाहिए । एक प्राइस इन्डेक्स बना लेना चाहिए ताकि हर साल प्राइस कमीशन के सामने न जाना पड़े और जमींदार को दस-पन्द्रह साल के लिए एक ही भाव पर इनपुट्स और क्राप का भाव मिले ताकि वह लम्बे समय के लिए तैयार कर सके । मैं जमींदार हूं और अपने हाथों से काम करता हूं इसलिए मुझे बोलने के लिए दो-चार मिनट का और

समय दिया जाए । मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं । आपको एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बताना चाहूंगा । पंजाब में और हरियाणा में गेहूं बहुत पड़ा है । दूसरे सूबों में जब गेहूं ले जाना पड़ता है तो यह बहुत गड़बड़ वाला सिस्टम है । पंजाब में चार-चार साल का गेहूं पड़ा हुआ है । इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में शुगरकेन दो लाख टन भेजा जाता है । लेकिन ट्रान्सपोर्ट में ही हम लोग लगे रहते हैं । मैं चाहूंगा कि क्यों न पंजाब को शुगर मिल दी जाए और साऊथ को फूड ग्रेन की स्कीम्स दी जाए ताकि हम लोग ट्रान्सपोर्ट से बच सकें । हिन्दुस्तान के अन्दर ही लाखों-करोड़ों रुपए ट्रान्सपोर्ट में लगा देते हैं, कभी चीनी और कभी फूड ग्रेन इधर से उधर ले जा रहे हैं ।

एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं । आयल सीड्स और पलसेज की बहुत सी स्कीम्स केन्द्र सरकार ने दी हैं और हिन्दुस्तान का जमीदार इन स्कीम्स को सिर पर उठाकर चलता है । आप जो भी टीचा दोगे, जमीदार उसको पूरा कर देगा चाहे वह आयल सीड का दो, चाहे पल्सेज का दो । इसलिए मैं कृपा करके फिर कह रहा हूं कि उसको जो जायज मुनाफा है, वह उसको देना चाहिए । जो हिन्दुस्तान का जमीदार है, गरीब किसान है यह अपने सिर पर उठाकर इस सरकार के सारे टीचे पूरे कर देगा । अगर आपने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो हजारों-करोड़ों रुपये हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति के लिए खर्च कर रहे हैं, वह क्रान्ति लाते-लाते गरीब किसान के सिर के ऊपर कर्जा हो गया है, अगर वह इसी तरह बढ़ता गया तो एक दिन उसका दम टूट जायेगा । तब न सरकार कुछ कर पायेगी और न मुल्क कुछ कर पायेगा । इतना ही कहते हुए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

[अनुवाद]

श्री के० एच० रंगनाथ (चित्रदुर्ग): सभापति महोदय, इस मांग पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । चूंकि समय की कमी है अतः मैं केवल तीन मुद्दों पर ही बोलूंगा ।

इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि कृषि सुधार में हमें पर्याप्त सफलता मिली है किन्तु फिर भी समग्र स्थिति का जायजा लेना होगा । केवल कुछ ही राज्यों में हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं किन्तु अन्य राज्यों में हम काफी पिछड़े हुए हैं । इसलिये मेरा मुद्दा यह है कि हम अभी तक उन लोगों का पता नहीं लगा पाये हैं जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं अथवा जो सूखापीड़ित हैं तथा उन क्षेत्रों का भी पता नहीं लगा सके हैं जहां दाल, तिलहन आदि की फसलें उगाई जा सकती हैं ।

इसके अलावा पर्याप्त भंडारण सुविधा भी सुलभ नहीं है । कृषक लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये काफी हो-हल्ला मचा रहे हैं । मुझे 1983 में कर्नाटक में उठाये गये आन्दोलन के बारे में अभी तक याद है, जो कृषकों द्वारा खाद्यान्न और गन्ने के बारे में एक बहुत बड़ा आन्दोलन किया गया था । केन्द्रीय भंडारण निगम गोदाम सुविधा सुलभ कराने के सम्बन्ध में कुछ कार्य कर रहा है । इस सम्बन्ध में सहकारी समितियां भी कुछ काम कर रही है किन्तु इस विषय पर अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया है । अभी तक खाद्यान्न उत्पादन केन्द्रों तथा विपणन योग्य क्षेत्रों का पता नहीं लगाया जा सका है और न ही वहां भंडारण सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं । कृषक अपने उत्पादों को भण्डारण गृहों में नहीं रख पाते हैं । वास्तविकता यह है कि आज व्यापारी वर्ग भण्डारण निगम के गोदामों का इस्तेमाल कर रहे हैं । कटाई के समय में व्यापारी कृषकों के उत्पादन को खरीद लेते हैं और उसे गोदामों में रख देते हैं । उसे बैंक से 50 प्रतिशत राशि प्राप्त हो जाती है । इसके

बाद वह उसे अपने सुविधा-जनक समय में बेचता है । राज्य की दया पर छोड़ने के बजाय इन सब बातों के सम्बन्ध में सरकार क्यों नहीं सोचती है और पूरे देश के बारे में योजना क्यों नहीं बनाती है ? जो गोदाम 1972-73 में शुरू किये गये थे, सहकारी क्षेत्र में उन्हें पूरा करना अभी तक शेष है । आप उन्हें योजना में शामिल कर लीजिये । आपने कुछ राज सहायता भी प्रदान की है किन्तु राज्य सरकारें उन्हें समय पर पूरा नहीं करती हैं । यहां तक कृषकों को भी भण्डारण सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । यदि वहां भण्डारण सुविधायें उपलब्ध हो जायें, तो कृषक अपनी उत्पादित वस्तुओं को गिरवी रखकर अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा कर सकते हैं और बाजार पर नियन्त्रण रख सकते हैं । वे व्यापारियों की दया के आश्रित कदापि नहीं रह सकते हैं । मैं यह एक सुझाव देना चाहता था ।

महोदय, क्षमा करें, सिंचाई के मामले में देश में बहुत प्रादेशिक असन्तुलन है । कर्नाटक के सम्बन्ध में सिंचाई सुविधा के बारे में आज प्रातः ही एक अन्य माननीय सदस्य बता रहे थे । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान ही कृषि पर जोर दिया गया था । प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में तो हमने खाद्य के बारे में ध्यान ही नहीं दिया । किन्तु तीसरी पंचवर्षीय से ही हम खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर बहुत अधिक जोर देते रहे हैं । किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना वास्तव में कोई योजना थी ही नहीं । इस समय के दौरान कोई योजना ही कार्यान्वित नहीं की गई और उस समय में केवल वार्षिक योजना को ही कार्यान्वित किया गया था । पांचवी और छठी योजना अवधि में हमने विशेष प्रगति की है । किन्तु जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है वहां तीसरी योजना में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई हैं । उन पर अब भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी बीच आंध्र प्रदेश के हमारे मित्रों ने तेलुगु-गंगा परियोजना का नारा लगाया है । इससे कर्नाटक को सिंचाई परियोजना कार्यान्वित करने में व्यवधान पड़ा है । महोदय मैं उस जिले का हूं जो आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिलों के बहुत ही निकट है । यह प्राचीन काल से सूखा-पीड़ित क्षेत्र रहा है । क्या आप ने उसके बारे में कभी सोचा है ? क्या इसके सम्बन्ध में कभी भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है । अपने देश में बाढ़ पर नियन्त्रण पाने के लिये सूखे की स्थिति से निपटने के लिये हम बहुत सारा धन व्ययकर चुके हैं । किन्तु यदि यही धन हमने सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया होता तो अब तक अनेक परियोजना पूरी हो गई होतीं और हम इस समस्या का समाधान कर चुके होते । हमें प्रमुख नदियों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम सिंचाई परियोजनायें तैयार कर सकें और उनके लिये धन की व्यवस्था कर सकें । यदि राज्य सरकारें चाहें; तो वे अनुदान, ऋण दे सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि परियोजनायें पूरी हो जायें तथा उनके पूरा होने में कोई व्यवधान न हो । आज सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हीं परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में चल रही थी । किन्तु हम कहते यही हैं कि हमने योजना लक्ष्य पूरा कर लिया है ।

कृषि में सुधार लाने के लिए पानी, बीज और अपेक्षित ऋण जैसी निवेश सुविधायें किसानों को सुलभ होनी चाहिये । इसके अलावा, किसानों को नगदी सुविधा प्रदान करनी होगी जिससे कि जब तक उनकी फसल बिक न जाये तब तक वह अपनी फसल को बचा कर रख सकें ।

इसके अलावा अनुसन्धान कार्य चल रहे हैं और अनुसन्धान कार्य से कृषकों को बड़ी सहायता मिली है । जिस क्षेत्र में जो फसल होती है उसका ध्यान रखते हुए सारे देश में अनुसन्धान सुविधायें

उपलब्ध करानी होंगी । उदाहरण के तौर पर, यदि किसी विशेष क्षेत्रों में उद्यानों के द्वारा उत्पादन बढ़ सकता है तो उस क्षेत्रों में अनुसन्धान तो करना ही होगा । इसी प्रकार अनाजों, तिलहनों आदि के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों में अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने होंगे । डेरी तथा पशु पालन के सम्बन्ध में भी हमारा कार्य उत्साहवर्धक नहीं है । इस दिशा में बहुत सारे कार्य कराने होंगे । जब तक आप कृषकों की सहायता नहीं करेंगे, जिनका राष्ट्रीय आय में 60 प्रतिशत हिस्सा है, तो मेरे विचार से भविष्य बहुत ही अन्धकारमय है । मुझे पता है कि इस मंत्रालय के दोनों प्रभारी मंत्री कृषि में विशेष रुचि रखते हैं किन्तु यदि उनका ध्यान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है; तो वह अनुचित है । उन्हें दक्षिण भारत की ओर ध्यान देना चाहिए । दक्षिण की ओर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

4.00 म० प०

श्री एम०आर० सैकिया (नवगांव) : सभापति महोदय, कृषि हमारे देश का मेरुदण्ड है । हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग देहाती इलाकों में रहता है तथा इसमें से 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं । यदि हम देश से गरीबी समाप्त करना चाहते हैं तो हमें कृषि का विकास करना होगा । भारत के आम लोगों की गरीबी दूर करने के लिये कृषि का बहुत बड़ा महत्त्व है । इसलिये यदि हम वास्तव में अपनी स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को विकसित करने के लिये कुछ उपाय करने होंगे । हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का मार्ग निर्देश खाद्यान्न, निर्माण और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है । कृषि का विकास करके हम असंख्य लोगों को सहारा दे सकते हैं तथा इसी क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किये जा सकते हैं । इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कृषि विकास के लिये हर सम्भव कदम उठाए जायें ।

4.01 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

इस समय हमारा देश खाद्यान्न के मामले में, विशेषकर गेहूं और चावल के मामले में आत्म-निर्भर है । किन्तु कुछ क्षेत्रों में विशेषकर खाद्य तेलों और चीनी के मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं । मांग और पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए हमें खाद्य तेल और चीनी के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है । अत: अपने देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए और विदेशी मुद्रा पर भार कम करने के लिए, हमें देश में इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए । हमें अपने वर्तमान उत्पादन की वृद्धि-दर को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे और किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए । हमें किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य देना चाहिए और छोटे किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ पहुंचाने के लिए इसका अधिक प्रचार करना चाहिए । हमें इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनकी फसल की अनिश्चितता और जोखिम को कम करना चाहिए । हमें किसानों को उनके कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए खेती के गहन और व्यापक तरीके अपनाने पर जोर देना चाहिए । हमें अधिक क्षेत्र में सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देना चाहिए ।

हमें गरीब किसानों को आसान ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए । हमें उन्हें ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक, खाद और रसायन उपलब्ध कराने चाहिए ।

इन बातों के अलावा, सरकार को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि किसानों को उनके खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके और अधिक असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

खेती में सुधार और विकास की ओर ध्यान देते हुए हमें भारी बाढ़ से सिरे के खेती पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हम बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं कर पाते, हमारे सारे प्रयास ही विफल हो जाएंगे। हमने देखा है कि प्रत्येक वर्ष, देश के करीब हर क्षेत्र में बाढ़ से बरबादी होती है। खरीफ फसल बोने से पूर्व बाढ़ आती है, जो कि हमारी फसलों को भारी क्षति पहुंचाती है। इसके परिणामस्वरूप मकान बह जाते हैं और लाखों लोगों को दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ता है। महीनों तक देश की लाखों हेक्टेयर भूमि पानी में डूब जाती है, जिसके फलस्वरूप मानसून की खरीफ की फसल मिलने की सम्भावना कम हो जाती है। अतः सरकार को बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए।

हमारे राज्य असम का प्रत्येक जिला महीनों तक बाढ़ में डूबा रहता है। हमारे राज्य में एक उपजाऊ क्षेत्र है—माजुली - जो कि विश्व का सबसे लम्बा नदी द्वीप है। बाढ़ से इस क्षेत्र को भारी हानि पहुंची है। वास्तव में यह क्षेत्र असम का अन्न भण्डार है और असम की संस्कृति का केन्द्र है। अतः मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि यहां-वहां बांध बना कर छोटे-छोटे उपाय करने की बजाय, जो कि पुनः बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, हमें बाढ़ नियन्त्रण के लिए लम्बी अवधि की योजनाएं तैयार करनी चाहिए। जब तक हम बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं पा लेते, हम कृषि को विकसित नहीं कर पाएंगे। इन लम्बी अवधि की परियोजनाओं को क्षेत्रीय परियोजनाएं नहीं मानना चाहिए। इनको राष्ट्रीय परियोजनाएं मानना चाहिए, क्योंकि बाढ़ की समस्या क्षेत्रीय समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, अतः, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लम्बी अवधि की परियोजनाओं जैसे बर्फ से पिघल कर बनी नदियों पर बांध बनाया जाना चाहिए। केवल यही बांध ही बाढ़ पर नियन्त्रण रख सकते हैं और साथ ही इन बांधों के माध्यम से कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। अतः मन्त्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार पर्याप्त धनराशि से लम्बी अवधि की कुछ परियोजनाएं आरम्भ करे न कि छोटी अवधि की। हमने पाया है कि सहायता कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रकार के खर्चे और निवेश गैर-उत्पादक होते हैं। भारत एक गरीब देश है और हम गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए इतनी अधिक राशि का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अतः मैं मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे बर्फ से पिघल कर बने पानी की नदियों पर बड़े बांध बनाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये और कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अपने बायें ओर बैठे हुए सहयोगी के इस कथन से सहमत हूं कि अगर हमें कुछ और समय दिया गया होता तो हम कृषि के इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा कर सकते थे।

यह दुःख की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि इस देश के अधिकांश लोगों को प्रभावित करता है, प्रेस और चैम्बर में इस प्रकार की चर्चा हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी।

श्रीमन्, मेरा कर्त्तव्य है कि मैं पहले उर्वरक उपयोग के बारे में बोलूं। पहली दफा यह कृषि मन्त्रालय का ही एक पूर्ण विभाग है। जैसे उद्योग के लिए इस्पात का स्थान है, उसी प्रकार कृषि के

लिए उर्वरक का स्थान है। भारत में उर्वरक उद्योग का विस्तार और विकास हमारी सफलता का द्योतक है। आज इस उद्योग का हमारे देश में विकास हो रहा है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उद्योग में निवेश पर कर-पूर्व आमदनी 12 प्रतिशत है।

अब जरा भारत में उर्वरक उद्योग पर एक नजर डालें। 1950-51 में देश में केवल 0.70 लाख टन उर्वरक की खपत थी। वर्ष 1990 तक हम 14 करोड़ 40 लाख टन उर्वरक का प्रयोग करने लगेंगे। 1951-52 में देश में पोषक तत्वों का उत्पादन 27,000 टन था, जो कि 1990 में बढ़कर 91 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा समग्र विकास 11 प्रतिशत रहेगा। हमने यह उपलब्धि किस प्रकार प्राप्त की है? जहां तक जनसंख्या के भरण-पोषण का सम्बन्ध है, बीस वर्ष पूर्व भारत को इसके लिए अच्छा नहीं समझा जाता था। इसे बचत से परे समझा जाता था। किन्तु 1967 में जब भारत के अनेक राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत को खाद्य सामग्री में आत्म-निर्भर बनाने की चुनौती को स्वीकार किया और हमने उर्वरक उद्योग में काफी पूंजी निवेश किया।

हमारे किसानों तथा विशेषज्ञों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि वे निर्णय कर लें तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सकें। उर्वरक उद्योग इस बात का प्रमाण है। आज इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का दावा पूरे विश्व में किया जाता है। ऐसा क्यों है। इसका कारण यह है कि हमने ऐसा अपने बल पर, अपने किसानों, कर्मचारियों और मजदूरों के बल पर किया है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम तैयार करना जिसमें हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग लगे हुए हों, आसान काम नहीं है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह इस देश और इस देश के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है।

अब मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताता हूं जो स्वयं अपना प्रमाण है। 1985-86 में उर्वरकों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य का 100.5 प्रतिशत था। 1984-85 की तुलना में उत्पादन 11 प्रतिशत अधिक था और जैसा कि मैंने पहले कहा है इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसी स्तर पर बनाए रखा जाएगा। किन्तु सभापति महोदय, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इतना ही काफी नहीं है। 1986-87 में क्षमता उपयोग 82.3 प्रतिशत होगा जो कि स्वीकार्य है किन्तु हम इसमें और सुधार करेंगे। हम ऐसी आशा करते है किन्तु हमारे कुछ संयन्त्र बहुत पुराने हैं और उनमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। उनका आधुनिकीकरण किया जाना है और इसके लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। नए संयन्त्र भी तैयार हो रहे हैं। 15 नए संयन्त्र बन रहे हैं। उनमें आठ नाइट्रोजन उर्वरक संयन्त्र और 7 फास्फेट उर्वरक संयन्त्र हैं। मैं आपको नामों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि यह रिपोर्ट में दिए गए हैं और सातवी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े वार्षिक प्रतिवेदन में हैं जिसे निसन्देह सदस्यों ने देखा होगा।

भविष्य में क्या होगा? भारत के जनसांख्यिकीय अनुमान बताते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या 90 करोड़ के लगभग होगी। 90 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए हमें 2350 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इतने खाद्यान्न की पैदावार के लिए हमें 200 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि हमें आगामी 10 वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन 140 लाख टन से 200 लाख टन करना होगा। यह हमें अपने बलबूते पर करना है। इस लक्ष्य के लिए उर्वरकों का 12 प्रतिशत वार्षिक उपयोग नितान्त आवश्यक है। यह न्यूनतम है। यदि

हमारा उत्पादन 12 प्रतिशत से गिर जाए तो हम खतरे की सीमा में आ जाते हैं जिसमें हम अपने लोगों का पेट नहीं भर सकते। अतः मेरे वरिष्ठ साथी श्री बूटा सिंह तथा श्री मकवाना के मार्गनिदेशन में मेरे मन्त्रालय का यह प्रयत्न है कि हम ऐसा हर सम्भव उपाय करें कि हमारे देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ता जाए। अतः 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को बनाए रखा गया है।

हम विश्व में सबसे बड़े उर्वरक उत्पादकों में से एक हैं। और साथ ही साथ हम विश्व में उर्वरकों के सबसे बड़े आयातकों में से भी एक हैं। हम अपनी आवश्यकता के 60 प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन करते हैं और 40 प्रतिशत का आयात करते हैं और अब हम आशा करते हैं कि जब आने वाले चार या पांच वर्षों में सभी नए संयन्त्र काम करने लगेंगे, जो गैस से चलने वाले हैं, कुछ ईंधन का प्रयोग करेंगे और कुछ कोयले का, तो ये कमी पूरी हो जाएगी। कोयला प्रयोग करने की तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई है इसलिए हमारे कुछ कोयला संयन्त्र अच्छी प्रकार काम नहीं कर पा रहे। किन्तु हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। किन्तु यदि दृढ़ निश्चय रहा और धन की कमी न हुई तो इसमें सन्देह नहीं कि हम भारत के बड़े बाजार की मांग पूरी कर सकेंगे और यह हरित क्रांति 1, 2, 3, 4 या 5 राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम इसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तक ले जाएंगे। अतः हम इस विकास की प्रतीक्षा सन्तोष तथा सावधानीपूर्ण आशावाद से कर सकते हैं।

अब मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा, उर्वरक मन्त्रालय न केवल बड़े संयन्त्रों में लगा हुआ है अपितु यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ये सेवाएं सभी किसानों को—पूरे देश में—छोटे गांवों में, बड़े गांवों में तथा शहरी क्षेत्रों में—औचित्यपूर्ण कीमतों पर उपलब्ध हों। पिछले कुछ वर्षों में अन्य क्षेत्रों में कीमतों में हुई वृद्धि—चाहे वह इस्पात हो, कोयला या विद्युत हो—उर्वरकों की कीमत में हुई वृद्धि औचित्यपूर्ण है और 31 जनवरी से हम इसकी निरन्तर निगरानी करते रहे हैं। हमने कीमतों का वही स्तर फिर से ला दिया है जो 1983 में था। इसकी बिक्री में विशेष अन्तर नहीं आया है—यह सीमान्त है और हम इसके साथ समायोजन कर सकते हैं, इसे सहन कर सकते हैं।

हम प्रदर्शन आयोजित करते हैं, किसान मेले लगाते हैं और प्रशिक्षण कैम्प लगाते हैं जहां बीज वितरित किए जाते हैं। मैंने हाल ही में एक प्रशिक्षण कैम्प का दौरा किया था। 'इफको' और 'क्रिमको' ने कुछ गांव अंगीकृत किए हैं जिनमें हम उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। हम उन्हें जानकारी देते हैं, फिल्में दिखाते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हम अपनी सेवाएं शुष्क क्षेत्रों को भी दे रहे हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एक जाने माने सदस्य ने कहा कि इन सन्यन्त्रों का पूरा होना, विशेषकर जो गैस पर आधारित है, गैस पाइपलाइन पूरी होने पर निर्भर करता है। सरकार को—मन्त्रालय में मेरे साथियों को—इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि ये पाइपलाइन निर्धारित समय तक पूरी कर ली जाएगी। हमें ऐसी आशा है और हमारे कुछ संयन्त्र तो समय से पहले ही पूरे कर लिए जायेंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : समय बहुत कम है इसलिए मैं मन्त्री जी के समक्ष केवल कुछ बातें रखूंगा। पहली बात यह है कि भूमि सुधार कार्यान्वियन की स्थिति अभी तक इतनी खराब क्यों है? आपका प्रोग्राम 31-3-83 तक भूमि सुधार पूरा करने का था। यह अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया?

योजना बनाने वालों ने भूमि सुधार पर अधिक बल दिया है। किन्तु मुझे आशंका है कि हमारी सरकारों पर, विशेषकर उन राज्यों की सरकारों पर जहां कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है, जमींदारों का दबाव इतना अधिक है कि भूमि सुधार लागू नहीं किए जाते।

सरकार ने अभी तक केवल 56 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया है और उसमें से 44 लाख एकड़ भूमि विपरीत की गई है, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक पश्चिम बंगाल और केरल को दी गई है। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

यह अच्छी बात है कि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 400 लाख हैक्टेयर खेती योग्य बंजर भूमि का दावा करने जा रही है। यह अच्छी बात है। किन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि यह भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जाएगी अथवा नहीं। क्या वे उत्पादन के नाम पर कुछ बड़े घरानों को दे दी जाएगी या भूमिहीन मजदूरों को—जिन्हें इसकी आवश्यकता है? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसे बेचा नहीं जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : मैं भी आपसे सहमत हूं। आप अपनी सरकार को समझायें।

तीसरे हरित क्रान्ति केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही लागू की गई है। दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। न केवल दक्षिण बल्कि पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार—इन स्थानों को छोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की योजना क्या है कि इन राज्यों में भी हरित क्रान्ति लाए जाने की आशा उत्पन्न हो सके? इस सम्बन्ध में आप क्या करने वाले हैं?

साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि तिलहनों, दालों आदि का उत्पादन उसी स्तर पर बना हुआ है। हम सुनते हैं कि योजनायें बनाई जाती हैं किन्तु आंकड़ों से यह नहीं पता चलता कि उसका परिणाम क्या रहा। यदि आप भविष्य में हरित क्रान्ति पसन्द करें, अधिक गेहूं का उत्पादन कर सकें तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। किन्तु यदि आप दालों तथा तिलहनों का उत्पादन नहीं कर सकते तो निश्चित ही लोग आपके विरुद्ध होंगे। लोग यह पूछेंगे कि हम अपनी निधि से अनेक हजार करोड़ रुपयों की लागत से तेल तथा चीनी क्यों खरीदें? आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा।

अभी-अभी मैं मन्त्री जी से उर्वरकों के बारे में सुन रहा था। जी हां, वास्तव में प्रगति सराहनीय है। किन्तु मैं श्री बूटा सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा कि क्या हल्दिया उर्वरक संयन्त्र पर 450 करोड़ रुपये खर्च के बाद भी वहां पर 450 टन उर्वरक का भी उत्पादन हो सकता है। आप कृपया इसका उत्तर दें। यह बहुत बड़ी धनराशि बेकार करने जैसा है और हम, पश्चिम बंगाल के सदस्य पिछले 6-7 वर्षों से इसके लिए चिल्लाते आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में सभी मन्त्री जानते हैं। ऐसा पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। अतः हल्दिया उर्वरक संयन्त्र का कोई इलाज करना होगा।

सिंचाई के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति की गई है। किन्तु आज भी 70 प्रतिशत खेती योग्य भूमि

में सिंचाई सुविधायें नहीं हैं, केवल 30 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधायें हैं। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य स्थानों में हम अधिक सुविधायें देंगे। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं जहां सिंचाई सुविधायें केवल 6-7 प्रतिशत हैं। अत: पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष मिदनापुर में सुब्रनरेखा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह वर्षों से योजना आयोग के विचाराधीन पड़ा है। इसमें कुछ कमियां, गलतियां ढूंढी जा रही हैं और इसमें विलम्ब किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस बांध की योजना पर यथासम्भव शीघ्र विचार किया जाए।

सभी सदस्यों द्वारा औद्योगिक सामान तथा कृषि उत्पाद की कीमतों में अन्तर का उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। पिछले वर्ष जूट उत्पादकों को परेशानी उठानी पड़ी, इस वर्ष भी यही होगा; नारियल की खेती करने वाले परेशान हैं—कपास की खेती करने वालों की भी यही दशा है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई जाएगी कि इन वस्तुओं की खेती करने वालों को उचित मूल्य मिल सके तथा औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं तथा कृषि उत्पाद की कीमतों में अन्तर को समाप्त किया जाए? आप इन दोनों में इस अन्तर को किस प्रकार समाप्त करेंगे?

इन शब्दों के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, यह देश कृषि प्रधान देश है और इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस देश की जनता के पेट की भूख को शान्त करने के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए। यह सही है कि जब से देश आजाद हुआ है कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी इसकी अभी बड़ी आवश्यकता है कि उत्पादन में और वृद्धि की जाए।

4.24 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कृषक कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी जल-प्लावन और कभी ओला-वृष्टि के प्रकोप के कारण अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने परिश्रम का फल नहीं प्राप्त कर पाता है। जितना उत्पादन वह करता है उसका उचित मूल्य भी उसको नहीं मिल पाता है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात को कहा और मन्त्री महोदय स्वयं भी इस बात को महसूस करते हैं कि किसान जितना परिश्रम करता है और जितनी लागत लगाता है उतना मूल्य उसको नहीं मिलता है और जो उद्योगपति हैं वह जो उत्पादन करते हैं, उसमें जितना मूल्य वह लगाते हैं उसके हिसाब से उतना मूल्य वह अपने उत्पादन का तय करते हैं। लेकिन कृषकों के साथ विडम्बना यह है कि उसके उत्पादन का मूल्य बिचौलिये तय करते हैं। आपने प्राइस कमीशन तो बना रखा है लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करता

चाहता हूं कि किसानों में बड़ा असन्तोष फैलता है इसलिए इस समस्या का कोई स्थायी निदान होना चाहिए ताकि कृषक जो भी उत्पादन करते हैं उसका उनको लाभकारी निश्चित मूल्य प्राप्त हो सके तथा अलाभकर जोतें लाभकारी जोतें बन सकें।

इसके साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि खेती में जो उत्पादन कम हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। खेती दो प्रकार की होती है—सघन खेती और विस्तृत खेती। सघन खेती के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों को—जो लघु तथा सीमान्त कृषक हैं—उनको बीस सूत्री कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए बैंकों से ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं लेकिन उसमें बड़ा घपला होता है। कभी बकरी खरीदने के नाम पर, कभी गाय, भैंस या सुअर खरीदने के नाम पर लाभार्थियों को जो धन दिया जाता है उसमें बिचौलिए बड़ा गड़बड़ करते हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम पर आप पुनर्विचार करें। भारत सरकार करोड़ों-अरबों रुपया उन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को देती है परन्तु उन लाभार्थियों को वास्तविक रूप में कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उन लाभार्थियों को सीधे पैसा देने के बजाए यदि आप उस पैसे से गांवों के अन्दर छोटे उद्योग-धन्धे खोल दें और उनमें उनको काम पर लगाने की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से वे लाभान्वित होंगे तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेंगे। आज तो फर्स्ट डोज और सेकेन्ड डोज के बाद भी वे गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं तथा उनमें असन्तोष भी बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम पर विचार करें, गांवों में धन्धे खोलकर गरीब लोगों को उनमें लगायें। ऐसा करने की आज बड़ी आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहकारी समितियों के माध्यम से खूब पैसा देते हैं लेकिन वह समय से नहीं मिलता है। आप खाद की दुकानें बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आप खाद पर जो अनुदान देते हैं वह समस्त किसानों को नहीं मिलता है। परिणाम यह होता है कि जब उनको खाद नहीं मिलती है खेती में नुकसान होता है। इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर करोड़ों रुपया किसानों पर फर्जी लोन दिखाया गया है। कई बार घोषणा की गई है कि वह फर्जी है लेकिन फिर वही लोन किसानों पर दोबारा दिखा दिया जाता है तथा अमीन आकर किसानों को परेशान करते हैं। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करें कि जब कई बार निश्चय हो चुका है कि वह धन वसूल नहीं हो सकता है उसको क्यों किसानों पर कर्जे के रूप में दिखाया जा रहा है। ऐसा करोड़ों अरबों रुपया है जो इस प्रकार से किसानों पर दिखाया जा रहा है। परिणाम यह होता है कि बैंकें कर्जे से बोझिल हैं तथा वे किसानों को धन नहीं दे पाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से जो करोड़ों अरबों रुपया किसानों पर बाकी दिखाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में आप राज्य सरकार से परामर्श करके कोई ऐसा कार्यक्रम बनावें जिससे कि इस प्रकार का बोझ जोकि अब वसूल नहीं हो सकता है उसको माफ कर दिया जाए ताकि किसान उस बोझ से मुक्त हो सके। इसका आधा-आधा बोझ आप और राज्य सरकार मिलकर वहन कर लें। इस सम्बन्ध में आप अवश्य कदम उठावें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप बाढ़ और सूखे के लिए बहुत से काम करते हैं।

जनपद कानपुर में बाढ़ की समस्या तो नहीं है लेकिन वाटरलागिंग, जलप्लावन की समस्या जरूर है। वहां पर पानी भर जाने से समस्या पैदा होती है। इस प्रकार हर वर्ष जो हजारों एकड़ जमीन जल-प्लावित हो जाती है और किसानों को बहुत नुकसान पहुंचता है उससे बचाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार को ध्यान देकर इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि जहां-जहां भी किसानों की जमीन पानी में डूब जाती है वहां पर पानी का निकास हो सके। इसके साथ ही साथ जब कहीं बाढ़ आती है तो उसके बाद आप कोई व्यवस्था करते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि बाढ़ आने के पहले ही व्यवस्था की जाया करे ताकि किसानों को लाभ मिल सके और उनका कोई नुकसान न होने पाए जोकि बाढ़ आने पर हो जाता है।

आखिर में, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष भी मैंने आपसे निवेदन किया था। सरकार फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जो मछली उत्पादन करते हैं, उनको आप विदेशों को भेजते हैं। बड़ी मछलियों का आप व्यवसाय करते हैं। उससे बड़ा लाभ होता है, विदेशी मुद्रा कमाते हैं। लेकिन गांव के बेचारे मछवारे और मल्लाह उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। शासन की तरफ से जो कल्याण बोर्ड बनाया गया है, उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मछवारे और मल्लाह नदी के किनारे रहते हैं, उनको सहायता दी जानी चाहिए, ताकि,वे भी लाभ उठा सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि बड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद कृषि मन्त्रालय की मांगों पर बोलने का मौका मिला है।

मैं अपना भाषण दुःखी किसान की आवाज में शुरू कर रहा हूं। एक किसान दूसरे किसान से भोजपुरी में कहता है :

"अभागा हमरे देसवा के भैले किसान
गाजी मियां मुर्गा मांगें,
काली माई मांगे खिरकी औकान,
अभागा हमरे देसवा के भैले किसान।
गवर्नमेंट पोत मांगे,
नेता लोग वोट मांगे,
अमला-वकील कहें छोड़ दें ईमान,
अभागा हमरे देसवा के भैले किसान।
सब कोई हमन से मांगे,
हमन का कैसे मांगी,
हमनी अभंगवन के दाता सीया राम बनें
अभागा हमरे देसवा के भैले किसान।"

(पोत से मतलब है लगान)

इसी से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कृषि एक ऐसा विषय है, जिसका सबसे सम्बन्ध है। अच्छी किसानी के लिए खाद चाहिए, पानी चाहिए, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, सबका समन्वय चाहिए, तब आकर अच्छी खेती हो सकती है। मान्यवर, एक प्रोफेसर के लिए, एक वैज्ञानिक के लिए जरूरी है कि उसको खाने को अन्न मिले। अगर उसको अन्न नहीं मिला तो उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। क्यों—"भुवक्षितम किमनो करोगी, पापम छिड़ा जनानी निस्करूणा भवन्ति।" मतलब भूखा इन्सान अपराध कर सकता है, तो उनके लिए अन्न चाहिए। किसान क्या करता है। किसान वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर को, सबको बढ़िया से बढ़िया अन्न गेहूं-चावल पैदा करके देता है, घी देता है, मक्खन देता है, बढ़िया सब्जी देता है। जीवन के उपयोग के लिए सारी सामग्री बढ़िया से बढ़िया देता है। करोड़पतियों के लिए या शहर वालों के लिए आलीशान मकान है, तो कम से कम उसके रहने के लिए एक छोटा-सा मकान और एक चारपाई तो होनी चाहिए। यह विषमता सीमा से अधिक है और इन परिस्थितियों में भी वह अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। यही कारण है कि बिहार में लोग गोलियों से उड़ाए जा रहे हैं। यों तो मैं कृषि वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा कि दस-पन्द्रह साल पहले जो हमारे खेतों की पैदावार थी, उसमें कृषि वैज्ञानिकों की वजह से काफी इजाफा हुआ है। गेहूं व चावल की नई-नई वैरायटियां कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। हम समझते हैं कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव में जो खेती करता है, उससे जाकर पूछिए तो वे कहते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट आफ प्रोडक्शन काफी अधिक हो गई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। एक एकड़ में छः, आठ या दस क्विंटल गेहूं पैदा हो जाता है, लेकिन भाव बहुत ही कम दिया जाता है। कटाई के लिए भी उसको अधिक पैसा देना पड़ता है। दवंरी के लिए भी उसको अधिक पैसे देने पड़ते हैं। सरकार द्वारा 165 रु० प्रति क्विंटल कीमत निर्धारित की गई है, लेकिन उसको बहुत ही कम मिलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही प्राइवेट वालों से वही चीज सही दाम पर ली जाती है, लेकिन किसानों से कम पैसे पर ली जाती है। उनको कम भाव दिया जाता है। मान्यवर, होता क्या है कि एक झरणे में गेहूं को छाना जाता है और बढ़िया गेहूं किसान से ले लिया जाता है, लेकिन वही गेहूं प्राइवेट वालों से ऐसे ही ले लिया जाता है। राशन में जो गेहूं मिलता है, उससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। किसानों के साथ यह व्यवहार किया जाता है, तो उनको मिलता क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि आज गेहूं का दाम किसानों को बहुत कम मिल रहा है। उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है और केवल वह अपना जीवन निर्वाह ही कर रहा है, किसी तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है। मैं चाहूंगा कि उसको उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब हम इसके बारे में कहते हैं तो कहा जाता है कि हमें शहर में कम दाम पर गल्ला देना है और सरकारी कर्मचारियों को कम दामों पर गल्ला देना है। मान्यवर, मेरे देखने में गेहूं का जो दाम उनको दिया जाता है, वह बिल्कुल कम है।

सरकार बाहर से तेल मंगाती है। हमारे यहां बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मीटिंग हो रही थी और उसमें यह तय हुआ कि जिनके पास आधा एकड़ या एक एकड़ का खेत है, उसको सब्सीडी देकर तोरी और सरसों बोने के लिए दी जाए, जबकि ये लोग उसको बो नहीं पाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो 8 एकड़ या 10 एकड़ के काश्तकार हैं, वे ही इसको बो सकते हैं। उनको सब्सीडी देकर तिलहन बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे काश्तकारों को सब्सीडी और खाद दी जाएगी, तो हमारे यहां तिलहन की पैदावार ज्यादा हो सकती है। बाहर से विदेशों से आप अधिक दाम पर तेल मंगाते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि अपने यहां उचित मूल्य देकर इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

कपास की भी यही हालत हो रही है। किसानों को कपास का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसी सदन में इसके लिए तमाम शोरगुल हुआ था। कपास का उचित दाम मिलना चाहिए, जिससे इसका उत्पादन बढ़ सके। आज गांव वालों की हालत बहुत खराब है और विषमता बढ़ती जा रही है। बड़े-बड़े शहरों में आलीशान अट्टालिकाएं बनती जा रही हैं जबकि देहात उजड़ते जा रहे हैं। यह विषमता दूर होनी चाहिए। गांवों में जो बाप-दादाओं ने 50-60 एकड़ जमीन रखी थी, उस जमीन को सीलिंग में ले लिए हैं और यहां पर अरबपतियों को खुली छूट है। अरबपति 20, 20 और 40, 40 मंजिले मकान बनवा रहे हैं और उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सका है। अरबों रुपया वे कर्ज ले लेते हैं और मकान बनवाते हैं। गन्ना जो हम बेचते हैं, तो अरबों रुपया उसका बकाया है। गत वर्ष अरबों रुपया बकाया रह गया। किसान को गेहूं और गन्ने का दाम तुरन्त नहीं मिल पाता है। बाजार में क्या कोई भी सामान बिना पैसा दिए मिल जाता है। केवल किसान का ही गन्ना और गेहूं ऐसा है, जो बिना पैसा दिए पहले ले लिया जाता है। जहां मैं रहता हूं वहां के लोगों का करोड़ों रुपए गन्ने का बकाया आज भी है और सरकार कुछ नहीं करती है। गांव वालों के जिम्मे सरकारी पैसा या बैंक का पैसा बकाया रह जाए, तो उसको तहसील के कठघरे में बन्द कर दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े शहरों में करोड़ों रुपया बड़े लोगों पर टैक्सों का बकाया रहता है और उनको बन्द नहीं किया जाता है। आप एक भी मिसाल बता दें कि देश में किसी भी करोड़पति को, जिस पर करोड़ों रुपया टैक्स और आय कर का बकाया है; बन्द किया हो।

छोटे किसानों को सरकार कोआपरेटिव्ज से पैसा दिलवाती है लेकिन उस पर साल में 14 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट है। अगर समय के अन्दर वह जमा नहीं होता है, तो 25 रुपया सैंकड़ा इन्ट्रेस्ट और 10 परसेन्ट सरचार्ज यानी 35 परसेन्ट रुपया वसूल किया जाता है और न देने पर उसको तहसील के कठघरे में बन्द कर दिया जाता है।

किसान को झोंपड़ी में जलाने के लिए मिट्टी का तेल 4-5 रुपए लीटर मिलता है। हमने सवाल किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब मिला कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि उसको कलर दे सकें। नमक भी उसको महंगा मिल रहा है, जिसके लिए गांधी जी ने आन्दोलन किया था। मिट्टी का तेल और नमक भी सरकार सस्ते दामों पर नहीं दे सकती।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम बिजली की जो बीमारी है, उसको तो दूर कीजिए। किसानों को समय पर बिजली मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गेहूं की दंवरी (मंड़ाई) के समय उसको बिजली नहीं मिलती है। रात को 12 बजे उसको बिजली मिलती है। मैं चाहूंगा कि आप उनको समय से बिजली दिलवाएं, जिससे गेहूं की दंवरी (मंड़ाई) हो सके। इतना कहकर मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : स्पीकर साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं थोड़े से में ही आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा।

पहली बात, जहां तक ग्रीन रिवोल्युशन का ताल्लुक है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां जम्मू-कश्मीर रियासत में जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी पैदावार नहीं हो रही है। इसलिए हमको पंजाब और हरियाणा से चावल और गन्दुम मंगाना पड़ता है। सर्दियों के दिनों में हमारे यहां के किसानों को गुजारे के लिए हरियाणा, पंजाब और मगरिबी यू० पी० में जाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमारे लिए पैदा करते हैं, हम आपके लिए पैदा करते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हमारे जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में खुराक पैदा करने का बहुत पोटेंशल है। लेकिन हमारे यहां गुरबत का यही बहुत बड़ा कारण है कि हम न खुद के लिए पूरी पैदावार कर पाते हैं न आपको भेजने के लिए कर पाते हैं। सारे मुल्क में दो-दो फसलें होती हैं लेकिन हमारे यहां केवल एक फसल होती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पूरे मुल्क में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर्स खुले हुए हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर रियासत में एक भी नहीं खुला हुआ है।

हमारा इलाका सर्द इलाका है, बर्फानी इलाका है। लेकिन हमारी और साथ में लगने वाली हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेटिक कण्डीशंस रूस, अमेरिका और योरोप से खराब नहीं है। इन मुल्कों में भी शिद्दत की सर्दी पड़ती है और हमसे ज्यादा ही पड़ती है। लेकिन उन मुल्कों में साइन्स और टेक्नोलोजी की वजह से बहुत पैदावार होती है। हमारी स्टेट जो एग्रीकल्चरल पैदावार में आगे नहीं बढ़ रही है उसका कारण यही है कि हमारी स्टेट को साइन्स और टेक्नोलोजी के तजुर्बों का फायदा नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जम्मू-कश्मीर में एक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर बनाया जाए जो कि सर्द और बर्फानी जगहों पर कैसे ज्यादा से ज्यादा खुराक पैदा की जा सकती है, इस बात की रिसर्च करें और उस रिसर्च के फायदे हमारी स्टेट को मिल सकें। मैं समझता हूं कि इसको बनाने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होनी चाहिए। अब तक जो जम्मू-कश्मीर स्टेट में कोई रिसर्च सेन्टर नहीं बन सका, उसकी वजह यही है कि इस तरफ आपकी तवज्जोह नहीं गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस जैसे मुल्कों में जहां कि बहुत सर्दी पड़ती है, एग्रीकल्चरल रिसर्च करके पैदावार बढ़ायी जा सकती है तो कोई वजह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओर तवज्जोह देंगे और हमारी स्टेट में एक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर खोलेंगे।

हमारी एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। हमारे यहां सेब का, एपल का बहुत प्रोडक्शन होता है। इस एपल को एक बीमारी "स्कैब" लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी एपल इण्डस्ट्री तबाह और बर्बाद हो रही है। इससे हमारे यहां के ग्रोअर्स को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी से बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक दवाई "डाईथीन" निकाली गई। जिस पर करोड़ों रुपए का स्केण्डल और एम्बेजलमेंट हुआ। यह जो दवाई बनाई गई इससे "स्कैब" बीमारी तो दूर हुई नहीं बल्कि एपल की प्रोडक्शन को नुकसान ही हुआ। इसलिए मुझे अर्ज करनी पड़ रही है कि सरकार इस बीमारी से एपल इण्डस्ट्री को बचाने के लिए खुद रिसर्च करे और कोई ऐसी दवाई निकाले जिससे एपल इण्डस्ट्री को बचाया जा सके। इस एपल इण्डस्ट्री से न सिर्फ जम्मू-कश्मीर रियासत का ताल्लुक है बल्कि हिमाचल प्रदेश स्टेट का भी ताल्लुक है। इन दोनों स्टेटों मे लाखों लोग इस इण्डस्ट्री पर पल रहे हैं। इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए अपने तौर पर आप कोई प्लान्ट लगाएं और कोई दवाई ईजाद करें ताकि प्राइवेट सेक्टर में इस बीमारी को दूर करने के लिए जो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे है, वह चीज खत्म हो।

इसी तरीके से हमारे यहां जाफ़रान पैदा होता है। जाफरान के बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह ऐसी कमोडिटी है जो करोड़ों रुपए का न सिर्फ मुल्क में बिकता है, बल्कि इसका फारेन मार्केट भी है। पहले जाफरान हमारे यहां कुछ पैकेज में तैयार होता था, पांपोर के

इलाके में, लेकिन अब साइन्स एण्ड टेक्नालाजी और स्टेट के अन्दर साइंटिस्टों की मेहनत से वादिए-कश्मीर के अन्य इलाकों में भी पैदा होने लगा है। आज कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाकों में जाफरान तैयार होता है और पुराना जो विचार था कि पांपोर के इलाके से बाहर जाफरान तैयार नहीं हो सकता, यह विचार अब बदल गया है। अगर जाफरान की पैदावार बढ़ाने में योगदान दिया जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों रुपए का फारेन एक्सचेंज मुल्क को मिल सकता है। इसका मार्केट पेरिस, बर्लिन और दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों में है। वहां से जब विजिटर्स आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा किसी कमोडिटी की तलाश रहती है तो वह जाफरान है।

एक बात और आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि सारे मुल्क के अन्दर फर्टीलाइजर प्लान्ट लगे हुए हैं, कोई प्रान्त बाकी नहीं रहा जहां फर्टीलाइजर प्लान्ट न बना हो। माननीय मन्त्री महोदय ने इसके बारे में बहुत कुछ विचार व्यक्त किए, श्री नटवर सिंह जी ने बहुत कुछ कहा और इससे हमारी हिम्मत बढ़ी है कि इतना कुछ मुल्क में हो रहा है, हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि मुल्क के बाहर भी भेजने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी तक, आज तक मैं कह रहा हूं, अभी तक कोई फर्टीलाइजर प्लान्ट नहीं है। इसकी वहां पर बहुत जरूरत है। वहां की मखसूस हालात, भौगोलिक और क्लाइमेटिक कण्डीशंस को देखते हुए वहां पर अवश्य ही एक प्लान्ट बनाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया और मैं यह चाहता हूं कि ये मसले हल हों।

شری عبدالرشید کابلی (سرینگر) : اسپیکر صاحب چونکہ وقت بہت کم ہے اس لئے میں تھوڑے سے ہی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔

پہلی بات جہاں تک گرین ریویوشن کا تعلق ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑرہا ہے کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر ریاست میں جتنی پیداوار ہونی چاہیئے اتنی پیداوار نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے ہم کو پنجاب اور ہریانہ سے چاول اور گندم منگانا پڑتا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں ہمارے یہاں کے کسانوں کو گذارے کے لئے ہریانہ، پنجاب اور مغربی یوپی میں جانا پڑتا ہے۔

ادھیکش مہودے : آپ ہمارے لئے پیدا کرتے ہیں ہم آپکے لئے پیدا کرتے ہیں۔

شری عبدالرشید کابلی : میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے ہمارے جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں خوراک پیدا کرنے کا بہت

پوٹینشل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں غربت کا یہی بڑا کارن ہے کہ ہم نہ خود کیلئے پوری پیداوار کر پاتے ہیں، نہ آپ کو بھیجنے کے لئے کر پاتے ہیں۔ سارے ملک میں دو دو فصلیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں کیول ایک فصل ہوتی ہے اسلئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ پورے ملک میں ایگریکلچرل ریسرچ سینٹرس کھلے ہوئے ہیں، لیکن جموں کشمیر ریاست میں ایک بھی نہیں کھلا ہوا ہے۔

ہمارا علاقہ سرد علاقہ ہے برفانی علاقہ ہے۔ لیکن ہماری اور ساتھ میں لگنے والی ہماچل پردیش کی کلائمیٹک کنڈیشن روس امریکہ اور یوروپینس سے خراب نہیں ہے۔ ان ملکوں میں بھی شدت کی سردی پڑتی ہے اور ہم سے زیادہ ہی پڑتی ہے۔ لیکن ان ملکوں میں سائنس اور ٹیکنولوجی کی وجہ سے بہت پیداوار ہوتی ہے۔ ہماری اسٹیٹ جو ایگریکلچرل پیداوار میں آگے نہیں بڑھ رہی ہے اسکا کارن یہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو سائنس اور ٹیکنولوجی کے تجربے کا فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اس لئے میں گذارش کروں گا کہ جموں کشمیر میں ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر بنایا جائے جو کہ سرد اور برفانی جگہوں پر کیسے زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کی جا سکتی ہے اس بات کی ریسرچ کرے اور اس ریسرچ کے فائدے ہماری اسٹیٹ کو مل سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنانے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہونی چاہیئے۔ اب تک جموں کشمیر اسٹیٹ میں کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بن سکا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسطرف آپ کی توجہ نہیں گئی۔ امریکہ برٹین جرمنی روس جیسے ملکوں میں جہاں کہ بہت سردی پڑتی ہے ایگریکلچرل ریسرچ کر کے پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں پیداوار کو نہیں بڑھایا جا سکے۔ ان ملکوں کی ریسرچ کے بارے میں تحقیقات کر کے بھی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس اور توجہ دیں گے اور

ہماری اسٹیٹ میں ایک ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر کھولیں گے۔

ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں سیب کا اپیل کا بہت پروڈکشن ہوتا ہے۔ اس ایپل کو ایک بیماری "اسکیب" لگ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہماری ایپل انڈسٹری تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس سے ہمارے یہاں کے گرووَرس کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بیماری سے بچانے کے لئے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک دوائی "ڈائی تھین" نکالی گئی ہے جس پر کروڑوں روپے کا اسکینڈل اور ایمبیزلمینٹ ہوا۔ یہ جو دوائی بنائی گئی اس سے "اسکیب" بیماری تو دور ہوئی نہیں بلکہ ایپل کی پروڈکشن کو نقصان ہی ہوا۔ اس لئے مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ سرکار اس بیماری سے ایپل انڈسٹری کو بچانے کے لئے خود ریسرچ کرے اور کوئی ایسی دوائی نکالے جس سے ایپل انڈسٹری کو بچایا جا سکے۔

اس ایپل انڈسٹری سے نہ صرف جموں کشمیر ریاست کا تعلق ہے بلکہ ہماچل پردیش اسٹیٹ کا بھی تعلق ہے۔ ان دونوں اسٹیٹوں میں لاکھوں لوگ اس انڈسٹری پر پل رہے ہیں۔ اس لئے اس بیماری کو دور کرنے کیلئے اپنے طور پر آپ کوئی پلانٹ لگائیں اور کوئی دوائی ایجاد کریں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس بیماری کو دور کرنے کے لئے جو کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں وہ چیز ختم ہو۔

اس طریقے سے ہمارے یہاں زعفران پیدا ہوتا ہے۔ زعفران کے بارے میں میں مانیے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی کموڈٹی ہے جو کروڑوں روپے کا نہ صرف ملک میں بکتا ہے بلکہ اسکا فارین مارکیٹ بھی ہے۔ پہلے زعفران ہمارے یہاں کچھ پیچز میں تیار ہوتا تھا پامپور کے علاقہ میں لیکن اب سائنس

اینڈ ٹکنالوجی اور اسٹیٹ کے اندر سائنٹسٹوں کی محنت سے وادیٔ کشمیر کے اَنتے علاقوں میں بھی پیدا ہونے لگا ہے۔ آج کشمیر وَیلی کے بہت سارے علاقوں میں زعفران تیار ہوتا ہے اور پرانا جو وچار تھا کہ پامپور کے علاقے سے باہر زعفران تیار نہیں ہو سکتا یہ وچار اب بدل گیا ہے۔ اگر زعفران کی پیداوار بڑھانے میں یوگ دان دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے کا فارین ایکسچینج ملک کو مل سکتا ہے۔ اس کی مارکیٹ پیرس بَرلِن اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ہے۔ وہاں سے جب وِزیٹرس آتے ہیں تو انکو سب سے زیادہ کسی کموڈِٹی کی تلاش رہتی ہے وہ زعفران ہے۔

ایک بات اور آپ کے مادھیم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ملک کے اندر فرٹیلائزر پلانٹ لگے ہوئے ہیں کوئی پرانت باقی نہیں رہا جہاں فرٹیلائزر پلانٹ نہ بنا ہو۔

مانیے منتری مہودے نے اس کے بارے میں بہت کچھ وچار دیئے کئے شری نٹور سنگھ جی نے بہت کچھ کہا اور اس سے ہمت بڑھی ہے کہ اتنا کچھ ملک میں ہو رہا ہے۔ ہم اتنا پروڈکشن کر رہے ہیں کہ ملک کے باہر بھی بھیجنے جا رہے ہیں لیکن جموں کشمیر میں ابھی تک آج تک میں کہہ رہا ہوں ابھی تک کوئی فرٹیلائزر پلانٹ نہیں ہے۔ اس کی وہاں پر بہت ضرورت ہے۔ وہاں کی مخصوص حالات بھوگولک اور کلائیمیٹک کنڈیشنس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اوشئے ہی ایک پلانٹ بنانا چاہیئے۔

اس کے ساتھ ہی میں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے حل ہوں۔]

[हिन्दी]

श्री एम० एल० शिवराम (मण्डला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि से सम्बन्धित मांग पर बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कृषि देश की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है और कृषि पर ही हमारे देश के अधिसंख्य लोग आश्रित हैं। कृषि में बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त है। पिछले समय में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और सातवीं योजना में हमने प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह वृद्धि उन क्षेत्रों में है जहां सिंचाई के साधन हैं और कृषि सम्बन्धी सुविधाएं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रगति भी कृषि क्षेत्र में होनी चाहिए। आज वहां पर कृषि में जैसी चाहिए वैसी तरक्की नहीं हो रही है। मैं पहाड़ी क्षेत्र से चुनकर आया हूं और मुझे ठीक तरह से मालूम है कि कृषि के लिए समतल जमीन होनी चाहिए, उसके बारे में इन क्षेत्रों में अभी विचार नहीं किया गया है, यदि किया भी गया हो तो वह अमल में नहीं आ रहा है। दूसरी बात कृषि के विकास के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में न तो बांध बनाए जा सकते हैं और न ही बड़े-बड़े तालाब बनाए जा सकते हैं, अलबत्ता नालों से छोटी-छोटी लिफ्ट इरीगेशन की योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन इस ओर भी कार्य नहीं किया गया है। मेरे जिले में कम से कम 12 ऐसी लिफ्ट इरीगेशन की योजनाएं लम्बित हैं, जो विदेशों से एडेड हैं, लेकिन खेद का विषय है कि उनको प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल रही है, जब हम चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में कृषि की तरक्की हो, फिर भी ऐसी जन उपयोगी लेकिन वहां पर इन योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। विशेषकर कोटा-सांगवा बांध के बारे में मैंने प्रान्तीय सरकार को लिखा है, उन्होंने कहा कि कोटा-सांगवा बांध इस जिले की ऐसी लाभप्रद योजना है जो विदेशों से एडेड है; उसका अगर निर्माण हो जाए तो हमारे यहां सिंचाई का प्रतिशत बढ़ सकता है। अभी मंडला जिले में 3 प्रतिशत सिंचाई होती है। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने बताया कि दूसरा प्रस्ताव योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है। इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए योजना आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तत्काल ही इसे एक विशेष प्रकरण मानते हुए स्वीकृति प्रदान कर उपकृत करेगा ताकि पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र भी इक्कीसवीं सदी के सपनों को संजो सके। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की के लिए जो भी योजना बनाकर योजना आयोग को भेजी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए और प्राथमिकता के आधार पर उन योजनाओं को स्वीकृति दी जाए, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों को उनसे शीघ्र लाभ मिल सके विशेष रूप से कृषि का विकास हो सके जो हमारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है।

इस सम्बन्ध में प्रयोगशालाओं की बात कही गई, "प्रयोगशालाओं से खेतों तक", इस बारे में मेरा यह कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हलके किस्म के खाद्यान्न होते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, रमअला वगैरह, इनके अच्छी एवं उन्नत किस्म के बीजों की रिसर्च अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ताकि इनका लाभ पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को मिल सके और वे तरक्की कर सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में जो फारेस्ट विलेज के कृषक हैं, उनको जमीन के पट्टे नहीं दिए गए हैं। सैकड़ों, हजारों ऐसे केस लम्बित पड़े हुए हैं जिसकी वजह से वे लोग ठीक तरह से खेती नहीं कर पाते हैं, उनके विकास के प्रति उनकी रुचि है। उन्हें डर रहता है कि पता नहीं सरकार कब जमीन ले लेगी जिससे हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन के पट्टे दिए जाएंगे जो फारेस्ट विलेजों में रह रहे हैं उनकी फसलें जब्त न की जाएं।

मैं, माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि म० प्र० के खारगोन जिले में फारेस्ट विभाग अधिकारियों ने गोबर को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया है। जो आश्चर्य एवं दुख की बात है वहां केवल विभाग के अधिकारी ने गाय के गोबर कों राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उसको जब्त कर लिया है। अगर इस तरह काम होगा तो कैसे उनका उद्धार होगा। मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और इसको राष्ट्रीय सम्पत्ति न समझें। यह तो किसानों के हित की और उनकी चीज है। वृक्षारोपण के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। जंगल काटे जा रहे हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। पेड़ काटकर फिर उसी स्थान पर वृक्षारोपण करने से क्या फायदा है। इससे प्रदूषण बढ़ेगा और वर्षा पर भी असर पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जो नंगी पहाड़ी हैं, जहां एक भी वृक्ष नहीं है वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहुत-सी जमीन बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में है जो बेकार पड़ी रहती है उसमें खेती नहीं की जा रही है, निरुपयोगी है उसके लिए शासन कड़ाई के साथ आदेश दे कि उस जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए उस पर खेती अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है।

इस सम्बन्ध में मैं अपने राज्य सिक्किम के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करना चाहती हूं।

केन्द्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को 1985 की खरीफ फसल से फसल बीमा योजना आरम्भ करने के लिए आदेश दिए हैं। मेरा विचार है कि यह एक अच्छी योजना है यदि इसे उचित रूप में कार्यान्वित किया जाए, क्योंकि इससे किसानों को अपनी फसल का बीमा करने में सहायता मिलती है ताकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और रोगों तथा नाशक कीट लगने से फसल खराब होने पर हानि न हो। किन्तु, इस फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केवल खाद्यान्न, दालें और तिलहन आते हैं और जब तक इसमें नगद तथा वाणिज्यिक फसलें शामिल नहीं की जातीं तब तक यह सिक्किम के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगी। सिक्किम में कुछ महत्त्वपूर्ण नगद फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बड़ी इलायची, अद्रक, बीज आलू, सन्तरा और बेमौसमी सब्जियां और स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में इन फसलों का बहुत महत्त्व है। इसके अतिरिक्त सिक्किम की विशेष टोपोग्राफी तथा जलवायु को ध्यान में रखते हुए, नगद तथा वाणिज्यिक फसलों को वहां प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भी मसाले, फल, गांठदार तथा बे-मौसमी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने पर बहुत जोर दिया हैं। इसके पीछे विचार यह है कि अधिक मूल्य वाली तथा कम आकार वाली फसलें उगाई जायें ताकि किसान कम भूमि से भी अच्छी कमाई कर सकें।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय किसानों को बहुत लाभ होगा यदि फसल बीमा योजना में नगद तथा वाणिज्यिक फसलें भी शामिल कर ली जायें।

बड़ी इलायची सिक्किम की सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमश: 23 हजार हेक्टेयर और 3 हजार टन है। इस फसल की सम्भावनाएं बहुत अच्छी हैं और कृषि और वनीकरण की दृष्टि से यह भूमि का सर्वोत्तम उद्योग है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि की बहुत

अधिक सम्भावना है । इस फसल के विकास में सबसे बड़ी रुकावट मूल्यों की अस्थिरता है जिसके कारण किसानों को बहुत बार दुखद बिक्री का सामना करना पडता है । अतः इलायची की भारी मात्रा में निर्यात करने की सम्भावना की अभिलाषा की जाती है जिससे किसानों को समर्थन मूल्य का आश्वासन प्राप्त हो ।

सिक्किम में अदरक भी पैदा होता है और प्रति वर्ष कुल उत्पादन 10 हजार टन के करीब है। पिछले पांच वर्षों में अदरक का क्षेत्र तथा उत्पादन बहुत बढ़ गया है जबकि मूल्य में कमी हो रही है। इससे किसानों में बहुत निराशा हुई है, और यदि अदरक के मूल्यों में वृद्धि नहीं होती तो निकट भविष्य में फसल के क्षेत्र में भी कमी होगी । अदरक के लिए नए बाजार ढूंढ़ निकालने के लिए इसके निर्यात की व्यवहार्यता निश्चित करने की अथवा इसका देश में प्रयोग करने के लिए बिक्री की अत्यन्त आवश्यकता है ।

केन्द्रीय सरकार जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है । सिक्किम में भी कुल जनसंख्या का लगभग 23% जनजातीय आबादी का है और उत्तर जिले में एक ही आन्तर निवास में जनजातीय लोगों की अधिकता है, यद्यपि अन्य तीन जिलों की जनजातीय आबादी उत्तर जिले की जनजातीय आबादी से अधिक है । उत्तर को छोड़कर जो जनजातीय हैं वह अधिक संख्या में आंतर निवासों में अलग अलग अथवा मिलकर रहते हैं । उनकी आर्थिक स्थिति उत्तर जिले की तुलना में बहुत ही खराब है । राज्य सरकार अत्यन्त सीमित संसाधनों से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सभी प्रयास करते हैं, किन्तु, योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से इन किसानों की सहायता करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भण्डारीजी, आप दे दीजिए वह इसे जोड़ेंगे ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह एक अच्छा निर्णय है ।

श्रीमती डी० के० भण्डारी : विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जिलों के जनजातीय किसानों को लाना अनिवार्य हो जाता है । यह किसान इन सुविधाओं के लिए निरन्तर मांग कर रहे हैं और उन्हें पहले से ही लग रहा है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य जनजातियों को उनकी अर्थव्यवस्था सुधारना है और इस बात की अभिलाषा की जाती है कि सारे सिक्किम में रहने वाले जनजातीय किसानों को सम्मिलित किया जाएगा न कि एक ही जिले में केन्द्रित किया जाए । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य जिलों के जनजातीय किसान आर्थिक प्रगति में पीछे रहेंगे ।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : इस सदन में आपके संकेत हर व्यक्ति अपने आप को किसान कहलाता है ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं तो नहीं कहलाता हूं, किन्तु मैं किसान हूं ।

श्री पीयूष तिरकी : हम कहते हैं कि हम इस सदन में किसनों का प्रतिनिधित्व करते हैं । फिर भी इस देश में किसान की हालत बहुत दुःखी है । कारण यह है; सरकार को सबसे पहले भूमि सुधार करना चाहिए । भुमि सुधार बहुत आवश्यक है क्योंकि जो वास्तविक कृषक हैं उनके पास बहुत कम भूमि है । जिन व्यक्तियों के पास कृषि के लिए भूमि है वह तनिक किसान नहीं हैं, वह तथाकथित किसान हैं । उनके पास बहुत भूमि है । इसीलिए हम कृषि में अभी भी पीछे हैं···

एक माननीय सदस्य : संस्कृति।

अध्यक्ष महोदय : अन्य स्थानों पर भी सुधार की मांग होनी चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी : तत्पश्चात भूमि सुधारों के साथ सिंचाई भी सम्बद्ध है। अतः यह दो मन्त्री—सिंचाई और कृषि साथ-साथ मिल बैठें और इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

दूसरा, हमारे यहां आवश्यकता के अनुसार कृषि होनी चाहिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में कितने लोग हैं। फिर हमें यह हिसाब लगाना चाहिए कि हमें कितने चावल, अंडे, मांस, दालें आदि चाहिएं। इस बात का हिसाब लगाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। तब हम जान सकते हैं कि हमारे देश को कितनी जरूरत है। हमारा जीवन-स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचे है। बहुत कम लोगों को दूध, अण्डे और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ मिलते हैं जोकि हर व्यक्ति के लिए रोजाना लेना जरूरी हैं। हमारे अधिकांश लोगों के लिए यह दवाई बन गई है। भारतीय को उतनी कलौरी नहीं मिल रही है जितनी एक व्यक्ति को रोज मिलनी चाहिए। इसका स्तर कम है। खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बावजूद एक व्यक्ति को जितनी कलौरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रहीं है। हमारा जीवित-स्तर बहुत नीचे है। हमें इसमें सुधार करना होगा।

हमारे देश में कृषि उन लोगों के लिए आरक्षित है जो किसी किस्म का काम, व्यापार, सेवा या कोई और काम करना नहीं जानते। उन्हें कृषि में धकेल दिया जाता है। इसका मतलब है कि अशिक्षित और साधनहीन व्यक्ति कृषि करते हैं।

5.00 म० प०

कृषि में अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उसमें सुधार की आशा कैसे की जा सकती है ? अधिकांश सदस्यों ने कृषि-उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के बारे में बोला है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि किसानों को कृषि-उत्पादों की उपयुक्त कीमत नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसानों पर विचार किया जाना चाहिए और उनके प्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए कि कृषकों को उनके उत्पाद का कितना मूल्य मिलना चाहिए।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते समय प्रबन्ध वर्ग और सरकार एक साथ बैठ कर कीमत निर्धारित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत किसानों से यह सलाह नहीं ली जाती कि जूट, चावल और गेहूं जैसे उत्पादों के लिए उन्हें कितना मूल्य मिलना चाहिए। मन्त्री महोदय और अधिकारी परस्पर मिल बैठ कर कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित कर देते हैं। इस तरह किसानों की परेशानियां हल नहीं हो पातीं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसानों या उनके प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर कीमत निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तब उन्हें कुछ न्याय मिल सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने में उद्योगपति बहुत अधिक हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि और लोगों की तरह किसानों को भी कीमत-निर्धारण में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहिए ? उनकी बहुत उपेक्षा की जाती है।

इसके अलावा एक और मांग को मैं कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं। मेरी

मांग है कि हर ब्लाक में चूहा-सह भण्डारण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिएं जहां किसान अपने उत्पाद को रख सके।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दोहरा क्यों रहे हैं ? वह इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री पीयूष तिरकी : अगर ऐसा है तो ठीक है। तब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। किसानों द्वारा उगाई जाने वाली नाशवान वस्तुओं के लिए हर ब्लाक में शीत संग्रहागारों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नाशवान फल और सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बहुत जरूरी है।

श्री पीयूष तिरकी : अन्त में मेरा एक सुझाव है। लघु उद्योगों, मुर्गीपालन और इनके जैसे और क्षेत्रों में खाद्य संसाधन के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं होनी चाहिए। पुलिस को प्रशिक्षण की जरूरत है। क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। हर ब्लाक में प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए जो किसानों को मौजूदा नई प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित कर सकें। आशा है माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

***श्री आर० जीवरत्नम** (अराकोनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और सहकारिता मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए 1800 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन 1986-87 के लिए तिलहन, कपास, जूट और गन्ने के लिए कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तिहलन और चीनी के उत्पादन को भी खाद्यान्न उत्पादन जितना महत्त्व दिया जाना चाहिए। तभी हम तिलहनों के आयात को रोक सकते हैं। हम अधिक गन्ना उगा सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप चीनी का अधिक उत्पादन होगा। तब हम पर्याप्त मात्रा में चीनी का निर्यात कर सकते हैं मैं चाहता हूं कि तिलहन और चीनी के उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। दूसरा महत्त्वपूर्ण मामला चीनी मिलों में, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सहकारिता के क्षेत्र में, व्याप्त भ्रष्टाचार का है। चीनी मिलों के प्रबन्धक गन्ना उत्पादकों को निर्धारित मूल्य नहीं देते। उन्हें गन्ना उत्पादकों का लाखों रुपया देना है। मैं सहकारी क्षेत्र की एक चीनी मिल के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगा।

तमिलनाडु में अम्बुर में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल है। इसका पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। सदस्यों को अनेक वर्षों से लाभांश नहीं मिला है। सहकारी चीनी मिलों को चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी भी निरंकुश ढंग से व्यवहार करते हैं। हाल ही में अम्बुर चीनी मिल में चीनी मौजूदा बाजार भाव से 30% कम मूल्य पर बेची गई। स्वाभाविक है कि चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं। विशेष अधिकारी इन मिलों को कारगर ढंग से चलाने के लिए कोई रुचि नहीं लेते हैं।

चीनी मिल मालिकों के निरुद्देश्यपूर्ण व्यवहार को बनाए रखने में कोई तुक नहीं है। बहुत

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

साल पहले केन्द्र सरकार ने इन भ्रष्टाचारों की जांच करने और चीनी उद्योग को सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए भार्गव अयोग का गठन किया था। भार्गव अयोग ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। सदन में भीं भार्गव आयोग की सिफारिशों पर अनेक सुझाव दिए गए। अभी तक भार्गव अयोग की इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे सक्षम कृषि मन्त्री श्री बूटा सिंह भार्गव आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चीनी उद्योग का राष्ट्रीय-करण करेंगे। तभी चीनी उद्योग से लाभ होगा।

तमिलनाडु में केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मेरी मांग है कि पल्लीपटटू, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। बहुत से राज्यों में सहकारी समितियों को बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य सहकारी अधिनियमों में बहुत-सी कमियां हैं। इन कमियों की जांच करने और राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन के लिए मार्गनिर्देशों के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है। मेरा अनरोध है कि इस समिति की सिफारिश को राज्य सरकारें लागू करें और राज्य सहकारी कानूनों को कार्यवाही करने का सशक्त माध्यम बनाया जाए। मेरा सुझाव है कि सरकारी संस्थाओं को पूरी तरह से प्रशिक्षित व्यवसायिक प्रबन्ध वर्ग को सौपां जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट हमें दी, उसकी तस्वीरें देखकर हमें बहुत खुशी होती है और जिस वक्त महिलाएं और किसान अपने खेत से अनाज घर लेकर आते हैं, उस वक्त उन्हें बहुत सन्तोष होता है, लेकिन जब उसको वे मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं, तो रोते हुए आते हैं।······(**व्यवधान**)······

अध्यक्ष महोदय : घूंघट में अच्छा लगता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : जी हां अध्यक्ष जी, घूंघट में अच्छा लगता है, आप सही फरमाते हैं। उनको रोते हुए देखकर हमें परेशानी होती है। आप किसी भी सूरत में देख लीजिए उनको हर बात में घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए किसान की तरफ आप ध्यान दीजिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार शुगर केन के भाव कम करती है और शुगर बाहर से मंगवाती है। आयल सीड बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से सस्ता आता है और आप उसको यहां महंगा बेचते हैं। जो पैसा आपको इस प्रकार से बचता है, उसका इस्तेमाल आप अपने देश में इन चीजों की उन्नति पर खर्च कीजिए जिससे यहां का किसान अच्छा बन जाएगा और ये चीजें यहीं पैदा होने लगेंगी।

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सात सौ करोड़ रुपया हम बाहर से शुगर मंगवाने पर और दूसरी चीजों के मंगवाने पर खर्च करते हैं। शुगर वहां से रु० 225 प्रति क्विंटल के हिसाब से आती है और आप उसको यहां पर रु० 600 प्रति क्विंटल पर बेचते हैं। इस प्रकार से जो पैसा बचता है, उस पैसे को आप किसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं कि हम तेरह सौ करोड़ रुपए का तेल मंगाते हैं लेकिन अपने देश में ही ड्राई फार्मिंग के लिए आप कहते हैं कि हमारे

पास पैसा नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं कि हम सैल्फ-सफिश्येण्ट हैं। फिर आप कोकोनट-तेल मंगाते हैं, एडीबल ऑयल मंगाते हैं, शुगर मंगाते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि उसे उसकी खेती की चीजों का उचित मूल्य नहीं मिलता है जिस कारण वह परेशान है और परेशान होकर वह खेती-बाड़ी के काम से अलग होता जा रहा है। इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि जितना पैसा आप इन चीजों को बाहर से मंगाने पर खर्च करते हैं उतना पैसा आप यहीं पर अपने देश में किसान की बहबूदी के लिए खर्च कीजिए।

अध्यक्ष जी, नेशनल सीड कार्पोरेशन पांच रुपए पर के० जी० के हिसाब से सीड खरीदता है और सात रुपए पर के० जी० के हिसाब से बेचता है और उसकी लागत दस रुपए पर के० जी० पड़ती है, और आप उस पर तीन रुपए के० जी० के हिसाब से सबसिडी देते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि सीड कार्पोरेशन पांच रुपए के हिसाब से खरीदता है और दस रुपए के हिसाब से बेचता है, तो यह पांच रुपये क्या केवल उसके गोदाम तक जाने और वहां से आने में बढ़ जाते हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप कहते हैं कि यह इकनोमिक प्राइस है। आप हमारे लोगों को कहते हैं कि हम सबसिडी दे रहे हैं जबकि पांच का दस रुपया रेट हो रहा है। इस प्रकार से पैसे का वेस्टेज हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए और किसान को फायदा पहुंचाने के काम को करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय किसान हैं, अध्यक्ष महोदय किसान हैं और यहां बैठने वालों में से अस्सी प्रतिशत लोग किसान हैं, तो उनको फायदा पहुंचाने और उनकी समस्याओं पर जिक्र करने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। हम आज देख रहे हैं कि किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम सुबह 11 बजे से रात्रि के 9 बजे तक बैठते हैं, लेकिन आज जब किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो हमारे पास समय नहीं है। मन्त्री जी के पास समय नहीं है। जबकि दूसरी डिमांड्स पर बोलने के लिए काफी समय होता है।

अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ग्राउण्ड नट के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कपास के बारे में क्या सोच रहे हैं ? कपास कम दाम पर बिकता है और कपास का बना हुआ कपड़ा बहुत महंगे दामों पर बिकता है। आलू कम दाम पर बिकता है और आलू के बने हुए चिप्स महंगे दामों पर बिकते हैं। इसी प्रकार टमाटर कम दामों पर बिकते हैं और टमाटर के बने हुए कैचप वगैरह महंगे दामों पर बिकते हैं। इसके लिए मन्त्री जी ने क्या सोचा है और क्या कार्यवाही की है ? किसान की चीज जब परिवर्तित रूप में फैक्ट्री से बाहर आती है, तो दो सौ और डेढ़ सौ प्रतिशत तक बढ़े हुए दामों पर बिकती है, इसका क्या कारण है ? इसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हूं वह यह है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री में कोई समन्वय नहीं है। आप उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में जानते हैं और उन्हीं के हित की बातें आप सोचते हैं और करते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस हाउस में बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जितना भी खर्च हो रहा है उसका वन परसेन्ट खर्चा भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं मिल पा रहा है और जितना किसान को देना चाहिए, उसका बीस परसेन्ट भी हम किसान को नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज को दूर करना पड़ेगा, तभी किसानों की और खेती-बाड़ी की हालत सुधर सकती है।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कम समय मिला है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा और कुछ मुद्दों तक अपने को सीमित रखूंगा। आपके द्वारा घंटी बजाने से पहले ही मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदय, तेलुगु में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि जो खाना देता है उसे ही खाना नहीं मिलता। किसान ही अन्न उपलब्ध कराता है। हमारा देश किसानों का देश है। हमारे देश के अधिकांश लोग किसान या खेतिहर मजदूर हैं। बड़े दु:ख की बात है कि देशवासियों का पेट भरने के लिए अनाज उगाने के लिए साल भर मेहनत करने वाले किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वे इतने गरीब हैं। देश में किसनों की गरीबी का प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस ने देश में अपने 37 साल के शासन के दौरान किसानों के लाभ के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया है। कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों की पेशकश नहीं की गई। और जैसे यही काफी नहीं हो, सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए अनेक कर और लेवी लगा दी। सरकार ने केवल उद्योगों की ओर ध्यान दिया और औद्योगिक-उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें दीं जिससे पहले से अमीर उद्योगपति और अमीर बन सकें। सरकारी नीतियां पूंजीपतियों का पक्ष लेती हैं। सरकार की इन गलत नीतियों ने किसानों को हड्डियों के ढांचे में बदल दिया है। अब हालत यह है कि किसान भूखमरी का सामना कर रहे हैं। महोदय, सरकार ने ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के संबंध में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे। सरकार का दावा है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही है। इसी तरह सरकार का कहना है कि वह गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रमों पर काफी पैसा खर्च कर रही है। लेकिन परिणाम क्या रहा ? सरकार रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और गरीबी को दूर करने में कितनी सफल हुई है ? क्या सरकार इस संबंध में सफलता का दावा कर सकती है ? इसी तरह क्या यह सरकार दावा कर सकती है कि बेरोजगारी को कम करने के उसके प्रयासों से कुछ सफलता मिली है ? महोदय, वास्तव में सरकार इन समस्याओं को सुलझाने में बुरी तरह असफल रही है। गांवों में गरीबी कम नहीं हुई है। वस्तुत: ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। छोटे और गरीब किसान अब खेतिहर मजदूर ब.ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि किसान गरीबी से कितने प्रभावित हैं। 21 अप्रैल, 1986 को मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 7180 के उत्तर में माननीय श्रम मंत्री ने कहा था कि :—

> "पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। (रोजगार से तात्पर्य प्रमुख रोजगार जैसे ग्रामीण रोजगार से है) इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।"

यह एक उत्तर है। दूसरा उत्तर इस प्रकार है :

> "छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख के अनुसार मार्च, 1980 में 5+के आयु ग्रुप में लगभग 120 लाख व्यक्ति सामान्यत: बेरोजगार थे। सातवीं योजना प्रलेख में मार्च, 1985 में इसी आयु ग्रुप में सामान्य स्तर की बेरोजगारी का अनुमान 92 लाख दर्शाया गया है।"

*मूलत: तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसका मतलब है कि 5 सालों में आंकड़े 120 लाख व्यक्ति से घटकर 92 लाख हो गए। महोदय यह कोई प्रमुख उपलब्धि नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में अधिक सुधार नहीं हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि ग्रामीण रोजगार में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे गांवों में बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए काफी धनराशि खर्च करने का दावा करती है। परन्तु गांवों में बेरोजगारी घटने की बजाय बढ़ रही है।

1985 से 1986 तक रोजगार अवसर 16.5 लाख जन वर्ष से बढ़ाकर 20 लाख जन वर्ष कर लेने का दावा किया गया, परन्तु इस समय लगभग 50 लाख जन वर्ष बेरोजगारी है। इसका अर्थ है 50 लाख जन वर्ष की बेरोजगारी। इन बेरोजगारों में अधिक संख्या ग्रामीण बेरोजगारों की है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए जो धनराशि खर्च की गयी क्या उससे कोई फल निकला है? क्या सरकार के प्रयासों के परिणाम-स्वरूप बेरोजगारी में कमी हुई है? इन दोनों में वर्तमान अनुपात क्या है? सरकार स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पायी है। यह कहना कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही है मात्र ढकोसला है और सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए एक धोखा है।

महोदय, अब मैं अन्तिम विषय पर बात करूंगा। यह एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के बारे में है। यह कहा गया है कि 6000 करोड़ रुपये जितनी बड़ी राशि बैंकों के माध्यम से 1980 और 1986 की अवधि में ऋण के रूप में वितरित की गयी है। परन्तु महोदय, इससे लाभान्वित 30 प्रतिशत व्यक्तियों के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। इन 30 प्रतिशत लाभभोगियों के मामले में कोई स्था ी संपत्ति नहीं बनायी गयी है। या तो उन्होंने इन संपत्तियों को बेच दिया है या फिर उसे छोड़ दिया है। बैंक ऋणों द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति की आज यह स्थिति है। सरकार उन्हें जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराये बिना पशु आदि वितरित करने में विश्वास करती है और जीवन-यापन का साधन जुटाने का दावा करती है। यह एक धोखा है, अगर सरकार यह समझती है कि वह यहां-वहां कुछ बकरियां और भैंसें वितरित करके ग्रामीण भारत में गरीबी कम करने में सफल हो जायेगी।

क्रांतिकारी भूमि सुधारों को लागू करना आवश्यक है। रोजगार उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। भूमि सुधारों से काफी रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। परन्तु कांग्रेसी शासन में भूमि सुधार एक लज्जाजनक असफलता बन गयी है, मैं यह घोषणा करूंगा। यह एक अपमान-जनक ड्रामा बन गया है। वास्तव में, महोदय, मैं कहूंगा कि यह पूंजीवाद जमींदारी व्यवस्था को मजबूत कर रही है। यही सब है जो मैं कहना चाहता हूं।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा उस सलाह से लाभ उठाते हैं जो आप इस सभा को तथा देश को समय-समय पर देते हैं। महोदय, आज विशेष रूप से मैं इस देश के लाखों किसानों की ओर से अपना आभार इस सभा के प्रति कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि आखिरकार इस माननीय सभा ने कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू की है। मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि इन मांगों को लिया जा सकेगा क्योंकि जिस प्रकार से हम चल रहे थे उसको देखते हुए यह लगभग असंभव हो गया था परन्तु मैं महसूस

करता हूं कि आपके अनुग्रह तथा व्यक्तिगत प्रयासों के कारण अनुदानों की मांगों को लिया जा सका है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, हम इस तरह से समय नियतन के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त करते हैं। कृषि सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, बात इसके विपरीत है। जो समय नियत किया गया था वह बहुत अधिक था। समय का बेकार की बातों में दुरुपयोग किया गया।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे राष्ट्रीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर इस माननीय सभा को चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। कृषि कृषकों का सिर्फ पेशा ही नहीं बल्कि हमारे देश में जीवन-यापन का मुख्य स्रोत है। किसान न केवल हमारे देश की जनसंख्या को अनाज देते हैं बल्कि सभी अन्य जीवों अर्थात् पशु-पक्षियों आदि को भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। जो जी रहा है उसे किसान खिला रहा है। अत: हमारे राष्ट्रीय जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मैं माननीय सदस्यों का इस सबसे महत्वपूर्ण मामले पर, जो हमारे देश का जीवनदायक है, अपने मूल्यावान सुझाव देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं अपना उत्तर बहुत ही संक्षेप में दूंगा। मैं सबसे पहले देश में कृषि की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करना चाहूंगा जिनका कृषि, ग्रामीण विकास, उर्वरक तथा अन्य संबंधित विषय पर, जो कृषि मंत्रालय के अधीन आते हैं, वार्षिक प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया है। परन्तु, महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय मूलभूत मामले उठाये थे जिन पर मैं कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताना चाहूंगा।

महोदय, संसाधनों के नियतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। छठी योजना में कृषि के लिए नियत किए गए संसाधन राज्य योजना की अपेक्षा केन्द्रीय योजना में अधिक थे। छठी योजना में कुल नियतन 4900 करोड़ रुपये था जिसमें से 2900 करोड़ रुपये राज्य योजना में और 2000 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना में थे जबकि सातवीं योजना में 7214 करोड़ रुपये के कुल नियतन में से, 4514 करोड़ रुपये का राज्य क्षेत्र में नियतन किया गया है और केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 2700 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। इससे पता चलता है कि हम राज्यों के प्रयासों पर अधिक से अधिक निर्भर करने का यत्न कर रहे हैं। हम राज्यों को अधिक से अधिक धनराशि आबंटित करते जा रहे हैं ताकि वे इस देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जहां तक राज्यों में तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि विकास को प्राथमिकता देने का प्रश्न है। इसके साथ, मैं माननीय सभा के सामने कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने में भी गर्व महसूस करूंगा। बिहार के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। वह कृषि विकास के विचार को ही प्रश्न चिह्न लगा रहे थे। राज्यों को इसके बारे में पता है; सारा देश इसे जानता है तथा सारे विश्व को यह पता है कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हमने कृषि विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। अगर आप कुछ फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखें तो इससे सिद्ध होगा कि हमने वास्तव में अपने देश में खेती करने के तरीकों में क्रांति ला दी है।

1950 में, चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 600 किलोग्राम था। अब यह बढ़कर लगभग

1500 किलोग्राम तक पहुंच गया है। अगर आप कुछ प्रगतिकारी राज्यों जैसे, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, की तरफ देखें तो आप पायेंगे कि पंजाब में चावल उत्पादन 608 कि० ग्रा० से बढ़कर 3063 कि० ग्रा० हो गया है। क्या इससे पता नहीं चलता कि यह एक वास्तव में क्रांति है ? इसी प्रकार से, गेहूं के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 663 कि० ग्रा० था और अब इसका समग्र राष्ट्रीय औसत 1873 कि० ग्रा० तक बढ़ गया है। और पंजाब में यह 3294 कि० ग्रा० है, शायद यह एक कीर्तिमान है जो राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया है। कुछ माननीय सदस्य क्षेत्रीय असंतुलन, फसलों के पारस्परिक असंतुलन के बारे में काफी चिंतित थे ! हां, इस ओर हमारा ध्यान गया है ! इन असंतुलनों को समाप्त करना होगा और हम विशेष प्रयास कर कर रहे हैं विशेषकर हमारे देश के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अंचल के कुछ भागों की ओर भी वांछित ध्यान दिया जाए। परन्तु अगर आप फसलों की उपज स्थिति पर गौर करें तो यह बात सही नहीं है, कुछ फसलों के संबंध में उत्तरी क्षेत्रों ने अच्छा कार्य किया है और कतिपय अन्य फसलों के संबंध में दक्षिणी राज्यों ने अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर कपास को लीजिए। इन समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कपास उत्पादन लगभग 185 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। परन्तु आंध्र प्रदेश में यह 363 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है ! इसी प्रकार से, गन्ने के मामले में भी मैं प्रगतिकारी राज्य का उल्लेख करना चाहूंगा। उत्तरी क्षेत्र में, यह लगभग 62.25 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। परन्तु तमिलनाडु में, यह 104.2 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। मकई उत्पादन के मामले में, पंजाब में यह लगभग 1830 कि० ग्रा० है जबकि कर्नाटक में यह 2719 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। इससे कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ाने तथा उसे समान रूप से वितरित करने के प्रयासों का भी पता चलता है हालांकि कुछ राज्यों में कुछ फसलों की विशेषज्ञता है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र को गन्ना उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है, तमिलनाडु की गन्ना उत्पादन में विशेषज्ञता है और कर्नाटक की मकई में। अत: राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रगति को समान रूप से बांटने का प्रयास किया गया है। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि हम अब यह मानते हैं कि देश के कतिपय भाग। में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र—बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों ने इतना अच्छा कार्य नहीं किया है जितना कि उन्हें करना चाहिए था। अत: इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम दूसरी परियोजनाएं बना रहे हैं। अब यह बताने के बाद मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई कतिपय बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं शुरुआत प्रथम माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र रेड्डी से करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद को आरम्भ किया था। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) की बहुत आलोचना की थी। उन्होंने एन० आर० ई० कार्यक्रम के लिए किए गए नियतनों के सही आंकड़े नहीं दिये थे। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि छठी योजना में परिव्यय 1620 करोड़ रुपए था; जिसमें राज्यों का हिस्सा भी सम्मिलित था। सातवीं योजना में यह 2487 करोड़ रुपए है। सातवीं योजना के शुरू के दो वर्षों में परिव्यय 1985-86 में 565 करोड़ रुपये और 1986-87 में 670 करोड़ रुपये है। अत: इससे भी सिद्ध होता है कि हम देश में गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनायी हैं, जैसा कि मेरे साथी श्री योगेन्द्र मकवाना और श्री नटवर सिंह ने बड़ी कुशलता के साथ उनकी कुछ खास-खास बातों का उल्लेख किया है। मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उन विषयों पर उन्होंने बता दिया है। श्री मकवाना ने डेरी फार्मिंग, मछली पालन, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न

स्थिति को संभालने तथा अन्य बातों के बारे में सूचना दी। मैं स्वयं को सिर्फ उन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित रखूंगा जिनमें भारत सरकार बहुत रुचि रखती है ताकि निश्चित समय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में समग्र रूप से सुधार हो।

हमने इन दोनों कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास और कृषि के तहत, जो एक-दूसरे के पूरक हैं, तैयार किया है। पहले उन्हें स्वतन्त्र रूप से लिया जा रहा था परन्तु अब हम ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं को कृषि के अनुरूप करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे यह संरक्षण हो या गरीबी दूर करने से संबंधित हो या यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करने से संबंधित हो। अब वे कृषि विस्तार योजनाओं पर अधिक आधारित होंगी, ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से कृषि के विकास को लाभ प्राप्त हो सके।

हमारे देश के भीतर उपलब्ध प्रौद्योगिकी को उपयोग करने का यह प्रश्न है। उपलब्ध बहुत कम प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है जो हमारे वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों के कठिन परिश्रम द्वारा तैयार की गयी है। मुझे अपने वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था कि लगभग 40 प्रतिशत प्रौद्योगिकी, जिसे हम देश के भीतर प्राप्त कर सके हैं, का उपयोग इस समय किया जाता है; उपलब्ध 60 प्रतिशत प्रौद्योगिकी को अभी भी किसानों को स्थानान्तरित करना होगा, ताकि वे अपने खेतों में उत्पादिता को बढ़ा सकें।

आधुनिक उपायों से खेती करने के परिणाम के बारे में कुछ आलोचनाएं हुई हैं। यदि आप इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो पंजाब या हरियाणा के मामलों को देखिए। पंजाब, जो आधुनिक खेती के मामले में देश में सबसे आगे है, ने यह प्रमाणित किया है कि अधिक से अधिक आधुनिकीकरण, खेतों में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न होते हैं। खेतों में काम करने वाले अधिकांश लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के हैं। रोजगार के बहुत अधिक अवसर दिए जाते हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकी के लाने के प्रयासों के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

मैं कुछ लोगों की एक और गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं कि छोटे कृषि कार्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अवसर कम होते हैं। यह सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में 55 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है और पंजाब के किसानों की उपलब्धि पर नजर डालिए। यह केवल फार्म का आकार ही नहीं है। यदि आप पड़ोसी देशों की ओर देखें तो आप पायेंगे कि कोरिया जो एक उन्नत देश है, जापान, कुछ मामलों में फार्म का आकार दो हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से भी कम है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जितने भी क्षेत्र में आप आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे, उससे प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना संभव होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्रयोगशाला से भूमि तक का अभियान स्थायी बनाया जाना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : यह ठीक है और हम इसको कर रहे हैं। जैसाकि मैं बता रहा था कि कृषि क्षेत्र में प्रगति उत्साहदायक है परन्तु यदि सूखा नहीं पड़ता जिसने विघ्न डाला है और जो पिछले चार या पांच वर्षों से निरन्तर बना हुआ है, तो हम निर्धारित लक्ष्यों से काफी आगे

चले गए होते। परन्तु बदकिस्मती से मौसम, चाहे यह बाढ़ हो या सूखा, द्वारा पैदा की गई कठिन स्थिति के कारण हम ऐसा नहीं कर सके और अधिकतर यह सूखा के कारण होता है। जैसा कि मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री योगेन्द्र मकवाना ने अभी बताया है कि हमारे अनेक राज्य सूखे में फंसे हुए हैं और वे भी पिछले चार वर्षों से जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत पानी बिलकुल लुप्त हो गया है तथा हमारे किसानों के लिए पानी खींचना असंभव हो गया है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं पारम्परिक तरीकों से वे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां से पानी लुप्त हो गया है। इसलिए, हम ऐसे राज्यों को विशेष रिगें सप्लाई कर रहे हैं जो अब सूखे से पीड़ित हैं।

फिर भी, इस पूरे विकास की सबसे अधिक दिलासा देने की विशेषता यह है कि हमारे किसान, चाहे वे वर्षा वाले स्थानों में हों या वे घोर सूखा का सामना करते हों, पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। पहले की तुलना में उत्पादन गिरावट अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ किस्मों के बीजों के विकास को संभव बना दिया है तथा उनकी अच्छी व्यवस्था कर दी है और सहायक सामग्री का प्रयोग तथा पानी का उपयोग यथावत रहा है। इसलिए हमारे किसान अधिक कठिन क्षेत्रों में भी इसको कायम कर सके हैं। पिछले वर्षों में जब सूखा होता था, केवल एक वर्ष सूखा होने के कारण उत्पादन में 220 लाख टन की गिरावट आई थी। अब हमारे यहां चार वर्षों से अधिक समय तक सूखा की स्थिति रहती है। उत्पादन में गिरावट एक बार लगभग 30 लाख टन हुई और दूसरी बार लगभग 60 लाख टन। इससे पता चलता है कि विज्ञान के प्रयोग करने से और हमारे वैज्ञानिकों की पहल से हम उसे कायम कर सके हैं तथा अधिक कठिन स्थिति में भी हमारे किसान पर्याप्त उत्पादन कर सके हैं।

उसके साथ ही इसमें संदेह नहीं है कि इस समय सिंचित क्षेत्रों में हमारे पास रिकार्ड उत्पादन होगा और हर समय की अपेक्षा गेहूं और चावल का रिकार्ड उत्पादन होगा। यह दूसरी बात है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि किसानों को इस सम्मानित सभा द्वारा बधाई दी जाए। क्योंकि वास्तव में वे ही हमारे देश में जीवन को बनाए रखे हैं।

अब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें अपने प्रयास निरन्तर करने चाहिए। माननीय सदस्य श्री सिन्हा ने भूमि संरक्षण के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह हमारी खेती का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय हम अपनी भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपना ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश में भूमि कटाव और भूमि की गुणवत्ता कम होने के मामले बहुत अधिक हैं। छठी योजना के अन्त तक लगभग 293.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर ध्यान दिया गया था और 1,212.29 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। सभी प्रकार की भूमि को ठीक किया गया है और केन्द्र तथा राज्य दोनों ही क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। यह कुल समस्या क्षेत्र का लगभग 17 प्रतिशत है। अब, महोदय, हमारे पास कुल योजना में भूमि को ठीक करने की भी योजना है। सातवीं योजना में लगभग 227.1 लाख हेक्टेयर भूमि को ठीक करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। परन्तु धन की कठिनाई के कारण केवल 740 19 करोड़ रुपए आबंटित करना ही संभव हुआ है। सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि ठीक की जाएगी। इसलिए, महोदय, हमारा लगातार प्रयास भूमि के सुधार के लिए होगा क्योंकि भूमि और जल दो प्राकृतिक सम्पत्तियां हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : जल संभर प्रबन्ध (वाटर शेड मैनेजमैंट) की क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : इस समय मैं भूमि के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पानी पर भी बाद में आऊंगा। अतः यह प्राकृतिक सम्पत्ति है जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता। हमें यह देखना होगा कि भूमि की गुणवत्ता को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए, सभी कार्यक्रमों, चाहे यह वन मंत्रालय का है या जल संसाधन मंत्रालय का या कृषि मंत्रालय का या वेस्टलेंड बोर्ड का, को इसका ध्यान रखना होगा। वेस्टलेंड बोर्ड को स्थापित किया गया है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इन दोनों प्राकृतिक सम्पत्तियों पर निजी रूप से दिलचस्पी ली है। इन दोनों प्राकृतिक संसाधनों—जल और भूमि को सुरक्षित रखने संबंधी समितियों की अध्यक्षता की है।

जल के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था..........

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उन्होंने जल संभर प्रबंध (वाटर शेड मैनेजमेंट) के बारे में पूछा है। यह भूमि संरक्षण है।

सरदार बूटा सिंह : जी हां। जल संभर प्रबन्ध के लिए एक अखिल भारतीय बोर्ड है जो विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों के लिए है। महोदय, अब हम देश में सिचाई सुविधाओं को प्रति-वर्ष बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा हम प्रति वर्ष लगभग 25 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ा रहे हैं। यह आस्ट्रेलिया और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। यद्यपि जलाशय और नहरों के अवैज्ञानिक और साधारण होने के कारण काफी जलाक्रन्ति हो जाती है और बहुमूल्य पानी का सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। समस्या कितनी है बड़ी उस पर नजर डालिए। सभी पहलुओं चाहे यह कृषि, उद्योग, पीने का पानी, भूमिगत पानी हो, हम केवल 10 प्रतिशत वर्षा के पानी का उपयोग कर पाते हैं। यह बड़ी मात्रा में बेकार जाता है। 90% वर्षा का पानी बेकार जाता है। जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए और हम इसको कर रहे हैं। इसलिए, हमें इन प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करनी होगी तथा जल संसाधन मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार यह सुनिश्चित करने को बहुत उत्सुक है कि इस दुर्लभ बहुमूल्य संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जाये। इसके साथ ही हम यह भी प्रयास कर हैं कि हम अधिक से अधिक भूमि पर खेती करें। राष्ट्रीय फसल योजना, जल प्रबंध तथा विपणन के विस्तार द्वारा शुष्क भूमि क्षेत्र में 118 प्रतिशत से 130 प्रतिशत और सिंचित क्षेत्रों में 150 से 200 प्रतिशत तक फसलों को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। महोदय, मेरे माननीय साथी श्री योगेन्द्र मकवाना ने पशुपालन क्षेत्र में कार्यों के बारे में बताया है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सातवीं योजना में हम 1600 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें जैसाकि मेरे सम्मानित साथी श्री नटवर सिंह ने बताया है। हमने शताब्दी के अन्त तक एक योजना भी बनाई है और हमने साधन भी लगाए हैं। जो चाहे यह उर्वरक, उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम, कीटनाशी, सिंचाई सुविधाओं जैसी सहायक सामग्री हो। हम यह देखने के लिए सुधार कर रहे हैं कि हमारे लोग खाद्यान्न के लिए न तरसें तथा हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि हम पर्याप्त उत्पादन कर सकें। महोदय, कृषि निर्यात एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है। पहले वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष हमारा निर्यात निष्पादन 10 प्रतिशत रहा है। देश में कुल निर्यात का पूर्वानुमान केवल 3 से 4 प्रतिशत का है। कृषि निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो काफी है और हम आने वाले वर्षों में इसको निरन्तर दुगना करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप इसे कर सकते हैं और इस बारे में बहुत अधिक किया जा सकता है। आपके प्रयासों द्वारा आप इसे बढ़ा सकते हैं। फलों तथा अन्य उत्पादों के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं। कृषि निर्यात के भविष्य के लिए हम बागवानी की ओर देख रहे हैं जोकि बहुत मूल्यवान क्षेत्र है। हम बहुत प्रगति नहीं कर सके हैं परन्तु हम उस क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने बताया है सिंचाई साधन क्षमता बढ़ानी होगी। इसलिए, हम सिंचाई की समस्या को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं और 470 करोड़ रुपए की कुल सहायता है जिनमें से लगभग 410 करोड़ रुपए छोटी सिंचाई कार्यों के लिए है—जिसका अर्थ है कि बड़ी सिंचाई योजना, जिसमें भारी पूंजी लगती है, की तुलना में कमजोर किसान वर्गों, निर्धन किसानों को बहुत अधिक सहायता दी जाएगी।

इसी तरह से राष्ट्रीय डेरी विकास परियोजनाओं पर लगभग 240 करोड़ रुपए के निर्धारित करने से यह साबित होगा कि साथ-साथ उगायी जाने वाली फसलों के चयन करने और नमी रक्षण पर विशेष ध्यान देने से किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः, हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ाया जाये। पहले से ही माननीय वित्त मंत्री बागवानी, कपास की फसल और कुछ ऐसी फसलों, जिन्हें अब शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है, के अधीन कुछ फसलों पर फसल बीमा योजना लागू करने पर सहमत हुए हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : तम्बाकू और मिर्च भी।

सरदार बूटा सिंह : हम इसे वित्त मंत्री जी को पेश करेंगे, क्योंकि हमें धन की आवश्यकता है।

पहली बार खरीफ, 1986 से फसल बीमा योजना को कपास, गन्ना और फलों के लिए लागू करने का प्रस्ताव है।

हम बीजों और कीटनाशी से संबंधित कारणों में भी संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सप्लाई केवल प्रभावी ही न हो, बल्कि गुणवत्ता भी बनाई रखी जा सके, ताकि किसानों को आदानों से अच्छा लाभ मिल सके।

प्रो० एन० जी० रंगा : यहीं मिलावट को रोकना होगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : खाद्य उत्पादों में मिलावट करने वालों के समान ही दोषियों को समझा जाना चाहिए। वर्तमान अधिनियम ठीक नहीं है। इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के समान किया जाना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : इसलिए हम कानूनों में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अधिक सख्त बना रहे हैं। संशोधन के समय आपके सुझाव उपलब्ध होंगे, ताकि अपराधी को दण्ड दिया जाए और किसानों को धोखा न दिया जाए चाहे ये कीटनाशी दवायें या उर्वरक या जन्तुनाशी हों, हम कानूनों को अधिक सख्त बनाते जा रहे हैं, ताकि किसानों का शोषण न किया जाए।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है हम दीर्घावधि कृषि मूल्य नीति का प्रस्ताव भी कर रहे हैं। अभी तक फसल-वार नीति रही है। परन्तु प्रधानमन्त्री ने हमें निदेश दिया है कि हमें दीर्घावधि नीति लानी चाहिए, ताकि किसान भी अपनी फसलों की पहले से ही योजना बना सकें तथा उन फसलों के लिए वे धनराशि का भी पता लगा सकें जिनका वे उत्पादन करना चाहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें लागत को भी शामिल करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : वह आधार होगा। यह लागत और मूल्य सम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग होगा।

माननीय सदस्य नारायण चौबे, अंतिम सदस्य और कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि सुधार के बारे में बहुत आलोचना की थी। भूमि सुधार न केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए यह प्रमुख साधन है। राज्यों में राजस्व विभागों के अधिकतर सभी प्रभारी मंत्रियों ने इसे स्वीकार किया है। वे मेरे साथ दिल्ली में हुई पिछली बैठक में भूमि सुधार से संबंधित मामलों को सबसे अधिक महत्व देने के लिए सहमत थे। कुछ विषयों पर आम राय थी और इस बात पर भी आम राय थी कि भूमि सुधारों को अधिक सक्रिय रूप से लागू किया जाए।

मैं श्री चौबे जी और पश्चिम बंगाल के अन्य माननीय सदस्यों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वे न केवल अपनी बात पर बहुत जोर दे रहे थे बल्कि मुझे अपना समर्थन दे रहे थे तथा इस कारण मैं इन सदस्यों के सामने इस सदन में कुछ असुविधाजनक आंकड़ों को पेश करना नहीं चाहता हूं। हमने एक ऐसे दल से, जो अपने आपको मार्क्सवादी कहते हैं, आशा की थी कि वे भूमि सुधारों को लागू करेंगे परन्तु बदकिस्ती से इनकी स्थिति भी भिन्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : 50% वितरित भूमि में से अधिकतर भूमि पश्चिम बंगाल में है। (व्यवधान)

50% से अधिक भूमि पश्चिम बंगाल में है। यह कार्यवाही में दर्शाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया बैठ जाइए। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। भूमि सुधार ठीक है परन्तु कुछ समर्थन सुधार भी होना चाहिए। इसे प्रत्येक जगह लागू होना चाहिए न कि किसी एक स्थान पर।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : इस देश में लाखों भूमिहीन लोगों के वास्तविक विकास के लिए राष्ट्र ने भूमि सुधार को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए, हमेशा एक प्रश्न होता है कि अभी तक देश में भूमि सुधारों को अब तक कड़ाई से लागू क्यों नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको हमें बताना होगा। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं कार्यान्वियन निष्पादन के प्रश्न पर जा रहा था। **(व्यवधान)**

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप शहरी सम्पत्ति क्यों दे रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जम्मू और कश्मीर में खेती करने वालों को 1948 में भूमि दे दी गई थी। दूसरे राज्य ऐसा क्यों नहीं करते ?

सरदार बूटा सिंह : विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत जो भूमि फालतू घोषित की गई है मैं केवल उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा समय बर्बाद मत करिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जो भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है उसे वितरित नहीं किया गया है। ऐसी भूमि का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी न्यायालयों, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में लम्बित मुकदमों में अन्तर्गस्त है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के चंगुल से कैसे निकला जाये। ऐसे राज्य हैं जहां भूमि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिनमें बड़े-बड़े राज्य भी शामिल हैं, भूमि रिकार्डों को दर्ज नहीं किया जाता है। **(व्यवधान)**

यदि मैं सभी राज्यों के नाम लूं तो जो समय मुझे दिया गया है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं और उन सभी राजनैतिक दलों से पूरा सहयोग चाहता हूं जो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से सहमत हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्यक्रम को उचित महत्व दिया जाए। हम बहुत कुछ करेंगे। यह कांग्रेस दल या किसी अन्य दल का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नीति कार्यक्रम का प्रश्न है जिसके पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है। यह एक नीति है। राजनैतिक दलों में इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। इसके अन्तर्गत हमें यह देखना होगा कि कृषकों, निर्धन किसानों, छोटे किसानों की भूमि का अधिकार दिया जाए जिसकी वे खेती करते हैं।

श्री काबुली सेवों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। जहां तक सेव स्कैब का संबंध है हमने केवल पिछले ही सप्ताह जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के विशेषज्ञों और भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने यहां के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वे स्थिति का मूल्यांकन कर सके हैं। समस्या के आकार का पता लगा सके हैं और जल्दी ही यह दल कुछ योजनाओं को शुरू करने के लिए तथा इस स्कैब का समाधान करने के लिए जम्मू और कश्मीर जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह गंभीर मामला है।

सरदार बूटा सिंह : यह हिमाचल प्रदेश में गंभीर है। यह जम्मू और कश्मीर में गंभीर है। यह उत्तर प्रदेश में गंभीर है। इसलिए हमने पहले से ही क्षेत्रों की पहचान कर ली है। हमने समाधान का भी पता लगा लिया है। समाधान का अभाव नहीं है और इस रोग को दूर किया जा सकता है। अतः हमें यह दृष्टि में रखते हुए प्रयास करना होगा कि सेव राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। हमारे देश में सेव की फसल का जर्म प्लास्मा बहुत पुराना है और हम विश्व में कहीं से भी इसकी सर्वश्रेष्ठ किस्म प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तथा हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस फसल को धीरे-धीरे बदला

जाए ताकि हमारे किसानों, उत्पादकों के पास भी विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जर्म प्लास्म" हो सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाये हैं वे उनके राज्यों की समस्याओं से संबंध रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए सुझाव हैं और हम यह देखने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि उनके सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाए और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए हम प्रयास करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का संबंध है, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया और वह पंचायती राज तथा सहकारिता प्रणाली है। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायती राज अथवा सहकारिता प्रणाली के माध्यम से लोगों के सहयोग के बिना ग्रामीण या कृषि विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं मुख्य मन्त्रियों को लिख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को हमारे राष्ट्रीय जीवन के इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अर्थात् पंचायती राज और सहकारिता प्रणाली के बारे में लिखा है। लेकिन बदकिस्मती से राज्यों की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं रही है। कुछ राज्यों में कई वर्षों से पंचायतों के लिये चुनाव नहीं हुए हैं। और कुछ राज्यों में प्रणाली इतनी त्रुटिपूर्ण है कि पंचायतों के पास कोई शक्तियां ही नहीं हैं। इसलिए, यदि कोई वहां पर कोई पंचायती प्रणाली है तो यह केवल एक छलमात्र है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वोपरि विकास तथा ग्रामीण समाज की भलाई के लिए यह अनिवार्य है कि हम इन संस्थाओं को उचित महत्व दें जो हमारे देश में कोई सामाजिक परिवर्तन लाने का केन्द्र है। यदि पंचायती राज प्रणाली सशक्त है तो यह हमें ग्रामीण विकास के लिए लाभार्थियों का पता लगाने में हमारी सहायता कर सकती है। वह हमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता कर सकते हैं जो हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तैयार की हैं।

इसी प्रकार सहकारिता क्षेत्र में भी, दुर्भाग्य से सहकारिता की दशा खराब है। अस्सी प्रतिशत से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां आत्मनिर्भर नहीं हैं। प्रो॰ रंगा ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि हम सेवा सहकारिता संगठित करें जो किसानों को ऋण सहायता आदि देकर उनकी सहायता करे। इसी प्रकार श्री अवस्थी अत्यंत उत्सुक थे कि हम प्रमुख निवेश अर्थात् ऋण को सहकारी समिति द्वारा वितरित करें। यदि आप इस समय सहकारी समितियों की हालत देखें तो कुछ राज्यों में, राज्य स्तर की सहकारी समितियां उस स्थिति में नहीं हैं। उन्हें एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) से कोई भी ऋण लेने के अयोग्य घोषित किया जाता है क्योंकि विगत में उनका कार्य निष्पादन बहुत ही खराब रहा है। अतः यह उचित समय है कि हमारे मुख्य मंत्री और राज्य सरकारें इसकी ओर ध्यान दें और देखें कि सहकारी समितियों को उनका उचित हिस्सा मिलें और वे समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

यही कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मानित सदन कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों की प्रशंसा करेगा। किंतु जैसे मैंने अपनी टिप्पणी के आरम्भ में कहा कि हम राज्य सरकारों को अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन तथा अन्य शक्तियां देना चाहते हैं। अतः यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चाहे यह कृषि अथवा ग्रामीण विकास हो, माननीय सदस्यों को अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए और कृषि तथा ग्रामीण विकास

की योजनाओं के कार्यान्वयन में अपने आपको सम्मिलित करना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही हमारा देश समृद्ध बन सकता है और हमारे गरीब किसानों को ऐसे निहित स्वार्थों से बचाया जा सकता है जो हमारे ग्रामीण समाज के लिए भारी बोझ बन गए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों को पारित करने की सभा से सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, मैं परिवहन मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के साथ नष्ट होने वाली वस्तुओं के सहज संचलन और उनके लिए किसी वातानुकूलित गाड़ी चलाने के संबंध में चर्चा आरम्भ करना चाहूंगा ताकि इससे फलों और नष्ट होने वाले उत्पादों के उत्पादन में सहायता मिलेगी।

सरदार बूटा सिंह : अवश्य, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा कदम होगा क्योंकि यदि अन्य देशों में ऐसा है तो हम ऐसा, क्यों नहीं कर सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही हमें यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि बागबानी और विशेषकर शीघ्र नष्ट होने वाले फलों, सब्जियों, फूलों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और हम यह देखना चाहते हैं कि बड़े नगरों, महानगरों में इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें और ऐसा तो कुशल ढुलाई से ही हो सकता है। महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में जो हमारे किसान अंगूर उगाते हैं, उन्हें अपनी वस्तुओं की बिक्री में कठिनाई होती है, और हम ने नागर विमानन मंत्री से अनुरोध भी किया है कि इस अत्यन्त नश्वर वस्तु के लिए सस्ती ढुलाई उपलब्ध कराएं और उन्होंने हमें अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं लेकिन तभी जब कोई सदस्य अपना कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखना न चाहे।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 9 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब दो मिनट बाकी हैं ।

[हिन्दी]

अगर हाऊस कहे तो मैं कर देता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : कर दीजिए, कर दीजिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय । ठीक है । यदि सभा यह चाहती है ।

6.00 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

[—जारी]

संचार मंत्रालय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि, आदि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष बची अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

(1) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 16;

(2) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26 से 28;

(3) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 41;

(4) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 से 46;

(5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 से 62;

(6) उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 से 65;

(7) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 और 70;

(8) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71 और 72;

(9) संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73 और 74;

(10) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75;

(11) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77 और 78;

(12) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;

(13) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;

(14) परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 से 91;

(15) नगर विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92 से 96;

(16) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;

(17) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 105;

(18) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 106; और

(19) उप-राष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 107.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिये संचार मंत्रालय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	31 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
संचार मंत्रालय					
13.	संचार मंत्रालय	1,01,73,000	6,00,00,000	5,08,66,000	9,00,02,000
14.	विदेश संचार सेवा	60,25,000	—	—	—
15.	डाक सेवाएं	1,45,86,67,000	6,05,50,000	7,29,33,33,000	30,27,50,000
16.	दूर संचार सेवाएं	2,45,41,66,000	1,52,83,17,000	12,27,08,34,000	7,64,15,84,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
26.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	27,13,000	—	1,35,65,000	—
27.	पर्यावरण	13,30,32,000	—	66,51,60,000	—

1 2		3		4
28. वन और वन्य जीवन	8,19,50,000	2,000	64,84,49,000	10,08,000
वित्त मंत्रालय				
30. वित्त मंत्रालय	2,47,33,000	—	12,36,67,000	—
31. सीमा शुल्क	15,63,11,000	9,73,50,000	78,15,55,000	48,67,50,000
32. संघ उत्पाद शुल्क	17,73,46,000	—	88,67,32,000	—
33. आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	19,39,63,000	—	96,98,17,000	—
34. स्टाम्प	8,98,29,000	1,30,12,000	42,28,31,000	3,28,48,000
35. लेखा परीक्षा	24,43,26,000	—	1,22,16,30,000	—
36. करेंसी सिक्का निर्माण और टक्साल	37,99,22,000	29,60,83,000	1,89,78,13,000	98,25,16,000
37. पेंशनें	35,31,31,000	—	1,76,56,52,000	—
38. अफीम और एल्के-लाइड कारखाने	26,19,21,000	1,19,17,000	18,04,71,000	95,85,000
39. राज्य सरकारों को अंतरण	8,14,94,17,000	—	17,29,43,87,000	—
40. वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	3,32,94,47,000	8,91,09,14,000	8,14,10,76,000	6,77,75,71,000
41. सरकारी सेवकों आदि को उधार	—	29,23,67,000	—	1,46,18,33,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
44. स्वास्थ्य और परि-वार कल्याण मंत्रालय	35,62,000	—	1,78,08,000	—
45. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	53,33,76,000	19,19,80,000	2,66,92,78,000	95,98,99,000
46. परिवार कल्याण	95,63,58,000	89,83,000	4,78,17,89,000	4,49,17,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
57. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1,18,01,000	—	5,09,04,000	—

1 2	3		4	
58. शिक्षा	1,09,73,28,000	4,24,000	5,48,85,39,000	21,18,000
59. युवा कार्य और खेल	11,00,23,000	50,65,000	60,03,17,000	2,53,25,000
60. महिला कल्याण	25,51,58,000	—	1,32,57,93,000	—
61. कला और संस्कृति	9,50,99,000	—	47,54,93,000	—
62. पुरातत्व	3,27,93,000	—	16,39,67,000	—
उद्योग मंत्रालय				
63. उद्योग मंत्रालय	2,28,04,000	8,000	11,40,23,000	42,000
64. उद्योग	17,78,36,000	71,42,83,000	91,52,25,000	3,04,94,17,000
65. ग्राम और लघु उद्योग	42,89,47,000	23,43,51,000	2,14,47,33,000	1,17,17,55,000
श्रम मंत्रालय				
69. श्रम मंत्रालय	31,00,000	—	1,55,00,000	—
70. श्रम और रोजगार	27,18,74,000	15,17,000	1,35,93,72,000	75,84,000
विधि और न्याय मंत्रालय				
71. विधि और न्याय मंत्रालय	5,21,41,000	—	26,07,04,000	—
72. न्याय प्रशासन	17,27,000	—	86,32,000	—
संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय				
73. संसदीय कार्य विभाग	10,49,000	—	52,46,000	—
74. पर्यटन विभाग	2,90,97,000	1,84,33,000	14,54,84,000	9,21,67,000
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
75. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	4,12,81,000	—	20,64,06,000	—
योजना मंत्रालय				
77. आयोजना	1,43,39,000	—	7,36,93,000	—
78. सांख्यिकी	4,47,76,000	—	22,38,77,000	—
कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय				
79. कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय	7,63,000	—	38,17,000	—

1	2		3		4
	वस्त्र मंत्रालय				
86.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	52,41,43,000	35,68,32,000	2,62,07,12,000	1,78,91,62,000
	परिवहन मंत्रालय				
87.	परिवहन मंत्रालय (रेलवे को छोड़कर)	1,34,18,000	—	6,47,40,000	—
88.	सड़कें	40,88,86,000	56,23,91,000	2,04,44,32,000	2,81,19,52,000
89.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	23,55,94,000	45,79,85,000	1,12,87,74,000	1,60,92,26,000
90.	सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन	2,36,42,000	21,51,05,000	11,82,10,000	75,55,28,000
91.	विमानन	10,33,64,000	11,30,67,000	44,82,19,000	31,53,35,000
	नगर विकास मंत्रालय				
92.	नगर विकास मंत्रालय	38,24,000	—	1,91,20,000	—
93.	लोक निर्माण	21,21,24,000	12,51,84,000	1,06,06,21,000	62,59,22,000
94.	जलपूर्ति और मल निकासी	32,66,000	—	1,63,34,000	5,00,000
95.	आवास और नगर विकास	5.90,95,000	12,39,21,000	29,54,72,000	74,96,04,000
96.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,37,42,000	—	51,87,07,000	—
	कल्याण मंत्रालय				
98.	कल्याण मंत्रालय	44,01,65,000	11,67,000	2,09,28,24,000	58,33,000
	संसद्, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
105.	लोक सभा	2,01,85,000	—	10,09,25,000	—
106.	राज्य सभा	84,35,000	—	4,21,78,000	—
107.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	2,25,000	—	11,28,000	—

6.02 म० प०

विनियोग (संख्या 3) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस समय विनियोग विधेयक है। छ: बजते ही आपने गिलोटीन लगाया और सभी प्रश्न चर्चा के बिना ही पारित किए गए।

अध्यक्ष महोदय : और दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति द्वारा जो स्वयं अहिंसक हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अनेक विभागों के संबंध में चर्चा नहीं हो सकती है। मैं संक्षेप में एक दो बातों का उल्लेख करता हूं। श्रम विभाग के संबंध में भी चर्चा नहीं हो सकी है। महोदय, इस संबंध में, पत्रकारों की मजदूरी के संबंध में बहुत ही असंतोष है, और मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आंतरिक राहत के मामले में आवश्यक ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार पियरलैस कंपनी के कर्मचारियों की दयनीय हालत की समस्या है और मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाए और आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए जिससे इनकी दु:खद स्थिति को भी दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से अनुशासनिक अधिकारियों को किसी भी

कर्मचारी को किसी भी सुनवाई के बिना पद से हटाने का अथवा पद अवनति करने का अधिकार मिल गया है जिससे सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। परिणाम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। परिणाम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अवमान करने वाले हैं। अतः सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि सरकारी कर्मचारियों में जो यह असंतुष्टि तथा असुरक्षा की भावना है इससे अवश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता प्रभावित होगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि संविधान में उचित संशोधन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास विभाग के संबंध में भी चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे एक विशेष बात कहनी है, और वह यह है कि शहरी गरीब लोगों के आवास की समस्या···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ग्रामीण गरीब लोगों के संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं उस पर भी बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि सारा सदन सहयोग करे ताकि मैं इन मुद्दों पर आगे बोल सकूं।

मैं गांवों में आवास की समस्या से सहमत हूं लेकिन साथ ही शहरों में भी आवास की समस्या का भी सवाल है और यह सवाल गरीबों का ही नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग और नौकरी करने वाले वर्ग का है। वे भी आवास की समस्याओं को समान रूप से महसूस करते हैं। बहरहाल, जहां तक बम्बई का संबंध है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत दयालु हैं और उन्होंने 100 करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा की है। (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि शहरी क्षेत्रों में, इन सभी शहरी क्षेत्रों में बम्बई में भी यह समस्या बहुत गंभीर है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत स्थिति पत्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास और शहरी क्षेत्रों पर दबाव के कारण यह समस्या पैदा हुई है। इसलिए इस कार्य विशेष के लिए व्यापक योजना बनाने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि जबर्दस्ती बेदखल करने की नीति के बजाय हमारे पास पुनर्वास संबंधी एक ऐसी नीति होनी चाहिए जो योजनाबद्ध विकास पर आधारित हो, जिसके अन्तर्गत विस्थापितों और जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है, को आवास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा सके। खासकर बम्बई में इन दिनों जबर्दस्ती बेदखल करने की अनेक घटनाएं घट रही हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए और जिन स्थानों की सार्वजनिक कार्यों के लिए वास्तव में जरूरत है, उनका पुनः पता लगाया जाना चाहिए। 'सार्वजनिक प्रयोजन' शब्दावलि की परिभाषा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए।

महोदय, एक अंतिम शब्द। केन्द्रीय सरकार की और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की भूमि के मामले में भी पुनर्वास की अनुमति या जिन स्थानों पर लोग रह रहे हैं उन्हें विकसित करने की अनुमति देने से संबंधी नीति का पालन किया जाना चाहिए। आशा है सरकार इन मामलों पर उपयुक्त ढंग से विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि आपको मिल नहीं सकते। महोदय, आपको लिखित रूप में देना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, केवल एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : कारीगरों के लिए स्व-रोजगार योजना.........

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह नियम विरुद्ध है ।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : स्व-रोजगार कर रहे ग्रामीणों.........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह नियमों के विरुद्ध है ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । आज बजट का ज्यादातर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जा रहा है और वह बढ़ते-बढ़ते कुल बजट का 39 परसेंट तक पहुंच गया है । जहां हम उन पर इतना पैसा खर्च करते हैं, वहीं क्या हम उनसे आशा कर सकते हैं कि वे अधिकारी हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे । यदि आज हम उनके काम को देखें, उनका काम करने का तरीका देखें तो उसे देखकर हमें निराशा होती है । डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गरीबी को दूर करने की हमारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में उनका सहयोग नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि हम जितनी धनराशि आज खर्च कर रहे हैं, उसमें चाहे हम कितनी भी मितव्ययता क्यों न बरतें, 5 परसेंट कटौती करने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों का रवैया बहुत निराशाजनक है । जहां किसी विभाग में मंत्री कमजोर होते हैं तो वे उन पर हावी हो जाते हैं और उनसे अपने काम करवा लेते हैं । इन सरकारी कर्मचारियों की न कोई एकाउन्टैबिलिटी है और न इनकी कोई जिम्मेदारी है । इस बाबत अगर हमने प्रशासन को चुस्त नहीं किया । हमने सतर्क नहीं किया, निष्ठावान नहीं बनाया, तो आने वाले समय में यह प्रशासन हमारी जो योजनाएं हैं, उनको सफलीभूत नहीं होने देगा । इसलिए इस पाइंट पर गहराई से विचार करना चाहिए और श्रीमन्, जो अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने कहा कि आर्टिकल 311(टू) के अन्तर्गत आज भी कांस्टीट्यूशन बनने के बाद, हम लोग कानून नहीं बना सके और रूल्स पर इन ब्यूरोक्रेट्स ने अपना राज चलाया और इन ब्यूरोक्रेट्स के कारण उन लोगों को अलग करने का जो मामला है, वह जिस रूप में ये विरोधी लोग उछाल रहे हैं, वह नहीं है । सवाल यह है कि जो गुनेहगार ठहराया जा चुका है, जो खतरनाक है, जिसकी इन्क्वायरी करनी है, उनको आर्टिकल 311 में हटाना अनौचित्य नहीं होगा । यह कदम जो उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया है वह मान्य है । क्या आज आप मानेंगे कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अंदर 660 करोड़ का घाटा है और हमारी सबसिडी बराबर बढ़ रही है? कोई कारण बतलाएगा कि इसमें हमारे दस-दस, पंद्रह-पंद्रह हजार मजदूर ज्यादा लगे हुए हैं ? क्या लेबर-लाज के अंदर कोई चाइल्ड लेबर को रोक सका है, यह हम सबके लिए शर्म की बात है । आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे, भारत की भावी आशाएं हैं, उनको देखकर यह मालूम होता है कि

लेबरलाज केवल कागजों में रहते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने कांट्रेक्ट लेबर के लिए विरोध किया, कांट्रेक्ट लेबर का कानून आज पास नहीं हुआ, आज हमने चाइल्ड लेबर के लिए कानून पास किए, लेकिन वह लागू नहीं हुआ।

चूंकि आप समय कम देंगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। वैसे मैं चाहता था कि ज्यादा बातें आपके ध्यान में लाऊं। एजूकेशन पालिसी के बारे में ह्यूमन रिसोर्सेस के अंदर आपने कहा कि एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। क्या आप आशा करते है कि इससे आपका काम हो जाएगा। हिन्दुस्तान के अंदर स्कूलों और पाठशालाओं की जो हालत है, वह ठीक है। जो अध्यापक हैं जिनको शिक्षा देने का औजार समझा जाता था आज वे अध्यापक नहीं रहे हैं, वे ज्ञान बेचने वाला बनिया बन गया है। वह हमारे को शिक्षित नहीं कर सकता है। आप यह सोच रहे हैं कि एक मॉडल स्कूल एक जिले मे बन जाएगा, तो आपकी शिक्षा ठीक चलेगी, वह चलने वाली नहीं है। आज सारे स्कूलों के अंदर जो दयनीय दशा है, जो खराब हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो श्रीमन् ये तमाम पहलू हैं, जिन पर विचार होना चाहिए।

न्याय की दृष्टि से आज भी पंद्रह लाख मुकदमे अदालतों में पड़े है। जनता को कब सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा और आप कब जनता को ईमानदारी से सस्ता न्याय दिलाएंगे। इस बाबत में कभी हमने सोचा है? ये हमारी समस्याएं हैं, इन पर आप विचार करिए। मेरा तो इस बारे में एक ही सुझाव है कि ये जनता का काम करने वाली सेवाएं हैं। एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 50 परसेंट सर्विसेस स्टेट के अंदर बाहर की होनी चाहिए। आज भी वे 50 परसेंट सर्विस बाहर की नहीं है। सर्विसेस भी कभी-कभी कानून की अवहेलना करके राजनीतिज्ञों से प्रभावित हो जाती हैं। इस प्रकार की सेवाओं से हम कल्याणकारी राज्य का अपना इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते है, जो हमें करना चाहिए। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, बनातवाला जी ने अंततः ये मुद्दे उठाए है। उन्होंने गिलोटीन का उल्लेख किया है। लेकिन वह और डागा जो गिलोटीन से बच गए हैं।

एक मुद्दा पियरलेस के बारे में उठाया गया है। उस पर विचार किया जा रहा है और···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नाम बड़ा सोचकर रखा है।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, यह पीयरलेस नहीं है। हम विभिन्न सुझावों और प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। यहां तक कि इसी सप्ताह कुछ सांसदों ने······

श्री जी० एम० बनातवाला : सक्रिय रूप से और सहानुभूति से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, पर संभावनाओं के दायरे के अन्तर्गत ही। तो इसी सप्ताह कुछ सांसदों ने चर्चा की और कहा कि इस पर चर्चा करने के लिए वे मुझसे मिलेंगे और मैं उनसे मिलूंगा।

शहरी गरीबों की समस्या के बारे में एक मुद्दे का उल्लेख किया गया है। शहरी गरीबों के लिए योजना है। इसी बजट में शहरी गरीबों की ओर ध्यान देकर कुछ योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है।

आवास के लिए रियायती ब्याज दरों पर लाभभोगियों को 5,000 रुपए ऋण के तौर पर दिए जाते हैं जिसका भुगतान 20-25 सालों में करना होता है।

श्री मूलचंद डागा ने बाल श्रम का उल्लेख किया है। इस संबंध में श्रम मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें एक आम राय हुई। सरदार बाल श्रम पर एक व्यापक विधेयक पर विचार कर रही है।

ठेका श्रम संबंधी कानून में संशोधन करने के बारे में कार्यकारी दल द्वारा किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

इसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी व्यय में हो रही वृद्धि के बारे में मुद्दा उठाया गया है। हम प्रशासन के व्यय के आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लेते हैं। इस प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई और वह 9-10%पर स्थिर है। हम नहीं कह सकते कि ऊपरी व्यय में वृद्धि हो रही है।

पत्रकारों और वेतन, पत्रकारों और अंतरिम राहत के बारे में, हम······

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : कितना व्यय होता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बता रहा हूं कि यह कुल व्यय का 9-10% है।

श्री एच० ए० डोरा : वास्तविक व्यय कितना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तविक व्यय कुल धनराशि पर निर्भर करता है। मेरा कहना है कि आप अगर इस बात की तुलना करते हैं कि यह बढ़ रहा है या नहीं तो कुछ समय बाद हर साल देखना होगा कि इसका प्रतिशत बढ़ रहा है या नहीं। कुल व्यय बढ़ने पर कुल धनराशि बढ़ती है। लेकिन देखिए जहां तक अनुपात बढ़ रहा है या नहीं तो हम कहेंगे कि वह स्थिर है।

जहां तक पत्रकारों के वेतन का संबंध है अपने सहयोगी श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर माननीय सदस्य को जानकारी दें। इस बारे में मैं उनसे अनुरोध करुंगा।

क्या मैं आपको आश्वासन दूं·········

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की समस्या का क्या होगा ? धनराशि की स्वीकृति के लिए मतदान करने से पूर्व हम इस बारे में जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मूलचंद डागा इसके विरुद्ध हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस बारे में·········(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में बात मत करिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके अलावा देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। अगर यह आरोप हो कि ऐसा बुरे इरादे से किया गया है या असंबद्ध तथ्यों के आधार पर विचार किया गया है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि कानून की नजरों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हुई है।

निर्णय में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश यह दिया है कि सेवा से बरखास्त या पदावनत सरकारी कर्मचारी अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ख) या (ग) अथवा सेवा नियम का प्रयोग करते हुए अपील या संशोधित आवेदन-पत्र में यह अनुरोध कर सकता है कि जिन आरोपों के कारण उसको यह सजा दी गई है उसकी जांच की जाए बशर्ते कि अपील या संशोधित आवेदन-पत्र की सुनवाई के समय दूसरे परन्तुक में उल्लिखित स्थिति विद्यमान न हो। इस मामले में भी स्थिति के सामान्य होने तक की उपयुक्त अवधि तक के लिए अपील या संशोधित आवेदनपत्र पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जाएगा।

निर्णय में बचाव के ये विभिन्न उपाय दिए गए हैं। मेरे विचार से ये स्वयं निष्पक्षता का और प्रशासनिक सनक का ध्यान रखेगा।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, नई शिक्षा नीति तैयार कर ली गई है और सरकार इस पर बहुत सकारात्मक उपाय कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है···

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, उन्होंने स्वयं कहा कि वह श्रम मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वह पत्रकारों के लिए अंतरिम राहत के बारे में स्पष्ट करें·········

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है·····

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्डों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.21 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

परिवार-नियोजन के संबंध में राज्यों को मार्ग-निर्देश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० जी० एस० राजहंस द्वारा प्रस्तुत आधे घटे की चर्चा आरम्भ करेगा।

6.12 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, पिछले दो बार से इस समस्या पर चर्चा टलती रही है और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार भी चर्चा टल जायेगी।

मुझे इस बारे में 2-3 बातें कहनी हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लैनिंग पर 65 प्रतिशत हैल्थ के लिए एलोकेशन था जो कि इस पर खर्च भी हुआ, लेकिन उसका लाभ राज्यों को कुछ खास नहीं मिल सका। अपने देश में 1952 से ही फैमिली प्लैनिंग एक नेशनल मूवमेंट की तरह चला है, लेकिन इसका कोई खास लाभ देश को नहीं मिला। 1952 के आसपास हमारी पापुलेशन 43 पर-थाउजन्ड थी जबकि 1981 में आकर 33.9 पर-थाउजन्ड रह गई। 1981 से 1986 तक यह 33.9 पर-थाउजन्ड तक चलती रही। पिछले 3-4 सालों में स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई है। इस पर खर्च दुनियाभर का हुआ है और फायदा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।

1985-86 के फस्ट-हाफ में यह पता चला कि पांच प्रमुख राज्यों में फैमिली प्लैनिंग का काम बहुत ही खराब रहा है। यह राज्य बिहार, यू० पी०, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन राज्यों में फैमिली प्लैनिंग को एफेक्टिव करने के लिए क्या किया। मैं 13 जनवरी के "हिन्दुस्तान" टाइम्स से यह कोट करूंगा जिसमें लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

"बिहार की हालत सबसे खराब है। वर्ष 1985-86 के पहले 6 महीनों में इस अवधि में बन्ध्यीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य का 20 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं किया गया। परम्परागत गर्भ-निरोधकों एवं गर्भ-निरोधक गोलियों के लिए भी जो छोटा-सा लक्ष्य रखा गया था बिहार वह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सका।"

[हिन्दी]

उसके बाद लिखा है :

[अनुवाद]

"यह पांच राज्य वर्ष 1984-85 के दौरान देश में बन्ध्यीकरण में आई 11.1 प्रतिशत गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।"

[हिन्दी]

एक और मजेदार बात आप सुन लें :

[अनुवाद]

"अन्य चार राज्यों द्वारा 1984-85 के दौरान किए गए बन्ध्यीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

बिहार में 2.91 लाख जबकि लक्ष्य 5.71 लाख का था।

मध्य प्रदेश में 2.53 लाख जबकि लक्ष्य 5 लाख का था।

राजस्थान में 1.36 लाख जबकि लक्ष्य 2.94 लाख का था।

पश्चिम बंगाल में 2.71 लाख जबकि लक्ष्य 4.88 लाख का था।"

[हिन्दी]

मेरा कहने का अर्थ है कि सरकार ने कभी यह सोचा कि अपने देश में पापुलेशन का इतना बड़ा एक्सप्लीजन होने जा रहा है जो ऐटम बम के एक्सप्लीजन से भी बड़ा होगा ? क्या सरकार को पता है कि बाइ दि टर्न आफ दि सेन्चरी हिन्दुस्तान संसार का सबसे पापुलेटेड कंट्री हो जाएगा ? चीन ने शुरू से ही वन चाइल्ड फैमिली का सिद्धांत अपनाया और आज यह हालत है कि चीन की पापुलेशन बहुत कुछ कंट्रोल हो गई है। चीन तो 21वीं शताब्दी आते-आते दूसरे नम्बर पर पहुंच जाएगा और हम बड़ी तेजी से पहले नम्बर पर ओवर पापुलेटेड कंट्री में चले जाएंगे। तो सरकार क्या कोई पापुलेशन पालिसी सोच रही है ? अभी जो हमारा नारा है हम दो हमारे दो, उसको बदल कर सरकार हम दो हमारे एक पर लाएगी ?

एक माननीय सदस्य : आपके कितने बच्चे हैं ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरे बच्चे नहीं हैं।

मैं यह कहूंगा कि मैंने मंत्री जी का पिछले तीन चार महीने का जवाब पढ़ा स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन्स का, लोक सभा में जो उन्होंने कहा और राज्य सभा में जो कहा, बहुत ही

दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि इनके यहां एक दो अफसर हैं जो फैमिली प्लानिंग पर कुछ भी पूछिए जवाब एक ही आता है डिट्टो पर डिट्टो, जिसको हिन्दी में कहते हैं मक्खी पर मक्खी मिलाना। क्या जिस तरह से यह जवाब दिया गया है, फैमिली प्लानिंग भी उसी तरह से चलेगी ? मैंने मंत्री जी की एक स्पीच पढ़ी थी, वह कहीं पर उन्होंने दी थी, कि इस वर्ष थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि वह कैसी प्रोग्रेस हुई है और आगे वह क्या कर रहे हैं ? पिछले सालों में प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई ? फैमिली प्लानिंग पर पैसा दुनिया-भर का खर्च हुआ लेकिन क्या कभी किसी ने जानने का प्रयास किया कि यह पैसा जाता कहां है ? मैं आपको बताऊं कि देहातों में फैमिली प्लानिंग की जितनी वैहिकिल्स और गाड़ियां हैं उनको लोग बड़े आराम से अपने प्राइवेट बिजनेस में यूज करते हैं।

देहातों में फैमिली प्लानिंग के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने पहले भी कहा था कि गांवों में लगे हुए एक बोर्ड को मैंने एक देहाती भाई को दिखाया और कहा कि इस पर अमल क्यों नहीं करते हो ? बोर्ड पर लिखा था कि मम्मी पापा के हम दो, हमारे दो। तो उस ग्रामीण भाई ने मुझसे कहा कि यह परिवार नियोजन तो मम्मी पापा के लिए है हमारे लिए नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हम तो मां-बाप जानते हैं। आज भी जब मैं देहात में जाता हूं तो वही बोर्ड लगा हुआ है कि मम्मी पापा के हम दो, हमारे दो। तो फैमिली प्लानिंग की ओर कितना ध्यान लोगों का गया है इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हम इन्सेन्टिव देंगे ? किस तरह का इन्सेन्टिव दे रहे हैं ? आप एक नियम बना दें, एक पैकेज डील रख दें। हमारे देश में मेल-चाइल्ड की बहुत डिमांड है। मेल बच्चा खोजने के चक्कर में आदमी पांच छः बच्चे पैदा कर देता है। क्या ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जा सकता कि एक आदमी एक बेटी पैदा करे और वह स्टेरिलाइजेशन करा ले तो उस को एक तरह का सोशल इन्श्योरेंस मिल जाय, स्टेट की तरह से इतना पैसा धीरे-धीरे जमा कर दिया जाय, कि जब वह बूढ़ा हो तो इतना पैसा उसको मिलता रहे कि उसको और किसी इन्कम की आवश्यकता न हो ? स्टेट की तरफ से इतनी पेंशन मिल जाएगी कि उसको किसी और इनकम की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उसे इस तरह की सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी कि वह बेटा पैदा करने की इच्छा ही नहीं रखेगा।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि आप फेमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि इस मुल्क में महिलाओं के साथ ज्यादती होती है ? आप क्यों नहीं महिलाओं को इतनी एजूकेशन देते कि उनका गौरव इतना ऊंचा उठ जाए जिससे वे कह सकें कि हम तुम्हारी गुलाम नहीं हैं, हम एक से अधिक सन्तान पैदा करने की इच्छा नहीं रखती हैं। इस प्रकार से क्या सरकार उनको एजूकेट नहीं कर सकती है ?

तीसरी बात जो है वह आई-ओपनर भी है कि जब 1977 में लोगों ने हल्ला किया फेमिली प्लानिंग के संबंध में कि बहुत अत्याचार हो गया तो सरकार ठंडी हो गई, पैसा पानी की तरह जाने लगा ऐसे होल में जिसके बाटम में कोई सतह ही नहीं थी। तो मैं कहता हूं क्या कोई ज्वाइन्ट कमेटी दोनों हाउसेज़ की आप स्थापित करेंगे जो पता लगाए कि 1977 के बाद फेमिली प्लानिंग मेजर्स में सरकार क्यों सुस्त हो गई और फेमिली प्लानिंग मेजर्स सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए ?

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आप मानिटरिंग किस तरह से करते हैं। केवल स्टेट्स को लिख दिया, उन्होंने जवाब दे दिया और उसको आपने फाइल कर दिया—क्या इसी से काम चलेगा? मैं कहता हूं तीन-तीन महीने में आप रेव्यू करते हैं, आप हर महीने रेव्यू क्यों नहीं कर सकते ?

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा क्या आपने यह प्रयास किया है कि लोगों को सही अर्थ में बतायें कि वे कितनी बड़ी प्रलय के कगार पर हैं, कितनी बड़ी समस्या से झूझने वाले हैं ? पहले एक एल० आई० सी० का एडवर्टीजमेंट अखबारों में निकलता था कि यह आदमी बाल बाल बच गया या यह औरत बाल-बाल बच गई क्योंकि इसके पति ने लाइफ इन्श्योरेंस की पालिसी ली थी और एक-दो किश्तें देने के बाद की वह परिवार कवर हो गया। क्या आपके यहां कोई इमैंजिनेशन का आदमी नहीं है जो कह सके कि एक ही एज ग्रुप के दो कपल्स ने साथ-साथ जिन्दगी शुरू की—एक ने 8 बच्चे पैदा किए और दूसरे ने एक ही बच्चा पैदा किया और वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। वहां पर जो पैसा 8 बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च होगा वह यहां एक बच्चे के ही पालन-पोषण पर खर्च हुआ और आज जिसकी फेमिली लिमिटेड है उसके पास फ्लैट भी है, गाड़ी भी है और रहने की दूसरी सारी सुविधाएं भी हैं। क्या आपके यहां कोई इमैंजिनेशन से इस तरह की पब्लिसिटी नहीं कर सकता है ?

आप मोटिवेशन के लिए लोगों को देहातों में भेजते हैं लेकिन मोटिवेशन क्या होता है ? कुछ भी नहीं। बड़ी अजीब बात है कि जो बात वहां पर वह कहना चाहते हैं वह कह भी नहीं सकते हैं। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कि लोग देहात में गए निरोध का प्रचार करने लेकिन वहां अपनी बात कह नहीं सके और 6 महीने के बाद जब फिर उसी देहात में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वह निरोध घरों में टंगे हुए हैं। वे अपना सिर पकड़कर रह गए और उस गांव की आबादी बढ़ गई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह समस्या इतनी गम्भीर है कि जिसको आप बहुत आसानी से नहीं ले सकते। पापुलेशन के बारे में स्कूल एज से ही एजूकेशन दी जानी चाहिए, खासकर लड़कियों को और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। क्योंकि अपने देश में केक तो उतना ही है और जिनमें उसको बांटना है। वह अगर बढ़ते जाएंगे तो उससे अराजकता फैलेगी। मैं जिस एरिया से आता हूं वह मोस्ट डेंसली पापुलेटेड है। ओल्ड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वह एशिया में मोस्ट डेंसली पापुलेटेड एरियाज में से एक है। एक-एक परिवार में बीस-बीस बच्चे हैं। किसी ने एक बच्चे से पूछा कि आप कितने भाई हो ? उसने कहा—हम बीस भाई हैं। इसने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं ? उसने कहा—यही काम करते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वे बीस बच्चे आज गरीबी का, दुर्भाग्य का और बीमारी का जीवन व्यतीत करते हैं। क्या उपके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या उसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं है। हम यह कह कर अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और तुम्हारी बला से पोपुलेशन बढ़े या घटे। हाईजेनिक कंडीशन इम्प्रूव होने से डैथ-रेट आधा हो गया है और बर्थ-रेशो 33.9 परसेंट पर कान्सटैंट है। इस तरह से पापुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। आप लाख जोर लगा लें, इस देश में डवेलपमेंट नहीं हो सकता, जब तक कि यहां पर पापुलेशन कन्ट्रोल नहीं किया जाएगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, उन मुद्दों का वे जवाब दें।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, सबसे पहले मैं संसद् के माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर राजहंस को जनसंख्या नियंत्रण बन्ध्यीकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मुद्दा इस सदन में उठाने तथा उसके माध्यम से राष्ट्र में उठाने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, सरकार माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता हमारे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले सभी राष्ट्रीय प्रयासों के संबंध में महत्वपूर्ण है।

महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो कि इस राष्ट्र को नई उपलब्धियों की ओर ले जाने के लिए राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ने अपनी कार्य-सूची में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

भारत परिवार नियोजन को एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में लाने वाला पहला देश है। इस कार्यक्रम की सफलताओं के बारे में माननीय सदस्य का अनुमान गलत है। स्वतंत्र अनुसंधान-कर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित रिकार्ड के अनुसार इस कार्यक्रम के पिछले 35 वर्षों के दौरान हम देश में 7.5 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि रोकने में सफल हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम न होता तो हमारे देश की जनसंख्या 74.5 करोड़ की अपेक्षा 82 करोड़ होती। माननीय सदस्य का यह कहना कि निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है, भी सही नहीं है। महोदय, 1951 के शुरू से 1985 के अंत तक केवल 2400 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए थे। यदि आप इसके कारण जो 7 करोड़ जन्म रोके गए उनसे विभाजित करें तो यह रकम 345 प्रति जन्म बैठती है। इसमें 11000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 80,000 उप-केन्द्रों की लागत का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इस कार्यक्रम में हमने 10 लाख कार्मिक भी प्रशिक्षित किए हैं।

महोदय, आज भारत में संतान उत्पत्ति योग्य 90 प्रतिशत दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी है और 60 प्रतिशत को इस हेतु तरीकों के बारे में मालूम है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : आपको जानकारी नही होगी, महोदय। मैं संतान उत्पन्न करने योग्य दम्पत्तियों की बात कर रहा हूं। ये आंकड़े स्वतंत्र अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त किए गए हैं।

श्री बी० शोभ नाद्रीश्वर राव : क्या आपका मतलब है कि वह इस योग्य नहीं हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 90 प्रतिशत दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी है। इनकी पुष्टि नवीनतम निदान-सूचक अध्ययन द्वारा की गई है। 60 प्रतिशत को इसके तरीकों की जानकारी है। इस देश में प्रत्येक 100 दम्पत्तियों में से 35 परिवार नियोजन को अपना चुके हैं, 27 बन्ध्यीकरण द्वारा तथा 8 जन्म में अन्तर रखने के तरीकों द्वारा।

महोदय, हम माननीय सदस्य से सहमत हैं कि पहले इस कार्यक्रम में, विशेषकर उत्तरी राज्यों में, अनेक कमियां रही हैं। जहां सर्वेक्षण किया गया वहां माननीय सदस्य जहां से आए हैं

उस राज्य सहित कुछ राज्यों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का काफी कम उपयोग किया गया है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता किंतु ये कमियां डाक्टरों के उपलब्ध न होने, बुनियादी सुविधाओं के कम उपयोग, कर्मचारियों को पर्याप्त प्रेरणा न देने, आपरेशन के बाद तकनीकी सेवाओं का स्तर अच्छा न होने, महिला डाक्टरों की कमी होने तथा कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक न होने से संबंधित हैं । इन कमियों में सुधार किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समय इस कार्यक्रम की आलोचना की है जब यह अधिक उपलब्धियां प्राप्त करके स्थिति में परिवर्तन दर्शा रहा है ।

मैं सदन में उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि पहले 6 माह में कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं रही किन्तु 13 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि 1985-86 में इस कार्यक्रम ने अपूर्व सफलता प्राप्त की । इस वर्ष हम 190 लाख लोगों को परिवार नियोजक अपनाने वालों की सूची में ला सके हैं । हमने बन्ध्यीकरण में 90 प्रतिशत तथा अन्य तरीकों के मामले में लगभग 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है । जहां तक उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार का संबंध है यह उत्साहवर्धक है कि इन राज्यों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से 80% तक अधिक सफलता प्राप्त हुई है । ऐसा मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री की राजनैतिक बचनबद्धता के कारण हो सका है जिन्होंने हर माह कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया । यह वचनबद्धता मुख्य-मन्त्रियों के माध्यम से निम्नतम स्तर तक काम कर रही है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती किदवई और स्वयं मैंने बड़े राज्यों के अनेक दौरे किए हैं और विस्तृत पुनरीक्षण किया है तथा देश के सभी राज्यों में प्रेरणाप्राप्त नेतृत्व समूह बनाने का प्रयत्न किया है ।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि—जैसा कि संसद् के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहा गया है—कि प्रधान मंत्री के कहने पर परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक नई संशोधित एवं प्रभावकारी नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य परिवार नियोजन को ऊंचे आयामों पर ले जाना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में कार्यक्रम के लिए अधिक सफलता प्राप्त करना है । मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य यह नीति पढ़ें तो उनकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी । इस नीति का उद्देश्य परिवार-नियोजन को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की बुनियादी सुविधाओं अथवा समाज में महिलाओं का स्थान, स्त्री-शिक्षा, शिशुओं का जीवित रहना, गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम से संबंध, वृद्धावस्था में सुरक्षा तथा विवाह की आयु में वृद्धि करने सहित सभी संबद्ध सामाजिक पहलुओं तक ले जाना है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि वे जिस राज्य से आते हैं वहां 15-19 वर्ष के बीच की सभी लड़कियां विवाहित हैं । विशेषकर उत्तरी राज्यों में बाल-विवाह एक समस्या है । इस नीति का उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना भी है । इसमें सभी संचार माध्यमों, जैसे रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्मों द्वारा प्रचार को व्यावसायिक बनाने का प्रयत्न किया गया है ताकि यह संदेश जो लक्ष्यों पर आधारित हो, विशेष प्रयासों से पूरी जनता तक पहुंच सके । पूरी संचार नीति की पुनरीक्षा की जा रही है । हम सूक्ष्म स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर विवाह की आयु बढ़ाने, रोग-प्रतिरोधी शक्ति बढ़ाने तथा दो बच्चों की परिवार सीमा लागू करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं । मैं विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम इस देश में एक बच्चे के परिवार की वकालत नहीं करते । अभी उसके लिए समय नहीं आया क्योंकि इस देश में शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है और हम इस समय एक बच्चे वाले परिवार के लिए दबाव नहीं डाल सकते । हमारा मानक दो बच्चों वाला परिवार ही है । हम

परिवार नियोजन के अलग-अलग तरीकों के बारे में भी एक अभियान चलाने वाले हैं। हम देश में प्रशिक्षित श्रम-शक्ति में प्रेरणा को बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाएंगे। ये प्रेरणा तथा संचार अभियान, जो अभी तैयार हो रहे हैं, माननीय सदस्यों के सामने रखे जाएंगे और अब से कुछ सप्ताहों तथा माह में काम करना शुरू कर देंगे।

महोदय, इस वर्ष पूरे राष्ट्र में बन्ध्यीकरण में उपलब्धि गत वर्ष की अपेक्षा 18.3% अधिक रही, आई० यू० सी० में पिछले वर्ष के मुकाबले 25%, सी० सी० का प्रयोग करने वालों की संख्या में 10 प्रतिशत तथा गोलियों का प्रयोग करने वालों में 13.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह उपलब्धि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। चार राज्यों, नामत: गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब में बन्ध्यीकरण के लक्ष्य में 100% से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर-प्रदेश में आई० यू० डी० के लक्ष्य में 100 प्रतिशत से अधिक सफलता प्राप्त की गई। महोदय, हम राज्यों के साथ निरंतर दोहरी संचार व्यवस्था रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आयोजित पिछले सम्मेलन में राज्यों की समस्याओं का पता लगाया गया तथा उनमें सुधार किया जा रहा है। महोदय, हमारी नीति में संचार व्यवस्था तथा प्रचार व्यवस्था में संशोधन करने के अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी युक्तिसंगत बना रहे हैं। यह एक बात है जिस पर माननीय सदस्य ने जोर दिया है। हम प्रोत्साहन देने वाली एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं जिसमें जो दम्पति दो बच्चों के परिवार की सीमा को अपनायेगा उसे अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा। हम ऐसे दम्पत्तियों को भी अधिक प्रोत्साहन देंगे, जो अगर दो लड़कियां हों तो भी बच्चों को सीमित रखेंगे। हम एक बांड योजना अथवा बीमा योजना शुरू करेंगे जो उन लोगों को बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करेगी जो अपने परिवारों को लड़के के न होने पर सीमित रखने के इच्छुक हैं।

महोदय, इस देश में बच्चों की मृत्यु दर और दंपतियों के संरक्षण में सरकारी बुनियादी ढांचे की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, मान्यताओं, परम्पराओं और परिवार नियोजन के विरोध में काफी विभिन्नताएं हैं। प्रधानमंत्री की इच्छाओं के अनुरूप तैयार की गयी नयी योजना में विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट ग्रुप और विशिष्ट लक्ष्य को दृष्टि में रखा गया है जो परिवार नियोजन अपनाने के विरोध पैट्रन पर ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों में बुनियादी ढांचे पर होने वाले परिव्यय को बढ़ायेगा। संपूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन तंत्र को सुचारू बनाया जा रहा है। हम परिवार कल्याण विभाग का अन्य सामाजिक-आर्थिक विभागों के साथ अंतर-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने जा रहे हैं। इस नीति में परिवार नियोजन को बड़े पैमाने पर लिया गया है जिसमें परिवार साक्षरता, बच्चों के जीवित रहने, स्त्रियों को दर्जा और रोजगार, गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रम, ग्रामीण विकास इत्यादि शामिल हैं ताकि गांवों के निम्न स्तर के कार्यकर्ता समन्वित रूप से कार्य कर सकें—देश के गांवों और शहरों में 16 करोड़ पात्र दम्पति रहते हैं। इनमें से प्रत्येक पात्र दंपति इस बारे में अज्ञान की स्थिति से पूर्ण जानकारी, ज्ञान और स्वीकार करने की स्थिति तक लाना होगा। यह केवल तभी संभव है जब प्रचार और शिक्षा प्रयासों के अतिरिक्त निरन्तर परस्पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन के प्रयासों को संगठित किया जाये। चीन और इंडोनेशिमा में कार्यक्रम की सफलता का कारण यह है कि वहां पर निम्न स्तर पर काफी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता हैं जो प्रत्येक दंपति को प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमने कार्यक्रम में एक बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जिसमें देश में निम्न स्तर पर प्रत्येक 60 पात्र

दम्पतियों पर एक कार्यकर्ता के हिसाब से 20 लाख महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का दल बनाया जायेगा। ये स्वैच्छिक कार्यकर्ता स्त्रियों को दर्जा और रोजगार दिलाने, शिशु के जीवित रहने, पोषण, महिला साक्षरता, परिवार नियोजन, गर्भवती स्त्रियों का ध्यान तथा अन्य संबद्ध सेवाओं को सक्रिय बनाने के लिए कार्य करेंगी। माननीय सदस्य ने एक खास प्रश्न पूछा था कि क्या यह जनता शासन के दौरान कार्यक्रम के कार्य प्रदर्शन में आई कमी से संबद्ध है। कार्यक्रम का इतिहास कई उलट-पलट का रहा है। 1977-78 में यह 125 लाख परिवार नियोजन अपनाने वाले अभूतपूर्व सबसे बड़े कीर्तिमान पर पहुंचा था। 1977-78 में जनता शासन के शुरू होने पर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्य प्रदर्शन एक तिहाई रह गया, अर्थात् उस समय केवल 45 लाख लोगों ने इसे स्वीकार किया था। इसका मुख्य कारण कार्यक्रम के बारे में गलत धारणा, अफवाहों तथा अन्य प्रतिकूल कारणों का प्रभुत्व होना रहा है। हम अब इसे फिर से लाईन पर लाने में कामयाब हो सके हैं और यह धीरे-धीरे गति पकड़ता जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ष 190 लाख लोगों ने परिवार नियोजन को स्वीकार कर लिया है जो आपातकालीन समय के कीर्तिमान से 50 प्रतिशत अधिक है।

माननीय प्रधानमंत्री ने विभाग को सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं और साथ ही कार्यक्रम को पूर्ण रूप से एक स्वैच्छिक कार्यक्रम रखने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने और लोगों के सहयोग और समुदाय के हिस्सा लेने तथा बेहतर कार्यक्रम प्रबन्धन पर बल दिया जाये ताकि, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थीं, यह कार्यक्रम वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बन जाये।

नयी नीति, आशा है कि उच्चतम स्तर पर एक या दो माह में तय कर ली जायेगी। इसके बाद में इसका क्रियान्वयन किया जायेगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने वायदा किया है कि उपलब्धियों की प्राप्तियों को देखते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने मे धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

अन्तिम बात यह है कि हमने इंदिरा गांधी शिशु जीवन रक्षा कार्यक्रम को साथ ही शुरू किया है जिसके अंतर्गत सभी भारतीय बच्चों और भावी माताओं को टीके लगाये जाने का प्रस्ताव है। अगले चार वर्षों में हमें 8 करोड़ बच्चों और 9 करोड़ भावी माताओं को टीके लगाने हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा शिशु जीवन रक्षा प्रयास है जो कभी किया गया हो। इससे देश में शिशुओं की मृत्यु दर आधी हो जायेगी और इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह मंत्रालय परिवार नियोजन के लक्ष्यों को सातवीं योजना में निश्चित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। यह मंत्रालय प्रधान मन्त्री की इस इच्छा को कि इस देश को शीघ्र ही जनसंख्या की स्थिरता के लक्ष्य पर ले जाया जाये, पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हम आशा करते हैं कि इस शताब्दी के अंत तक 'रीप्रोडक्टिव रेट आफ यूनिटी' की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जब हमारी जनसंख्या लगभग 98 करोड़ होगी।

महोदय, भारत में 700 संसद् सदस्य और 4000 विधायक हैं। यह जनता के सहयोग की नीति का एक अंश है कि जनता के प्रतिनिधियों के नेतृत्व का जनसंख्या आन्दोलन में सहयोग

लिया जाये। संसद् में और संसद् के बाहर चर्चाओं के करने से कार्यक्रम के प्रति उत्साह बढ़ेगा तथा समर्थन प्राप्त होगा।

मैं सभा तथा माननीय सदस्यों का, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस दल से सम्बन्धित हैं, आने वाले वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अति सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्थन देने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही विस्तार से जवाब दे दिया है। आप अपने प्रश्न सिर्फ आगे और जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : 26 फरवरी, 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है :

> "छठी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धि से पता चलता है कि समग्र रूप से उपलब्धि लक्ष्य के 30 प्रतिशत के आस-पास थी।"

परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भी न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है, 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र कक्षा में असफल हो जाते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह अवश्य ही टाइपिंग की गलती होगी। छठी योजना में उपलब्धि 80 प्रतिशत थी।

श्री मूल चन्द डागा : यहां तो यही बताया गया है। इसके बाद आगे यह कहा गया है कि परिवार नियोजन की उपलब्धि अनेक मुद्दों पर निर्भर करती है।

कृपया देखिये कि तमिलनाडु में कितनी धनराशि खर्च नहीं की गयी है ? तमिलनाडु में जो धनराशि खर्च नहीं की गयी वह 576.53 लाख रुपये है। पंजाब राज्य में यह 975.09 लाख रुपये है। मध्य प्रदेश में यह 572.29 लाख रुपये है। अब मैं जम्मू और कश्मीर राज्य को लेता हूं। इस राज्य में खर्च नहीं की गयी राशि 1.40 लाख रुपये है। हिमाचल प्रदेश में यह 630.02 लाख रुपये है। अतः यह उत्तर है। धनराशि बहुत से राज्यों में खर्च नहीं की गयी है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं सही आंकड़े देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मैं यह चाहता था कि कान्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए आप कोई दूसरा मैथड बनाएंगे या नहीं। लेपरोस्कोपी की जो आपकी योजना है उसके आधार पर जो मेल वैक्सीन है, वह लेबोरेटरी से कब तक बाहर आ जायेगी।......(व्यवधान) अधिकारी लोग किस प्रकार से खर्च करते हैं, उनकी अकाउन्टेबिलिटी क्या है ? पिछले तीन साल में कितने एबोर्शन केसेज किए गए हैं और उनको आपने क्या इन्सेन्टिव दिया है।

श्री मनोज पांडे : एम० टी० पी० के बारे में भी बोलिए।

श्री मूल चन्द डागा : हमारे डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी आप बहुत रुपए खर्च कर रहे हैं।

[अनुवाद]

600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं ।

[हिन्दी]

क्या आप बताएंगे कि इसके लिए कोई लेजीस्लेशन पास होगा या नहीं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैसे होगा कि हम फैमिली प्लानिंग में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था :

"अगर कोई एक विषय है जिस पर राष्ट्रीय सहमति की सबसे अधिक जरूरत है तो वह निश्चित रूप से परिवार नियोजन है ।"

[हिन्दी]

कौन-सी वालेन्टरी आरेगेनाइजेशन्स हैं जो आपसे रुपया लेती हैं और क्या उनकी अकाउन्टेबिलिटी आपने चैक की है । एम० पीज० का भी जो पार्लियामेंटरी फोरम बना हुआ है, उस पर कितना रुपया खर्च होता है । एम० पीज० को टीच करने की बजाय क्या वालेन्टरी अरगेनाइजेशन्स गांवों में काम करती हैं ।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने जनसंख्या वृद्धि पर काबू नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन से भी आगे बढ़कर विश्व में प्रथम स्थान पर जाएंगे । माननीय मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से उन बहुत से उपायों के बारे में उल्लेख किया है, जो सरकार ने किए हैं तथा निकट भविष्य में करने जा रही है । परन्तु महोदय, आपके माध्यम से मैं दो बातें जानना चाहता हूं । पहली बात यह कि इस समय सरकार प्रोत्साहन के रूप में उन सरकारी कर्मचारियों को, जो परिवार नियोजन से संबंधित आपरेशन करवाते हैं, अग्रिम वार्षिक वृद्धि दे रही है । इससे वास्तव में हजारों रुपये का खर्च होता है ।

7 00 म० प०

अन्ततोगत्वा, कर्मचारी को जो लाभ होता है, उसका हिसाब तो रखना ही होगा क्योंकि उसे ही तो आपरेशन कराना पड़ता है । सरकार अपने उन कर्मचारियों पर तो बड़ी मेहरबान है, जो अच्छा खाते-पीते हैं तब जिन्हें अपनी संतानों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाने के सभी सुअवसर सुलभ हैं किन्तु सरकार का रवैया ग्रामीण या शहरी निर्धनों के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है । सरकार नलबंदी आपरेशन के लिए केवल 150 रुपये और नसबंदी के लिए 75 रुपये दे रही है । अत: आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रोत्साहन राशि को नलबंदी आपरेशन के लिए 500 रुपये और नसबंदी आपरेशन के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया जाए क्योंकि अन्ततोगत्वा निर्धन ग्रामीण उसी प्रेरणा राशि से प्रेरित होकर आपरेशन करवाता है अन्यथा वह यह महसूस करता है कि यदि उसके अधिक बच्चे होंगे तो उसका बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा और बच्चे उसका ध्यान रखेंगे । गरीब आदमियों में आम धारणा यही है । इसलिए उन्हें

प्रेरित करने के लिए वर्तमान प्रोत्साहन अपर्याप्त है। सरकार को यह राशि बढ़ाकर क्रमश: 500 और 250 रुपये कर देनी चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सीमा राशि बढ़ाने को तैयार है। दूसरी बात अपने देश में मैं यह महसूस करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय की इसके प्रति बहुत कम रुचि है। हाल ही में, जब हम इन्डोनेशिया गए थे, तब हमने पूछा था कि वहां परिवार नियोजन के कितने आपरेशन हुए हैं। वहां की 90 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है तथा वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। वहां के लोग परिवार नियोजन के साधन अपना रहे हैं और वे आबादी को नियन्त्रण में रखने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं और हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और जब हमने वहां पूछा तो हमें बताया गया कि सरकार ने धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया है और उन्होंने राष्ट्र के हित में तथा स्वयं के सामाजिक आर्थिक विकास के हित में आबादी को नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श करने के बाद वे लोग इस बात पर सहतम हो गए हैं तथा उन्होंने सहयोग भी दिया है। वे लोग आबादी पर नियन्त्रण रखने में बहुत अधिक सफल रहे हैं। इसलिए, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी सरकार के हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई जैन आदि सभी धर्म के नेताओं को आमंत्रित किया है और उनके साथ विचार-विमर्श किया तथा उन्हें राष्ट्रीय हित के इस अत्यधिक महत्व के मामले में उनके साथ चर्चा की गई है और उनसे सहयोग लेने तथा उन लोगों को समझाने के बारे में कहा है, जिन्हें सरकार के कथन के बनिस्पत उनकी हर बात पर अधिक विश्वास है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार के कथन पर पूरा विश्वास है किन्तु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन धार्मिक नेताओं पर अधिक विश्वास रखते हैं। इसलिए सरकार भी यही प्रयास करे और धार्मिक नेताओं को साथ में लेने की चेष्टा करे, इससे सरकार का प्रयास अधिक सफल होगा और हम आबादी की वृद्धि रोकने में और अधिक सफल हो सकेंगे। मैं माननीय महोदय से यही दो बातें पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य श्री डागा द्वारा जो पहला मुद्दा उठाया गया है, उसके बारे में श्री डागा ने छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों के बारे में जो आंकड़े दिए हैं, वे सही नहीं हैं।

छठी योजना के आंकड़े मेरे पास यहां उपलब्ध हैं। नसबंदी के मामले में हमारी उपलब्धि 79 प्रतिशत, लूप के मामले में 81 प्रतिशत, कन्डोन के मामले में 83 प्रतिशत और खाने की गोली के मामले में लगभग 80 प्रतिशत रही है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सभी प्रकार के तरीकों को मिलाकर यह आंकड़े 30 प्रतिशत बैठते हैं अथवा नहीं। किसी भी हालत में यह सही नहीं है। मैंने सरकार के प्रमाणिक आंकड़े बताये हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : श्री डागा को भी सरकारी पुस्तकालयों से सूचना प्राप्त हुई है न कि किसी गैर-सरकारी स्थान से।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसा कि श्री डागा ने कहा, परिवार कल्याण कार्यक्रम का धन कभी भी वापिस नहीं किया गया क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम पर मूलत: केन्द्र द्वारा पूरा धन व्यय किया जाता है। राज्य कार्य करते हैं, वे कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं और जितना खर्च वे करते हैं केन्द्र द्वारा उतने कार्य के लिए धन की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है और इसलिए निधियों को वापिस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष-दर वर्ष बजट में आबंटित राशि बढ़ती

रही है। उदाहरण के तौर पर छठी योजना के अन्त में, जितनी राशि आरम्भ में हमें दी गई थी हमने उससे लगभग 30 से 40 प्रतिशत राशि अधिक व्यय की है।

लेपरोस्कोपी का कुप्रभाव 1 प्रतिशत से भी कम है जिसकी स्वीकृति तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित है। हमें उसके कुप्रभाव की गंभीरता के बारे में तथा कार्यक्रम पर पड़ने वाले उसके नगण्य प्रभाव के बारे में पता है। हमारा यह प्रयत्न रहा है कि हम कुप्रभाव अथवा प्रतिक्रिया की ओर ध्यान देते रहते हैं तथा निरन्तर पर्यवेक्षण और पुनरीक्षा द्वारा हमारे तरीके भली-भांति परीक्षित हो चुके हैं और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी तकनीकी सेवाएं यथासंभव उच्च स्तर की बनी रहें।

1972 से 1984 तक हम दवाइयों द्वारा 34 लाख गर्भपात कर चुके हैं। यह आंकड़े प्रमाणिक है। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह आंकड़े कम अनुमान पर आधारित हो सकते हैं क्योंकि दवाइयों द्वारा कराए गए गर्भपात के अनेक मामलों की तो सूचना भी नहीं दी जाती है।

यह सरकार ऐसा महसूस नहीं करती कि परिवार कल्याण के लिए अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। देश में ऐसी अनेक गतिविधियां जिनके लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम जनता के जीवन का अंग बन जाए। इस कार्यक्रम के किसी विशेष पहलू के लिए यदि कोई कानून बनाना आवश्यक हुआ तो हम उस समय उस पर विचार करेंगे।

इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं से अधिकाधिक मदद ली जाएगी। इस कार्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समय हम मुख्य रूप से 30-40 स्वयंसेवी संगठनों को मदद देते हैं किन्तु आगे आने वाले समय में हमें हजारों स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करनी होगी। इसके लिए हमने पृथक् नीति तैयार की है।

जनसंख्या संबंधी भारतीय संसदविज्ञ मंच को हमारी पूरी सहायता नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें सेमीनार आयोजित करने के लिए कुछ धन दे देते हैं और इतने पर भी मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय कार्य में सांसदों के भाग लेने से, इस कार्यक्रम का, जनता पर पर्याप्त अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक उठाए गए अन्य मुद्दों का प्रश्न है, प्रोत्साहन के पूरे मामले पर विचार किया जा रहा। हमें पता है कि नसबंदी करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी को एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने से कभी-कभी किसी सरकारी कर्मचारी को, विशेषकर उच्च वर्ग के कर्मचारियों को, अपने सेवा-काल के दौरान 20,000 से 30,000 हजार रुपये तक प्राप्त हो जाते हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को केवल एक बार ही 100 रुपये अथवा 120 रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। यह मामला विचाराधीन है। इस संबंध में हमने अधिकारियों के प्रतिनिधियों और अन्य कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श कर लिया है। हम विचार करेंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं प्रोत्साहन बढ़ाने तथा उसको समुचित करने, प्रोत्साहनों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने से संबंधित सारे मामले पर भी विचार किया जा रहा है। किंतु मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम को एक प्रोत्साहन कार्यक्रम नहीं बनने देना चाहते हैं। हम शैक्षिक प्रभाव और तकनीकी सेवाओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहते हैं जिससे कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले

प्रोत्साहनों के बल पर चलने वाले इस कार्यक्रम के बजाए परिवार कल्याण कार्यक्रम जनता के जीवन का सामान्य क्रम बन जाए।

इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े रहने वाली बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर और अतिशयोक्तिपूर्ण बताया गया है। 1983-84 से परिवार कल्याण को अपनाने वाले लोगों के धर्मवार आंकड़ों की गणना यदि परिवार कार्यक्रम के अनुपात तथा परिवार कल्याण को अपनाने वाले प्रत्येक समुदाय के लोगों का अनुपात और प्रतिशतता को ध्यान में रखकर, उसे आबादी के आधार पर उनकी प्रतिशतता से विभाजित करके किया जाए, तो पता चलेगा कि हिन्दुओं की प्रतिशतता 1.02 प्रतिशत है अर्थात् उन्होंने आबादी के समानुपात से परिवार कल्याण कार्यक्रम को किसी न किसी हद तक अपना लिया। मुसलमानों के मामले में यह प्रतिशतता 0.7 प्रतिशत है; वे 20 से लेकर 30 प्रतिशत पिछड़े हुए हैं। किन्तु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह समुदाय परिवार कल्याण कार्यक्रम को जरा भी नहीं अपना रहा है। यह बात सरासर गलत है। इसे 70 प्रतिशत लोग अपना रहे हैं। सिख समुदाय के मामले में यह प्रतिशतता लगभग 2 प्रतिशत है अथवा उनकी आबादी के अनुपात से यह अनुपात दुगना है। ईसाई समुदाय के मामले में यह प्रतिशतता लगभग एक प्रतिशत है। अल्पसंख्यक समुदाय के उनके अपनाने की प्रतिशतता हिन्दुओं के बराबर ही है।

नई कार्य नीति के अन्तर्गत, जिसे हमने अपना लिया है, हम पिछड़े लोगों की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। मैं उन्हें धार्मिक दल नहीं कहना चाहता हूं। हम प्रत्येक जिले के लिए जिले-वार नीति तैयार कर रहे हैं। हम शैक्षिक और प्रेरणात्मक प्रयास बढ़ा देंगे जिससे इस अन्तर को शनैः शनैः कम किया जा सके। नसबंदी के सारे मामलों की पुनरीक्षा पुनः की गई है और गत चार महीनों के दौरान बहुत ही सक्षम एजेन्सियों द्वारा 30,000 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया है। हमने इस कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर विचार किया है। गत 31 वर्षों में विभाग द्वारा किए गए सभी अध्ययनों का हमने विश्लेषण कराया है और इसके परिणामस्वरूप हमने एक कल्पित और वृहद नीति तैयार की है और इसी नीति को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यदि इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाए तथा सरकार कदम उठाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : धार्मिक संस्थाओं सहित सभी मतावलम्बियों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाना इस नीति का एक अंग है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.12. म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 अप्रैल, 1986/4 वैशाख, 1908 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53